खण्ड–520, अंक–02
मंगलवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1944
(06 दिसम्बर, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, वर्ष 2022)

(खण्ड 520 में 02 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2022

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
माननीय सदस्यों को उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई	7-8
रामपुर, मैनपुरी और खतौली में हुए उप चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोकने के सम्बन्ध में	8-10
माननीय सदस्य द्वारा फेसबुक के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण किये जाने का प्रकरण	10-11
फेसबुक के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण करने वाले सम्बन्धित सदस्य को सदन का परित्याग करने का निर्देश (जारी) ...	11
रामपुर की घटना पर चर्चा हेतु समय के निर्धारण की मांग	11-13
फेसबुक के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण करने वाले सम्बन्धित सदस्य को सदन का परित्याग करने का निर्देश (क्रमागत) ...	13-14
वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा ...	14-63
वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुपूरक अनुदानों की मांगों अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 07, 09, 11 लगायत 14, 22 लगायत 24, 26, 31, लगायत 32, 35, 37, 40, 42 लगायत 44, 49, 58, 60 लगायत 61, 69 लगायत 72, 75 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 93 का विवरण	63
अनुदान संख्या-02-आवास विकास (स्वीकृत)	63
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	64
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	64
अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग) (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)...	64

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)...	64
अनुदान संख्या-22-खेल विभाग (स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	65
अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)...	65
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	65
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	65
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग (स्वीकृत)...	66
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग (स्वीकृत)...	66
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)... ...	66
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	66
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	67
अनुदान संख्या-69-व्यवसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-70-विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी विभाग (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)... ...	67
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)... ...	67
अनुदान संख्या-75-राज्य शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	68
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति (स्वीकृत)... ...	69
उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित एवं पारित)	69-74
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	74
इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	74
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	75
राज्यकर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1007/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0-200 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(253)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	75
राज्यकर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1008/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0-200 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(254)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	75
राज्यकर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1009/ग्यारह-2-22-9 (42)-17 टी0सी0-61 उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(255)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	75
उप लोक आयुक्त उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या 02-2014 (उप लो0आ0) दिनांक 25 फरवरी, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	75-76

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2016-2017 एवं वार्षिक लेखा विवरण 2017-2018 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	76
उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 एवं वार्षिकी रिपोर्ट विवरण 2019-2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	76
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पर पुनर्विचार हेतु माननीय राज्यपाल का सन्देश (पुनर्विचार हेतु मा0 राज्यपाल से वापसी की सूचना)	76-77
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	77
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पर पुनर्विचार हेतु वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	77-78
इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	78
उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित)	79
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित)	79
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	79-80
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित)	80
पुरःस्थापित विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदों को आज ही लिए जाने विषयक सूचना	80-84
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	84
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	84
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	84
इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली संशोधन) विधेयक, 2022 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
प्रश्नकाल के समय में परिवर्तन की सूचना	85-86
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	86-90
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चलूम्भा में बांध से होते हुए पिपराहा पुरवा के आगे डामर रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
प्रदेश की सभी नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन व बकाया वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
गोंड/खरवार जाति को उ0प्र0 के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड पौली के अन्तर्गत ग्राम शिवबखरी में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम पंचायत मजरा पिपरखेड़ा, ग्राम पंचायत बन्थर तथा शेखपुर नरी में अस्थाई गौशला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर नगर में स्थित ज्ञानसरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत सुरईघाट से पनारी सम्पर्क मार्ग पर सेतु का निर्माण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	94
जनपद मथुरा में भूतेश्वर बस स्टेशन पर ए0सी0 'फूड प्लाजा' की लाइसेंस अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद स्थित श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया में गाटा संख्या-303 व 306 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	95
जनपद झांसी में मण्डल मुख्यालय झांसी को उड़ान योजना के अन्तर्गत राजधानी से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम सभा समरदा बाजार में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लाक छतोह में ग्राम सभा रजियापुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बरगवां से मिसिरपुर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	97
जनपद गोण्डा के मनकापुर-मसकनवां मार्ग से अमवा तामा वीरपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कलाली से जसमौरा मार्ग पर गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के ग्राम ललौली, ब्लाक असोथर में उपस्थित बस स्टाप पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर के ग्राम नगरियाकला में 132 के0वी0 का पावर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत दियोहा नदी पर बने पुल के निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत गढ़वार माता के ताल से जूनियर स्कूल गढ़वार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	100
जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा बनाये गये मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में कतिपय पुलों व सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
जनपद लखनऊ के पारा में गोविन्दनगर एरिया में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101-102
जनपद हाथरस में दिसम्बर व जनवरी माह में किसानों को दिन में कम से कम 12 घण्टे सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र सं0-408/52-3-2019, दिनांक 08-11-2019 तथा पत्र सं0-660/52-3-2021-सा0 (8)/2021 दिनांक 08-06-2021 का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज में साधन सहकारी समिति धान क्रय केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हुसेनपुर (बांसगांव) में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद जौनपुर में धनेजा घाट पर खाली पड़े पैन्टून ब्रिज को गुतवन व सुल्तानपुर के बीच लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर की समस्त ग्राम सभाओं में मिलाकर लगभग 300 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के रि-बोर, मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र मारहरा में एटा-निधौली रोड से नगला गुलाबी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104-105
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में महिला थाना की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग चन्दनपुर, पचपेड़वा, उतरौला का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद आजमगढ़ के सठियांव ब्लाक के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग रानीपुर को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में बर्न यूनिट का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में बिजली विभाग द्वारा बिजली चेकिंग के नाम पर किये जा रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़क देवा से चिनहट मार्ग की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत भूपौली मुख्य नहर से बलुआ रजवाहा नहर की पटरी की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	108
पनकी परियोजना के अन्तर्गत विद्युत परिषद् इण्टर कालेज पनकी कानपुर में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108-109
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्वर्ण जयन्ती पुरम आवासीय योजना में अवैध निर्माण प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109-111
जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में लेखपाल अजय कुमार गुप्ता द्वारा बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थापित गन्ना क्रय केन्द्रों पर लगभग 20 टन क्षमता के बड़े कांटे स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद गोरखपुर में खजांची चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112-113
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के कस्बा अछनेरा में प्राचीन मन्दिर श्री नरसिंह महाराज जी की जमीन के लिए हुए फर्जी बैनामे के प्रकरण में कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत थानाध्यक्ष सुहवल तारावती द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां स्थित बस अड्डे की व्यवस्थाओं को पूर्ण करके बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	114

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव की रामेश्वर प्रसाद, जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	114-115
जनरपद हरदोई में राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नव-ज्योति नेत्र चिकित्सालय गौसगंज द्वारा कराये गये आपरेशन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम बतनेरा, विकास खण्ड सूरतगंज में वर्ष 2018 में बाढ़ प्रभावित किसानों को किये गये भुगतान में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद महाराजगंज के एस0एल0डब्लू0एम0 योजना के तहत आकांक्षात्मक ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु आये हुए धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
प्रमुख सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116-117
जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी सरीला द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद शाहजहांपुर के लखनऊ-मैलानी नेशनल हाई-वे चौड़ीकरण में अधिग्रहीत भूमि का अकृषक भूमि के अनुसार मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद बांदा के बबेरू रेंज में वन अधिनियम के विरुद्ध चल रही कोयला भट्ठी के लाइसेंस को निरस्त कर आरोपियों पर विधिक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत त्रिकौलिया-अखण्ड नगर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत जर्जर एवं टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
मु0सं0-0036/22 थाना शिवपुर जनपद वाराणसी द्वारा लगभग 05 माह से लम्बित धारा-83 में कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत पूरबगांव के गाटा सं0-203 पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अगौता में पेट्रोल पम्प से मालागढ़ वाली रोड से निमचाना तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चिलकहर ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु जर्जर तारों के टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में स्थित निरीक्षण भवन, सिंचाई विभाग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत किरतपुर में मार्ग एवं नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद झांसी की तालपुरा योजना के अन्तर्गत गाटा सं0-300/3 पर परिषद् द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद बलिया में कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत केबल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	123-124
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में स्वीकृत राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	124-130
नियम-51 व नियम-56 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	130-132
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	133
विधान सभा की समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	133-138
विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	138-139
पिछले सत्रों में हुई विधान मण्डल की कार्यवाहियों के प्रकाशन में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	139
लोकसभा व राज्य सभा की भांति सदन में सदस्यों को वरीयता क्रम में बैठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	139-140
प्रश्नोत्तर	141-307
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	308
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	309-324
रामपुर की घटना पर चर्चा हेतु समय निर्धारण की मांग (क्रमागत) ...	325-326
इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अनुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	326-327
इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित)... ...	327-328
उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 (पारित) ...	328-341
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अनुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	341-342
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित)	343-345
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 के अनुमोदन का संकल्प (प्रस्ताव वापस)	345
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 (पारित) ...	345-364
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (पारित)...	364-371

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	371
बिना कीटनाशक रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज आदि का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	371
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	371
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सरायमोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नवर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	372
जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्रनाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	372
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	372
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	372

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	372
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेरा मन्दिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने विषयक मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	373
जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	373
जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	373
प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	373
रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	373
विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	374

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सीय उपकरण, पैथालॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सीय सुविधा बहाल किये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	374
जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	374
विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)...	374
याचिकाओं का उपस्थापन	375
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	375
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	375-376
श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	376-377
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	377
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	377-378
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	378
श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	378-379

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	379
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	379-380
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	380
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से तथा जनपद ललितपुर से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)...	380-381
श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	381
श्रीमती जयदेवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	381
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	382
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से दो, जनपद इटावा से एक तथा जनपद कानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	382-383
डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ..	383
श्री वीर विक्रम, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	384
श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	384
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	385
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	385-386
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	386-387

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	387
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	387-388
श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	388
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	388-389
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	389
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	389-390
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	390-391
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	391-392
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	392
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	392
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	393
नियम-51 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)	393
जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में 12 साल की बालिका की गुमशुदगी के प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	393-394
सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	394
राष्ट्रगान	394-395
नत्थियां	396-434

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-367

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
15. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
16. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
17. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
18. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
19. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
20. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
21. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
22. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
23. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
24. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
25. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
26. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
27. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
28. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
29. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
30. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
31. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
32. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
33. अरमान खान, श्री — लखनऊ
34. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
35. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
36. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
39. अशरफ अली खान, श्री — शामली
40. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
41. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
42. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
43. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
44. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
45. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुपर
46. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
47. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
48. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
49. आशुतोष अण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
50. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
51. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
52. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

53. इन्द्रजीत सरोज कौशाम्बी
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फततेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
65. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
66. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
67. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
68. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
72. कैलाश, श्री चन्दौली
73. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
74. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
75. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
76. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
77. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
78. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
79. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
80. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
83. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
84. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), फतेहपुर
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जयमंगल, श्री महराजगंज
95. जयवीर सिंह ठाकुर, श्री अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
99. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
100. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
101. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
102. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
103. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
104. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
105. तूफानी सरोज, श्री जौनपुर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
107. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
108. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
109. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
110. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
111. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया
112. दुधराम, श्री बस्ती
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
114. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
117. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली

119. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
120. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
121. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
123. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नवाब जान, श्री मुरदाबाद
126. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
127. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
128. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
129. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
130. नाहिद हसन, श्री शामली
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
133. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
134. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
135. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
136. पंकज, श्री जौनपुर
137. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
140. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
143. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
144. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
145. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
146. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
151. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
152. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
153. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
154. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
155. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
156. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
157. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
158. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
159. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
160. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
161. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
162. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
163. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बाबूराम, श्री पीलीभीत
167. बाबूलाल, श्री आगरा
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा
169. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
170. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
171. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
172. बेदी, श्री गाजीपुर
173. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
174. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
175. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
176. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
177. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
178. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
179. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
180. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
181. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
182. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
183. मनीष रावत, श्री सीतापुर
184. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर

185. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
186. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
187. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
188. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
189. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
190. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
191. महेन्द्र, श्री अमरोहा
192. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
193. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
194. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
195. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
196. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
197. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
198. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
199. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
200. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
201. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
202. मुकेश चन्द्र वर्मा, डॉ0 फिरोजाबाद
203. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
204. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
205. मेघश्याम, श्री मथुरा
206. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
207. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
208. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
209. मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', श्री कानपुर नगर
210. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
211. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
212. योगेश धामा, श्री बागपत
213. योगेश वर्मा, श्री खीरी
214. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
215. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
217. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
218. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
219. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
220. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
221. रमेश, श्री जौनपुर
222. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
223. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
224. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
225. रवि शर्मा, श्री झांसी
226. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
227. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
228. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
229. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
230. आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
231. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
232. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
233. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
234. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
235. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
236. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
237. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
238. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
239. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
240. राजमणि, श्री प्रयागराज
241. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
242. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
243. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
244. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
245. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
246. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
247. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
248. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
249. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
250. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर

251. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
252. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
253. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
254. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
255. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
256. रामकेश निषाद, श्री बांदा
257. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
258. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
259. रामदुलार, श्री सोनभद्र
260. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
261. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
262. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
263. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
264. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
265. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
266. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
267. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
268. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
269. राहुल प्रकाश कोल, श्री मिर्जापुर
270. राहुल राजूपत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
271. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
272. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
273. लकी यादव, श्री जौनपुर
274. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
275. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
276. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
277. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
278. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
279. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
280. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
281. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
282. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
283. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
284. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
285. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
286. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
287. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
288. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
289. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
290. विपिन कुमार डेविड, श्री ऐटा
291. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
292. विपुल दुबे, श्री भदोही
293. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
294. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
295. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
296. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
297. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
298. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
299. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
300. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
301. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
302. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
303. शशांक वर्मा, श्री खीरी
304. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
305. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
306. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
307. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
308. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
309. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
310. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
311. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
312. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
313. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
314. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
315. संग्राम सिंह, श्री बलिया
316. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर

317. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
318. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
319. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
320. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
321. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
322. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
323. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
324. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
325. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
326. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
327. सभाकुंवर, श्री देवरिया
328. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
329. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
330. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
331. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
332. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
333. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
334. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
335. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
336. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
337. सुचि, श्रीमती बिजनौर
338. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
339. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
340. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
341. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
342. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
343. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
344. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
345. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
346. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
347. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
348. सुरेश राही, श्री सीतापुर
349. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
350. सुशान्त सिंह, कुँवर बिजनौर
351. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
352. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
353. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
354. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
355. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
356. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
357. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
358. हंसु राम, श्री बलिया
359. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
360. हरिओम, श्री कासगंज
361. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
362. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
363. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
364. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
365. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
366. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
367. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :- जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह) आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा वक्फ, हज एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

माननीय सदस्यों को उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, एक सेकेण्ड मेरी बात सुन लें। कल 2 माननीय सदस्यों का जन्मदिन था जिनको आज बधाई सन्देश देने के लिए कहा था क्योंकि कल श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी की शोक संवेदना के कारण पूरा सदन शोकाकुल था और आज एक माननीय विधायक का जन्मदिन है, उसको पढ़ देता हूँ। उसके बाद आप बोल लेना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अतुल प्रधान निर्वाचन क्षेत्र-44, सरधना से समाजवादी पार्टी की टिकट पर वर्तमान में विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए । आपके पिता का नाम स्व0 ज्ञानेन्द्र कुमार है, आपका जन्म 5 दिसम्बर, 1983 को सरधना में हुआ था, आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है, आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री अतुल प्रधान जी हैं ?

श्री अतुल प्रधान-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आपको मेरी और इस सदन की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री रमेश हरवंस सिंह निर्वाचन क्षेत्र-365, शाहगंज से निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के टिकट पर वर्तमान में विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री हरवंस है, आपका जन्म दिनांक 5 दिसम्बर, 1978 को मुम्बई में हुआ था, आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है, आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री रमेश हरवंस सिंह जी हैं। आज शायद उनकी शादी की सालगिरह है, वह वहां व्यस्त होंगे।

श्री पंकज मलिक उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री पंकज मलिक निर्वाचन क्षेत्र-12, चरथावल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान में विधान सभा में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री हरेन्द्र सिंह मलिक है, आपका जन्म दिनांक 6 दिसम्बर, 1978 को काजीखेड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ था। आपने स्नातक तक की

शिक्षा ग्रहण की है, आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री पंकज मलिक जी हैं।

पंकज कुमार मलिक-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

रामपुर, मैनपुरी और खतौली में हुए उप चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोकने के सम्बन्ध में

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, कल 5 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर उप चुनाव हुए हैं जिसमें रामपुर, मैनपुरी और खतौली में उप चुनाव हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कल रामपुर में घटना घटी है मैं समझता हूँ केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हो ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया है, वोट डालने जा रही महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों इनको लाठियों और डंडों से मारा गया है। यहां तक कि लोगों के घर में घुसकर मारा गया है।

श्री अध्यक्ष-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी, आप यहां क्या चाहते हैं ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई है। वहां पर कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहना गलत है। हम रिकार्ड से साबित कर सकते हैं। यह आरोप मिथ्या है, निराधार है। समाजवादी पार्टी जब-जब हार के कगार पर पहुचंती है तब-तब नया बहाना ढूंढ़ लेती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी जानकारी हमारे पास है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आकर एक साथ खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आपको जो भी बात कहनी है वह आप अपनी सीट पर जाकर कहिये मैं सुनूंगा। आप सिर्फ कहना नहीं चाहते हैं और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है। सुसंगत नियमों के अन्तर्गत मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के एक साथ नारा लगाने पर। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी)

श्री अध्यक्ष-

अगर आपका मकसद है कि बीच में हंगामा करना तो यह आपका विषय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, रामपुर में जो भी कुछ हुआ है वह पूरी तरीके से न्याय संगत हुआ है और हर तरह से कानून सम्मत तरीके से हुआ है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(पुलिस के बल पर ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुण्डागर्दी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज जी, आप अपनी बात कहिये। जब मैं आपकी बात नहीं सुनूं, तो हंगामे की आवश्यकता है। अगर मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार वेल में सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे)

[xxx] [xxx] [xxx]

मा0 वर्मा जी, आप अपने सीट से सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जो भी बात कहना चाहते हैं, कहिये। मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको बात नहीं सुनानी, केवल हंगामा करना है।

[xxx] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनका काम केवल शोर मचाना और हंगामा करना है। उत्तर प्रदेश में कानून सम्मत तरीके से, हर तरह से 'रूल ऑफ लॉ' लागू है और पूरे न्याय संगत प्रणाली से चुनाव सम्पन्न कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव, चुनाव आयोग की निगरानी में होता है। वही उसको पूरी तरह से मॉनीटर करता है। उसमें सरकार का कोई दखल नहीं रहता है, लेकिन आपको जो भी बात कहनी है, अपनी सीट से कहिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा....

(घोर व्यवधान के मध्य)

अगर आप सोच के आये हैं कि आपको केवल हंगामा करना है, तो ये उचित नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार वेल में नारेबाजी करते हुए)

[11:08] मा0 सदस्य द्वारा फेसबुक के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण किये जाने का प्रकरण

मेरे संज्ञान में आया है कि विधान सभा की कार्यवाही को जो मा0 सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा फेसबुक लाइव किया जा रहा है, जो विधान सभा के नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। अगर मुझे पता चल गया कि किसी भी मा0 सदस्य ने यहां पर फेसबुक लाइव किया है, तो मैं उसको सदन का परित्याग करने के लिए निर्देश दे दूंगा। ये बात आप समझ लीजिये। विधान सभा की मर्यादा और विधान सभा के नियमों के अन्तर्गत मैं किसी प्रकार का कोई कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सुसंगत नयमों के अन्तर्गत आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आप उस अधिकार का प्रयोग करके अपनी बात कहिये। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन जिस भी मा0 सदस्य के द्वारा फेसबुक लाइव यहां पर किया गया होगा, मैं आज, नहीं तो इसके बाद सदन से यह अधिकार चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का सख्त निर्णय दे दूंगा, ये बात आप समझ लीजिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। आप अपनी सीट पर जाकर पूरी बात कहिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आप जब तक बोलेंगे, तब तक सुनूंगा।

एक गम्भीर विषय सामने आया है। मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 09 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी)

(11 बजकर 24 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है)

(11 बजकर 39 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

[11:39] फेसबुक के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण करने वाले सम्बन्धित सदस्य को सदन का परित्याग करने का निर्देश

श्री अध्यक्ष-

अभी सदन स्थगित करने से पहले यह बात यहां पर परिलक्षित हुई कि किसी माननीय सदस्य ने फेसबुक लाइव यहां से किया है, जोकि बहुत गम्भीर विषय है। मैंने 15 मिनट के लिए सदन और स्थगित किया था कि मैं इस बात को सुनिश्चित कर लूं कि किन माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर फेसबुक लाइव किया गया है। जांच में यह बात सामने आयी है कि विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अतुल प्रधान जी के द्वारा फेसबुक लाइव किया गया, जोकि विधान सभा के नियमों के विपरीत है। मैं यह निर्देश देता हूँ कि श्री अतुल प्रधान जी सदन के अन्दर है। तो वह सदन का परित्याग कर दें।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, कितने समय के लिये ?

श्री अध्यक्ष-

पूरे सत्र भर के लिये। अनुशासन के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। श्री अतुल प्रधान जी आपसे निवेदन है कि सदन का परित्याग कर दें अन्यथा और सख्ती करनी पड़ेगी।

[11:40] रामपुर की घटना पर चर्चा हेतु समय के निर्धारण की मांग

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं रामपुर की घटना के बारे में आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें सुनने के लिए आप समय तय कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने इसको नियम-56 में दिया है, उसमें मैं सुन लूंगा। बजट पास होने के तत्काल बाद सुन लूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी पूरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरा संरक्षण विपक्ष को देता हूँ और दूंगा। लेकिन आपको इस बात का अधिकार है कि आप अपनी बात प्रभावी ढंग से, संसदीय मर्यादाओं के अन्तर्गत कह सकते हैं और उसको सुनूंगा। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह उसका जवाब दें। सरकार को उसका जवाब देना होगा, आप अपनी बात कहियेगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो नियमों के विपरीत है या मर्यादाओं के विपरीत है, वह मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूँ कि यह कानपुर की घटना है, मा0 सदस्य श्री इरफान सोलंकी जी इसी सदन के सदस्य हैं, नियम-56 में इनको भी सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम-56 में इरफान सोलंकी जी की सूचना नहीं दी है। आप कितने संवेदनशील हैं, यह आपको तय करना पड़ेगा। आपके द्वारा सूचना ही नहीं दी गयी है और आप कह रहे हैं कि सुन लें। सुनेंगे तो उसको जिसकी सूचना होगी, जिसकी सूचना नहीं होगी, उसको कैसे सुन लेंगे ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कृपा आप कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपा तो हम तब करते जब आपने सूचना दी होती। आज नियम-56 के अन्तर्गत लगभग 15 सूचनायें आयी हैं और 15 सूचनाओं में से 2 सूचनायें कानपुर के मा0 सदस्य के द्वारा ही दी गयी हैं। मैंने उनकी सूचना स्वीकार कर ली है। आपके द्वारा मा0 सदस्य श्री इरफान सोलंकी जी की कोई सूचना नहीं दी गयी है। जब सूचना ही नहीं दी गयी तो मैं सुनूंगा किसके ऊपर। आप नियमों के अन्तर्गत कल उनकी सूचना देंगे तो मैं कल सुनूंगा, आज आपके द्वारा सूचना नहीं दी गयी है, इसलिए मैं नहीं सुनूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं, सदन की यह परम्परा रही है कि अगर इसी सदन के किसी सदस्य का खुद का मामला भी रहा है तो मा0 अध्यक्ष जी आपने कृपापूर्वक उसको सुनने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर खुद का मामला होता तो वह बताते। आपको, नेता प्रतिपक्ष या आपमें से किसी सदस्य को इतनी चिन्ता नहीं थी कि आप उनकी सूचना दे सकते। आपने उनकी सूचना नहीं दी है। यह आपको सदन शुरू होने के 11:00 बजे के बाद ही क्यों याद आया। आपको सुबह 10:00 बजे से पहले क्यों नहीं याद आया ?

फेसबुक के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण करने वाले सम्बन्धित सदस्य को सदन का परित्याग करने का निर्देश (क्रमागत)

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री अतुल प्रधान जी नये सदस्य हैं। आपके आदेश को उन्होंने शिरोधार्य कर लिया, सदन से बाहर चले गये। उनको नियमों की जानकारी नहीं थी। वह पहली बार के सदस्य हैं, इसलिए कृपया आपसे अनुरोध है कि आप उनको माफ करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी बात को स्वीकार करते हुए, क्योंकि उनके द्वारा जाने-अनजाने में यह हुआ हो लेकिन 'इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज फॉर एनीवन'। यह बात सबको मालूम है कि विधान सभा में जब भी किसी मा0 सदस्य के टेलीफोन की घण्टी बजती है तब भी मेरे द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि यह उचित नहीं है। अभी कल भी कुछ मा0 सदस्यों के टेलीफोन की घण्टी बजी थी, कल क्योंकि श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह जी की शोक संवेदनायें चल रही थीं, इसलिए मैंने बोलना उचित नहीं समझा। मेरा सभी मा0 सदस्यों से पुनः एक बार निवेदन है एक अंग्रेजी का शब्द है 'नेम एण्ड शेम' अगर मैंने किसी का नाम भी लिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सारे मा0 सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मा0 सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी के द्वारा जो कही गयी है, मैं उसको आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्देश देता हूँ कि मैंने उनको सत्र भर के लिए सदन त्याग करने के लिए कहा था, लेकिन अब पूरे सत्र भर के लिए नहीं केवल आज के लिए सदन त्याग करने के लिए कहता हूँ, कल से वह आ सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, उनका जन्मदिन भी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जन्मदिन कल था, मैंने आज सुबह कर दिया है।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आप ही हम लोगों के संरक्षक हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, खेद प्रकट कर रहे हैं, नये सदस्य हैं, आप संरक्षक हैं। इसको एक घण्टे के लिये कर दीजिए, प्रतीक के रूप में कर दीजिए। आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक बजे तक के लिये कर दिया है। एक बजे के बाद वह सदन में आ सकते हैं।

[11:45] वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 06 दिसम्बर, 1956 को लगभग 65 वर्षों की उम्र में वह हमारे बीच नहीं रहे। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुपूरक बजट की चर्चा में आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट में तैंतीस हजार सात सौ उनहत्तर दशमलव पांच-पांच करोड़ का अनुपूरक बजट लाने का काम किया। हम लोगों को बड़ी ही बेसबरी से इन्तजार था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 31 मई, 2022 को बजट के सत्र के दौरान अन्तिम दिन इस बात को कहा था कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि पांच करोड़ रु0 किया जाता है और हमें विश्वास था कि इस बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी एक हजार छः करोड़ रुपया उसके लिए रखने का काम करेंगे लेकिन पूरा ग्राम विकास का अनुपूरक लूट डाला उसमें केवल चौरासी करोड़ अन्य कार्यों के लिए लिया गया। विधान मण्डल विकास निधि के लिए पैसा नहीं लिया गया। इस बात से यह परिलक्षित होता है कि यह सरकार जुबानी सरकार है केवल हवा में बोलती है और धरातल पर कोई काम नहीं करती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से मैंने देखा आज तक का जो एक्सपेंडिचर है विभिन्न योजनाओं में मान्यवर उद्योग विभाग में 23 प्रतिशत 9 महीने में, उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग में 47 प्रतिशत, कृषि विभाग में 33 प्रतिशत, कृषि भूमि विकास एवं जल संसाधन में 28 प्रतिशत, ग्राम विकास में 31.51 प्रतिशत, कृषि पशु धन में 39.11 प्रतिशत, कृषि दुग्धशाला विकास में 34.50 प्रतिशत, मत्स्य विभाग में 22.46 प्रतिशत, ऐलोपैथिक चिकित्सा में 38 प्रतिशत, यूनानी चिकित्सा में 33 प्रतिशत, पर्यटन विभाग में 33 प्रतिशत, प्रशासनिक सुधार विभाग में 27 प्रतिशत और मान्यवर सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो लोक निर्माण विभाग है जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे उस विभाग में 9 महीना बीत जाने के बाद केवल 18 प्रतिशत खर्च हुआ है जो सामान्य बजट में व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से संचार साधन के लिए सेतु में केवल 23 प्रतिशत और संचार साधन सड़कों में लोक निर्माण विभाग के केवल 17 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया। समाज कल्याण विभाग जो पूरे प्रदेश में वंचित समाज का, पिछड़े समाज का, अनुसूचित जाति के हितों के लिए, गरीबों के लिए काम करता है 9 महीने में 24 प्रतिशत, जनजाति कल्याण 24 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक में 37 प्रतिशत, संस्कृत विभाग में 15 प्रतिशत, ग्रामीण जलापूर्ति में 25 प्रतिशत और सबसे महत्वपूर्ण किसानों का जो विभाग है सिंचाई विभाग निर्माण कार्य उसमें 15 प्रतिशत खर्च हुआ है। यह इस बात का परिचायक है कि यह भाजपा की सरकार जबसे आई है बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है। छः लाख पन्द्रह हजार पांच सौ अट्ठारह करोड़ का विशालकाय बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है। अभी तक 9 महीने में जो 6 महीने का फीगर माननीय मंत्री जी ने स्वयं दिया है उसके अनुसार अभी तक जो प्राप्तियां हैं वह केवल 35 प्रतिशत है। खर्च टोटल बजट का 33 प्रतिशत है। घोषणा तो किया फलाह बजट का इत्ता-इत्ता किया और यह कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

मान्यवर, हर साल यह करते हैं और बाद में उसमें जो खर्च है वह नहीं हो पाता है जो लोक निर्माण विभाग ने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे मान्यवर, आप स्वयं जाकर देखते होंगे जगह-जगह गांव में जाने पर कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है और जो भी सड़क गड्ढा मुक्त की भी जा रही है मैंने अपने गांव की एक सड़क देखी एक पैच यहां बना दिया दस सौ मीटर छोड़ दिया फिर आगे पैच बना दिया यानी पूरी सड़क पर एक किलोमीटर का चार-पांच पैच बनाकर उसको गड्ढा मुक्त दिखा दिया गया। यह इस सरकार की देन है और इसी का कारण है जो इस सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, आप उस पर कभी अपने साधन से चलें। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी तो उड़ते रहते हैं, सड़क मार्ग से चलते नहीं हैं। मान्यवर, आप सड़क मार्ग से चलें और देखें कि उस पर कैसा उछाल

है। आप लखनऊ से आगरा चले जायें तो देखें कि किस तरह से स्मूथली आप जाते हैं, लेकिन अगर आप लखनऊ से गाजीपुर की तरफ बढ़ें तो आप अगर ध्यान न दें तो आपका सिर ऊपर टकरा जायेगा, इस तरह का उछाल है।

मान्यवर, यह सरकार केवल घोषणाओं का काम करती है। बजट में जो हमें जरूरत थी उसको पूरा करने का काम नहीं किया गया है और मेरा यह मानना है कि यह सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास नहीं करती है। इसी का परिणाम है कि आज विधान मण्डल में इस बात का वचन देने के बाद भी कि हम विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि पांच करोड़ करेंगे, तीन करोड़ ही रहा, उसको नहीं बढ़ाया गया। साथ ही साथ 54 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 का उसमें अलग से चला गया, उसको उसमें लेने का कोई काम नहीं किया गया। इस तरह से जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग थे, पूरे प्रदेश के लगभग हर जिले में बड़े-बड़े मेडिकल कालेज बनाये गये, लेकिन उसके बाद भी आज चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट में केवल 246 करोड़ ही लिया जा रहा है और उसका परिणाम है कि अभी गोण्डा में अस्पताल में बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिला। जगह-जगह यही स्थिति बनी हुई है वह इसलिये कि हमें जो कार्य करना चाहिये वह व्यवहारिक कार्य करना चाहिए, जबकि यह सरकार केवल जबानी कार्य में विश्वास करती है और धरातल पर कोई काम नहीं करना चाहती है।

मान्यवर, लाकेतंत्र की तो इस तरह से हत्या की जा रही है कि आज सब लोगों के संज्ञान में है कि पूरे 09 महीने बीत गये और पूरे भारत देश में कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जहां 09 महीने तक संसदीय समितियां न बनी हों। इस सरकार का इसमें विश्वास नहीं है, संसदीय परम्पराओं में विश्वास नहीं है। इसी कारण से इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है और संसदीय समितियों का गठन करने का काम भी नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, रामपुर की जो घटना है वह तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है और हमें संविधान में संशोधन कर देना चाहिये कि अब हमें कोई चुनाव नहीं करना, पुलिस वाले जायेंगे, वोट डाल देंगे और वह वोट पड़ जायेगा। जहां विधान सभा के सामान्य निर्वाचन में 60 परसेंट वोट पड़ा हो, वहां तमाम पुलिस वालों के वोट डालने के बाद केवल 31 परसेंट वोट पड़ा, 328 लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं, उनको किस तरह से मारा गया। मेरे एक मित्र ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि हम लोग पुलिस आफिस में धरना दे रहे थे, हमारे सामने पुलिस वालों ने कुछ महिलाओं को बैठा दिया और उनसे छेड़खानी का आरोप लगवा कर हम लोगों को लाठी से मार-मार कर वहां से हटाने का काम किया।

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, बजट से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, लेना-देना है। अब आप मत बोलिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

लोकतंत्र में इस प्रकार के आरोप सदन में लगाना उचित नहीं है। यह निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है और निर्वाचन आयोग पर आपत्ति उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 बृजेश जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया बैठ जायें, आप इसका जवाब दे दीजियेगा।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, इनको समझाइये कि इसका लेना-देना है। पुलिस विभाग का अनुपूरक बजट आया है। हम उसमें इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि हमारी पुलिस व्यवस्था कैसी है, इस बात को आप देखने का काम करें। इसलिये यह जो अनुपूरक बजट लाया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दिसम्बर की पहली तारीख से लेकर आज तक अगर लोक निर्माण विभाग का जो बजट रखा गया, 09 महीने में उसका केवल 15 परसेंट पैसा खर्च किया गया हो, इसी तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में केवल 35 परसेंट पैसा खर्च किया गया हो, ग्राम्य विकास विभाग में भी इसी तरह से अगर कम पैसा खर्च किया गया हो, सिंचाई विभाग में 15 परसेंट पैसा खर्च किया गया हो तो 33 हजार करोड़ रुपये के इस बजट की आवश्यकता क्यों ? मैं आपसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो वित्तीय प्रबन्धन है उसके नियमों के अनुसार हम जब अनुपूरक बजट लाते हैं और जितनी मात्रा में अनुपूरक बजट लाते हैं तो हम यह भी बताने का काम करते हैं कि यह पैसा कहां से प्राप्त किया जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो उल्लेख किया है उसमें लगभग दो हजार आठ सौ करोड़ रुपये के विषय में कहा है कि यह हमें केन्द्रांश से मिलेगा, लेकिन तीस हजार करोड़ रुपये का कोई उल्लेख नहीं है कि इसकी प्राप्ति हम कहां से करने का काम करेंगे।

मान्यवर, इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे अन्य उपयोगी कार्य हैं उनका पैसा काटकर उसकी बचत करके इस कार्य में खर्च करने का प्रयास किया जायेगा। मैं आपके माध्यम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार पूरी तरह से वित्तीय प्रबन्धन में भी फेल हो गयी है, कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल हो गयी है और पुलिस का दुरुपयोग करने के लिए अधिकारियों की पूरी तरह से मनमानी चले इसके लिए लोकतंत्र की हत्या करने में पूरी तरह से उतारू है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो विभिन्न विभागों में इन्होंने रखा, स्मार्ट सिटी के नाम पर रखा, इन्होंने कुछ धार्मिक कार्यों के लिए रखा लेकिन जो विकास के कार्य हैं जिसमें बड़े-बड़े विकास रखे गये हैं अगर वह सब रखने के बाद पैसा खर्च ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा मैं आपके संज्ञान में और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 9 महीने बीत जाने के बाद लोक निर्माण विभाग से नवनिर्माण के लिए एक भी नई स्वीकृतियां जारी नहीं हुई हैं। पूरे प्रदेश में नवनिर्माण के लिए एक भी नई स्वीकृति जारी नहीं हुई है और पूरे 9 महीने बीत गये हैं। इस बजट का क्या मतलब है ? 33 हजार करोड़ रुपये के इस अनुपूरक को लाने का क्या मतलब है ? मान्यवर, हमारी जो नियमावली है इसमें इस बात की व्यवस्था है कि जो हम अनुपूरक पर चर्चा करते हैं उसमें यह है कि विभिन्न मदों पर चर्चा होगी लेकिन हम अनुपूरक इसलिए लाये हैं कि मा0 नेता सदन जी उसी के बहाने पूरे बजट पर चर्चा, पूरे प्रदेश पर चर्चा करेंगे।

मान्यवर, अगर केवल घोषणाओं से ही प्रदेश का विकास होता हो तो सभी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रबन्धन की आवश्यकता है, उसके लिए कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। आज कथनी और करनी में अन्तर है। सदन के संज्ञान में जो घोषणायें की जाती हों, लेकिन उस पर भी अमल न किया जाता हो, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने द्वितीय सत्र में कहा था कि हम समितियां तत्काल बना देंगे लेकिन तृतीय सत्र भी बीत रहा है अभी तक समितियां नहीं बनी हैं। इस तरह से अगर मंत्री के, मुख्य मंत्री के कथन का ही जो सदन में किया गया हो उस पर भी विश्वसनीयता नहीं है तो इस प्रदेश का भला कहां से होने वाला है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि यह जो अनुपूरक बजट लाया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मा0 वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने का काम करें, इस बजट को पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद।

(नेता अपना दल, नेता राष्ट्रीय लोक दल एवं नेता निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के नाम पुकारे जाने पर एवं किसी के न बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी को अवसर दे रहा हूँ अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। मा0 लाल जी वर्मा जी ने बोला है तो मेरा मन था कि सभी नेताओं से बोलने को कह दूँ।

***मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि पहली बार है कि देश में मछुआ समुदाय के लिए दिल्ली में मंत्रालय अलग किया गया हो, उत्तर प्रदेश में मंत्रालय अलग किया गया हो और उसके लिए अलग से बजट दिया गया हो। उनकी सुरक्षा के लिए बीमा की व्यवस्था की गयी हो, उनके विकास के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गयी हो और निषादराज बोट योजना और मुख्य मंत्री सम्पदा योजना, ये सबको मालूम है कि जब कोई नया मंत्रालय बनता है तो उसकी व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है वह प्रक्रियाधीन है उसके लिए बजट निषादराज बोट योजना के लिए एवं मुख्य मंत्री सम्पदा योजना के लिए जो बजट है वह प्रक्रिया में है वह अगली कैबिनेट में पूरा हो जायेगा। मछुआ कल्याण कोष की जो स्थापना हुई है उसमें जो पैसे आये हैं उसके लिए भी व्यवस्था हो चुकी है। कैबिनेट में जो पास होगा उसको रखा जायेगा। हमारे इस मछुआ समुदाय के लिए और मत्स्य पालन के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आये, कोई भी इसमें काम करे उसके लिए हमारी सरकार ने मछली पालन के लिए, उनके उत्पादन के लिए, उनकी बिक्री के लिए, उनके संवर्धन के लिए एवं उनके हर क्षेत्रों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम यह बताना चाहते हैं कि पूरे देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित हुआ था। इस अनुपूरक बजट में अपने वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो बजट लाया जा रहा है हम अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करते हैं और उत्तर प्रदेश का विकास करते हैं। धन्यवाद।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुपूरक बजट में कुछ पढ़ पाया हूँ कुछ नहीं पढ़ पाया हूँ। अध्यक्ष जी मैं सही बात बता रहा हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी भी हैं। मेरा एक सुझाव है। बिजली विभाग के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको बिजली फ्री मिलती है। उनके घर भी मीटर लगा दिया जाये। बिजली फ्री दें बस मीटर लगा दिया जाये। उनसे जी0एस0टी0 लिया जाये। प्राईवेट संस्थाओं को मीटर रीडिंग का काम दिया गया है वह सरकारी टैक्निकल एवं इंजीनियरिंग कालेज को दे दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बहुत धांधली हो रही है। चूंकि आधार कार्ड लेकर फ्री में स्मार्ट मीटर लगा। गरीब सोचा कि फ्री में मिला है तो बिजली का बिल तो देना नहीं है। वह साल-दो साल, चार-साल बिजली का बिल नहीं दिया। अब उसके घर बकाया बिल आ गया। 20 हजार, 25 हजार बिल आ गया। गांव के गरीबों के कनेक्शन काट दिये जा रहे हैं। मान्यवर, 5 लाख, 10 लाख बकाये वाले लोगों का कनेक्शन नहीं कट रहा है। मान्यवर, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, मिट्टी का तेल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं मिल रहा है, बन्द हो गया है और बिजली कट गई। रात को गरीब खाना खा रहा है, खाना मुंह में जाना है तो आंखों में ही चला जा रहा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं इसका निदान जरूर करा दें क्योंकि गरीबों का सवाल है। माननीय वित्त मंत्री जी जरा ध्यान दीजियेगा प्रभू ये हमेशा कागज में लीन रहते हैं। किसी के पिता की मृत्यु के बाद जो विरासत होती है, अगर नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

आप सामान्य बजट पर बोलें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, न्याय की बात है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलें मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि न बोलिये।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

आप सुन तो लीजिए। हम बजट पर आ रहे हैं। मान्यवर न्याय की बात है। पिता की मृत्यु के बाद जो विरासत हो रही है उसमें कहीं त्रुटि हो जाती है तो जिसकी त्रुटि हो जाती है साल दो साल दौड़ रहा है। उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि संविधान के राजस्व संहिता अधिनियम की धारा-38(1) में गलती का सुधार करने की व्यवस्था है। लेकिन दौड़ते-दौड़ते उसकी चप्पल फेंका जा रहा है, जूता खिया जा रहा है कोई सुनने को तैयार नहीं है। तीसरा सवाल अभी हमारे वर्मा जी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे। एक हाईकोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट ने दो बार भर, राजभर जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया लेकिन अभी उसका संज्ञान नहीं लिया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात को लेकर मिला था। मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि यह प्रस्ताव हम दिल्ली भिजवा देंगे यह उत्तर प्रदेश के बस का नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं जरा इस पर विचार करते हुए चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है उसका पालन होना चाहिए। मान्यवर, इसी सदन में सामाजिक न्याय समिति की बड़ी चर्चा हुई है। नियम-56 में बहस हुई। संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया। मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। लेकिन वह रद्दी की टोकरी में पड़ा रह गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, थोड़ा ध्यान इधर भी कर लीजिए आपका ध्यान कागजों में ज्यादा रहता है। विपक्ष की बात पर भी ध्यान दीजिये। सुनिये हम अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं हम सपा-वपा के चक्कर में नहीं रहते हैं। इधर जो इतनी गिनती बैठी है उसमें ओम प्रकाश राजभर की बड़ी भूमिका है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश राजभर जी, मेरा निवेदन है कि जो भी बात करनी है मुझसे कहिए आप सीधे आपस में बात न करिए। आप शान्त रहिये। आपने इनको छेड़ा तो इन्होंने बोला। राजभर जी आप सीधे मुझसे बात करिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर भी आश्वासन दिया था लेकिन वह अभी तक ऐसे ही पड़ा है जरा उस पर भी ध्यान करिये और बता भी दीजिये कि कितना समय और लगेगा और हाई कोर्ट का जो आदेश है कृपया करके उसको भी दिल्ली भेज कर हमारी तरफ से वकालत का कार्य करिये।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, आज आपने अनुपूरक बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 33 हजार 769 करोड़ का अनुपूरक बजट आया है इसकी आवश्यकता नहीं थी। लाल जी वर्मा जी ने भी विभागवार कई आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। ऐसी परिस्थिति में जब केवल सरकार 33.54 प्रतिशत मूल बजट का खर्च कर पायी है तो इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता है। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण ये सभी विभाग महिलाओं से जुड़े हैं। इसमें सरकार 40 प्रतिशत से भी कम बजट खर्च कर पायी है। यही चिन्ता का विषय है। मैं एक उदाहरण जरूर दूंगी। मुझे अखबार में पढ़ कर बहुत ही विचित्र लगा कि केवल प्रचार-प्रसार ऐसा विभाग है जिसमें सरकार ने 77 प्रतिशत बजट तक खर्च कर दिया है। इससे साफ नजर आता है कि सरकार का फोकस कहां पर है हम सबको पता है कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अनुपूरक बजट में जो आंकड़े दिखाये हैं। भ्रमण करने विदेश यात्रा पर सरकार के मंत्री व सदस्य जा रहे हैं इसका भी पूरा खर्चा जो लगभग 300 करोड़ के आस-पास है, इसका भी पूरा उल्लेख बजट में किया गया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में कराये और नौजवानों को रोजगार मिले और नये उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित हों। लेकिन विषय यह है कि हकीकत से बहुत दूर इस अनुपूरक बजट में पूरी बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को रखा गया है। केवल पर्यटन के नजरिये से पूरे अनुपूरक बजट में इन्वेस्टर्स समिट को ले करके जो रेड कार्पेट की व्यवस्था की गयी है यह पूरी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग है। हम वर्ष 2018 वाले इन्वेस्टर्स समिट पर निगाह डालें तो उसमें 4.68 लाख करोड़ का एम0ओ0यू0 साइन हुआ। 500 कम्पनियों ने उसमें शिरकत की और लगभग 1045 एम0ओ0यू0 साइन होने की बात कही गई। उस इन्वेस्टर्स समिट में रेड कार्पेट वेलकम के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किये गये। यह प्रत्यक्ष था और अप्रत्यक्ष कितना था उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस बार इन्वेस्टर्स समिट जिसमें सब बाहर जा रहे हैं उसके लिए 296 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अगर हम बजट को देखें तो 8000 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इण्डस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिये जा रहे हैं। अब इस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि कौन से निजी इण्डस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे, इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी, इसमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार मिलेगा और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा। स्टार्ट अप और इन्क्यूबेटर के लिए केवल 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट अप को लेकर बड़ी घोषणायें और बड़ी-बड़ी बातें कीं, पर इसके लिए केवल 100 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है। लगातार जो निवेश आ रहे हैं वह कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार के आंकड़ों की बात की जाये तो पिछले तीन-चार इन्वेस्टर्स समिट में यदि वास्तव में इतने बड़े निवेश आये हैं तो कहां हैं वह उद्योग और फैक्ट्रियां आई हैं तो कहां हैं आखिर वह इन्फ्रास्ट्रक्चर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। रोजगार जो दो से तीन करोड़ मिलने चाहिये थे वह रोजगार सड़क पर टहल रहे बेरोजगारों को क्यों नहीं मिले। यह सबसे मूल प्रश्न है। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिये किन जिलों में उद्योग लगाये गये हैं और कितना निवेश आया है। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करती हूँ कि इस पर सरकार को श्वेत-पत्र जारी करना चाहिये। यह जनता का अधिकार है और उनको मालूम होना चाहिये कि सरकार के पस कितना पैसा इन्वेस्टर्स समिट के जरिये आया है और लोगों को कितना रोजगार मिला है।

माननीय अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव को देखते हुए स्मार्ट सिटी पर एक लहीम-शहीम बजट लाया गया है जिसके सम्बन्ध में मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी तो पिछले पांच साल से थी तो फिर उन पर अब तक धन क्यों नहीं आवंटित किया गया था। निकाय चुनाव को देखते हुए जो नया प्राविधान सप्लीमेण्ट्री बजट में किया गया है वह वोटरों को लुभाने का एक तरीका है। सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा

कि आदरणीय वर्मा जी ने कहा कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पांच करोड़ रुपये की जो घोषणा की थी उसका कोई प्राविधान इस सप्लीमेण्ट्री बजट में नहीं आया है। इसमें हमारी दो किस्तें जारी हो गयी हैं और अभी लगभग तीन करोड़ बाकी है। यह गम्भीर विषय है जिस पर केवल मेरी ही मांग नहीं है, बल्कि इस सदन के सभी सदस्य इससे प्रभावित हैं। पांच करोड़ की निधि अगर आयेगी भी तो उस पर 18 परसेण्ट जी0एस0टी0 का कट जायेगा और हमें 90 लाख रुपये नहीं मिल सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने आपके माध्यम से अनुरोध किया है कि सरकार को विधायक निधि पर जी0एस0टी0 की छूट देनी चाहिये, क्योंकि यह जनता का पैसा है। माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय नेता, समाजवादी पार्टी से सम्बद्ध करते हुए बल देती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया' अभी तो सदन में थे, लेकिन शायद वह कहीं चले गये हैं। अब मैं माननीय नेता, बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह को आमंत्रित करता हूँ।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अनुपूरक बजट पर मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जितना भी मेरा अनुभव है। मा0 अध्यक्ष जी, इस बात की व्यवस्था अनुपूरक में दी जाती है कि जो-जो विभाग अपना परफार्मेंस बढ़िया देते हैं, जो विभाग दिये गये टारगेट को समय से पहले अचीव करते हैं उसके लिए सरकार मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 वित्त मंत्री जी उस विभाग और उनकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर उनको अतिरिक्त बजट देते हैं या उनकी जो महत्वपूर्ण योजनायें चल रही हैं अगर उसमें धन का अभाव हो जाता है तो उसको कम्पलीट करने के लिए अनुपूरक लाया जाता है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी एवं मा0 मोना जी ने इस बात पर विस्तार से कहा है।

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ-कुछ विभाग ऐसे हैं, चूंकि आपको भी पुराना अनुभव है। जो जनरल चर्चा हो रही है कि सरकार ने टारगेट दिया था कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को 30 नवम्बर तक गड्ढामुक्त कर देंगे। जिसके लिए दो-दो बार टाइम बढ़ाया गया। सड़कें गड्ढा मुक्त तो काम करने से होंगी। अगर हम इस बजट को देखें और उस सरकार में जो पिछला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मूल बजट हमने उस विभाग को दिया था, उनके हम आज तक के खर्चे को देखें तो उस खर्चे को देखकर हम कह सकते हैं कि विभाग ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कोई भी काम नहीं किया है। चूंकि हम लोग गांव में जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं और भी अन्य लोगों से सम्पर्क कर रहे हैं। अधिकारियों से जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे बात हो रही है कि आपकी स्वीकृति तो जारी नहीं हुई है और आपने अपना प्रस्ताव बनाकर तीन महीने पहले ही भेज दिया है। लेकिन स्वीकृति मिली ही नहीं है आपने काम कैसे करा दिया है। उन अधिकारियों का कहना है कि उच्चाधिकारी कह रहे हैं कि प्रोफार्मा में सौ प्रतिशत रिपोर्ट भेजो कि हमने सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया है। मीडिया को रिपोर्ट देकर उनकी फारमेलिटी पूरी हो सकती है। इसमें खर्चे का साक्ष्य है यह मेरा कोई अपना साक्ष्य नहीं है, हमने ट्रेजरी की वेबसाइट से खर्चे का विवरण निकाला है। अगर हम अधिष्ठान को हटा दें क्योंकि पी0डब्लू0डी0 में सरकार के लिए एक अलग से भवन सेल बना है। इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण काम जैसे बिल्डिंग, पुलिस लाईन्स हो गयी। जो-जो महत्वपूर्ण काम हैं। उस भवन सेल को दिया गया है। हमने उसमें 14 प्रतिशत खर्च किया है। जो संचार साधन सड़कें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 17 प्रतिशत खर्च किया गया है। हमने पी0डब्लू0डी0 की किसी भी मद में 18 प्रतिशत, सेतु निर्माण में सबसे अधिक 23 प्रतिशत का उपयोग किया गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर जा रहे हैं और हम इसको कब तक अचीव करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार ऐसे-ऐसे विभागों को चिन्हित करे और इसकी समीक्षा करे और इसमें जवाबदेही भी तय होनी चाहिये कि आखिर इतना महत्वपूर्ण विभाग जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। हम इसमें इतनी लापरवाही बरतेंगे तो फिर हम प्रदेश की जनता को सन्देश क्या देंगे। इसी तरह से दूसरा समाज कल्याण विभाग है। समाज कल्याण विभाग में पिछड़ा वर्ग के लिये जो मद रखी गयी है उसमें भी हम 24 प्रतिशत ही, हम राजनीति में, मंचों पर दलित-पिछड़ों की लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग की जो दो महत्वपूर्ण मद हैं जो पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए हैं। एक में 24 प्रतिशत एवं एक में 36 प्रतिशत खर्च किये हैं। हम दिसम्बर माह में चल रहे हैं। हमारे पास जनवरी, फरवरी एवं मार्च तक समय है।

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। इसकी कुछ प्लानिंग हो कि लास्ट पीरियड में, जब हम विभाग को बजट अवमुक्त करते हैं हम उस विभाग को उतना टाइम भी देते हैं कि जिससे वह उस पैसे का सदुपयोग कर सके। जब हम विभाग को समय ही नहीं देंगे तो फिर पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सरकार को गम्भीर रुख अपनाना चाहिये। अभी क्षेत्रीय विकास निधि की चर्चा हो रही थी जिस सम्बन्ध में मा0 लालजी

वर्मा एवं मा0 मोना जी ने कहा है। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता मा0 लालजी वर्मा जी ने संशय जाहिर किया है। मुझे लगता है कि आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, मा0 वर्मा जी भी वित्त मंत्री रहे हैं और इन्होंने जो क्षेत्रीय विकास निधि के लिए चर्चा की है। मा0 नेता सदन ने इस पीठ से, इस हाउस से घोषणा की है और जिससे स्वयं मा0 नेता सदन लाभान्वित होंगे। इस पीठ पर सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हमारे मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी भी लाभान्वित होंगे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी लाभान्वित होंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, नीला वाला जला दीजियेगा, हम नीला वाले हैं। बसपा के हैं।

श्री अध्यक्ष-

सभी के लिए समय निर्धारित है।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, बस दो मिनट दे दीजिये। मुझे लगता है कि पुनर्विनियोग मद जो महत्वपूर्ण होती है, सरकार उसको इसमें लेकर नहीं आई है। सरकार के पास तमाम ऐसे मद होते हैं जिसमें सरकार जब बजट नहीं खर्च कर पाती है तो उसको पुनर्विनियोग के माध्यम से लाती है और पुनर्विनियोग में लाकर उसे पूरा कर लेती है। इसमें एक दूसीर बात है और सर्वदलीय बैठक में भी हम लोग इस बात की चर्चा किये कि पांच करोड़ की निधि की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में की है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के लिपिकीय स्टाफ से कुछ गलती हुई होगी या तो समीक्षा अधिकारी लेवल पर या अनुभाग अधिकारी लेवल पर गलती हुई होगी। जो एक चीज लाइन में छोड़ना चाहिये वह है प्लस। वह प्लस जी0एस0टी0 छूट गया है।

मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जी के यहां से जब कुछ चीजें आती हैं और उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो हम लोग उसको यहां संशोधन कर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जो एक संशय बना हुआ है और सर्वदलीय बैठक में भी इस पर चर्चा हुई कि ये लोग केवल प्रस्ताव करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको चेक काटने का अधिकार है, ये केवल प्रस्ताव कर देंगे फिर चाहे पी0डब्लू0डी0 बनाये, या कोई भी डिपार्टमेन्ट बनाये लेकिन उसमें पांच करोड़ के सम्बन्ध में जनता के बीच जो मैसेज चला गया है कि हमें पांच करोड़ की निधि मिल रही है। हमें वह निधि 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ मिल रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद, अब आपका समय हो गया।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अब आपकी ही बात कर रहा हूँ जो आपने अकेले में कहा था कि इसको जरूर उठाना (हंसी)।

श्री अध्यक्ष-

मुझे आप लोगों ने यह अधिकार दे रखा है, मुझे अकेले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

आपने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ऐसे तरीके से इसको ले आइये कि वित्त मंत्री जी खुश होकर कह दें कि वह लिपिकीय त्रुटि है, प्लस जी0एस0टी0 उसमें हम ऐड करा देंगे (हंसी)। मुझे लगता है कि कभी इन्होंने नहीं, नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे लगता है कि अगली बार आपसे बात करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी (हंसी)। अब आप बैठ जाइये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय और दे दीजिये। मैं एक चीज विनम्रतापूर्वक सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी भी हमारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं या कुछ ऐसे भी काम जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है जो कम्प्लीट नहीं हो पाये। उसमें किसी सरकार का पैसा नहीं होता है, उसमें प्रोजेक्ट बनाने में अनियमितता हुई, डिपार्टमेन्ट दोषी है या जो काम कर रहा होगा वह दोषी है।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो विषय छूट गया है उसे लिख कर दे दीजिये। बोलने का अधिकार सभी माननीय सदस्यों को है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मेरी आपके माध्यम से अपील है कि जो भी उसमें कमियां हों उनको दुरुस्त कराकर..

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपना सुझाव लिख कर दे दीजियेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

उसका प्रावधान करके कम्पलीट कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अतुल गर्ग जी आप शुरू करिये।

***श्री अतुल गर्ग-**

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी के भाषण सुनने के बाद मुझे यह बात समझ में आ रही है कि सब इस बजट के प्रस्ताव से सहमत हैं। वह अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रतिपक्ष का मैटर है तो वह यह चाहते हैं कि हमारी तरफ से विरोध भी दर्ज हो जाये पर जो आप कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं, इस बात पर इनकी मौन सहमति भी है। अगर गौर करें तो किसी भी मद में किसी ने भी यह नहीं कहा है कि यह गलत हो रहा है, यह जरूर कहा गया है कि पहले खर्चा कम हुआ, यह खर्चा आपने पूरा किया नहीं है, कम किया है या ज्यादा क्यों नहीं किया गया। अभी तक हमारी सरकार को आये पांच साल छह माह हो चुके हैं। अभी तक हम प्रतिपक्ष को यह नहीं समझा पाये हैं कि वर्ष 2017 के पहले की सरकारों और वर्ष 2017 के बाद की सरकारों में बहुत बड़ा अन्तर है।

इस योगी सरकार में एक-एक पैसा खर्च होता है तो बहुत देखभाल करके खर्च होता है। अगर हम 100 रुपये का काम 50 रुपये में करने में सक्षम हैं तो हमारे यहां नकली बिल बनाकर पैसे नहीं निकाले जाते....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

हो सकता है कि थोड़ा-बहुत काम कम रह गया हो, लेकिन एक-एक पैसे की जवाबदेही है कि एक-एक पैसा, जनता के खून-पसीने का पैसा देख-भाल करके खर्च होगा। उसका मिसयूज हो करके, नकली बिल बना करके, बजट पूरा करने के लिए केवल बजट पूरा किया जाये, इस काम के लिये हम खर्च करने वाले नहीं हैं। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये। यहां पर सभी सीनियर लोग बैठे हैं, सभी को पता है कि बजट के अन्दर एक मद होता है, उस मद के तहत ही खर्चे किये जाते हैं। यदि पैसा अतिरिक्त है और उसको किसी दूसरे मद में खर्च करना है या ज्यादा खर्च करना है तो भी उसके लिए सदन की आवश्यकता जरूरी है। उसके लिए यह बजट पेश किया गया है। मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा कि हर इलेक्शन के अन्दर बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, हर बजट के अन्दर विकास का मुद्दा उठता है तो यह बजट अपने आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक सबूत है कि यह सरकार बहुत बेचैन है, आश्वस्त करना चाहती है कि भई, हम वह सब काम करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, तेजी से लोगों को रोजगार देना चाहते हैं।

अब मकानों की बात उठी कि आप स्मार्ट सिटी के अन्दर क्यों 04 हजार करोड़ का बजट लेकर आये हैं ? अगर किसी भी क्षेत्र में चले जायें, मैं एटा का प्रभारी रहा हूँ, एटा के अन्दर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई मैनेजर, फैक्ट्री के अन्दर इसलिए नहीं आना चाहता था कि उनको लगता था कि रहने की अच्छी जगह नहीं है। मेरे यहां बच्चों को पढ़ाने के अच्छे स्कूल नहीं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। अरे, पिछले 70 सालों के अन्दर बड़े-बड़े जिला केन्द्रों के अन्दर आप इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाये तो मुझे यह बताइये कि कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति, कोई भी योग्य व्यक्ति यदि एटा में जाना चाहता है, मैनपुरी में जाना चाहता है, इटावा में जाना चाहता है तो हम स्मार्ट सिटी बना करके उन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं या उसमें रोड़ा लगा रहे हैं।

हमें यह पता है कि सेकेण्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सारी दुनिया, यूरोप तहस-नहस हो गया था तो उन्होंने सारा का सारा पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया। चाहे जर्मनी हो, जापान हो, चाहे इंग्लैण्ड के अन्दर हो, सारे के सारे देश मटियामेट हो गये थे, चूर-चूर हो गये थे। लेकिन इन देशों ने तरक्की तब की, जब सारा का सारा पैसा उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। अब 04 हजार करोड़ मकान बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, क्या यह इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना नहीं माना जायेगा ? एम0एस0एम0ई0 के अन्दर 300 करोड़, छोटी-छोटी फैक्ट्रियों के अन्दर, छोटे-छोटे उद्योगों के अन्दर यदि हम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो क्या जो छोटे-छोटे कामगार हैं, क्या उनकी अच्छी व्यवस्था करके हम एक डेवलपमेन्ट की चेन डेवलप नहीं कर रहे हैं ? यह पूछा गया कि अगर औद्योगिक पार्क बनाये जायेंगे तो उससे कैसे लाभ मिलेगा ? दिल्ली के अन्दर आप जा करके देखिये, सौ-सौ, दो-दो सौ, तीन-तीन सौ लोगों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोग चाहते हैं कि वहां से निकल करके अच्छे औद्योगिक क्षेत्रों में जायें। अगर यह औद्योगिक पार्क बनेंगे तो यह केवल इन्वेस्टमेन्ट है, इसके अन्दर हम सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन उद्योगों से हमारी जमीन का पैसा भी रियलाइज होगा और इसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाद में हमें बहुत बड़ी मात्रा में न केवल उत्तर प्रदेश को आय मिलेगी, बल्कि हर नौजवान को काम देने की दिशा में इस सरकार द्वारा जबरदस्त काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूँ।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। अब आपकी बात आ गयी।

श्री अतुल गर्ग-

धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, संवैधानिक व्यवस्था में बजट की व्यवस्था है और उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि जब बजट बनाया जायेगा तो सम्पूर्ण रूप से पूरी तैयारी के साथ बनाया जायेगा, जिसमें कि फिर से इसे दूसरे अनुदान की जरूरत न पड़े। लेकिन आने वाले दिनों में कभी-कभी नई जरूरतें हो जाती हैं तो नई जरूरतों के लिए अनुपूरक की बात की गई है। लेकिन इस अनुपूरक में तो जो बजट पहले से बना है, उसमें भी अनुपूरक मांगा गया, क्यों नहीं इसको तैयारी करके, सोच-समझ कर इसको बनाया गया ? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जो हमारे संविधान ने हमको रास्ता दिखाया है। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं आपने तमाम मेडिकल कालेज बनवाये, मेडिकल कालेज बनाने के लिए आपको अलग से अस्पताल बनाने की जरूरत थी, आपने अलग से चिकित्सालय नहीं बनाये, बल्कि जो जिला के चिकित्सालय थे, उन्हीं को आधार बनाकर आपने मेडिकल कालेज बना दिया। आपने जब मेडिकल कालेज को बनवाया तो मेडिकल कालेज के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर या एन0जी0ओ0 के आधार पर आप उसमें नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को जिन्होंने जिला अस्पताल को अपना आधार बनाया उन कर्मचारियों को आप उसमें समाहित नहीं कर रहे हैं, इनको आप कहां ले जाना चाहते हैं ?

हमारे यहां मेडिकल कालेज आपने बनवाये, यहां लखनऊ में बनवाये मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिले में बने हैं वहां जो कर्मचारी हैं और फोर्थ क्लास के लोग हैं या आपका पैरा मेडिकल स्टाफ है उन सभी को वहां से रिलीफ किया जा रहा है और रिलीफ करके उनको कहां ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, डायरेक्ट्रेट में लखनऊ आकर वह यहां अपनी सम्बद्धता दिखावें। आपके यहां अस्पताल मेडिकल कालेज खाली हैं आप वहां पर कोई नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं और उन कर्मचारियों को आप यहां भेज रहे हैं, अस्पताल खाली हो जा रहे हैं, लोग कहां जायें अपनी दवा के लिए यह बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है। इस अनुपूरक में आपने बजट मांगा है, लेकिन इसके लिए भी आपको बजट मांगना चाहिये कि हम अस्थाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे, संविदा के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर आम मेडिकल कालेज में जब कर्मचारी नियुक्त करें तो उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कल्पना करके आपने मेडिकल कालेज को बनाया, इसलिए मैं ज्यादा न कहकर यह बात आपसे आग्रह करूंगा उन कर्मचारियों को आप कहीं न कहीं समायोजित करने का कष्ट करें

और अगर वह योग्य हैं तो उनको क्यों नहीं मेडिकल कालेज में लिया जा रहा है, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी की बात की, आप स्मार्ट सिटी बनाइये, लेकिन नंगे पैर चलने वाले और भूखे रहने वाले, ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए भी आपने कोई इसमें बड़े बजट की व्यवस्था नहीं की है कि उनके आवास कैसे बनेंगे। आपने बताया कि यहां पर आवास की जरूरत है, इसलिए स्मार्ट सिटी में हम पैसा दे रहे हैं। गांव में आप पैसा कितना दे रहे हैं बनाने के लिए एक लाख बीस हजार, एक लाख बीस हजार में कोई घर कैसे बना सकता है, इसमें तो एक घर बनाने के लिए ईंटा ही नहीं मिल पायेगा।

आप जब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो ग्रामीणों के लिए भी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो आबादी भारत की या हमारे प्रदेश की है सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचलों में है, अगर ग्रामीण अंचल का विकास नहीं होगा तो शहरों के विकास से उत्तर प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। अभी मैंने आपका पी0डब्लू0डी0 का बजट पढ़ा, पी0डब्लू0डी0 में रुपये हैं और उसके बाद भी आप अनुदान मांग रहे हैं। आपने कह दिया कि नब्बे प्रतिशत गड्ढेमुक्त हो गये हैं और फिर भी उसके लिए आप अनुदान मांग रहे हैं और जब मुक्त हो गये तो जैसे यह हमारे उमाशंकर जी हैं या बहुत बड़े लोग हैं यह केवल अपना पैसा लगाकर बना देते हैं, बाद में पैसा लेते हैं। या तो पहले लगा के बनवा लिया आपने ठेकेदारों से अथवा आपने अब व्यवस्था की है तो बने कब नब्बे प्रतिशत। इस पर आपको विचार करना चाहिये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अनुपूरक बजट है इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है इतना जरूर कहेंगे मा0 वित्त मंत्री जी हमारे होशियार हैं और हमारे पुराने साथी भी हैं मैं एक सुझाव जरूर दूंगा जब आप बजट बनायें तो आपकी पूरी कल्पना होनी चाहिए और ऐसी कल्पना होनी चाहिए कि अनुपूरक बहुत कम से कम लाने की जरूरत पड़े, तब आपका बजट जो है अच्छी तरह से खर्च हो सकेगा और आगे बढ़ सकेगा।

***श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल इस सम्मानित सदन में हमारे सम्मानित विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया और हमेशा की तरह जैसा कि यह हमारी सरकार की संकल्पना है, सरकार की अवधारणा और सोच है और राज्य के हित में लिये गये संकल्पों के प्रति जिजीविषा है वह इस अनुपूरक बजट में दिखायी पड़ी है। मा0 मुख्य मंत्री जी के स्वप्न को साकार करते हुए बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का उद्देश्य एक बार फिर वही है कि उत्तर प्रदेश को देश में हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। कुछ रह गया तो उसके लिए जो मांगे थीं, उनको मा0 वित्त मंत्री जी ने यहां पर रखा है। हमारे आदरणीय और बहुत ही माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, अक्सर हमारी उनकी भेंट होती है, हम आपस में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि मा0 वित्त मंत्री अपना सारा ध्यान केवल कागजों में रखते हैं, कुछ सुनते ही नहीं हैं तो उस पर मुझे फिर एक बात याद आती है कि-

जिन्दगी भर एक सबक याद रखिये,

इबादत और सियासत में नीयत साफ रखिये।

जब नीयत साफ होती है तो चाहे कागज पर ध्यान रखा जाये या काम पर ध्यान रखा जाये। दोनों ही काम शानदार होते हैं और शायद इसी कारण से मुझे लगता है कि मा0 वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट यहां पर रखा है, उसमें कागज और काम दोनों पर ध्यान देने के कारण प्वाइण्ट भर भी कमी निकालने की सम्भावना नहीं है। जैसा कि अभी हमारे सामने जो सारे आदरणीय लोग बैठे हैं, वे सभी सम्मानित विद्वान और मुझसे बहुत ही सीनियर लोग हैं। उन्होंने जो बात रखी है, उसमें भी यही है कि कम मांगा है, और मांगना चाहिए था। बहुत बड़ा राज्य है और अच्छी बात है कि आप सब मिलकर उत्तर प्रदेश में विकास की गति में हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना चाहते हैं। मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस पर मैं एक-दो प्वाइण्ट जरूर रखूंगी। नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास के लिए 4000 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। निश्चित रूप से यह आने वाले समय में बहुत ही प्रभावकारी कदम होगा। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कार्मिकों के लिए 200 करोड़ रुपये की मांग है। सबसे बड़ी बात, धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुम्भ मेला मानी जाती है और वर्ष 2025 के कुम्भ मेले के आयोजन के लिए 521 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। निश्चित रूप से इसका एक-एक पैसा फिर उसी तरह से खर्च होगा, जैसे पिछली बार कुम्भ मेले में खर्च हुआ था और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने कुम्भ मेले का आयोजन करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशंसनीय और सराहनीय काम करके पूरी दुनिया की वाहवाही लूटने का काम किया था। मा0 अध्यक्ष जी, 10 अधीनस्थ न्यायालयों के पायलट प्रोजेक्टों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये मांगे गये हैं।

हमारे मा0 परिवहन मंत्री जी भी बैठे हैं और 1000 नई बसों के क्रय के लिये 200 करोड़ रुपया मांगा गया है। निश्चित रूप से बसें न केवल विकास की गति को तेज करती हैं बल्कि जिलों को, शहरों को और कस्बों को जोड़कर लोगों में एक-दूसरे के दिलों को भी जोड़ने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि इससे विकास भी होगा और जब बसें एक जगह

से दूसरी जगह जायेंगी तो उनकी संस्कृतियों का आदान-प्रदान भी होगा। इससे हमारे दिल एक-दूसरे से पुनः पूरे वेग से मिलने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 01 करोड़ रुपये मांगे गये हैं। अध्यक्ष जी, शिक्षित बच्चे, सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र एक-दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं और इसी क्रम में शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्रशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 177 करोड़ रुपये का बजट यहां पर अनुपूरक बजट में मांगा गया है। निःसन्देह यह देश को विकसित करने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 172 करोड़ रुपये मांगे गये हैं। यह बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि-

जिनके हाथ नहीं होते, किस्मत की लकीरें उनकी भी होती हैं,

जिनके पांव नहीं होते हैं, वे भी बुलन्दियों पर चलते चले जाते हैं।

सुधा चन्द्रन और अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने पैर न होते हुए भी नृत्य और पर्वतारोहण किया। यह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे विद्वान और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के भरण-पोषण के लिए 333 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा है। यह उनके प्रति बहुत बड़ा संवेदना का काम किया गया है। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और मुझे लगता है कि जिस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज पूरे देश में हुआ उससे एक बात तो तय है कि जितने हमारे राष्ट्रीय आयोजन होते थे उसके विषय में बहुत से नये बच्चों को पता ही नहीं था, लेकिन लम्बे समय तक चलने वाले इस आयोजन में नये बच्चों के अन्दर स्वतंत्रता संग्राम की जो अपनी गौरवमयी गाथा थी, उसको तो याद दिलाने का काम किया गया और नये अखण्ड भारत, अजेय भारत के निर्माण के लिए हम सब की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए यह भी बच्चों को सिखाने का काम किया गया है। यह बजट आगे भी इस काम के हित में लगाया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिये 5 करोड़ रुपये निर्गत किये गये हैं। अन्त में मैं यही कहूंगी और आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि मा0 वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशल वित्त संगठन का परिचय दिया है और उनका यही उद्देश्य है-

''न त्वहम् कामये राज्यम्,

न स्वर्गम् न पुनर्भुवम्।

कामये दुःखतप्तानम्,

प्राणिनामार्तिनाशनम्।।''

(मेजों की थपथपाहट)

***श्री ओम प्रकाश-**

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे मा0 लालजी वर्मा जी, वरिष्ठ सदस्य और हम लोगों के नेता मा0 माता प्रसाद जी, नेता सुहेलदेव, बहुजन समाज पार्टी के नेता और कांग्रेस से 'मोना जी' ने भी अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखने का काम किया है। आदरणीय माता प्रसाद जी ने एक बात कही बहुत विस्तार से नहीं केवल दो ही बिन्दुओं पर बात रखकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि हिन्दुस्तान का नाम दुनिया में गांवों का देश है और यह बात सही है कि जो अभी बजट पास हुआ है जो मा0 वित्त मंत्री जी ने अभी अनुपूरक बजट रखा है उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के अनुरक्षण हेतु 84 करोड़, 72 लाख 91 हजार रखा गया है। मा0 अध्यक्ष जी, 71 जिले तो खुद उत्तर प्रदेश में हैं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से 75 जिले के शब्द सुनाई दिये)

आप लोगों का ज्ञान अच्छा है, यह हम जानते हैं और वाणी के तो आप लोग अद्भुत तस्कर हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक बात हम जरूर कहेंगे कि जैसे पूर्व की सरकारों में अम्बेडकर योजना, लोहिया योजना, जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत बहुत कार्य हुए हैं। लेकिन जब 5 साल 9 महीने की इस सरकार के कार्य की बात हो रही है। मा0 अध्यक्ष जी, जैसा मेरे कई मा0 साथियों ने कहा कि 9 महीने में तो मा0 वित्त मंत्री जी एक खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाता है। यह नौ महीने इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के हैं, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी हमारे यहां देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे बड़ी आबादी के गांव हैं और उन गांवों की जो हालत है, वहां की नालियों की और गलियों की वह खराब हैं। अभी नालियों के लिए तो कुछ पैसे का प्राविधान हुआ है, लेकिन जो सड़के हैं उनके सम्बन्ध में एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि आबादी के 40 प्रतिशत लोग वर्ष 2024 तक शहर में आ जायेंगे। हमारा स्मार्ट सिटी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन यदि गांव का विकास नहीं होगा तो कभी हिन्दुस्तान या भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मा0 वित्त मंत्री जी आपके माध्यम से चाहूंगा कि गांवों के लिए भी विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें। हम निधि के विषय में नहीं जाना चाहते हैं। निधि दें या न दें मुख्य मंत्री जी की घोषणा उनके अपने विवेक पर निर्भर है। जी0एस0टी0 में भी यदि 18 प्रतिशत लेने से बजट कम पड़ रहा है तो मेरा कहना है कि इसको 22 प्रतिशत ले लें। यदि विधायक निधि से ही सरकार के बजट का प्रावधान हो सकता है तो उससे ही करें, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह जरूर चाहूंगा कि गांवों का विकास होना बहुत आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, गांवों की स्थिति यह है, आप स्वयं भी पता कर लीजिये आप गांव से तो जुड़े हैं भले ही गांव के रहने वाले न हों। अभी गांवों में दो-ढाई साल से केवल दो ही कार्य हो रहे हैं या तो वहां पर पंचायत भवन बन रहे हैं या फिर शौचालय बन रहे हैं और प्रधानों के माध्यम से हाई स्कूलों के भवनों को भी कायाकल्प कर रहे हैं। आप स्कूल नये नहीं बना रहे हैं, जो हैं, उनका ही कायाकल्प कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से टोका-टाकी करने पर)

आप मेनटेन करने के लिए ही पैदा न हुए हैं और कुछ करने के लिए भी पैदा हो।

(पुनः सत्ता पक्ष की तरफ से बीच में टोका-टाकी करने पर)

हम लोगों ने जितना किया वह सब खराब काम किया सबसे अच्छा काम आप ही लोग कर रहे हैं। मेरे यहां गाजीपुर में मेडिकल कालेज है। वहां अभी तक नियुक्तियां ही नहीं हो पायी हैं। अभी जो संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखने की बात है, आप स्वयं पता कर लीजिये कि आपने कितनी नियुक्तियां की हैं और कितने वार्डब्वॉय, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे, जितने भी लोग हैं, आप स्वयं सर्वे कर सकते हैं, आप मंत्री हैं तो आप विभाग से सारी जानकारी मंगवा सकते हैं।

अध्यक्ष जी, हम यह जानना चाहते हैं और हमारा यह मानना नहीं है कि सप्लीमेण्ट्री बजट नहीं आना चाहिए, प्रत्येक सरकार सप्लीमेण्ट्री बजट लाती है, लेकिन जो माननीय लालजी वर्मा जी ने बहुत विधिवत् बताया कि प्रत्येक विभाग में जैसे पी0डब्लू0डी0 का हाल देख लीजिये। 18 हजार करोड़ रुपये का बजट है, 4 हजार करोड़ केवल स्कूल के लिए है। 3 महीने शेष हैं। यदि देखा जाये तो दिसम्बर तो शुरू हुआ है और खत्म हो जायेगा। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि इसका सर्वे भी हो और इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित भी हो कि जो हम बजट पास करते हैं, उस बजट के खर्चे का प्रतिशत इतना खराब क्यों है ? जब मात्र 3 महीने शेष हैं, तो मेरा और मेरे तमाम साथियों का सुझाव है कि इस पर कम से कम गम्भीरता से गांव के लिए विचार कर लें। मैंने पहली बार देखा कि कोई सरकार गांव के प्रति इतनी उदासीन है और अभी जो सप्लीमेण्ट्री बजट रखा गया है, वह 84 करोड़ 72 लाख 91 हजार है। उसमें अनुरक्षण मद के लिए है। इससे कैसे विकास हो सकता है ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यही आपसे कहना है कि अनुदान मांगें चूंकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, प्रत्येक सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन सरकार का खर्चा इतना था तो वह उस पर बल देते थे, परन्तु इस सरकार ने खर्च भी नहीं किया और इतना बड़ा एमाउण्ट फिर मांगने का काम किया है। इसलिए अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि इस व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित हो, हम इस सप्लीमेण्ट्री बजट का विरोध करते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री कपिल देव जी।

***व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, जब पूर्व में बजट रखा गया तो वह 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का था, उसी में यह सप्लीमेण्ट्री बजट के रूप में 33 हजार 769 करोड़ 54 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमारे सम्मानित विपक्ष के साथियों द्वारा यह लगातार आपत्ति की गयी कि बजट का प्रयोजन बहुत कम हुआ तो यह भी स्वाभाविक है कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किये गये हैं, उनकी इन्हें जानकारी है। कई लोग इनमें से मंत्री भी रहे हैं। सरकार के खर्च करने की एक प्रक्रिया है कि टेण्डर होगा, स्वीकृतियां होंगी, उसके बाद जब काम हो जायेगा तो उसमें से पैसा खर्च होता है। 15 प्रतिशत खर्च करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 15 प्रतिशत के बजाय 85 प्रतिशत वह कहीं खाते के अन्दर पड़ा है। वह सब प्रोसेस में है और सभी काम चल रहे हैं। यह सब काम होते हुए सड़कों पर दिखेंगे और सारे विकास कार्य पाइप लाइन में हैं। सब चीजें दिख भी रही हैं।

हम लोग सब जनपदों में दौरा करने जाते हैं और वहां पर विपक्ष के भी माननीय विधायक आते हैं। हमारी मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी भी है तो हम उनसे भी पूछते हैं कि आपके द्वारा कोई प्रस्ताव, काम हो तो बताइये। अधिकांश रूप से माननीय विधायकों के द्वारा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं बताया जाता, जिससे बहुत बड़ा खर्चा आने वाला हो। इसका अर्थ यह हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में और माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के निर्देशन में जो शानदार इस बजट की प्रस्तुति हुई है उसकी आवश्यकता भी है और समयबद्ध तरीके से इसका खर्चा भी होगा। पूर्व में जैसे मा0 अतुल जी ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बजट कैसे भी खर्च कर दे यानि बजट के लिए योजनाएं नहीं बनती हैं कि बजट कैसे खर्च करना है। यदि विभाग के अन्दर पैसा पड़ा है, तो वह खर्च करना है, इसलिए बजट बनाना है, इसलिए हमको स्कीम बनानी है, बल्कि स्कीम की कहां आवश्यकता है, कहां मिनिमम पैसे में कितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है, ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जीरो टॉलरेंस को लेकर लगातार यह काम हो रहे हैं और वह सभी चीजें दिख भी रही हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा यह आपत्ति नहीं की गयी है कि कौन-सा पैसा, किस मद में फालतू खर्च कर दिया गया या अनावश्यक रूप से खर्च किया गया, इसकी आवश्यकता नहीं थी, यानि सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं और उसी के निमित्त यह अनुपूरक बजट लाया गया है। जैसे कि नगर विकास के बजट की बात हुई तो हमारे एक सदस्य ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव को, निकाय के चुनाव को देखते हुए यह बजट लाया गया है तो चुनाव तो आ गया है। इसका मतलब यह जो बजट स्वीकृत होगा, जब पास होगा तब तक यह पैसा खर्च नहीं होगा ? यह तो आगामी, दूरगामी और दूरदर्शी योजनाओं के लिए बजट लाया गया है ताकि नगरों का सर्वांगीण विकास हो सके। उसका चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है। चुनाव एक सतत् प्रक्रिया है, जो एक निश्चित समय पर होने हैं और वह हो भी रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होने की सम्भावना है। एम0एस0एम0ई0 के अन्दर भी इण्डस्ट्रियल पार्क भी और साथ-साथ हमारी जो औद्योगिक विकास नीति है, उसमें भी सब जानते हैं कि दुनिया भर का निवेश इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर आ रहा है। पहले उत्तर प्रदेश कितना अव्यवस्थित था, कितनी गुण्डई, लगातार अपराधियों का बोलबाला, उद्यमियों के साथ छेड़-छाड़, उनका अपहरण, उनके साथ लूट होती थी। उत्तर प्रदेश के अन्दर आज एक ऐसा माहौल बना है कि लगातार उद्यमी प्रदेश के अन्दर आ भी रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं और प्रसन्नतापूर्वक अपनी योजना बनाकर प्रदेश के अन्दर ला रहे हैं। इस बजट के अन्दर एम0एस0एम0ई0 में भी और औद्योगिक विकास के अन्दर भी ये सारे बजट की प्रस्तुति की गयी है। बाकी 1 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट माननीय मुख्य मंत्री जी का है। एक दूरगामी योजना माननीय मुख्य मंत्री जी की है और वह सब चीजें बिना औद्योगिक विकास के, बिना एम0एस0एम0ई0 के और बिना शिक्षा के क्षेत्र के सम्भव नहीं हैं। अब आप देखिये कि निजी नलकूप की चर्चा हमारे विपक्ष के नेता करते थे जो आज अच्छा बजट हुआ है उसकी प्रशंसा इन्होंने नहीं की, निजी नलकूपों के अन्दर 50 प्रतिशत की छूट के लिए 1250 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया।

जो काम आपको अच्छा लगता है कम-से-कम उसकी प्रशंसा तो आप कर दीजिये, उसकी प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं। किसानों को कितना बड़ा लाभ इस 1250 करोड़ रुपये से होगा और 50 प्रतिशत की छूट हमारे टैरिफ के अन्दर किसान भाई की हो सकेगी। निश्चित रूप से एक शानदार प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री जी का है। इसके साथ खेल यूनिवर्सिटी के लिए भी 20 करोड़ रुपये दिये गये हैं। महाकुम्भ पहले भी होते थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में खास तौर पर जो महाकुम्भ प्रयागराज के अन्दर हुआ उसकी प्रशंसा दुनिया भर के अन्दर हुई और दुनिया भर के देशों से लोग वहां पर स्नान करने आये, दर्शन

करने आये और बहुत सारे लोग प्रशंसा सुनकर केवल दर्शन करने के लिए आये कि हमें प्रयागराज जरूर चलना है उसका दर्शन हम भी करेंगे। मुझको लगता है कि उसकी प्रशंसा माननीय विपक्ष के द्वारा होनी चाहिये। उसके द्वारा 521.55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ-साथ हमारे विभाग में भी 271 करोड़ रुपये का पस्ताव दिया गया है, ताकि हमारी कौशल विकास की स्किल डेवलपमेन्ट की जो योजना है उसके अन्तर्गत टाटा के द्वारा 4000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव यहां के आई0टी0आई0 के विकास के लिए दिया गया है। उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा और माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा 271 करोड़ रुपये की स्वीकृति करके उसका प्रस्ताव रख करके निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, स्किल्ड होने के लिए आते हैं, उनके चेहरे पर भी एक प्रसन्नता का भाव आयेगा और उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने और रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे।

इसके साथ-साथ एक हजार नई बसों को क्रय करने का काम हुआ। बहुत लम्बे समय से उत्तर प्रदेश के अन्दर बसें क्रय हुई ही नहीं हैं। पहले की सरकारों मे भी नहीं हो पायीं। इस बार एक हजार बसें क्रय करके यह भी बताने का प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण अंचलों में आते हैं, जहां पर बसों की व्यवस्था भी नहीं है, वहां पर डग्गामारी या अन्य वाहनों से लोग आने का काम करते हैं उनको भी प्रसन्नता होगी और वह एक अच्छे साधन के साथ गांव से और शहर से जुड़ने का काम हो सकेगा। इसके साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों के अन्दर कक्षा 01 से ले करके कक्षा 08 तक के बच्चों को जो कमजोर समूह के बच्चे हैं, उनको 177.42 करोड़ का प्राविधान किया गया है। एक बड़ी छलांग सरकार के द्वारा लगायी गयी है। खास तौर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी की जो आवासीय योजना है उसके लिए मैं निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूँ और इस पर मैं बल देता हूँ, सरकार का धन्यवाद।

***श्री इकबाल महमूद-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अनुपूरक बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने, ये काबिल मंत्री हैं, पुराना साथ इनका हमारा रहा है। 7-8 बार से विधायक ये भी हैं और हम भी हैं। इनकी जानकारी और समझ का मैं कायल हूँ। मगर मजबूरी इनके सामने भी है कि जो बजट को इनके सामने लाया गया है वह इन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया, उससे कितने ये मुतमईन हैं उसको ये शो नहीं कर सकते, मगर इनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिल के अन्दर वह बात है जो बात हम उठा रहे हैं। अपने दिल के अन्दर ये सोचते होंगे कि बात सही है। अध्यक्ष जी, जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली ये ऐसी चीजे हैं जिनका बजट में प्राविधान किया गया है, मगर धरातल पर अगर देखा जाये तो जनता बहुत रुष्ट है। अगर हम ये देख लें कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य में हमारी सरकार ने बहुत से अस्पताल बनाये हैं। मगर अस्पतालों की हालत अगर आप देखें तो डॉक्टर की कमियां आज भी महसूस की जा रही हैं, नर्सेज की कमियां आज महसूस की जा रही हैं। डॉक्टर अगर हैं तो उनका हेल्पर नहीं है, अगर मशीन है तो उनको चलाने वाला नहीं है।

मेरे यहां सम्भल में एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला गया। वहां पर डॉक्टर्स की संख्या मात्र 7-8 है, जबकि स्ट्रेंथ 17 की है। 17 डॉक्टर्स में से सिर्फ 7-8 डॉक्टर्स हैं। इतने बड़े जनपद के जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर्स को महिलाओं और बच्चों को दिखाने के लिए हर परिवार को हर वक्त जरूरत पड़ती है। मगर यह कमी महसूस की जा रही है। हमारे सम्भल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी0पी0पी0 मॉडल के ऊपर एक हॉस्पिटल खोलने का ऐलान किया, उसमें जगह भी पहले से तय कर ली गई, सम्भल से प्रस्ताव भी बनकर चला गया। लेकिन मालूम नहीं क्यों उस जगह को माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने चेंज कर दिया। वह एक ऐसी जगह थी जो मेन रोड पर थी, वह ऐसी जगह थी जो हर मुख्यालय को जोड़ती भी थी, वह ऐसी जगह थी, जहां पर पहुंचना बहुत आसान था। सब कुछ तय हो गया था और आपने स्वीकृति भी दे दी थी, मगर उसके बाद में चेंज क्यों किया गया, मैं वह समझ नहीं सकता। इस तरह से किसी के द्वारा आपको भ्रमित किया गया। लेकिन आप जहां खोल रहे थे, वह बेहतरीन जगह थी। सम्भल के लोग उससे खुश थे, सन्तुष्ट थे।

मान्यवर, आज अस्पताल के अन्दर यह हालत हो गई है कि मरीजों को मारा जा रहा है। अभी चार दिन पहले की बात है, एक मरीज अपने को दिखाने आया और उसकी पिटाई डॉक्टर कर रहा है। वह सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसे आपने भी देखा होगा। लेकिन उस डॉक्टर्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह बेचारा पिटता हुआ अपने घर चला गया और प्राइवेट अस्पताल में उसने अपना इलाज कराया। दूसरी बात, बजट आया है और हमारे रोडवेज के मंत्री जी बैठे हैं। सम्भल नया सृजित जिला है। सम्भल के अन्दर सरकारी बस-स्टैण्ड नहीं है, वह प्राइवेट जगह पर चल रहा है। वहां हर जगह से बसें आती-जाती हैं, लखनऊ के लिए निकलती हैं, दिल्ली के लिए निकलती हैं, अलीगढ़ के लिए निकलती हैं, लेकिन वहां डिपो नहीं है। उसकी मांग की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी नहीं की जा रही है। ऐसे ही हमारा बिजली विभाग है। बिजली विभाग के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि आपने पुलिस बैठा दी, थाने बना दिये। थाने वालों की आमदनी और कंज्यूमर की मुश्किलें और बढ़ गईं।

थाने के सिपाही चेक करने के लिए जाते हैं। नम्बर दे आते हैं कि शाम तक नहीं आये तो तुम्हारी एफ0आई0आर0 हो जायेगी। वह आदमी शाम को जाता है, उससे वह 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपयों की मांग करते हैं। जो पैसे दे देते हैं, उनका मामला खत्म और जिन्होंने पैसे नहीं दिये उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 होता है और यह सामान्य बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, आपके 5 मिनट पूरे हो गये। सभी लोगों के लिए समय निर्धारित है और मैंने सभी को रिस्ट्रिक्ट किया है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, दूसरी एक इम्पार्टेंट बात कहना चाहूंगा। बस मैं एक मुद्दे पर और कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बताइये।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, प्रदेश की आमदनी शराब से बहुत होती है। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि हमारे वहां सम्भल में एक शराब की दुकान है जो मुंसिफ के करीब है, जो मन्दिर के करीब है, जो महाविद्यालय के करीब है, जो मस्जिद के करीब है। कई बार कहने के बाद उसे उस जगह से हटाया नहीं गया है। वहां अच्छी बात नहीं हो रही है, लड़कों के अन्दर बुरी आदतें पड़ रही हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि उसे वहां से हटाने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

इस बात का संज्ञान माननीय मंत्री जी ले लेंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी।

(सदस्यों के द्वारा 'जय श्रीराम' के नारे लगाये, गये और मेजें थपथपाई गईं)

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि सरकार के नये गठन के बाद इस पहले अनुपूरक बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव प्रदेश के हित में और जनहित में अनुपूरक बजट पर अपनी बातों को रखते हुए इस सदन में प्रस्तुत किये हैं। हम सब जानते हैं कि मार्च, 2022 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का गठन प्रदेश के अन्दर हुआ

और लगभग 37 वर्ष के बाद एक ऐसा अवसर आया जब सत्ता में रहते हुए कोई दल फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लोकतंत्र में जनता-जनार्दन का यह आशीर्वाद और समर्थन यह जन-विश्वास का प्रतीक होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 में इस देश को यही मंत्र दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और इस थीम को ध्यान में रखकर इस सरकार ने कार्य प्रारम्भ किया जो कहा वह करके दिखाया और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी व्यापक जन-समर्थन उसकी परिणति थी और इसीलिये आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है।

एक समय इस प्रदेश के अन्दर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोगों के मन में एक भयावह दृश्य पैदा होता था लोग यह मानते थे कि उत्तर प्रदेश का मतलब लोगों के लिए एक ऐसा प्रदेश जो देश के विकास में संयोगी बनने के बजाय बाधक था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। लोग यह मानते थे कि भारत इसलिए प्रगति नहीं कर पायेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी के राज्य को उस प्रकार के नेतृत्व और उस प्रकार का कोई भी विजन वहां पर देखने को नहीं मिलता था। दंगे होते थे, वोट बैंक बनाकर लोग एक-दूसरे की भावनाओं के साथ जिस रूप में खिलवाड़ करते थे, वह सबके सामने था, लेकिन विगत 5, साढ़े 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अन्दर जो परिवर्तन हुआ है वह सबके सामने है। प्रदेश का परसेप्शन बदला है, प्रदेश के आम-जनमानस के मन में एक नया विश्वास जागृत हुआ है और उस नये विश्वास के साथ हर तबके का व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके, क्या गरीब हो, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलायें, क्या युवा समाज का हर तबका सरकार के विकास के विजन के साथ अपने आपको जोड़ करके न केवल गौरव की अनुभूति करता है, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए भी तत्पर दिखायी देता है। कोविड कालखण्ड इसका उदाहरण है। कोरोना कालखण्ड में लोगों को लगता था कि यह जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यू0पी0 में आये हैं यह कहां जायेंगे, इनका क्या होगा। मैं कहता हूँ यू0पी0 बहुत बड़ा है। यू0पी0 में हमारे लिए कोई बहुत चैलेंज नहीं है। वह यू0पी0 के नागरिक हैं। हम यू0पी0 में उनका स्वागत करेंगे और यू0पी0 में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखण्ड में देश का सबसे बड़ा एम0एस0एम0ई0 का जो सबसे बड़ा कलेस्टर मौजूद था ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अन्दर मौजूद थे। वर्ष 2018 में हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में सफलता प्राप्त हुई है। कोविड प्रबन्धन का एक

मॉडल प्रदेश ने देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून-व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून-व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को देकर उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश ने साबित किया। आज देश के अन्दर हम कहीं भी जाते हैं, तो लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्यौहार शान्तिपूर्ण तरीके से मनाये जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा है।

'ईज ऑफ लिविंग' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेद-भाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य किया है। विगत पांच वर्षों में 45 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक-एक आवास मिल जाना, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा और लगभग 10 लाख गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना, प्रदेश के अन्दर 1 लाख 21 हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1 करोड़ 43 लाख से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत का कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अन्दर कोविड कालखण्ड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार प्रत्येक माह डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी, ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे को प्रदर्शित करता है।

एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। यह सब इस दौरान देश और दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि 'जान है, जहान है' उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक ओर हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अन्दर कल-कारखाने, उद्योग-धन्धे, आफिसेज, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जहां बीमार है, उसका वहीं उपचार करो। 'जहां बीमार, वहीं उपचार', तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, जी0एन0एम0 हेल्थ वर्कर्स, इन सबको ले करके घर-घर स्क्रीनिंग करने की कार्यवाही और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सबने स्वीकारा और आज उत्तर प्रदेश देश के अन्दर न केवल

'ईज ऑफ लिविंग' में बल्कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में एक बेहतरीन लक्ष्य को ले करके आगे बढ़ा है।

महोदय, आज यहां पर नई सरकार के गठन होने के बाद अपने पहले अनुपूरक बजट को ले करके सदन में चर्चा हुई। मैं सबसे पहले उन सभी मा0 सदस्यों का, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिये, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

अनुपूरक बजट को लेकर देखेंगे, तो हमारा प्रदेश शासन का वर्ष 2022-23 का ये बजट लगभग साढ़े छः लाख करोड़ रुपये का पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपेक्षा की जाती है, जहां पर 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी सोच के साथ कार्य कर सकें और बड़ी सोच के साथ कार्य करते हुए हम लोगों ने इस दौरान बेहतरीन वित्तीय प्रबन्धन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया।

आज देश के अन्दर जिन राज्यों की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है वे लोग घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। लगातार पिछले पांच वर्षों से राज्य सरकार ने अपने इस वित्तीय प्रबन्धन का लोहा मनवाया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

एफ0आर0पी0एम0 की सीमा को कोविड-19 के बावजूद भी हम लोगों ने कभी लांघा नहीं, उस सीमा के दायरे में रहकर बजट भी बनाया। प्रदेश के अन्दर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के बड़े-बड़े कार्यों को भी ले करके प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है और उसी कार्यक्रम को ले करके हमें आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है। स्वाभाविक जिज्ञासा है यह हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी ? स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा है और होनी भी चाहिये, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थीं कि जिन पर हमें यह कदम उठाने पड़े थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अन्दर आज के दिन कुछ नये कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिन पर लगातार कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की इकॉनामी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग-अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं।

उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके और प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप

उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनामी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारम्भ किये हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यह अनुपूरक बजट लेकर इस मा0 सदन के सम्मुख आना पड़ा है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दौरान 10 फरवरी, 2023 से 12 फरवरी, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। यह प्रस्तावित किया है ग्लोबल इनवेस्टर सम्मिट एक बड़े लक्ष्य को ले करके निवेश का एक बेहतरीन गन्तव्य उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश में निवेश की इन अपार सम्भावनाओं को आगे बढ़ा सके। जैसे कोविड कालखण्ड के दौरान विगत 5 वर्षों के दौरान 4 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अन्दर हुआ है। आप अनुमान करेंगे कि उत्तर प्रदेश आज डाटा सेन्टर का हब बन रहा है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेन्टर अभी ग्रेटर नोएडा में लोकार्पण करने का कार्य यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। उसने अपना प्रोडक्शन प्रारम्भ कर दिया है। ऐसे अनेक आई0टी0 और आईटिएन्स के अन्तर्गत ढेर सारा निवेश हुआ है। अलग-अलग सेक्टर में निवेश की सम्भावनाएं आगे बढ़ी हैं, खासतौर पर मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद इन सभी क्षेत्रों के आस-पास के हमारे मा0 जनप्रतिनिधि इस बात को कहते थे कि आलू व मकई के उत्पादन का क्षेत्र है, कुछ यहां पर प्रोसेसिंग सेन्टर लगने चाहिये, पेप्सिको का पहला सेन्टर मथुरा के कोशीकलाँ में स्थापित हो चुका है और उसने प्रोडक्शन प्रारम्भ कर दिया है। लाखों किसानों से आलू खरीदने की जिम्मेदारी और उसके माध्यम से प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रोडक्ट बना करके उन्हें भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजार में प्रस्तुत करने का कार्य वह कर रहा है। ऐसे अलग-अलग सेक्टर में डिफेंस कॉरीडोर उत्तर प्रदेश की एक नई ब्रांड बनने जा रही है।

उत्तर प्रदेश पहले से ही एम0एस0एम0ई0 का बेहतरीन क्लस्टर था। उपेक्षा के कारण मृतप्राय होता जा रहा था, हमने उसको तकनीकी के साथ जोड़ा है। हमने उसे एक ब्रांड दिया, हमने उसको मार्केट दिया है। आज परिणाम है कि वह आज फिर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब बन रहा है। एम0एस0एम0ई0 आज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है, अर्थव्यवस्था के लिए और इस दिशा में जो प्रयास आज प्रारम्भ हुए हैं, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसने हमारे प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। जिस प्रदेश में 2015-2016 तक एक्सपोर्ट लगभग 50 से 55 हजार करोड़ रुपये था। आज उसी प्रदेश का 2021-22 का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वह 01 लाख 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एक्सपोर्ट हुआ है....

(मेजों की थपथपाहट)

उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज 6 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क रखता है। 'ईस्टर्न

एण्ड वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर' उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और इनका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अन्दर दादरी के पास पड़ता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बेहतरीन केन्द्र बनने जा रहा है जिसमें राज्य सरकार ने निवेश की उन अनन्त सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया है, जो उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश ने देश का पहला इनलैंड वाटर-वे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारम्भ कर दिया है और इनलैंड वाटर-वे के माध्यम से पूर्वी बन्दरगाह से जो राज्य लैण्ड-लाक्ड राज्य कहा जाता था और यह हमारी सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी उस राज्य को हम लोगों ने वाटर-वे के साथ जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सपोर्ट के जो चैलेंज हमारे सामने थे उस कमी को दूर करने में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके विस्तार की दिशा में हम भारत सरकार के साथ मिल करके इसको और विस्तार देना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों बलिया गया था, बलिया से मुझे वहां की सब्जी, अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादित की गयी उस सब्जी को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटर-वे का उपयोग करते हुए, सब्जी वहां से दूसरे देशों के लिए भेजी जा रही थी। यानि यह दिखता है कि अन्नदाता किसान उससे कितना लाभान्वित हो रहा है।

लखनऊ का आम, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अन्दर जो अन्नदाता किसान या जो हमारे बागवान हैं फलोत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इन्हें इसका कितना लाभ प्राप्त होने जा रहा है यह इस एक्सपोर्ट, लैंड वाटर-वे के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। हमारी चीनी मिलें, जो चीनी उत्पादन कर रही हैं, कोरोना कालखण्ड में भी हम लोगों ने अपनी सभी 119 चीनी मिलें चलायीं और इन 119 चीनी मिलों को चलाने के सास्थ ही हम लोगों ने यह भी किया है कि अब उत्तर प्रदेश से चीनी अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। यानि जिस राज्य में 2017 से पहले चीनी मिलें बन्द होने के कागर पर थीं, उससे पहले 10 वर्षों तक चीनी मिलें ज्यादातर बन्दी के कगार की ओर जा रही थीं। पिछले पांच, साढ़े पांच वर्ष के अन्दर न केवल चीनी मिलें चली हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है और अन्नदाता किसानों को अब तक 01 लाख, 81 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है.....

(मेजों की थपथपाहट)

06 एक्सप्रेस-वे के साथ एयर की बेहतरीन कनेक्टिविटी हम लोगों ने दी है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोग 07 एक्सप्रेस-वे पर कार्य करवाने जा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की इकोनामी को एक गति देगा। इण्टर-स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली इनसे उत्तर प्रदेश की हमारी जितनी भी

कनेक्टिविटी होगी वह फोर-लेन की कनेक्टिविटी होगी। हम ज्यादातर कनेक्टिविटी को फोर-लेन में बदल चुके हैं शेष पर हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।

हर जनपद मुख्यालय फोर-लेन के साथ जुड़ना चाहिए, हर तहसील और विकास खण्ड मुख्यालय को टू-लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। इन सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। वहीं एयर-कनेक्टिविटी को ले करके भी अगर आप देखेंगे तो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अन्दर दो एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल थे, दो आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे पास 09 एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं, 03 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का हमारे पास है और 02 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। 09 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं जो 77 गन्तव्य तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 नये एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है जिसमें से 05 पर हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के साथ एम0ओ0यू0 हो चुकी है जिन्हें शीघ्र हम संचालित करने की सामर्थ्य रखते हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर विकास को एक नई गति दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, उसी विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन मैन पावर की व्यवस्था की है। देश का सबसे अच्छा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है, उस युवा की स्किल डेवलपमेन्ट के लिए हमें क्या कुछ करना है। स्थानीय नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था में यह कार्य प्रारम्भ किया और इसलिए इस अनुपूरक बजट को सदन के सम्मुख लेकर आना पड़ा है। 33 हजार 769 करोड़ 55 लाख रुपये का यह कुल अनुपूरक बजट है। यह बजट हमारा जो मूल बजट आया था उससे मिलाकर अगर हम देखेंगे, मूल बजट हम लोग 6,15,000 करोड़ रुपये का लेकर आये थे। अब यह मिलाकर लगभग साढ़े 6 लाख करोड़ रुपये का पूरा बजट 2022-23 उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आकार के अनुरूप बनने जा रहा है। इसमें जिन चीजों पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है। एक तो वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी की जब हम बात करते हैं, उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण गति दे सकता है, वह एक आर्गेनाइजेशन है उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है।

हमने प्रदेश के अन्दर नये नगर निकायों के गठन भी किये हैं, नये शहरों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं। कुछ नये मॉडल इसके लिए तैयार किये जा रहे हैं। नये शहरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने अलग-अलग नयी टाउनशिप स्थापित करने के लिए 4 हजार करोड़ रुपये इस बजट में प्रस्तावित किये हैं, जिससे हम लोग इन नये शहरों के विकास में कार्य कर सकेंगे। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को भी गति देने के लिए निजी पार्क स्थापित किये जा

सकें, इण्डस्ट्रियल स्टेट विकसित किये जा सकें। एम0एस0एम0ई0 की उत्तर प्रदेश की पालिसी देश की बेहतरीन पालिसीज में से एक है, जिसमें से हम लोगों ने एक हजार दिन तक किसी भी निवेशक को इस बात की छूट दी है कि एक हजार दिन तक वह अपना निवेश करें, अपने उद्योग को संचालित करें और बाकी औपचारिकताओं को 1 हजार दिन के अन्दर पूरा कर लें। बिजनेस की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने संचालित किया है। अब 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था हम लोगों ने एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में निजी पार्क की स्थापना के लिए और इण्डस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के लिए दी है। एक्सप्रेस हाई-वे हमारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाई-वे केवल कनेक्टिविटी के माध्यम न बनें, बल्कि इसका हम बेहेतरीन उपयोग कर सकें। इन एक्सप्रेस हाई-वे पर हम जगह-जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर सकें इस दृष्टि से भी बजट में 8000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है और इस व्यवस्था को हम प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित कर सकेंगे।

पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष ही इस पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की जो घोषणा की है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। खास तौर से अब तक जब कोई प्रोजेक्ट बनता था और बिना किसी प्लानिंग के कभी-कभी अटक जाता था तो एन0ओ0सी0 में बहुत समस्या होती थी। अब किसी भी प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने के पहले पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बना है, उस प्लान के अन्तर्गत उसको आप डालेंगे तो अपने आप ही आपको पता लग जायेगा कि इसके मार्ग में कोई बैरियर तो नहीं है, बैरियर है तो इसको हटाने के लिए क्या प्राविधान होना चाहिए और उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे कार्यक्रम को ऑटोमोड पर हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग बलिया ही जाते हैं तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है। आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बन्द होता है, क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्यवाही होती है। प्लानिंग के समय कमी, एलाइनमेंट वहां पर या तो स्वायल टेस्ट में या फिर उसके एलाइनमेन्ट में कहीं न कहीं उस समय कोई गलती थी, जिसका समय रहते समाधान नहीं हो पाया। कारण यह है कि जिन्दगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पी0एम0 गतिशक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के एलाइनमेन्ट को तय करने के लिए पूरे ऑप्शन होंगे कि आपको इस परियोजना को कहां पर लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके।

मान्यवर, इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और साथ ही साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को ले करके भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उससे जुड़े हुए इन्सेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर किया है। अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में पचास प्रतिशत की छूट दी थी उसके कारण पावर कारपोरेशन को जो लॉस हुआ होगा, उसके लिए पावर कारपोरेशन को साढ़े बारह सौ करोड़ रुपये की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम हो रहा है और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ उन चीनी मिलों की विस्तारीकरण की कार्यवाही को और वहां पर नये जो संयंत्र लगने हैं। इन सबके लिए ही डिस्टलरी वगैरह की स्थापना होनी है इसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खास तौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा वहां पर अध्ययन कर रहे हैं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें और मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता है कि मार्च-अप्रैल में उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खेल-कूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अन्दर इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अन्दर आयोजित किया जा रहा है उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है।

हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर बेहतरीन कानून व्यवस्था को देने में हम सफल तब हुए जब हम लोगों ने पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया। पुलिस का आधुनिकीकरण किया। पुलिस विभाग में हम लोगों ने आधुनिकीकरण के सारे तमाम प्रयास प्रारम्भ किये, ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई, ट्रेनिंग सेण्टर बढ़ाये गये, एक लाख चौंसठ हजार पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया और उत्तर प्रदेश में सात जनपद ऐसे हो चुके हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। चार में पहले से थी तीन नये पुलिस कमिश्नरेट की घोषणा अभी हाल ही में प्रदेश के अन्दर हुई है उनके लिए इस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा प्रदेश के अन्दर हम लोग साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकें, हर रेंज स्तर पर साइबर थाने की स्थापना आज के समय में अपराध की प्रकृति को बदलते हुए ध्यान में रखते हुए एफ0एस0एल0 लैब्स की स्थापना और उत्तर प्रदेश के अन्दर न केवल लखनऊ में हम लोगों ने पुलिस एण्ड फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है बल्कि हमारा प्रयास है कि नये सत्र में इस इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो डिप्लोमा और डिग्री के पाठ्यक्रम प्रारम्भ हों जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवान उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके अपने उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ा सकें और उत्तर प्रदेश के अन्दर इस फील्ड में जो मैन

पावर की कमी है यह देश के अन्दर कमी है उसको भी दूर कर सकें इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर इस व्यवस्था को इसके साथ जोड़ा है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत हम सब जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से पांच वर्ष के अन्दर प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। यह पांच वर्ष के दौरान जो कार्य हुए हैं भारत सरकार ने दस सिटी उत्तर प्रदेश की ऐसी थीं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में प्रदेश के अन्दर चयन किया गया था। सात हमारे म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार ने अपने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत उन्हें लिया। इसमें बेहतरीन कार्य हुए हैं आज उत्तर प्रदेश की सिटी और उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसपरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो हम लोगों ने कार्य प्रदेश के अन्दर पिछले पांच सालों के अन्दर किये हैं वह देश के अन्दर उन सभी कार्यों की सराहना होती है। खास तौर पर स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 2017 के पहले की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश के शहर गन्दे दिखते थे जहां देखो कूड़े का ढेर दिखता था, सड़कों पर सीवर और नालियों का पानी बहता था। अस्त-व्यस्त जैसी व्यवस्था थी। आज उसको सुधारने की कार्यवाही हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम को हर स्मार्ट सिटी के अन्दर लागू करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। हम लोग 2019 के प्रयागराज कुम्भ को करने में सफल हुए, इसका एक कारण आई0सी0सी0सी0 अर्थात् इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर था, जिसके माध्यम से कुम्भ की एक-एक गतिविधि पर हम एक जगह से नजर रख सकते थे और फिर उसके अनुरूप वहां पर कदम उठा सकते थे। जब प्रयागराज में हमारा यह मॉडल सफल हुआ तो प्रयागराज के बाद हम लोगों ने अपने सभी 17 म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर न केवल आई0टी0एम0एस0 बनाया है, बल्कि आई0टी0एम0एस0 को सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्यवाही भी हो रही है।

2016 में निर्भया काण्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने उस समय सेफ सिटी की परियोजना को तत्काल लागू करने के लिए कहा था, लेकिन हमें आश्चर्य है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी सेफ सिटी नहीं बन पायी थी। एक भी सिटी को सेफ सिटी में नहीं बदला गया था। आज हमारी ऐसी 18 सिटी हैं। गौतमबुद्धनगर समेत हमारे 17 म्यूनिसिपल कारपोरेशन से जुड़े हुए जो 17 नगर निगम हैं वह गाजियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज तथा झांसी इस सभी 18 को हम लोग न केवल आई0टी0एम0एस0 के साथ जोड़ने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, बल्कि बहुत सी जगहों पर कार्य पूरा हो

चुका है तथा स्मार्ट सिटी मिशन तथा गृह विभाग मिलकर उसको सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्यवाही को भी आगे बढ़ा रहे हैं।

देश के अन्दर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी अगले कुछ समय के दौरान 18 सिटी ऐसी होंगी जो अपने आपको सेफ सिटी घोषित कर सकती हैं। सेफ सिटी के अन्दर न केवल अपराध कम होगा, बल्कि ऑटो मोड पर ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था चलती हुई दिखायी देगी और हर व्यक्ति उस व्यवस्था से सन्तुष्ट होगा। हम लोगों ने जहां पर भी इस व्यवस्था को लागू किया है उसके बेहतरीन परिणाम सामने आये हैं, उसके लिए भी व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने की है। मान्यवर, साथ-साथ यह भारत के लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत ने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके साथ ही साथ अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को जी-20 देशों का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। भारत अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जी-20 देशों का नेतृत्व करेगा। जी-20 के वह बड़े देश जिनका दुनिया के 80 फीसदी संसाधनों पर अधिकार है, भारत अगले एक वर्ष तक उसका नेतृत्व करेगा, यह गौरव की बात है। जी-20 के कुछ समिट उत्तर प्रदेश के अन्दर भी आयोजित होने हैं। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था प्रारम्भ की है, उसके लिए भी एक मद यहां पर दी गयी है जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाने में तथा देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जिस एक इवेन्ट ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था वह था प्रयागराज कुम्भ-2019। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा के माध्यम से भव्य और दिव्य कुम्भ का जो मैसेज प्रयागराज कुम्भ ने दिया था, देश के अन्दर से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आये थे। जो आया वह अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन करके, स्नान करके अभिभूत हो करके गया। जो आया वह वहां की व्यवस्था देख करके अभिभूत था। दिव्य और भव्य कुम्भ के साथ जुड़ करके वह अपने आप में प्रधानमंत्री जी के प्रति तथा राज्य सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करके गया। यह हमारे लिए गौरव की बात थी और 2025 में हमारी सरकार को फिर से भव्य और दिव्य कुम्भ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होगा, उसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी है। अब से हमारी कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है और उत्तर प्रदेश का दिव्य और भव्य कुम्भ फिर से दुनिया का एक यूनीक इवेन्ट बनेगा, उसको ले करके हम अभी से भारत सरकार के साथ मिल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

महोदय, मेडिकल एजुकेशन में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छी प्रगति की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता

है कि जहां 1947 से 2017 के बीच में राज्य के अन्दर केवल 12 से 13 गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज बन पाये थे आज हम लोग एक जनपद एक मेडिकल कालेज, पिछले साढ़े पांच वर्ष के दौरान 33 से अधिक मेडिकल कालेजों का निर्माण राज्य के अन्दर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत करने में सफल हुए हैं और शेष को पी0पी0पी0 मोड पर उतारने की कार्यवाही चल रही है। आज के दिन पर मात्र 6 जनपद ऐसे बच जायेंगे जिन पर हम इस कार्यवाही को, अपनी पॉलिसी में और संशोधन करने जा रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कालेज देंगे, मेडिकल कालेज के साथ-साथ वहां पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ-साथ कोविड कालखण्ड में हम लोगों ने किया था वर्चुअल आई0सी0यू0 के माध्यम से हमारे पास उस समय इतने एक्सपर्ट नहीं थे हम लोगों ने उस समय ट्रेनिंग की कार्यवाही मास्टर ट्रेनर लखनऊ में हम लोग एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 या आर0एम0एल0 में बनाते थे फिर इन्हें जनपद में जोड़ते थे, जनपद में भी ट्रेनिंग देते थे फिर यहां के एक्सपर्ट के साथ हम वर्चुअल बैठक करवाते थे। ये जितने भी हमने आर0टी0पी0सी0आर0 के लैब स्थापित किये उनके टेक्नीशियन को, उनके एक्सपर्ट को उसके साथ जोड़ने की कार्यवाही लगातार हमारी होती थी, प्रतिदिन इसके बारे में वर्चुअल एक संवाद उनका चलता था।

अब हम लोगों ने वर्चुअल आई0सी0यू0, उस समय भी हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि जब 2017 में हम लोग आए थे और कोविड 2020 में आया था तब प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जहां पर आई0सी0यू0 का एक भी बेड नहीं था, एक भी वेंटीलेटर नहीं था। आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आई0सी0यू0 की सुविधा है, वेन्टीलेटर मौजूद है। वहां पर चिकित्सक तैनात किये गये हैं, जहां पर कमी है वहां पर तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है, एक्सपर्ट वहां पर तैनात करने की कार्यवाही हो रही है। अब हम उन्हें पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 जैसे संस्थानों के साथ जोड़ करके एक वर्चुअल आई0सी0यू0 की सुविधा फिर से हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करने जा रहे हैं, लेकिन दूर-दराज के क्षेत्रों में हम लोगों ने टेलीकंसल्टेशन की सुविधा भी वहां पर प्रारम्भ करने की कार्यवाही को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हर एक पी0एच0सी0 को हम उसके साथ जोड़ने की कार्यवाही कर रहे हैं। हम लोगों ने हेल्थ ए0टी0एम0 के लिए भी व्यवस्था की है। साथ-साथ प्रदेश के मेडिकल कालेज के लिए भी हर जनपद में एक मेडिकल कालेज खुल सके इसके लिए भी व्यवस्था इसमें की गयी है। प्रदेश के अन्दर परिवार कल्याण विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत या भारत सरकार से जुड़ी हुई तमाम अन्य चीजों में बहुत अच्छी प्रगति की है। खास तौर पर हम लोग देखते हैं। मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर में आपने देखा होगा

कि इसको काफी हद तक नियंत्रित करने और इसको नेशनल एवरेज के नजदीक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है।

हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये प्रदेश के अन्दर तमाम अन्य जो कार्यक्रम प्रदेश ने इस दौरान किये हैं इसमें खास तौर पर एक जो महत्वपूर्ण कार्य था उसमें था एक्सपरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रगति, नीति आयोग ने 2018 में देश के अन्दर 112 जनपद ऐसे चिन्हित किये थे जिनकी विकास की गति पीछे रह गयी थी। पूरे देश के अन्दर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेन्ट ऐसे वित्तीय समावेशन जैसे 6 पैरामीटर तय किये थे जिसमें ये सभी 112 जनपद पूरे देश भर के थे जो पिछड़े रह गये थे इनमें से 8 जनपद यू0पी0 के थे, यू0पी0 के जो जनपद थे उनमें से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बहराइच ये 4 जनपद नेपाल से सटे हुए जनपद हैं। चन्दौली, सोनभद्र यह बिहार की सीमा से जुड़े हुए जनपद हैं। चित्रकूट, मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है और फतेपुर ये 8 जनपद थे एक्सपरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत पीछे थी, यानि सभी ये आठों जनपद जो 112 थे वह सभी 100 पायदान से ऊपर थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद पिछले चार-पांच वर्षों के अन्दर जो कार्य हुआ है। नीति आयोग का मार्गदर्शन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की समय-समय पर गाइडेन्स मिलती रही। आज परिणाम है कि हाल में देश में 2021-22 की रैंकिंग आई जिसमें देश के टॉप-10 डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने बेहतरीन प्रगति की है उनमें से पांच यू0पी0 के थे। 112 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद टॉप-20 में थे। उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने उन विकास खण्डों को चिन्हित किया है जो नीति आयोग के इन 6 पैरामीटर पर अभी भी पिछड़े हैं। उन 100 विकास खण्डों को विकास की गति के साथ जोड़ सकें। एक्सपरेशनल विकास खण्डों को चिन्हित करने और वहां विकास को गति दे सकें, इस पर एक कार्य प्रारम्भ हुआ है। उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। जिसमें हम लोगों ने हर एक विकास खण्ड में एक-एक सी0एम0 फिलॉसफी तैयार किया है जो वहां जाकर कार्य कर रहा है। उसकी मानीटरिंग हो रही है। एक-एक कार्य को आगे बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेन्ट और इम्प्लाइमेन्ट, फाइनेन्शियल इन्क्लूजन के क्षेत्र में क्या कुछ होना है। इन्हीं सब क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रारम्भ हुए हैं। उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। सुशासन की महत्वपूर्ण शर्त समय पर न्याय भी होता है, अनवरत् न्याय भी होता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर 10 जनपद

ऐसे थे जिनके पास अब तक अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थी। वे किराये के भवन में जैसे-तैसे चल रहे थे। उन 10 जनपदों में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्यक्रमों को इन्टीग्रेटेड भवन बनाकर उसी के साथ जोड़कर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस सप्लीमेन्ट्री बजट में अलग से की है जिससे सभी 10 जनपदों में एक साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हो सके और सरल और सुलभ न्याय की व्यवस्था आम जनता को दे सकें इसके लिए भी यहां पर व्यवस्था की जा रही है।

परिवहन निगम ने लॉक-डाउन के दौरान बेहतरीन काम किया था। उन 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गन्तव्य, उनके घरों तक पहुंचाने में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि 60 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों के भी थे। बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा अन्य राज्यों के भी थे। उन सबको हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पर और जो राज्य सरकारें हमसे अनुरोध करती थीं वहां पर हम प्रयास करते थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा के नजदीक उस राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य करते थे। जोकि एक मानवता की सेवा थी और परिवहन निगम ने उस समय बेहतरीन काम किया था। आज परिवहन निगम इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है तो 1000 नई बसें खरीदी जा सकें, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की एक नई पालिसी है। इस पालिसी को उत्तर प्रदेश के अन्दर लाया जा चुका है और मैं चाहूंगा कि जितने भी ऐसे पुराने वाहन हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। जो पाल्यूशन का काम कर रहे हैं और जो सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं या खतरा पैदा करते हैं। उन सभी को स्क्रैप करवाना चाहिये और इसके लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। मेरी पूरे सदन से अपील होगी कि इस दिशा में हम प्रयास कर सकेंगे तो एक अच्छा परिणाम होगा क्योंकि रोड एक्सीडेन्ट्स, सड़क पर होने वाली मौतें अत्यन्त दुःखद हैं और बहुत खराब स्थिति है। कोविड काल खण्ड में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम देखते हैं 2020 से लेकर 2022 तक अब तक प्रदेश ने 25 करोड़ की आबादी में 23631 मौतें कोविड-19 से हुईं जो पिछले ढ़ाई वर्ष के अन्दर हैं। जब रोड एक्सीडेन्ट से होने वाली मौत की हम बात करते हैं तो इसकी संख्या एक वर्ष में 20 हजार से 22 हजार पहुंचती है और यह बहुत ही दुःखद बात है और इस दुःखद सच्चाई को हम सभी को स्वीकार करना होगा। इसका कारण है पुराने वाहन, रोड इंजीनियरिंग, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट पहनकर न चलना यही बहुत सारे कारण हैं जागरूकता पैदा करने में हम सभी अपनी भूमिका व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। सरकार द्वारा परिवहन निगम को 1000 हजार नई बसें उपलब्ध कराने की कार्रवाई तात्कालिक रूप से की जा रही है और कुम्भ के लिए अलग से भी हम वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

प्रदेश के अन्दर एक प्रदूषण मुक्त व्यवस्था हम दे सकें। शहरीकरण की व्यवस्था स्मार्ट सिटी में केवल स्मार्ट रोड ही नहीं बल्कि स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुविधा भी हो। उत्तर प्रदेश आज पांच सिटी के अन्दर मेट्रो का संचालन कर रहा है और आगरा में हमारा तेजी के साथ कार्य गतिमान है। वाराणसी के अन्दर रोप-वे की कार्यवाही को युद्ध स्तर पर हम बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था भी हर सिटी के अन्दर चले बहुत लोगों ने इसको एप्रीसिएट किया है। जिन सिटी में इसको संचालित किया जा रहा है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन में जिन लोगों ने निवेश किया है तो ऐसे वाहन का उत्पादन यहां पर हो तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन बने और अन्य सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई जा सके तो इन सभी चीजों के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ इन्सेंटिव की व्यवस्था की गयी है।

आई0सी0डी0एस0 और आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में उनकी अपग्रेडेशन के बारे में भी यहां पर सरकार ने इस सप्लीमेन्ट्री डिमांड में इसकी व्यवस्था की है। सड़कों से जुड़े हुए और पी0डब्लू0डी0 से जुड़े हुए कार्यों को भी इसके साथ जोड़ा गया है और प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ लखनऊ में कुछ अच्छे कार्य हो सकें तो इसमें हमने एक नाइट सफारी की घोषणा उत्तर प्रदेश के अन्दर की थी तो उसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में करने जा रहे हैं। लखनऊ के कुकरैल में नाइट सफारी बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर्यटन की बेहतरीन गन्तव्य के रूप में उभर सके नाइट सफारी के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे इस पर तेजी के साथ कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारे इंस्टीट्यूशन इण्डस्ट्रीज के साथ जुड़ सके इसके लिए उस प्रकार के स्किल डेवलपमेन्ट के सेन्टर खोलना। टाटा टेक्नोलॉजिक्स के साथ हम लोगों ने एम0ओ0यू0 किया है और इस पर भी हम लोग लगभग एक बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें उसके लिए 273 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस मद में उपलब्ध कराई जा रही है जिससे स्किल डेवलपमेन्ट के बेहतरीन सेन्टर हमारे आई0टी0आई0 बन सकें। आज के दौर की ट्रेड हम दे सकें और लोगों को हम इसके साथ जोड़ सकें और विकास दे सकें इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने और जोड़ने की कार्रवाई हो रही है।

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में अच्छी शिक्षा उनको दी जा सके और तकनीक का उपयोग उसमें कैसे किया जा सकता है इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ-साथ माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न करना इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं भी हाथ फैलाने की नौबत न आये इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। राज्य सरकार ने सर्विलांस ट्रैकिंग, जी0पी0एस0 ट्रैकिंग, परीक्षा केन्द्रों पर सर्विलांस

और उसकी निगरानी तथा नकल विहीन परीक्षा के लिए भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि की व्यवस्था के लिए भी हम लोग यहां पर व्यवस्था करने जा रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों के साथ ही कोविड कालखण्ड के दौरान जो बच्चे निराश्रित हुए थे उन बच्चों के लिए हर कमिश्नरी में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है मार्च से जून के बीच में सभी 18 विद्यालय संचालित हों यह सभी आवासीय विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधा से युक्त करने के साथ ही उनकी फूडिंग, स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेन्ट और हर प्रकार की गतिविधियों के साथ जोड़ने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी जो अतिरिक्त धनराशि की जो आवश्यकता पड़ी है वह हम इस बजट में करने जा रहे हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं, खासतौर से दृष्टिबाधित हैं, मूकबधिर हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, सरकार ने इनकी पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी की है। जब हम वर्ष 2017 में सरकार में आये थे तो उस समय इनको 300 रुपये पेंशन मिलती थी लेकिन हम लोगों ने इनकी पेंशन की राशि को 12,000 रुपये सालाना किया है यानि 1,000 रुपये हर महीने इन दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा प्राप्त होगी। कुष्ठ रोगियों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। महोदय, सप्लीमेन्ट्री मांग के माध्यम से हम लोग मां विन्ध्यवासिनी धाम में एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने का काम करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की स्थापना हुई तो आपने देखा होगा कि पहले एक वर्ष में लगभग एक करोड़ श्रद्धालु वहां पर आ पाते थे लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद इस बार केवल सावन के महीने में ही एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आये हैं। जब कोई पर्यटक किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर जाता है तो वह अपने साथ ढेर सारे रोजगार का सृजन करता है। वहां पर गाइड को कार्य मिलता है, टैक्सी ड्राइवर को कार्य मिलता है, होटल और रेस्टोरेण्ट को कार्य मिलता है और आसपास की मार्केट में भी एक बूम आता है। हर एक व्यक्ति उससे जुड़ता है और एक इको सिस्टम बनता है। यह सब काशी में देखने को मिला है। हमारा उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देश में सबसे अधिक समृद्ध और धनी प्रदेश है। हम इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं।

हमारे यहां प्रयागराज कुम्भ है, अयोध्या है, मथुरा-वृन्दावन है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। अयोध्या में भगवान राम के मन्दिर के भव्य निर्माण के बाद अलौकिक स्थिति आने वाली है। मथुरा और वृन्दावन के विकास की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुए हैं। अभी मैं अयोध्या गया था। हमारी डबल इंजन की सरकार अयोध्या के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अकेले 30,000

करोड़ खर्च करने जा रही है। लगभग पच्चीस से तीस हजार करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर मथुरा, वृन्दावन, बरसाना और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार खर्च कर रही है। ऐसे ही काशी और प्रयागराज तथा अन्य सभी जगहों के लिए हम लोग तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ाने जा रहे हैं। काशी और प्रयागराज के बीच में मां विन्ध्यवासिनी का धाम एक पवित्र शक्तिपीठ के रूप में है। मां विन्ध्यवासिनी धाम में जो त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसमें मां विन्ध्यवासिनी मन्दिर है, मां अष्टभुजा मन्दिर है, मां काली खोह मन्दिर है, इनके परिक्रमा पथ और अन्य जन सुविधाओं के विकास के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ताकि वहां के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

महोदय, हमारे लखनऊ से सटा हुआ पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य है जहां पर भारत के पूरे वैदिक ज्ञान की धरोहर को हमारे ऋषि-मुनियों ने लिपिबद्ध किया था। नैमिषारण्य का बहुत महत्व है, लेकिन उसकी हमेशा उपेक्षा हुई है। वैदिक ज्ञान की परम्परा को हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए वहां पर राज्य सरकार के स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। हम वहां पर एक वेद-विज्ञान केन्द्र की स्थापना कर सकें ताकि हम व्यापक शोध को आगे बढ़ा सकें। वहां पर पर्यटन विकास की एक बड़ी योजना को राज्य सरकार के स्तर पर हम आगे बढ़ा चुके हैं। भारत सरकार के स्तर पर स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत नैमिषारण्य के व्यवस्थित विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा चुके हैं। हम बहुत शीघ्र लखनऊ से नैमिषारण्य के बीच हेलीकाप्टर की सुविधा देने जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर आसानी से जा सके। वहां पर हेलीपैड की व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोग कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के अन्दर अन्य कार्य प्राम्भ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बहुत धनी है कि यहां पर कलाकारों की एक बहुत अच्छी टीम और विरासत है। इसमें वाराणसी, लखनऊ और किराना बहुत सारे ऐसे घराने थे। मान्यवर, जिन लोगों ने कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाई। अलग-अलग जगहों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं थीं लेकिन हर एक जगह एक विधा को लेकर लोग चले। लेकिन आजमगढ़ में हरिहरपुर एक ऐसी जगह है जहां पर कला की तीनों प्रकार (गायन, वादन और नृत्य) की विधा है। यह तीनों विधाएं एक ही गांव में हैं। वहां के स्थानीय कलाकारों ने, जिसने देश को बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार दिये हैं जिन्होंने भारत के शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मान्यता दिलाई है। उस प्रकार के कलाकारों की भूमि हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार ने यहां पर धनराशि की व्यवस्था की है।

साथ-साथ प्रयागराज कुम्भ की बात होगी तो प्रयागराज कुम्भ के साथ 'नमामि गंगे' और ग्रामीण जलापूर्ति के साथ भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे।

गंगा अविरल हो, निर्मल हो, जो शेष एस0टी0पी0 बची हुई हैं, उनको समय से पूरा करना है। 25 के पहले-पहले गंगा की धारा को एकदम निर्मल और अविरल बनाना है। जो भी श्रद्धालु आये वह प्रयागराज कुम्भ में आकर अभिभूत हो जाये। यह हम सबका न केवल एक शासकीय दायित्व है बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि कोई भी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अन्दर आता है तो वह हमारा अतिथि बनकर आयेगा। 'अतिथि देवो भवः' के इस पवित्र भाव के साथ उसको सम्मान देना और उनकी भावनाओं के अनुरूप अपने धार्मिक केन्द्रों को उस रूप में प्रस्तुत करना। हमने इस कार्यक्रम के लिए भी इसमें व्यवस्था की है और साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल की व्यवस्था युद्ध स्तर पर चल रही है और इस कार्यक्रम को गति देने के लिए भी इस सप्लीमेन्ट्री डिमांड में व्यवस्था की गयी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत हर खेत को पानी देने के लिए भी इस सप्लीमेन्ट्री डिमांड में व्यवस्था की गयी है। यह प्रदेश सरकार के द्वारा, उन सभी योजनाओं को जो मूल बजट में वंचित रह गये थे या किन्हीं कारणों से उनको वहां पर स्थान नहीं मिल पाया था। वह यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आज के इस अवसर पर केवल अन्त में इस मा0 सदन से यह अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और राज्य सरकारे हैं। अपने विकास लोक-कल्याण के विजन को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। बिना भेदभाव के, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और सबके प्रयास से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास भी रखती है। समाज के हर तबके को जोड़ने में और इसलिए योजनाओं में कोई भी भेदभाव नहीं है। विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सभी को और पूरी ईमानदारी के साथ कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब देखकर शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया हो। किसी भी फील्ड में जाकर देखेंगे तो उन कार्यक्रमों को वहां पर उसी रूप में बढ़ाने का कार्य हुआ है और यह इसलिए भी सम्भव हुआ है क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और इसके बारे में हम लोग हमेशा उन सभी भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन जो लोग आज भी शासन की मंशा और शासन की कार्य-पद्धति पर टिप्पणी करते हैं। मुझे केवल उनसे एक उस पाश्चात्य दार्शनिक पंक्तियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था और इन सबको समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि 'शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन कार्य है।'

मुझे लगता है कि हमारे सभी मित्रगण और खासतौर पर विपक्ष के मित्रगण इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को कर रही है। मेरी पूरे सदन से अपील होगी कि उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में इन्वेस्टर्स सम्मिट होने जा

रही है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स सम्मिट के बाद ही बजट सत्र हो पायेगा। हम सभी का अपनी विधान सभा के लिए दायित्व बनता है। शासन ने जो 25 सेक्टर चिन्हित किये हैं। उन 25 सेक्टरों में हम निवेश की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं और इसमें आपकी स्वयं की बहुत अच्छी छवि बनेगी और आपको भी इस 25 सेक्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिसमें हम लोगों ने डिफेंस तथा ऐरो स्पेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, नागरिक उड्डयन की नीति, एम0आर0ओ0 नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमारी पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति, फार्मा की नीति, डाटा सेन्टर, आई0टी0, सौर ऊर्जा, कृषि एक्सपोर्ट, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, बायो-एनर्जी, हैण्डलूम और वस्त्र नीति, पर्यटन नीति, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप की पॉलिसी है, फिल्म नीति है, एम0एस0एम0ई0 की नीति है। यानी इन सभी को लेकर आप देखेंगे, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सम्बन्धी नीति, इन सभी 25 अलग-अलग सेक्टर से जुड़ी हुई पॉलिसी के अन्तर्गत एक पर्याप्त लैंड बैंक बनाकर हम लोग निवेश को आकर्षित कर रहे हैं।

दुनिया इस निवेश की तरफ देख रही है और दुनिया यहां पर निवेश करने के लिए उतावली दिख रही है। हमारे लिए हर एक निवेशक आदरणीय है, सम्मानीय है और हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को यहां पर सुरक्षा देना और हर प्रकार की सुरक्षा देना हमारा दायित्व है और इसे हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। लेकिन हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा जब स्थानीय स्तर के हमारे उद्यमी, व्यापारी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ें। विधान सभा स्तर पर, जनपद स्तर पर, हम भी अपने स्तर पर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हर एक स्तर पर कर सकते हैं।

अच्छे विश्वविद्यालय बन सकते हैं। कोई जनपद एजुकेशन का हब बन सकता है। कोई जनपद उत्तर प्रदेश के अन्दर मेडिकल का हब बन सकता है। आखिर प्राचीनकाल में थे न। काशी एक धार्मिक नगरी के साथ-साथ शिक्षा की एक नगरी थी, वैदिक ज्ञान की नगरी थी। प्रयागराज कभी शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरा था। ऐसे ही हम लोग अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग केन्द्र भी बना सकते हैं और जनपद में अलग-अलग सेक्टर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को इस दिशा में प्रयास करवाकर किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहेगा, सरकार इन सबको उनके साथ जोड़ने के लिए तत्पर है। हम लोगों ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश की हर प्रक्रिया को एक सिंगल विन्डो सिस्टम के साथ जोड़ा है। निवेश मित्र पोर्टल सबसे बड़ा निवेश मित्र पोर्टल है, जिसमें 340 से अधिक सेवाओं को हम इसके माध्यम से दे सकते हैं। जिन लोगों के द्वारा हमारे साथ एम0ओ0यू0 होगा उसको भी निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

उसकी एक-एक कार्यवाही की मॉनीटरिंग करना और अगर किसी भी स्तर पर वह कार्यवाही अटकी हुई है तो उसकी मॉनीटरिंग करने के साथ-साथ उसकी जवाबदेही भी तय करना और जिन्होंने निवेश कर लिया है, समय से उनका इनसेंटिव उन्हें मिल सके इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर एक पूरी व्यवस्था, एक पोर्टल इसके लिए विकसित करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मैं यहां पर सभी माननीय जन-प्रतिनिधियों से इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी थोड़ा रुचि ले लेंगे, अपने विधान सभा स्तर पर, अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में या प्रदेश के अन्दर कहीं भी कोई निवेशक यदि वे भी आना चाहेंगे, हम उन सबका स्वागत करेंगे, इसी विश्वास के साथ इस सप्लीमेन्ट्री डिमांड पर दस माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है, उनके महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन में आये हैं, हमारे वित्त मंत्री उन सबको इसके साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे।

मैं इस माननीय सदन से यह अपील करूंगा कि प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की पहचान को देश-दुनिया के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए यह सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग सर्वानुमति से पारित कर पायेंगे तो एक अच्छा सन्देश जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

अतुल जी, मैंने वरिष्ठ सदस्यों के कहने पर आपको अवसर दे दिया है, लेकिन आगे से यदि इस प्रकार की कोई चूक होती है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे मामले में किसी की भी सिफारिश न करें।

श्री अतुल प्रधान-

अध्यक्ष जी, आप सर्वोच्च हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, बैठिये। अब माननीय वित्त मंत्री जी।

***संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सोचता था कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, आज अनुपूरक बजट पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे। लेकिन मान्यवर, उन्होंने 5 परसेंट चर्चा तो इस बात पर की कि हमारा खर्चा कम हुआ और बाकी चर्चा में पॉलीटिकल माहौल और इधर-उधर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि फर्ज-अदायगी तो उन्होंने की है और अपनी जिम्मेदारी का यह एहसास करा दिया कि भई, हम बजट के ऊपर बोले हैं। लेकिन वास्तव में हमारे किसी माननीय विपक्षी दल के नेता ने इसको गम्भीरता से न पढ़ा, न देखा और न उसको लिया। यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जितनी भी मदें, चाहे वह एसएनडी की हों, नई मदे हों, लगभग 14,922 करोड़ रुपये की नई मदें और लगभग 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उसके सम्बन्ध में एक-एक विषय के ऊपर काफी विस्तार से उन्होंने उत्तर दिया है और मैं समझता हूँ कि उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है लेकिन माननीय वर्मा जी ने एक-दो बातें कही हैं, उसका मैं जवाब जरूर देना चाहता हूँ।

आपने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है और वह अपने आप में चुस्त-दुरुस्त नहीं है, शब्दों में आपके फर्क हो सकता है लेकिन उसकी भावना यही थी। मान्यवर, किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखने का जो पैमाना है, वह जीएसडीपी है और खास तौर से अगर बारोइंग के आधार पर देखा जाये तो एफआरबीएम की लिमिट है। तो हमारी जो जीएसडीपी है, 20 लाख 48 हजार करोड़ रुपये है जो हिन्दुस्तान में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद ही आता है। तो यह अपने आप में सोच लेना चाहिए कि हमारी वित्तीय स्थिति पीछे से बहुत सुदृढ़ हुई है, बहुत ज्यादा बेहतर हुई है और उसका सबूत यह है कि पिछले वर्ष 2021-22 में 30 नवम्बर तक जो हमारा राजस्व का कलेक्शन था, वह 95,598 करोड़ रुपये का था और इस वर्ष 30 नवम्बर तक जो हमारा राजस्व का राज्यकर का कलेक्शन है, वह 01,21,663.87 करोड़ रुपये का है। हमारी जो मांग है, वह भी बढ़ी है। हमारी 2 लाख 20 हजार करोड़ की मांग थी और 01 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का हमने कलेक्शन किया है। जहां तक खर्चे का सवाल है तो खर्चा भी हमने 30 नवम्बर तक 2,82,414.99 करोड़ रुपये किया है। यह अपने आप में मूल बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है। मैं यह कहना चाहता हूँ, सबसे अच्छा बजट वह माना जाता है, जिसमें पूंजीगत व्यय ज्यादा हो और पूंजीगत व्यय के आधार पर ही हमारा सारा सिस्टम बेहतरी की तरफ बढ़ता है और हमने इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया है। मान्यवर, किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए जो पैमाने हैं, उन पैमानों पर हम पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। कोरोनाकाल में भी जहां बाकी दूसरे राज्यों की स्थिति बहुत ज्यादा डगमगायी हुई थी, तब भी न तो हमारी कर्जे की किश्त टूटी, न कर्जे का ब्याज टूटा और न हमने कभी किसी का वेतन रोका और जो बुनियादी चीजें हैं, उस पर हमने ध्यान दिया। अनुपूरक बजट किसलिए लाया जाता है ? इसलिए कि जो उस समय नहीं सोचा जा सका या उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी, उसको हम बाद में एसएनडी के माध्यम से लायें।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, आपने यह देखा कि आठ हजार करोड़ रुपयों का हमने इस बात पर फोकस किया है कि जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। जिस प्रकार से नोएडा सिटी डेवलप हुआ हम लोग यह भी चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में मा0 योगी जी की भी इच्छा है कि बुन्देलखण्ड में भी इसी प्रकार का कोई स्थान डेवलप हो, ताकि हमारा इण्डस्ट्रिलाइजेशन भी बढ़े। वहां जमीन भी है, संसाधन भी है और हर तरह से कनेक्टिविटी भी है।

अगर हम आगे की तरफ भी बढ़ते हैं तो उन्होंने कह दिया कि ग्रामों का विकास नहीं होगा तब तक शहर के विकास का कोई मतलब नहीं है। ग्रामों के विकास से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और हम गांधी जी के उस ग्राम स्वराज वाले विचार से भी सहमत हैं लेकिन घर में लैट्रिन की भी जरूरत है और बैठक की भी जरूरत है और ड्राइंग रूम की भी जरूरत है, ताकि हम दुनिया के सामने अपने आपको कम्प्लीट करके दुनिया के सामने दिखा सकें। आई0टी0 सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी का इस बार का हमारा संकल्प-पत्र है उसमें खासतौर से कहा गया है कि दो करोड़ टैबलेट और स्मार्ट फोन हम वितरित करेंगे और इस बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और हर तरफ से इस बात की कोशिश की गयी है कि हम बेहतर से बेहतर उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को बनाकर रखें और फाइनेन्शियल डिस्पिलिन बनाकर रखें।

आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पाया सन् 1980-81 में यह कानून बना दिया कि आमदनी तो मंत्रियों की और टैक्स सरकार देगी। आज तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि किस मानसिकता से पहले वह कैबिनेट में गया होगा, कैबिनेट के बाद विधान सभा में आया होगा किसी ने भी उसके ऊपर एक बात भी नहीं कही और यह बीसों साल तक चला। आप फिजूलखर्ची की बात कर रहे हैं कि उसमें फिजूलखर्ची होगी। तीन लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट आया है पिछले साल योगी जी ने इन्वेस्टर सम्मिट को जमीन पर उतारा और इस साल जैसे सरकार आई थी वैसे ही प्राईम मिनिस्टर के द्वारा मा0 योगी जी ने जो आर्गेनाइज किया था इन्वेस्टर सम्मिट उसमें भी अस्सी हजार दो सौ चौबीस करोड़ रुपये का उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। आखिरकार उपलब्धि भी देखिये और सबसे बड़ा परसेप्शन भी। पब्लिक लोक दृष्टि से बड़ा किसी सरकार के लिए कोई मानदण्ड नहीं होता। आज लोक दृष्टि क्या है। आज देश-दुनिया में योगी मॉडल को लोग याद कर रहे हैं। आस्ट्रेलिया के एक सांसद ने यह कहा था कि हमें भी योगी मिल जायें तो हम भी अपने देश का नक्शा बदल दें और पब्लिक ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई।

श्री लालजी वर्मा-

भेज दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कह देना तो आसान है कि भेज दीजिये, लेकिन यहां जरूरत है। पांच साल सरकार चलाने के बाद उसी के ऊपर जनता ने मुहर लगाई है, बड़े बहुमत से सरकार आई है। मान्यवर, हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि फाइनेन्शियल डिस्पिलिन मेनटेन रहे और यह सही है कि जब डिस्पिलिन में कड़ाई होती है तो निश्चित रूप से फूंक-फूंककर कदम रखा जाता है। हमने मितव्ययिता भी बरती है और हर तरह से फिजूलखर्ची के ऊपर भी रोक लगाई है और यह साबित भी किया है कि जितनी भी सब-ट्रेजरी ऐसी थीं जहां पर कोई काम नहीं होता था ऐसी 46 सब-ट्रेजरीज हमने बन्द की जिसमें केवल बाबू आकर बैठ जाते थे और चार सुरक्षाकर्मी वहां पर लगे हुए थे हर तरह से यह कोशिश की गई और जो खर्चा हुआ है वह आपके सामने है। हम आपसे छुपाना नहीं चाहते वह खर्च 40 परसेन्ट हुआ है। आपने उन मदों को पढ़कर बता दिया पता नहीं कहां से आप लोग कागज ले आते हैं। जो खर्चा हुआ है हम आपको उसका विवरण भेज देते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अनुपूरक बजट हमने प्रस्तुत किया है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने से शोर की स्थिति)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे! 3 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

तो जी0एस0टी0 मुक्त कर दीजिए। आप उसे जी0एस0टी0 से मुक्त कर दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

कहां किया गया है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

कहां आया है ?

श्री लालजी वर्मा-

आप इसमें यही दिखा दीजिए। यह अनुपूरक में कहां है, दिखा दीजिये। यह 05 करोड़ कहां है, यही दिखा दीजिये। हम सारी बात वापस ले लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आपने रिएप्रोप्रिएशन की परिभाषा पढ़ी है ?

श्री लालजी वर्मा-

सवाल यह नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने पुनर्विनियोग की परिभाषा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आप किससे बात कर रहे हैं ? देखिये अगर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है तो वह पूरी होगी और हमारे पास कई तरीके हैं। पुनर्विनियोग, सबसे बड़ा तरीका पुनर्विनियोग का है। वह मद खुली हुई है, हम जब चाहें उसको खुलवा सकते हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, जी0एस0टी0 वाले पर तो कुछ कहें। आपने कल इस पर इतनी गम्भीरता से कहा था।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सच्चाई यह है कि 05 करोड़ रुपये पर 97 लाख जी0एस0टी0 कट रही है। अब आप बताइए कि उस जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था कि-

सब मांगें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे

अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं

(सदस्य श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मोना जी आपकी बात हो गई है, उस पर जवाब भी आ गया है। आपकी जिज्ञासा का जवाब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि नेता सदन होंगे तो हम इस पर निर्णय करा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने यह नहीं कहा था कि निर्णय करा देंगे। आप ध्यान करिए, मैंने कहा था कि यह विषय आपको नेता सदन के सामने उठाना चाहिए। अगर घुटने में दर्द हो तो दाढ़ का डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता है। दर्द घुटने में है इलाज दाढ़ के डॉक्टर से करवाना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

लेकिन अब तो डॉक्टर यहां पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जब असली डॉक्टर बैठेंगे तो हम इसका इलाज करा देंगे। अब तो यहां असली डॉक्टर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए और जी0एस0टी0 वाले विषय पर कुछ बात आ जाए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुपूरक अनुदानों की मांगों अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 07, 09, 11 लगायत 14, 22 लगायत 24, 26, 31, लगायत 32, 35, 37, 40, 42 लगायत 44, 49, 58, 60 लगायत 61, 69 लगायत 72, 75 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 93 का विवरण

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष जी, अब अनुपूरक अनुदानें ले ली जायें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अनुपूरक अनुदानों की सभी मदें एक साथ ले लीजिये। यह लगायत करके हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 07, 09, 11 लगायत 14, 22 लगायत 24, 26, 31, लगायत 32, 35, 37, 40, 42 लगायत 44, 49, 58, 60 लगायत 61, 69 लगायत 72, 75 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा लगायत 93 के अन्तर्गत कुल रुपये तैंतीस हजार सात सौ इकसठ करोड़ चौंतीस लाख छियानबे हजार (रुपये 33761,34,96,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 4000,00,00,000 रुपये (चार हजार करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 300,00,00,000 रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 9269,90,69,000 रुपये (नौ हजार दो सौ उनहत्तर करोड़ नब्बे लाख उनहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 5908,44,32,000 रुपये (पांच हजार नब्बे सौ आठ करोड़ चौवालीस लाख बत्तीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 190,27,00,000 रुपये (एक सौ नब्बे करोड़ सत्ताइस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 14,77,000 रुपये (चौदह लाख सतहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 84,72,91,000 रुपये (चौरासी करोड़ बहत्तर लाख इक्यानबे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 15,00,00,000 रुपये (पन्द्रह करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 35, 00,00,000 रुपये (पैंतीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 155,00,00,000 रुपये (एक सौ पचपन करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 650,00,00,000 रुपये (छः सौ पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 246,50,75,000 रुपये (दो सौ छियालीस करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2679,58,09,000 रुपये (दो हजार छः सौ उन्यासी करोड़ अट्ठावन लाख नौ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1445,55,00,000 रुपये (एक हजार चार सौ पैंतालीस करोड़ पचपन लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 316,18,60,000 रुपये (तीन सौ सोलह करोड़ अट्ठारह लाख साठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 400,00,00,000 रुपये (चार सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 300,00,00,000 रुपये (तीन सौ करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 123,26,56,000 रुपये (एक सौ तेइस करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 2337,92,00,000 रुपये (दो हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ बानबे लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 256,61,00,000 रुपये (दो सौ छप्पन करोड़ इकसठ लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 251,36,00,000 रुपये (दो सौ इक्यावन करोड़ छत्तीस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 271,46,00,000 रुपये (दो सौ इकहत्तर करोड़ छियालिस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी विभाग

अनुदान संख्या-70-विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी विभाग के अन्तर्गत 11,60,47,000 रुपये (ग्यारह करोड़ साठ लाख सैंतालीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 177,41,70,000 रुपये (एक सौ सतहत्तर करोड़ इकतालीस लाख सत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 55,00,00,000 रुपये (पचपन करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-75-राज्य शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 10,23,80,000 रुपये (दस करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 203,53,52,000 रुपये (दो सौ तीन करोड़ तिरपन लाख बावन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 68,23,000 रुपये (अड़सठ लाख तेइस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 150,00,00,000 रुपये (एक सौ पचास करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 422,26,66,000 रुपये (चार सौ बाइस करोड़ छब्बीस लाख छियासठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 175,15,52,000 रुपये (एक सौ पचहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 2372,92,78,000 रुपये (दो हजार तीन सौ बहत्तर करोड़ बानबे लाख अठहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 16,10,00,000 रुपये (सोलह करोड़ दस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 804,20,56,000 रुपये (आठ सौ चार करोड़ बीस लाख छप्पन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 11,47,65,000 रुपये (ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख पैंसठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति

अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के अन्तर्गत 23,80,39,000 रुपये (तेइस करोड़ अस्सी लाख उनतालीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 07, 09, 11 लगायत 14, 22 लगायत 24, 26, 31, लगायत 32, 35, 37, 40, 42 लगायत 44, 49, 58, 60 लगायत 61, 69 लगायत 72, 75 लगायत 79, 81, 83 लगायत 84, 86, 92 तथा 93 के अन्तर्गत कुल रुपये तैंतीस हजार सात सौ इकसठ करोड़ चौंतीस लाख छियानबे हजार (रुपये 33761,34,96,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) अधिनियम, 2022 कहलायेगा । — **संक्षिप्त नाम**

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2023 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 33769,54,67,000 रुपये (रुपये तैंतीस हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ चौवन लाख सड़सठ हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो । — **उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2022-2023 के लिए 33769,54,67,000 रुपये का दिया जाना**

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं । — **विनियोग**

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	पूंजी :	400000.00	--	400000.00
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	30000.00	--	30000.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	106990.69	--	106990.69
		पूंजी :	820000.00	--	820000.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	525772.00	91.41	525863.41
		पूंजी :	65072.32	535.00	65607.32
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	19027.00	--	19027.00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	14.77	--	14.77
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	8472.91	--	8472.91
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पूंजी :	1500.00	--	1500.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	--	193.30	193.30
22	खेल विभाग	राजस्व :	3500.00	--	3500.00
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	15500.00	--	15500.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी :	5000.00	--	5000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	20000.00	--	20000.00
		पूंजी :	45000.00	--	45000.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	23900.75	--	23900.75
		पूंजी :	750.00	--	750.00

अनुसूची

—(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी :	2000.00	--	2000.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	169206.76	--	169206.76
		पूंजी :	98751.33	--	98751.33
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	92400.00	--	92400.00
		पूंजी :	52155.00	--	52155.00
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	1618.60	--	1618.60
		पूंजी :	30000.00	--	30000.00
42	न्याय विभाग	पूंजी :	40000.00	--	40000.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	10000.00	--	10000.00
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00
44	पर्यटन विभाग	पूंजी :	2000.00	--	2000.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	6493.56	--	6493.56
		पूंजी :	5833.00	--	5833.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	50000.00	--	50000.00
		पूंजी :	183792.00	--	183792.00
60	वन विभाग	राजस्व :	10.08	--	10.08
		पूंजी :	25650.92	--	25650.92
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	25136.00	--	25136.00
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	19646.00	--	19646.00
		पूंजी :	7500.00	--	7500.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	252.00	--	252.00
		पूंजी :	908.47	--	908.47
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	17741.70	--	17741.70

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	5500.00	--	5500.00
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी :	1023.80	--	1023.80
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3075.52	--	3075.52
		पूंजी :	17278.00	--	17278.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	30.43	--	30.43
		पूंजी :	37.80	--	37.80
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	15000.00	--	15000.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	41626.66	--	41626.66
		पूंजी :	600.00	--	600.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	13903.28	--	13903.28
		पूंजी :	3612.24	--	3612.24
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	99512.65	--	99512.65
		पूंजी :	137780.13	--	137780.13
84	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी :	1610.00	--	1610.00
86	सूचना विभाग	राजस्व :	80420.56	--	80420.56
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	647.65	--	647.65
		पूंजी :	500.00	--	500.00
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	पूंजी :	2380.39	--	2380.39

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
	योग :	राजस्व :	1375399.57	284.71	1375684.28
		पूंजी :	2000735.39	535.00	2001270.39
	महायोग :		3376134.96	819.71	3376954.67

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8, सन् 2022) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9, सन् 2022) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022[†]

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10, सन् 2022) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1007/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0-200 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(253)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1007/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0-200-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(253)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1008/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0-201 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(254)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1008/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0-201उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(254)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1009/ग्यारह-2-22-9 (42)-17 टी0सी0-61 उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(255)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1009/ग्यारह-2-22-9 (42)-17 टी0सी0-61 उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(255)-2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या 02-2014 (उप लो0आ0) दिनांक 25 फरवरी, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[††]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त उ0प्र0 के विशेष प्रतिवेदन संख्या 02-2014 (उप लो0आ0) दिनांक 25 फरवरी, 2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर

[†] छापा नहीं गया।

[††] छापी नहीं गई।

प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2016-2017 एवं वार्षिक लेखा विवरण 2017-2018†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम का वार्षिक लेखा विवरण 2016-2017 एवं वार्षिक लेखा विवरण 2017-2018 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा 5(ए) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 एवं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019 एवं वार्षिकी रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 को विलम्ब के कारणों सहित भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-77 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पर पुनर्विचार हेतु माननीय राज्यपाल का सन्देश

श्री अध्यक्ष-

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो दिनांक 29 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 30 अगस्त, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया था तथा दिनांक 31 अगस्त, 2016 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(1) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाता हूँ-

'चूंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री राज्यपाल के समक्ष

† छापा नही गया।

प्रस्तुत किया गया था। उक्त विधेयक उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-15 व 28 में कतिपय संशोधन किया जाना प्रस्तावित था और चूंकि, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कतिपय संशोधनों के साथ पुरःस्थापित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त विधेयक को वापस लिये जाने का भी विनिश्चय मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा किया गया है। अतएव, मैं आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन उक्त विधेयक की मूल पार्चमेन्ट प्रतियां सदन को वापस करते हुए यह सन्देश देती हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन यथोचित समय पर पुनर्विचार करेंगे। यह सन्देश मा0 आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016[†]

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड-(2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदया के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 पर पुनर्विचार हेतु वापस का प्रस्ताव †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-(2) सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

[†] छापा नही गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, और जो संविधान अनुच्छेद-175 के खण्ड-(2) सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा से दिनांक 29 अगस्त, 2016 को पारित होने के उपरान्त विधान परिषद् को प्रेषित किया गया था, जो दिनांक 30 अगस्त, 2016 को विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022[†]

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती गुलाब देवी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करती हूँ।

[†] दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 †

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निरसन विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि निरसन विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निरसन विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

आज सदन में पुरःस्थापित विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदों को आज ही लिए जाने विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित किये गये निम्नलिखित विधेयकों को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उनके विचार एवं पारण सम्बन्धित मदें आज ले ली जायें।

1-इण्टरमीडिट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

2-श्रीनैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022

---

† दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

3-क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022

4-अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022

5-निरसन विधेयक, 2022

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ये कौन-सा एक नया नियम डालते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह पहले से ही है।

श्री लालजी वर्मा-

ये आज ही पुरःस्थापित हुआ। उस पर हम लोगों को अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। जो विधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विधेयक बनाना अगर वह विधेयक बिना किसी जानकारी के बिना किसी चर्चा के पास हो जाय तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल होंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको सब मालूम है लाल जी वर्मा जी।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मालूम है, मान्यवर। अब आज ही पुरःस्थापित हो रहा है, मालूम कहां से होगा, मान्यवर। मान्यवर, इसलिए आपसे सादर आग्रह है कि अगर कल सदन है तो कल कर दीजिए। अगर कल सदन नहीं हो तब तो मजबूरी है लेकिन अगर कल सदन है तो आपसे आग्रह है और सदन से भी आग्रह है कि आज हम लोगों को उस पर संशोधन लगाने का भी समय नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि नियमों को इतना शिथिल न करें कि पूरी तरह से शिथिलता ही आ जाये। जितना शिथिल होगा उतना ही शासन और प्रशासन निरंकुश होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सब आपके कल्याण के लिए हो रहा है। (सदन में हंसी)

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, कल इस पर चर्चा करा लीजिए।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, इसलिए आपसे निवेदन है और निश्चित रूप से वह सत्तापक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है। निश्चित रूप से जितना ही शिथिलता कहीं भी होगी, उतना ही निरंकुशता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ती है। मान्यवर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यह वास्तविक स्थिति है। मान्यवर, इसलिए चाहूंगा कि अगर सदन कल है तो कल कर लीजिए, इतनी इमरजेंसी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अगर का तो कोई जवाब नहीं होता। काल्पनिक प्रश्नों का क्या जवाब होगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जानते होंगे कि कल सदन है या नहीं है। अगर आज अचानक स्थगित करना हो तब तो बात दूसरी है। इसमें 'जन-गण-मन' छपा भी नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि कल सदन है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एजेण्डे में कल का है।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, एजेण्डे में भी कल का है और कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों में आप पढ़ेंगे, इसलिए आपसे सादर आग्रह है कि इसको कल ले लीजिए, जिससे हम लोग उसको पढ़ सकें और उसमें जो संशोधन लगाना है, उसको देने का अवसर मिलेगा। कल हम दे रहे थे तो लिया नहीं गया क्योंकि इस पर आया नहीं था। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपको इसको कल के लिए ले लें और आज इसको स्थगित कर दें, इसको रोक दें और इसको कल ले लें। संसदीय कार्य मंत्री जी से भी सादर आग्रह है कि इसको स्वीकार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय वर्मा जी, हम तो आपके व्यक्तिगत आग्रह को भी स्वीकार कर लेते हैं। जब-जब आपने कोई व्यक्तिगत आग्रह किया, हमने उसको मना नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कह तो रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपको परिस्थिति मालूम है कि कल माननीय अध्यक्ष जी को भी जाना है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसके पहले कर लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसे नहीं हो पायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हो जायेगा।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, यह बिल्कुल औपचारिक है। जो बिल हैं, वह पांच-पांच मिनट के भी नहीं हैं। जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में संशोधन हुआ, वह पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान को मालूम है। उसमें आपने अध्ययन नहीं किया, आप जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए यह कहना शोभा नहीं देता। मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि यह जो माध्यमिक शिक्षा का है, यह पूरी तरह से औपचारिक है। जो निरसन है, उसमें किसी की आपत्ति नहीं है। इसमें और कुछ नहीं है। जो अग्निशमन वाला है, भारत सरकार का जो मॉडल है, वह पूरी तरीके से ले लिया है ताकि लोगों का दायित्व बढ़ जाये, जिम्मेदारी बढ़ जाये और लोगों को सुविधा हो। यह केवल आपकी और सबकी सुविधा के लिए किया गया है। मान्यवर, इसलिए कल यह पूरा सम्भव नहीं है। अगर हम कहेंगे कि प्रश्नकाल स्थगित कर दें, तो भी आप नहीं मानेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, 4 बजे तक ले लीजिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, कल सदन है और हमारे पास कल की कार्य-सूची भी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि इस पर कल चर्चा करा लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपके अनुरोध को शिरोधार्य करता हूँ। लेकिन मेरी एक मजबूरी सुन लें। कल पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है और कई माननीय मंत्रियों को और माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी को भी कल जाना है, 3:00 बजे की फ्लाइट है। 3:00 बजे की फ्लाइट के लिए कम से कम ढाई बजे वहां पहुंचना होगा। इसलिए कल यह सम्भव नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग परिस्थिति को समझते हुए इस पर जिद न करें।

श्री अध्यक्ष-

पहले अध्यादेश आ चुके हैं और वह आपकी जानकारी में हैं, वह औपचारिक हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। वर्मा जी विद्वान हैं। विद्वता तो इसी बात से मालूम होती है कि एक दिन का समय दे दें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली, संशोधन) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को वापस प्राप्त हो गया।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का नवाँ अधिनियम बन गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का दसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 सितम्बर, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

[02:42] प्रश्नकाल के समय में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-31 में सदन को यह सूचित करने में मुझे प्रसन्नता है कि प्रायः जिस समय प्रतिपक्ष के द्वारा या सदन के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा अगर हाउस में किसी प्रकार के कोई विषय ऐसे हों जो प्रश्नकाल के पहले लिये जाने आवश्यक हों तो प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाता रहा, लेकिन जबसे विधान सभा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 बनी तबसे

प्रश्नकाल पहली बार 11 बजे से न ले करके 03 बजे से लिया जा रहा है, ताकि सारे सदस्यों को इस बात का लाभ मिल सके, ताकि वह अपने प्रश्न पूछ सके, यह एक नई परम्परा है। आवश्यकता अनुसार इसकी शुरुआत की है, जिसमें प्रश्नकर्ता सारे सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा और विधान सभा के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।

[02:43] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 70 सूचनायें प्राप्त हुईं और जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनकी सारी सूचनायें ले ली जायेंगी, कल जो दूसरे सदस्य हैं उनकी सूचनायें ली जायेंगी। यह सारी की सारी सूचनायें स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चलूम्भा में बांध से होते हुए पिपराहा पुरवा के आगे डामर रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सचिन यादव की प्रदेश की सभी नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन व बकाया वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की गोंड/खरवार जाति को उ0प्र0 के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड पौली के अन्तर्गत ग्राम शिवबखरी में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम पंचायत मजरा पिपरखेड़ा, ग्राम पंचायत बन्थर तथा शेखपुर नरी में अस्थाई गौशला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विपुल दुबे की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर नगर में स्थित ज्ञानसरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रामरतन कुशवाहा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत सुरईघाट से पनारी सम्पर्क मार्ग पर सेतु का निर्माण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में भूतेश्वर बस स्टेशन पर ए0सी0 'फूड प्लाजा' की लाइसेंस अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी चलाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र

सिकन्दराबाद स्थित श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया में गाटा संख्या-303 व 306 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद झांसी में मण्डल मुख्यालय झांसी को उड़ान योजना के अन्तर्गत राजधानी से जोड़ने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम सभा समरदा बाजार में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अशोक कुमार की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लाक छतोह में ग्राम सभा रजियापुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रमाशंकर की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बरगवां से मिसिरपुर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के मनकापुर-मसकनवां मार्ग से अमवा तामा वीरपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कलाली से जसमौरा मार्ग पर गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के ग्राम ललौली, ब्लाक असोथर में उपस्थित बस स्टाप पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर के ग्राम नगरियाकला में 132 के0वी0 का पावर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत नदी दियोहा पर बने पुल के निर्माण की जांच कराये जाने तथा पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत गढ़वार माता के ताल से जूनियर हाई स्कूल गढ़वार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री रामखिलाड़ी सिंह की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा बनाये गये मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में कतिपय पुलों व सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री चन्दन चौहान की जनपद लखनऊ के पारा में गोविन्दनगर एरिया में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार सिंह की जनपद

हाथरस में दिसम्बर व जनवरी माह में किसानों को दिन में कम से कम 12 घण्टे सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र सं0-408/52-3-2019, दिनांक 08-11-2019 तथा पत्र सं0-660/52-3-2021-सा0 (8)/2021, दिनांक 08-06-2021 का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज में साधन सहकारी समिति पर धान क्रय केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हुसेनपुर (बांसगांव) में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर में धनेजा घाट पर खाली पड़े पैन्टून ब्रिज को गुतवन व सुल्तानपुर के बीच लगाये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी' की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर की समस्त ग्राम सभाओं में मिलाकर लगभग 300 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के रि-बोर, मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र मारहरा में एटा-निधौली रोड से नगला गुलाबी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में महिला थाना की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग चन्दनपुर, पचपेड़वा, उतरौला का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री अखिलेश यादव की जनपद आजमगढ़ के सठियांव ब्लाक के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग रानीपुर को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री अरमान खान की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में बर्न यूनिट का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री पंकज की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री जियाउर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में बिजली विभाग द्वारा बिजली चेकिंग के नाम पर किये जा रहे शोषण के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़क देवा से चिनहट मार्ग की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत भूपौली मुख्य नहर से बलुआ रजवाहा नहर की पटरी की विशेष

मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' की पनकी परियोजना के अन्तर्गत विद्युत परिषद् इण्टर कालेज पनकी कानपुर में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्वर्ण जयन्तीपुरम आवासीय योजना में अवैध निर्माण प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में लेखपाल अजय कुमार गुप्ता द्वारा बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थापित गन्ना क्रय केन्द्रों पर लगभग 20 टन क्षमता के बड़े कांटे स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जनपद गोरखपुर में खजांची चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के कस्बा अछनेरा में प्राचीन मन्दिर श्री नरसिंह महाराज जी की जमीन के लिए हुए फर्जी बैनामे के प्रकरण में कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत थानाध्यक्ष सुहवल तारावती द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां स्थित बस अड्डे की व्यवस्थाओं को पूर्ण करके बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव की श्री रामेश्वर प्रसाद, जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद हरदोई में राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नव-ज्योति नेत्र चिकित्सालय गौसगंज द्वारा कराये गये आपरेशन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम बतनेरा, विकास खण्ड सूरतगंज में वर्ष 2018 में बाढ़ प्रभावित किसानों को किये गये भुगतान में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री ऋषि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के एस0एल0डब्लू0एम0 योजना के तहत आकांक्षात्मक ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु आये हुए धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की प्रमुख सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्रीमती मनीषा की जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी सरीला द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना इं0 सरवन

कुमार निषाद की जनपद शाहजहांपुर के लखनऊ-मैलानी नेशनल हाई-वे चौड़ीकरण में अधिग्रहीत भूमि का अकृषक भूमि के अनुसार मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री शाहिद मंजूर की जनपद बांदा के बबेरू रेंज में वन अधिनियम के विरुद्ध चल रही कोयला भट्ठी के लाइसेंस को निरस्त कर आरोपियों पर विधिक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री रमेश की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत त्रिकौलिया-अखण्ड नगर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत जर्जर एवं टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की मु0सं0-0036/22 थाना शिवपुर जनपद वाराणसी द्वारा लगभग 05 माह से लम्बित धारा-83 में कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत पूरबगांव के गाटा सं0-203 पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अगौता में पेट्रोल पम्प से मालागढ़ वाली रोड से निमचाना तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री अनिल कुमार सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चिलकहर ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु जर्जर तारों के टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में स्थित निरीक्षण भवन, सिंचाई विभाग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत किरतपुर में मार्ग एवं नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की तालपुरा योजना के अन्तर्गत गाटा सं0-300/3 पर परिषद् द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया में कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत केबल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है तथा सत्तरवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में स्वीकृत राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चलूम्भा बांध से होते हुए पिपराहा पुरवा के आगे डामर रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद सरोज-

[मान्यवर, जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चलूम्भा में बांध से होते हुए पिपराहा पुरवा के आगे डामर रोड जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर है, का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त निर्माण से क्षेत्रीय किसानों को आवागमन में हो रही बाधा से निजात मिल जायेगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश की सभी नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन व बकाया वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश की सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के समस्त सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन व बकाया वेतन दिया जाना अति आवश्यक है। समस्त सफाई कर्मचारियों के वेतन को बजट से देने के बाद ही शेष बजट का प्रयोग अन्य खर्चों में करना चाहिये जिससे समस्त सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन मिल सके। समय से वेतन मिलने से इन सभी सफाई कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके एवं समय से वेतन न मिलने की स्थिति में इन सफाई कर्मचारी संगठनों द्वारा की जाने वाली हड़तालों से होने वाली असुविधा जैसे गन्दगी का फैलना, संस्थाओं के प्रति विरोध उत्पन्न होना आदि से मुक्ति मिल सके। अतः प्रदेश की सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के समस्त सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन व बकाया वेतन दिये जाने की मांग करता हूँ। सादर प्रणाम।]

गोंड/खरवार जाति को उ0प्र0 के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश राजभर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है तथा शेष जिलों में यह प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों (लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार) द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर स्वैच्छिक तरीके से अकारण तर्कहीन/आधारहीन रिपोर्ट मांगा जाता है तथा जीविकोपार्जन के परम्परागत पेशे को आधार बनाकर भूमिहीन गोंड/खरवार जाति के व्यक्तियों से भू-राजस्व अभिलेख 1324 व 1354 व 1356 व 1359 फसली में नाम दर्ज न होने आदि का उल्लेख करते हुए उनके प्रमाण-पत्रों को सत्यापित नहीं किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गोंड/खरवार जाति को उ0प्र0 के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सन्तकबीरनगर के विकास खण्ड पौली के अन्तर्गत ग्राम शिवबखरी में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरा जनपद सन्तकबीरनगर के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम शिवबखरी, विकास खण्ड पौली जो स्थित है। कोविड काल से निर्माणाधीन है, जिसका अभी तक निर्माण नहीं हो सका है। आम-जनमानस को स्वास्थ्य सम्बन्धी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। यह सड़क लगभग 60-70 ग्राम सभा को जोड़ती है एवं मुख्य सड़क होने के कारण इस सड़क पर आवागमन ज्यादा रहता है एवं भारी गाड़ी की चलने वाली संख्या भी ज्यादा रहती है, परन्तु यह सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, आज के समय में इस सड़क पर चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, पूरी सड़कों में यह नहीं पता चलता है कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। सड़क की हालत खराब होने के कारण राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम पंचायत मजरा पिपरखेड़ा, ग्राम पंचायत बन्थर तथा शेखपुर नरी में अस्थाई गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम पंचायत मजरा पिपरखेड़ा, ग्राम पंचायत बन्थर तथा शेखपुर नरी में वर्तमान में कोई अस्थाई गौशाला नहीं है जिससे वहां के ग्रामीणों की आवारा जानवरों से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं।

अतः जनहित में तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मजरा पिपरखेड़ा, ग्राम पंचायत बन्थर तथा शेखपुर नरी में अस्थाई गौशाला का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनहित में कार्य कराने का आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर नगर में स्थित ज्ञान सरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपुल दुबे-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर नगर में स्थित ज्ञान सरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

यह सरोवर अति प्राचीन है तथा कई धार्मिक तिथियों पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों भक्तगण आते हैं। नगर के बीच में सरोवर होने के कारण प्रायः लोग इसके आस-पास विश्राम भी करते हैं। सरोवर का सौन्दर्यीकरण और सीढ़ियों की मरम्मत नहीं होने से यहां दुर्घटना भी होती रहती है। यदि पर्यटन विभाग को इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी मिल जाए तो यह जनपद वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय होगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत सुरई घाट से पनारी सम्पर्क मार्ग पर सेतु का निर्माण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामरतन कुशवाहा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर के नगर ललितपुर के सीमान्तर्गत सुरई घाट से पनारी सम्पर्क मार्ग पर बना सेतु व मार्ग कई वर्षों से जीर्ण-शीर्ण हो गया है, जिस कारण आम-जनमानस उक्त सेतु व मार्ग से आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। उक्त सेतु शहजाद नदी पर बना हुआ है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत सुरई घाट से पनारी सम्पर्क मार्ग पर बना सेतु व मार्ग के जीर्णोद्धार हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद मथुरा में भूतेश्वर बस स्टेशन पर ए0सी0 'फूड प्लाजा' की लाइसेंस अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि पिछली सरकार में जनपद मथुरा में भूतेश्वर बस स्टेशन पर ए0सी0 'फूड प्लाजा' का लाइसेंस दिया गया था, जिसकी लीज की अवधि दिनांक 14-11-2017 को समाप्त हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि इतना बड़ा फूड प्लाजा मात्र 10,000/- रुपये किराये पर दिया गया था, जिससे प्रतिदिन लाखों रुपये की आमदनी होती है। लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद जनपद मथुरा में भूतेश्वर बस स्टेशन पर ए0सी0 'फूड प्लाजा' निरन्तर क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, आगरा की मिली-भगत से चल रहा है, जिससे प्रतिदिन हजारों रुपये की राजस्व क्षति हो रही है। जनपद मथुरा में भूतेश्वर बस स्टेशन पर ए0सी0 'फूड प्लाजा' की लाइसेंस अवधि दिनांक 14-11-2017 को समाप्त हो गयी है और उसके उपरान्त उक्त फूड प्लाजा का कोई नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। यदि उक्त फूड प्लाजा का दिनांक 14-11-2017 के उपरान्त चलाये जाने हेतु कोई नवीनीकरण हुआ है, तो वर्तमान में क्या अनुबन्ध हुआ है ? जनहित में उक्त प्रकरण में कार्यवाही कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद स्थित श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर सिकन्द्राबाद में हिन्दू श्मशान घाट जर्जर अवस्था में है तथा बरसात के समय में श्मशान के लिए आरक्षित भूमि तालाब का रूप धारण कर लेती है। नगर सिकन्द्राबाद में हिन्दू श्मशान घाट हेतु आरक्षित भूमि पर मूलभूत सुविधाएं टीन शेड/प्लेटफार्म व बैठने के लिए समुचित स्थान व प्याऊ आदि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। जनहित में नगर सिकन्द्राबाद में श्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया में गाटा संख्या-303 व 306 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-92, खैरागढ़, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया में गाटा संख्या-303 व 306 राजस्व अभिलेखों में चकरोड/रास्ता अंकित है तथा यह चकरोड/रास्ता श्मशान घाट होते हुए ग्राम मंगल नगर को जाता है जिसकी आबादी 500 से 1000 के बीच की है जिस पर गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है, जिससे गांव मंगल नगर के आम जनता को आने-जाने व शव यात्रा ले जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मंगल नगर के लोगों में आक्रोश की स्थिति है। एस0डी0एम0 खैरागढ़ एवं तहसीलदार व लेखपाल जान-बूझ कर इस प्रकरण पर कार्रवाई नहीं करते हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद झांसी में मण्डल मुख्यालय झांसी को उड़ान योजना के अन्तर्गत राजधानी से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मण्डल झांसी हृदय स्थली है। परन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 3 बार घोषणा किये जाने के बाद भी अधिकारियों की उदासीनता के कारण बुन्देलखण्ड की हृदय स्थली झांसी मण्डल को हवाई यात्रा से नहीं जोड़ा जा सका है। झांसी नगर महारानी लक्ष्मीबाई जी की कर्मभूमि होने के कारण अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। झांसी नगर के समीप सिद्धपीठ माँ पीताम्बरा दतिया एवं ओरछाधाम रामराजा सरकार का दरबार स्थापित है। यहां पर देश-विदेश से हजारों की संखय में पर्यटक दर्शन एवं भ्रमण हेतु आते हैं। झांसी नगर में समस्त अवस्थापना सुविधायें विद्यमान हैं परन्तु हवाई यात्रा की सुविधा न होने के कारण यहां पर आने वाले पर्यटकों एवं व्यापारियों को काफी कठिनाई होती है। जबकि सरकार द्वारा समस्त मण्डलों को हवाई यात्रा से जोड़ने का आश्वासन दिया गया है परन्तु अभी तक झांसी मण्डल को इससे वंचित रखा गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए झांसी मण्डल को हवाई यात्रा से जोड़ने हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम सभा समरदा बाजार में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

[मान्यवर, जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा, तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम सभा समरदा बाजार, ब्लाक धौरहरा में रामखेलावन के घर के पास पुलिया रपटा का निर्माण न होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिया रपटा का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लाक छतोह में ग्राम सभा रजियापुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन के ब्लाक छतोह में ग्राम सभा रजियापुर में मट्टन नाले पर पुल न होने के कारण लगभग 15-20 हजार ग्रामीणों को 14-15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है जिस कारण से ग्रामीणों के समय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व धन की बर्बादी होती है। यदि इस नाले पर पुल का निर्माण करवा दिया जाता है तो इससे हजारों ग्रामीण लाभान्वित होंगे। जनहित में ग्राम सभा रजियापुर में मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत बरगवां से मिसिरपुर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बरगवां वाया जौगढ़ (चट्टान नगर) से गोल्हनपुर से होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है। इस मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण आये दिन जाम की समस्या तथा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मार्ग को 5.5 मीटर चौड़ीकरण करके निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बरगवां वाया जौगढ़ (चट्टान नगर) से गोल्हनपुर से होते हुए मिसिरपुर सम्पर्क मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर-मसकनवां मार्ग से अमवां तामा वीरपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मनकापुर-मसकनवां मार्ग से अमवा तामा वीरपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में बिजनेस प्लान 2019-20 के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र में माँ बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) की स्थापना प्रस्तावित है। विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु पैकेज व प्राक्कलन तथा तकनीकी सभ्यता रिपोर्ट कार्यालय मुख्य अभियंता (वि0) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा के पत्रांक 1876-मु0अभि0(वि0)/दे0पा0क्षे0(गो0)/दिनांक 27-06-2020 के द्वारा निदेशक (तकनीकी) म0वि0नि0लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को भेजा गया है परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, विद्युत आपूर्ति हेतु जिसका निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र में माँ बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) की स्थापना कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कलाली से जसमौरा मार्ग पर गागन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकुमार-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नहटौर, जनपद बिजनौर (सुरक्षित) के अन्तर्गत जनहित में कलाली से जसमौरा मार्ग पर गागन नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामवासियों एवं किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे अनेकों गांवों के लोगों को घूम कर जाना पड़ता है जिससे समय का अव्यय होता है। पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के ग्राम ललौली, ब्लाक असोथर में उपस्थित बस स्टाप पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विकास गुप्ता-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के ग्राम ललौली, ब्लाक असोथर में बस स्टाप स्थित है जहां पर बांदा-महोबा, सतना, तिंदवारी आदि की बसें रुकती हैं। इस बस स्टाप पर प्रतिदिन सैंकड़ों यात्री खड़े होकर बसों का इन्तजार करते हैं, परन्तु यहां पर यात्रियों के बैठने आदि के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में ललौली ब्लॉक, असोथर स्थित बस स्टाप का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर के ग्राम नगरियाकला में 132 के0वी0 का पावर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर के ग्राम नगरियाकला अथवा करतोली के आसपास 132 के0वी0 का पावर स्टेशन लगाया जाना आवश्यक है। कटरी क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है। पावर स्टेशन की स्थापना से विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से मिलेगी और उद्योगों का भी आगमन होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत नदी दियोहा पर बने पुल के निर्माण की जांच कराये जाने तथा पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर के अन्तर्गत नदी दियोहा पर राजस्व गांव रमपुरा नौगवां/नगरिया फत्तेपुर एवं राजस्व गांव चौसर हरदोपट्टी के पास एक सेतु का निर्माण हुआ है जिसका पहुंच मार्ग सेतु के पूर्व में लगभग 100 मीटर तथा पश्चिम में लगभग 3 किमी0 लम्बा निर्माणाधीन है, जोकि पुलियों एवं मार्ग के दोनों ओर पिचिंग के अभाव में अनेकों स्थलों पर कटाव हो चुका है। सेतु निर्माण में प्रयुक्त सामग्री गुणवत्ता विहीन तो है ही, मार्ग की भी गुणवत्ता जीर्ण-शीर्ण है तथा मार्ग का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। यह पहुंच मार्ग जिस सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है लगभग 300 मीटर की छूटी हुई कड़ी के कारण पहुंच मार्ग सम्पर्क मार्ग से जुड़ नहीं पाया है। साथ ही साथ मार्ग की चौड़ाई भी मानक के अनुरूप नहीं है। यह छूटी कड़ी में भी गांव चौसर हरदोपट्टी के अन्दर पहुंच मार्ग नितान्त संकीर्ण है। पहुंच मार्ग गांव का बाईपास होना चाहिए। मार्ग की उपलब्धता के उपरान्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी पहुंच मार्ग नहीं बनाया गया है। घोटाला दर घोटाला परिलक्षित हो रहा है। उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रशासनिक समिति से जांच कराकर दण्डनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा मार्ग का पुनर्निर्माण अपेक्षाओं के अनुरूप कराया जाना चाहिए।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर सदन में चर्चा करायी जाये तथा मार्ग का पुनर्निर्माण सुनिश्चित कर कार्यदायी संस्था को दण्डित किया जाये।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के अन्तर्गत गढ़वार माता के ताल से जूनियर हाई स्कूल गढ़वार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाह, जनपद आगरा के ब्लाक जैतपुरकलां के अन्तर्गत गढ़वार माता के ताल से गढ़ी बरौली होते हुए जूनियर हाई स्कूल गढ़वार तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.50 कि0मी0 कच्चा मार्ग है। मार्ग कच्चा होने के कारण जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। बरसात के दिनों में तो और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का पक्का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गढ़वार माता के ताल से गढ़ी बरौली होते हुए जूनियर हाई स्कूल गढ़वार तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.50 कि0मी0 मार्ग पक्का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा बनाये गये मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामखिलाड़ी सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सम्भल के मेरे विधान सभा क्षेत्र-111, गुन्नौर के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा सड़कों/मार्गों आदि का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में कराया गया था। उक्त सड़कें विगत 6 वर्षों में अत्यधिक जर्जर हो गयी जिससे आम जनता को आवागमन में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त सड़कों के मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में कतिपय पुलों व सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में क्षेत्रीय लोगों की काफी समस्यायें हैं जो निम्नवत हैं-

1-ग्राम पपरेंदा में चटिहा पुल का निर्माण, विकास खण्ड अमौली।

2-विकास खण्ड अमौली से ग्राम भागलापुर सरहन में नोन नदी के पुल का निर्माण।

3-विकास खण्ड खजुहा के ग्राम रामपुर से ग्राम शिवरी में रिन्द नदी के पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना।

4-विकास खण्ड मलवां नेशनल हाई-वे रानीपुर मार्ग से दरियापुर तक ध्वस्त पड़ी मार्ग निर्माण कार्य।

5-विकास खण्ड देवमई ग्राम हाजीपुर सल्हू के दरवाजे से हरि प्रसाद के दरवाजे तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के पारा में गोविन्दनगर एरिया में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्दन चौहान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के तहसील सदर के अन्तर्गत पारा, गोविन्दनगर (नियर सुरेन्द्र विहार कालोनी के सामने वाली गली) में काफी बड़ी आबादी का ऐरिया है जिसमें केवल एक ही ट्रांसफार्मर लगा है। अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर बार-बार जल जाता है एवं फेस उड़ जाता है और लगभग 18-18 घण्टे के लिए लाइट चली जाती है। उक्त ऐरिया में कम वोल्टेज की समस्या के सम्बन्ध में कालोनी वासियों द्वारा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया लेकिन काफी समय बीत जाने के उपरान्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी अभी तक समस्या का हल नहीं हो सका है। उक्त एरिया में 1 फेस विद्युत लाइन की ही सप्लाई है जिसके कारण 70 से 80 घरों में वोल्टेज कम बना रहता है। वोल्टेज अधिकतर 70 से 100 के बीच में है जिसके कारण कालोनी वासियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं अन्य घरेलू कामों के साथ-साथ पानी की मोटर भी नहीं चल पाती है जिससे पीने के पानी की समस्या बनी रहती है, कूलर और ए0सी0 तो दूर की बात है पंखे भी सही से नहीं चलते हैं जिसके कारण कालोनी वासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त ऐरिया में थ्री-फेस लाइन कराने एवं एक ट्रांसफार्मर लगाये जने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हाथरस में दिसम्बर व जनवरी माह में किसानों को दिन में कम से कम 12 घण्टे सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद एवं अलीगढ़ आदि जनपद आलू उत्पादन के अव्वल क्षेत्र हैं जहां नवम्बर से जनवरी तक आलू की फसल की सिंचाई की जाती है। उक्त क्षेत्रों का किसान जीविकोपार्जन हेतु वर्ष भर मात्र एक आलू की फसल पर ही निर्भर रहता है। महोदय, सरकार के प्रावधान के अनुसार किसानों को ट्यूबवेल के लिए 10 घण्टे बिजली उपलब्ध होनी चाहिए जबकि ओवरलोड एवं फॉल्ट के कारण महज दिन में 4 से 5 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। महोदय, आलू की फसल में रात के समय सिंचाई करना सम्भव नहीं है जिससे क्षेत्र के किसानों का सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए किसान हित में दिसम्बर व जनवरी शेष दो माह किसानों को दिन में कम से कम 12 घण्टे सुचारु रूप से बिजली उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र सं0-408/52-3-2019, दिनांक 08 नवम्बर, 2019 तथा पत्र सं0-660/52-3-2021-सा0 (8)/2021 दिनांक 08 जून, 2021 का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र सं0-408/52-3-2019, दिनांक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

08 नवम्बर 2019 की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। उक्त शासनादेश का पालन आज तक नहीं किया गया है। उक्त शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन ने अपने पत्र सं0-660/52-3-2021-सा0 (8)/2021, दिनांक 08-06-2021 अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 ने जारी किया था जिस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिस कारण जनता में शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः जनहित में महत्वपूर्ण विषय पर विधिक कार्यवाही कराये जाने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज में साधन सहकारी समिति धान क्रय केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलरियागंज में साधन सहकारी समिति धान क्रय केन्द्र लगभग 22 साल से चल रहा था, वर्तमान समय में धान क्रय केन्द्र नहीं बनाया गया है जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बिचौलियों के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में साधन सहकारी समिति मदुरी, विकास खण्ड बिलरियागंज में पुनः धान क्रय केन्द्र बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हुसेनपुर (बांसगांव) में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर, ब्लाक अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा हुसेनपुर (बांसगांव) नाटे निषाद के घर से सैय्यद बाबा स्थान तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 पिच मार्ग जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त जर्जर क्षतिग्रस्त पिच मार्ग हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी जर्जर क्षतिग्रस्त पिच मार्ग को बनवाया नहीं जा सका है जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार से उक्त पिच मार्ग का निर्माण एवं ध्यानाकर्षण की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर में धनेजा घाट पर खाली पड़े पैन्टून ब्रिज को गुतवन व सुल्तानपुर के बीच लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण-

[मान्यवर, जनपद जौनपुर में धनेजा घाट पर पीपा पुल लगा था, वहां पर पक्का पुल बन चुका है। वहां पर लगा पैन्टून ब्रिज जो अब खाली पड़ा है। गुतवन व सुल्तानपुर के बीच लगाने के सम्बन्ध में विभाग को अवगत कराया गया था, अब तक नहीं लगा है, जनता को परेशानी हो रही है, लो0नि0वि0 द्वारा उसे लगवाना है।

अतः इस औचित्य के प्रश्न पर मा0 लो0नि0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर की समस्त ग्राम सभाओं में मिलाकर लगभग 300 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के रि-बोर, मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल राजपूत उर्फ 'राहुल लोधी'-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर की समस्त ग्राम सभाओं में मिलाकर लगभग 300 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के रि-बोर एवं मरम्मत पिछले एक वर्ष से पड़े हैं। जिस पर कई बार जिले के अधिकारियों को लिखा गया है। फिर भी कार्य नहीं कराया गया है एवं क्षेत्र में स्थापित पानी टंकियों की पाइप लाइन भी लम्बे अर्से से क्षतिग्रस्त पड़ी है जिससे कई ग्रामों में पानी की आपूर्ति ठप पड़ी है। ऐसी स्थिति में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस गम्भीर समस्या को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए रि-बोर एवं मरम्मत व क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र मारहरा में एटा-निधौली रोड से नगला गुलाबी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-105, मारहरा, जनपद एटा के एटा-निधौली रोड से नगला गुलाबी तक मार्ग लम्बाई लगभग ढाई किलोमीटर अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवस्था में है। इस मार्ग से 03 गांव के लोगों का आना-जाना रहता है। मार्ग के जर्जर अवस्था में होने के कारण आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में महिला थाना की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-103, अलीगंज, जनपद एटा के कस्बा अलीगंज में महिला थाना मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। अलीगंज तहसील मुख्यालय है जिसमें 05 थाना क्षेत्र हैं। अलीगंज विधान सभा में महिलाओं से जुड़े अपराध काफी संख्या में हैं। महिला थाना 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में अलीगंज विधान सभा में महिला थाना की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग चन्दनपुर, पचपेड़वा, उतरौला का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग चन्दनपुर, पचपेड़वा, उतरौला बहुत ही जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में घोर कठिनाइयां हो रही हैं। यह महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्ग नेपाल सीमा पर आबाद थारू जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों चन्दनपुर, बिशुनपुर कोडर आदि गांवों को राम नगरी अयोध्या से जोड़ता है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की अति आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के सठियांव ब्लाक के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग रानीपुर को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ के सठियांव ब्लाक अन्तर्गत आजमगढ़-मऊ मार्ग पर सम्पर्क मार्ग रानीपुर को कुकुड़ीपुर गांव के पास एक निजी विद्यालय क्रास वेली आयुवेर्दिक मेडिकल कालेज के प्रबन्धक द्वारा जबरदस्ती रोक दिया गया है। सैंकड़ों साल पुराने रास्ते को रोके जाने पर सम्बन्धित ग्राम वासियों द्वारा जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन से समस्या के समाधान हेतु कइयों बार आग्रह किया गया। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा समाधान न किये जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस समस्या का समाधान जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ तथा उपरोक्त समस्या का समाधान अति शीघ्र किये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में बर्न यूनिट का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरमान खान-

[मान्यवर, आपको सदन के माध्यम से लोक महत्व की गम्भीर समस्या को अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम लखनऊ में स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में बर्न यूनिट न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को दुर्घटना/हादसे में जल जाने की स्थिति में सिविल अस्पताल या अन्य निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है जिससे क्षेत्रवासियों को अत्यन्त परेशानी व धन हानि होती है, उक्त अस्पताल में पूर्व में बर्न यूनिट को संचालित किये जाने के लिये निर्माण कराया गया है लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पायी है, रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में बर्न यूनिट का संचालन कराये जाने से क्षेत्रवासियों के साथ ही आस-पास के लोगों को सुविधा प्रदान होगी।

अतः सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व की अति महत्वपूर्ण मेरी सूचना को स्वीकार करते हुए क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम् में बर्न यूनिट का संचालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आदेशित करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेलवार घाट तिराहा से सई नदी के पुल तक लगभग 2.50 कि0मी0 की सड़क जर्जर स्थिति में है। उक्त सड़क जिला पंचायत की सड़क है। सड़क जर्जर होने के कारण स्थानीय जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जर्जर होने के कारण प्रायः दुर्घटनायें भी होती रहती हैं तथा दो जनपदों को जोड़ने के कारण अधिक संख्या में लोगों का आवागमन बना रहता है। सड़क की स्थिति ठीक न होने से आम-जनमानस में सरकार के प्रति घोर निराशा है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क का तत्काल मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में बिजली विभाग द्वारा बिजली चेकिंग के नाम पर किये जा रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउर्रहमान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में बिजली विभाग द्वारा बिजली चेकिंग के नाम पर शोषण हो रहा है व ग्रामीण क्षेत्र में अनावश्यक कटौती की जा रही है जिसकी वजह से आम जनता परेशान है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल इस समस्या का समाधान कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़क देवा से चिनहट मार्ग की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही सड़क

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवा से चिनहट मार्ग, देवा, बाराबंकी मार्ग से जहांगीराबाद वाया सद्दीपुर तथा जहांगीराबाद मार्ग से धखौली गांव तक बनायी जा रही सड़कें बहुत ही खराब स्थिति में हैं। उक्त सड़क खराब होने के कारण आवागमन बाधित रहता है। उक्त सड़क की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त सड़क की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत भूपौली मुख्य नहर से बलुआ रजवाहा नहर की पटरी की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत भूपौली मुख्य नहर से बलुआ राजवाहा नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग स्थित है जो वर्तमान समय में काफी जर्जर व गड्ढायुक्त हो चुका है। लोगों का आवागमन बाधित है, जबकि इस सम्पर्क मार्ग के द्वारा गंगा नदी एवं गंगा नदी पर बने बलुआ घाट पक्के पुल के द्वारा लोगों का वाराणसी होकर अन्य जनपदों में आवागमन होता रहता है। इस मार्ग से जनपद चन्दौली, वाराणसी, गाजीपुर तथा अन्य जनपदों से बराबर लोगों का आवागमन रहता है। मेरे द्वारा कई बार सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग को पत्राचार एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, परन्तु आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जनहित एवं किसान हित में उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके माध्यम से उपरोक्त सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

पनकी परियोजना के अन्तर्गत विद्युत परिषद् इण्टर कालेज पनकी कानपुर में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कानपुर की पनकी तापीय परियोजना पनकी के अधीन विद्युत परिषद्

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालेज पनकी में 3 की जगह 7 प्रवक्ताओं की पदोन्नति वर्ष 2018 में जिस पर समिति के अधिकारियों को दण्डित किया जा चुका है लेकिन शेष 9 अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। इसी प्रकार पनकी तापीय परियोजना, पनकी में प्रवक्ताओं के 13 स्वीकृत पदों को कम करके 6 किस आधार पर किये गये हैं, जबकि यह अधिकार केवल निगम मुख्यालय को है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रश्नगत विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्वर्ण जयन्ती पुरम आवासीय योजना में अवैध निर्माण प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्वर्ण जयन्ती पुरम आवासीय योजना में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में जांच अधिकारी, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को नियुक्त करते हुए जुलाई, 2020 में जांच संस्थित की गयी थी। जिस पर यह जानकारी जानना चाहता हूँ कि जांच अधिकारी द्वारा कितने समय में जांच पूर्ण करने का दायित्व था और वर्तमान समय में जांच की क्या स्थिति है। साथ ही क्या सम्बन्धित प्रकरण की जांच पूर्ण कर शासन के प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को आख्या भेजी गयी है या नहीं और यदि जांच आख्या भेजी गई है तो जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जांच में दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ कार्रवाई एवं जांच में निर्दोष पाये गये अभियन्ताओं को दोषमुक्त करने का आदेश कब जारी किया जायेगा।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के निम्न मार्गों का लेपन व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सी0सी0 मार्ग के रूप में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ जो निम्नवत् है :-

1-टी0एस0 बन्धा भोपालपुर से लेकर श्रीनगर तक विशेष मरम्मत व लेपन कार्य।

2-कोलनाला से लेकर दलछपरा होकर श्रीनगर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

3-दत्तहां दिमागी चट्टी से नूरपुर रेखहां पी0एम0जे0एस0आई0 मार्ग तक विशेष मरम्मत व लेपन कार्य।

4-सोनवानी समरथपार दुधैला मार्ग से कठही हल्दी मार्ग तक लेपन कार्य।

5-सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर, वशिष्ठ नगर होकर मानगढ़ पी0एम0जे0एस0आई0 मार्ग तक लेपन कार्य।

6- सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से दुर्जनपुर मार्ग तक लेपन स्तर कार्य।

7-रेवती बैरिया मुख्य मार्ग से छेड़ीडीह होकर रामपुर मार्ग का लेपन कार्य।

8-एन0एच0-19 दयाछपरा से बुद्धनचक रिंग बन्धा तक लेपन कार्य।

9-एन0एच0-19 गजहवां बाबा दयाछपरा मार्ग से प्रसाद छपरा मार्ग का लेपन कार्य।

10-एन0एच0-19 दुबेछपरा चट्टी से उदईछपरा रिंग बांध तक लेपन कार्य का निर्माण।

11-लालगंज से शिवघाट तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।

12-भगवानपुर प्रा0पा0 से सावनछपरा मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।

13-सोनबरसा-दलनछपरा मार्ग भगवानपुर से रामनगर मार्ग का लेपन स्तर तक कार्य का निर्माण।

14-वी0एस0टी0 बन्धा दलनछपरा से रामपुर कोड़रहा होकर बिहार बार्डर तक सी0सी0 या लेपन कार्य का निर्माण।

15-एन0एच0-19 चांददियर से यादवनगर तक मार्ग का सी0सी0 कार्य।

16-एन0एच0-19 से बैरिया नगर पंचायत अन्तर्गत मिश्र कमठिया मार्ग का सी0सी0 निर्माण कार्य।

17-मानगढ़ पी0एम0जे0एस0आई0 मार्ग से गोपालनगर पंचायत भवन तक मार्ग का लेपन कार्य।

18-मुरलीछपरा से लालगंज मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।

19-रेवती खरिका मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।

20-श्रीनगर पानी टंकी से सैनिक टोला, श्रीनगर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

21-मुनछपरा मुख्य मार्ग से दलछपरा रेलवे स्टेशन मार्ग की विशेष मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य।

22-श्रीनगर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र से श्रीनगर नई बस्ती तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

23-मुरलीछपरा लालगंज मार्ग से लच्छू टोला वी0एस0टी0 बन्धा तक विशेष मरम्मत कार्य।

24-लालगंज-शिवपुर कपूरदियर मार्ग से सतीघाट तक विशेष मरम्मत कार्य।

25-बैरिया नगर पंचायत एन0एच0-19 से भोजापुर मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद बलिया के उपरोक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में लेखपाल अजय कुमार गुप्ता द्वारा बाढ़ राहत सामग्री वितरण में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा, विकास खण्ड खुनियाव में आयी भीषण बाढ़ में बहुत सारे गांव पानी में डूब गये, फसलें डूबीं, गांव में पानी घुसा। मुख्य रूप से ग्राम डड़वा, मटेशर, महुआ पाठक, पेंदा, पल्टी-पल्टा, दुबायल पाण्डेय एवं तिघरा में लोगों के घरों में पानी घुसा था। फसलें बर्बाद हुई थीं। इसलिए शासन की तरफ से उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लेखपाल, नायब तहसीलदार लगाये गये। राहत सामग्री के वितरण में इन गांवों में बड़े पैमाने पर धांधली की गयी। लेखपाल अजय कुमार गुप्ता द्वारा किसी को बड़े पैमाने पर राहत सामग्री दी गयी और किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। इससे जनता में रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से लेखपाल अजय कुमार गुप्ता के क्रिया-कलापों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थापित गन्ना क्रय केन्द्रों पर लगभग 20 टन क्षमता के बड़े कांटे स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थापित शुगर मिलों द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गन्ना क्रय केन्द्रों पर प्राचीन समय से लगभग 5 टन क्षमता के छोटे कांटे स्थापित किये जाने का प्रचलन है। कतिपय छोटे कांटे झोटे-बुग्गी को तौलने हेतु स्थापित किये जाते थे। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत किसान अपना गन्ना ट्रैक्टर-बुग्गी से गन्ना क्रय केन्द्र पर ले जाते हैं। छोटे कांटे होने के कारण किसानों को कांटे पर बुग्गी छोड़कर तुलवाना पड़ता है। प्रायः किसानों द्वारा कांटे पर बुग्गी छोड़ने एवं दोबारा जोड़ने के मध्य कई दुर्घटनाएं होने के कारण किसान घायल होते रहते हैं। अतः किसान हित में गन्ना क्रय केन्द्रों पर लगभग 20 टन क्षमता के बड़े कांटे स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर में खजांची चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

[मान्यवर, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जिनका आवास, दुकान, जमीन गोरखपुर में खजांची चौराहे पर स्थित है, जहां फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। यह कि फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण मध्य सड़क से उत्तर तथा दक्षिण दोनों तरफ 16-16 मी0 बराबर-बराबर जमीन लेकर किये जाने का नक्शा बना था जिसका मौके पर सीमांकन भी कर दिया गया था। दक्षिण तरफ एक व्यक्ति विशेष की जमीन है। जमीन में मध्य सड़क से 11 मीटर पर बाउण्ड्रीवाल तथा उसके बाद खाली जमीन है। उस बाउण्ड्रावाल और खाली जमीन को बचाने के लिए कुछ विभागीय लोग उस विशेष व्यक्ति से मिलकर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ब्रिज के एलाईमेण्ट का बहाना बताकर वर्तमान में फ्लाई ओवर ब्रिज के नक्शे को 5 मीटर उत्तर की तरफ खिसका कर बना दिया गया है।

ऐसा करने से मध्य सड़क से दक्षिण तरफ केवल 13 मीटर जमीन ली जा रही है तथा उत्तर तरफ 19 मीटर जमीन लिये जाने हेतु नक्शा प्रस्तावित कर दिया गया है जिससे ब्रिज के उत्तरी किनारे के बने बीसो लोगों के मकान, दुकान, बैंक आदि प्रभावित होंगे जिससे अपूर्णनीय क्षति हो जाएगी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर जनपद गोरखपुर में खजांची चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण मध्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़क के केन्द्र से उत्तर तथा दक्षिण दोनों तरफ की बराबर-बराबर 16-16 मीटर जमीन लेकर निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के कस्बा अछनेरा में प्राचीन मन्दिर श्री नरसिंह महाराज जी की जमीन के हुए फर्जी बैनामे के प्रकरण में कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के कस्बा अछनेरा में प्राचीन मन्दिर श्री नरसिंह महाराज जी की जमीन गाटा संख्या 554, 780, 157 रकबा 30 बीघा को फर्जी तरीके से कथित पुजारी मुरारीलाल व पुत्र रामा निवासी अछनेरा और लक्ष्मी नरायण पुत्र कमल प्रसाद निवासी न्यू लायर्स कालोनी, आगरा आदि ने फर्जी तरीके से गाटा 780, रकबा 8 बीघा का बैनामा कर दिया है। जिस पर जिला जज, आगरा द्वारा धारा-420, 467, 468, 120बी वर्ष 2011 में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर पुलिस ने अभी तक कथित पुजारी मुरारीलाल विक्रेता तथा लक्ष्मीनारायण खरीददार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनहित में मन्दिर की भूमि को बुल्डोजर चलाकर खाली कराकर दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही कर दण्डित करना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत थानाध्यक्ष सुहवल तारावती द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत थानाध्यक्ष सुहवल तारावती जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और धन उगाही का कार्य करते हैं। इनकी आये दिन जनता द्वारा शिकायत की जा रही है। यह आम लोगों से रिश्वत लेकर कार्य करते हैं। जो लोग रिश्वत नहीं देते हैं, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का कार्य करते हैं। ऐसे अधिकारी का तत्काल जनपद से बाहर स्थानान्तरण किया जाना जनहित में आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से इनके विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही किये जाने एवं तत्काल जनपद से बाहर स्थानान्तरण किये जाने की भी मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां स्थित बस अड्डे की व्यवस्थाओं को पूर्ण करके बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां, जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत मुख्यालय पर बना जनता के हित में रोडवेज बस अड्डे की हालत काफी खराब है। बिल्डिंग जर्जर है तथा यात्रियों की सुविधाओं-शौचालय, बैठने की व्यवस्था नहीं है। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण होना अति आवश्यक है। सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को काफी असुविधा होती है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा सरकार से मांग करता हूँ कि जनहित में अविलम्ब पुवायां बस अड्डे की व्यवस्थाओं को पूर्ण करके बस अड्डे का सौन्दर्यीकरण किया जना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के श्री रामेश्वर प्रसाद, जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव के श्री रामेश्वर प्रसाद, जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उचित दर की दुकानों को निलम्बित कर कुछ समय बाद उन्हें जांच के नाम पर मोटी रकम वसूल कर बहाल कर देना कार्य पद्धति में शामिल हो गया है जिससे उचित दर दुकानदारों में डर का माहौल पैदा कर दुकानदारों से वसूली की भी शिकायत प्राप्त हो रही है जिसका प्रभाव जनता पर पड़ना स्वाभाविक है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है एवं जनहित से जुड़े सरकार के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के उन्नाव तैनाती कार्यकाल से वर्तमान तक जितनी उचित दर दुकानों को निलम्बित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया एवं पुनः जांच के नाम पर बहाल कर दिया गया। जांच कमेटी गठित कर सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेखों एवं पत्रावली की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करायी जाये तथा ऐसे भ्रष्ट एवं पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक अर्जित की गयी सम्पत्ति की भी जांच करायी जानी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर रोक के साथ-साथ सरकार द्वारा जनहित में चलाये जा रहे जनोपयोगी कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जा सके।]

जनपद हरदोई में राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवज्योति नेत्र चिकित्सालय गौसगंज द्वारा कराये गये आपरेशन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत मोतियाबिन्द का आपरेशन राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण-कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 में लोक सेवा समिति, उ0प्र0 ने नवज्योति नेत्र चिकित्सालय, गौसगंज द्वारा कैम्प लगाकर कराया था जिसमें भुगतान न होने के कारण आये दिन नये मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक भुगतान नहीं किया गया। अगर नवज्योति नेत्र चिकित्सालय गौसगंज को भुगतान कर दिया जाये तो क्षेत्र के नये मरीजों को लाभ प्राप्त हो सकेगा

अतः महोदय इस नवज्योति नेत्र चिकित्सालय, गौसगंज को अवशेष धनराशि का भुगतान कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम बतनेरा, विकास खण्ड सूरतगंज में वर्ष 2018 में बाढ़ प्रभावित किसानों को किये गये भुगतान में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामनगर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम बतनेरा, विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। रामनगर में वर्ष 2018 में नदी के कटान से प्रभावित होने के कारण गांवों के कुछ लोगों को पट्टा दिलाया गया था जिसमें लोग अपनी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे थे। कुछ लोग जो अपात्र व्यक्ति थे उन्हें भी लेखपाल व सेक्रेटरी एवं प्रधान द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों से 25-25 हजार रुपये लेकर जमीन दी गयी है और जो पात्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यक्ति थे और 25 हजार रुपये न देने के कारण उन्हें जमीन नहीं दी गयी है। यह गम्भीर प्रकरण है इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने एवं पात्र एवं गरीब व्यक्तियों को जमीन दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद महाराजगंज के एस0एल0डब्लू0एम0 योजना के तहत आकांक्षात्मक ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु आये हुए धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऋषि त्रिपाठी-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद महाराजगंज के एस0एल0डब्लू0एम0 योजना के तहत आकांक्षात्मक ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु आये हुए धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। सरकार के प्रमुख जनकल्याणकारी योजना जिसमें ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाये जाने हेतु कार्य किया जाना था उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराते हुए धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रमुख सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं श्रीमती बीना कुमारी मीणा, प्रमुख सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन से समय लेकर मिलने हेतु एनेक्सी भवन, लखनऊ गया था, भेंट के दौरान मेरे द्वारा जनहित के प्रकरणों को लेकर समस्या से अवगत कराया जा रहा था जिसके बीच में ही प्रमुख सचिव द्वारा असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया था तथा जनप्रतिनिधि के प्रोटोकाल का पालन न करते हुए सरकार की नीतियों के विपरीत कार्य करते हुए रिश्वत की बात कही गयी। एक उच्च स्तर के सरकारी सेवक द्वारा जनप्रतिनिधि से किये गये दुव्यर्वहार सरकारी अधिकारियों की नियमावली के विपरीत है, जिसके सम्बन्ध में कार्रवाई किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के अतिरिक्त मेरे संज्ञान में आया है कि श्रीमती बीना कुमारी मीणा, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध स्थानान्तरण किये गये थे जिसमें स्वयं का लाभ निहित था तथा जिसकी जांच अभी लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अति गम्भीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जनहित में प्रमुख सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी सरीला द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मनीषा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सरीला द्वारा फर्जी भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में नगर पंचायत सरीला के अधिशासी अधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 संख्या-सी0ओ0 42128310403 के माध्यम से दिनांक 05-05-2021 को धनराशि रुपये 217139.00/- का भुगतान गुलाम मुहम्मद, निवासी महोना को स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक शाखा-हमीरपुर के खाता संख्या-4483000100037648 पर कर दिया गया, जबकि भुगतान की इन्ट्री नगर पंचायत सरीला के कार्यालय के चेक रजिस्टर व कैश बुक में अंकित नहीं है। इस तरह से अधिकारी द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी जनहित में उच्च स्तरीय जांच कर दण्डित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर इस इलाके में सिंचाई, पेयजल की सुविधा किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूँ।

जनपद शाहजहांपुर के लखनऊ-मैलानी नेशनल हाई-वे चौड़ीकरण में अधिग्रहीत भूमि का अकृषक भूमि के अनुसार मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इं0 सरवन कुमार निषाद-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि श्री विशाल त्रिपाठी पुत्र श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, निवासी ग्राम नारायणपुर विक्रमपुर खुटार, शाहजहांपुर के निवासी हैं। इनके लखनऊ-मैलानी नेशनल हाई-वे चौड़ीकरण में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा विभाग द्वारा अकृषक भूमि होने के बावजूद, कृषि भूमि के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है, जोकि न्याय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संगत नहीं है। श्री विशाल त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि उनकी भूमि पर पूर्व से ही गोदाम बना हुआ है व राजस्व विभाग से 143 के अन्तर्गत कामर्शियल भी है। श्रीमान जी सभी साक्ष्य होने के बाद भी विभाग द्वारा अकृषक भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त अधिग्रहीत भूमि का अकृषक भूमि के अनुरूप मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बांदा के बबेरू रेंज में वन अधिनियम के विरुद्ध चल रही कोयला भट्ठी के लाइसेंस को निरस्त कर आरोपियों पर विधिक कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाहिद मंजूर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा से सम्बन्धित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-वी0आई0पी0-37/81-2-2022-36जी/2022, दिनांक 17-11-2022 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2022 की 354/35-2 (शिकायत) दिनांक 22 नवम्बर, 2022 की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद बांदा के बबेरू रेंज में वन अधिनियम, 2010 के विरुद्ध चल रही कोयला भट्ठी को निरस्त किये जाने से सम्बन्धित है। जिस पर दो-दो रेंज अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में उक्त अवैध रूप से चल रही कोयला भट्ठियों के लाइसेन्स को तत्काल निरस्त किये जाने की भी संस्तुति की गयी है। किन्तु उक्त कोयला भट्ठी के मालिकों की लम्बी पहुंच होने के कारण आज तक उक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है, जिस कारण स्थानीय जनता में शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः जनहित/वनहित में वन अधिनियम के विरुद्ध चल रही कोयला भट्ठी के लाइसेंस को निरस्त कर आरोपियों पर विधिक कार्यवाही कराये जाने की कृपा करें।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत त्रिकौलिया-अखण्ड नगर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत त्रिकौलिया-अखण्ड नगर मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। जिस पर भारी वाहनों का आवागमन अत्यधिक रहता है। यह मार्ग दो जनपदों के माध्यम से कई प्रमुख मार्गों को जोड़ता है। यह मार्ग कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत जर्जर एवं टूटी सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य की अधिकांश सड़कें जर्जर और टूट गयी हैं। जहां सड़कों में गड्ढे हैं, जहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़कों को बनाने या गड्ढामुक्त करने का कार्य नहीं हुआ है। कैसरबाग चोराहे से मेडिकल कालेज की सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त एवं टूटी है। यहां गड्ढे भरने का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसके कारण जनता का जीवन दूभर हो गया है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस कारण से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनमानस में काफी रोष व्याप्त है। यह जनता से जुड़ा हुआ जनहित का गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जर्जर और टूटी हुई सड़कों को बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

मु0सं0-0036/22, थाना शिवपुर जनपद वाराणसी द्वारा लगभग 05 माह से लम्बित धारा-83 में कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी में ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामजीत मिश्रा, निवासी ग्राम चतुरपुर, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी की जमीन को फर्जी कागज लगाकर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था, जिसकी जांच होने पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा सं0-0036/2022, थाना शिवपुर, वाराणसी में दर्ज हुआ और थाने से धारा-82 की कार्रवाई हुए चार माह हो गया, परन्तु धारा-83 की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इस गम्भीर प्रकरण में उप जिलाधिकारी सदर, वाराणसी द्वारा 12 जून, 2022 को अवैध कब्जे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को तत्काल खाली कराने हेतु राजस्व की 12 सदस्यीय टीम का गठन कर पुलिस कमिश्नर, वाराणसी से पुलिस बल की मांग की गयी, परन्तु 06 माह बीतने के बाद भी भू-माफियाओं से अवैध कब्जा खाली कराने हेतु पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त गम्भीर प्रकरण को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में नियम-51 के अन्तर्गत पूर्व में भी लगाया गया था, जिसमें शासन द्वारा पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से जब सूचना मांगी गई तो बताया गया कि तमाम विशिष्ट अतिथियों के आने, मोहर्रम, कांवड़ यात्रा व ज्ञानवापी, अग्निवीर मामले के कारण पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गम्भीर प्रकरण में अवैध कब्जे को भू-माफियाओं से खाली कराने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने व थाना शिवपुर द्वारा मुकदमा संख्या-0036/22 में चार माह पूर्व किये गये धारा-82 की कार्रवाई के बाद धारा-83 की कार्रवाई कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र-231, चरखारी (महोबा) में राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिससे समय एवं धन का अपव्यय होता है। जनहित में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत पूरबगांव के गाटा सं0-203 पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में श्री जुबेदा, निवासी ग्राम पूरबगांव, ब्लाक जगतपुर, तहसील ऊंचाहार, जनपद रायबरेली के गाटा सं0-203/0.54 जोकि तालाब दर्ज है। इससे मिला हुआ गाटा सं0-222/0.209 है, जिसमें कुछ भाग माधुरी पत्नी हरिप्रसाद ने बैनामा करा लिया है, वह निर्माण करा रहे हैं। किन्तु तालाब के गाटा सं0-203/0.54 से मिलाकर निर्माण करा रहे हैं एवं तालाब की भूमि पर कब्जा करने की नियत से दरवाजा खोलकर तालाब की भूमि पर कब्जा करके जगतपुर-सलोन मार्ग की पक्की सड़क तक पहुंचना चाहते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम अगौता में पेट्रोल पम्प से मालागढ़ वाली रोड से निमचाना तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि ग्राम अगौता में पेट्रोल पम्प से मालागढ़ वाली रोड से निमचाना का रास्ता है, इस रास्ते की लम्बाई लगभग 5 किमी0 है। यह रास्ता पूरी तरह दयनीय स्थिति में है। यह रास्ता आने-जाने योग्य नहीं है। इसलिए ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए रास्ते का निर्माण कराना अति आवश्यक है।

अतः इस क्षेत्र की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी। जनहित में उपरोक्त रास्ते का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार सिंह-

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा-उन्नाव अन्तर्गत मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग संकरा है, जिसमें छोटे एवं बड़े वाहनों के आवागमन की अधिकता है। उक्त मार्ग संकरा होने के कारण प्रतिदिन जाम लगता रहता है एवं घटनाएं भी हुआ करती हैं। क्षेत्रीय लोगों द्वारा उक्त मौरावां-बछरावां मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के चिलकहर ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु जर्जर तारों के टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के चिलकहर ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु रसड़ा मेन फीडर से चिलकहर 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन तक एवं विद्युत सब-स्टेशन से विभिन्न ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति हेतु लगे लगभग 50 वर्ष पुराने जर्जर तारों के टूटने की वजह से आये दिन विद्युत दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे कई

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोगों के घर/मवेशी आदि जल गये तथा हर समय दुर्घटना के कारण जन-धन हानि की प्रबल सम्भावना बनी रहती है और प्रायः घटनायें होती भी रहती हैं, जिससे यहां की जनता आक्रोशित है। विद्युत सम्बन्धी दुर्घटनायें न कारित हों इस हेतु लगभग 50 वर्षों पुराने लगे समस्त जर्जर तारों का बदला जाना अति आवश्यक है। साथ ही चिलकहर ब्लॉक में स्वीकृत चोगड़ा तथा माधोपुर में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराते हुए अतिशीघ्र चालू किया जाना भी आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त रसड़ा फीडर से चिलकहर विद्युत सब-स्टेशन एवं सब-स्टेशन से विभिन्न ग्रामों में जाने वाली लगभग 50 वर्षों पूर्व लगी जर्जर विद्युत लाइनों को बदले जाने तथा चिलकहर ब्लॉक में स्वीकृत चोगड़ा तथा माधोपुर विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में स्थित निरीक्षण भवन, सिंचाई विभाग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[मान्यवर, मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील में स्टेशन रोड पर स्थित निरीक्षण भवन, सिंचाई विभाग की हालत बहुत ही जर्जर अवस्था में है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन की चहारदीवारी का कार्य किया गया था। जर्जर हो चुके निरीक्षण भवन की दीवार को गिराकर पुनः निर्माण कार्य होना शेष रह गया था, परन्तु भाजपा सरकार आने पर अभी तक पुनः निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। उक्त निरीक्षण भवन का रकबा लगभग 100 बीघे से अधिक में है। उक्त निरीक्षण भवन का पुनः निर्माण कराया जाना जनहित में होना आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद मुरादाबाद में स्टेशन रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के जर्जर भवन को गिराकर उसका पुनः निर्माण की व्यवस्था शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत किरतपुर में मार्ग एवं नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण का कार्य किया जाना है। यह प्रकरण विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा नियम-301 एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम-51 के तहत कई बार उठाया गया है। जिलाधिकारी, बिजनौर एवं पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड नजीबाबाद को भी छूटी कड़ी योजना के अनुरूप मैंने इसका प्रस्ताव दिया था। इस मार्ग से आने-जाने हेतु लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण जनता में भारी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कस्बा किरतपुर में मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी की तालपुरा योजना के अन्तर्गत गाटा सं0-300/3 पर आवास विकास परिषद् द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

झांसी के मौजा तालपुरा में आवास विकास परिषद् झांसी द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक भवन विकसित किये जा रहे हैं। इस योजना के बगल में याचीगण की मौजा तालपुरा स्थित खाता सं0-141, गाटा सं0-300/3, रकबा 0.0450 हे0 है, जिस पर आवास एवं विकास परिषद्, झांसी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। किसानों की कृषि भूमि का न तो मुआवजा दिया गया है और न ही कब्जा छोड़ा जा रहा है। किसानों के आगे रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उक्त गाटा सं0-300/3, रकबा 0.0450 हे0 पर से आवास एवं विकास परिषद्, झांसी द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटवाया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया में कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत केबल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद बलिया के कतिपय ग्राम सभा-रामपुर नम्बरी, नैना, भोपतपुर, मैरीटार, सुल्तानपुर, ककरघटा, डुमरिया, बरगइयाबारी एवं मेरी विधान सभा क्षेत्र के चार नगर पंचायत बांसडीह, सहतवार, मनियर, रेवती में विद्युत तार, खम्भा, ट्रांसफार्मर जर्जर हो गये हैं, जिसमें विद्युत आपूर्ति की जा रही है,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे जनहित में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है और कुछ ग्राम सभा में विद्युत लाइन नहीं है, जिसमें नये केबल, खम्भा एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि जनहित में किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में स्वीकृत राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की ग्राम पंचायत लतीफनगर, विकास खण्ड सरोजनी नगर, लखनऊ में राजकीय डिग्री कालेज स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है, किन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में लगातार पत्राचार किया जा रहा है, किन्तु अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। भवन का निर्मित अंश अनुपयोगी है, जिससे शासकीय धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज न होने से छात्रों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूँ।]

[02:44] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत 100 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिन माननीय सदस्यों की आज सूचनायें ली गई हैं, उन माननीय सदस्यों की सूचनायें कल नहीं ली जायेंगी। आज सभी सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

पहली सूचना श्री रामखिलाड़ी सिंह की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र गुन्नौर में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के जहानाबाद में घाटमपुर टेल्स व माइनरों में पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी की बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एडेड

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय को मूल भवन में संचालित कराये जाने तथा कार्यरत शिक्षकों को समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री हंसु राम की जनपद बलिया में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत चल रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की गोंड/खरवार जाति को उ0प्र0 के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर के पोस्ट में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कतिपय व्यक्ति की पेंशन रोकने के तथ्यों, कारणों की जांच के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राम रतन कुशवाहा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में बल्देव-बरौली-कैलाश वाया मगना मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद से मथुरा के लिए बस सेवा चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ईसानगर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राम निवास वर्मा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत महानगर सचिवालय कालोनी में कतिपय परिसर में मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड रामपुर में राजकीय पशु चिकित्सालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अनिल कुमार सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम जहीदपुर नसरुल्लाहपुर के थाना इब्राहिमपुर में कतिपय व्यक्ति के गुमशुदगी के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में जर्जर इण्टरपोलिंग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के वार्ड सं0-33 की सड़क व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में तामसा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी के असेनी मोड़ से जाटा तक कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा के मण्डी शहर में कतिपय सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री अनिल वर्मा की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद में पंचायत विकास के कार्यों को समय पर कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में स्थित

भूपौली मुख्य नहर में लाईनिंग किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मो0 हसन 'रूमी' की जनपद कानपुर के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में कतिपय वार्डों की पेयजल लाइन व सीवर लाइन अमृत 2.0 के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में कतिपय सड़कों के कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री जै किशन साहू की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र गाजीपुर में नमामि गंगे के तहत कराये गये कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के श्रम परिवर्तन अधिकारी के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में उत्तम शुगर मिल में किसानों का गन्ना कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद लखनऊ के गुडम्बा क्षेत्र में कुर्सी रोड से अर्जुन इन्क्लेव, फेस-1 को जाने वाले रास्ते को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की कतिपय 13 जनपदों के अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आने वाली 15 जातियों को आरक्षण दिये जाने के प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री अरमान खान की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171 में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ललभरिया में भीषण बाढ़ से हो रही किसानों की फसलें खराब होने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री अखिलेश की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में खेल-कूद मैदान को मिनी स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर में 21 ग्रामों को पुलिस थाना मछलीशहर से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में टोंस नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी की जनपद लखनऊ में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद कुशीनगर में संचालित वक्फ कमेटी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतहेपुर में कतिपय अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की सरकार द्वारा जिला/संयुक्त चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज में परिवर्तित किये गये हैं, जिनमें तैनात कर्मचारियों को स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के पुवायां को बीसलपुर में न मिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

चालिसवीं सूचना श्री अभय सिंह की सरकार के कतिपय नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की उ0प्र0 राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन में एन0आर0एल0एम0 के कर्मचारियों की कतिपय समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में जिला खाद्य विपणन अधिकारी के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में पेयजल योजनाओं में हो रही घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री आनन्द कुमार यादव की जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा बीबीगंज में अवैध कब्जा से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर में पुलिस द्वारा गरीब सब्जी दुकानदार का सामान रेल पटरी पर फेंके जाने से सब्जी विक्रेता के पैर कट जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा की जनपद उन्नाव में ग्राम दुबेपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बाउण्ड्री एवं मिट्टी भरान कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू की जनपद आजमगढ़ में मृतक के परिवार को मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद बांदा के बबेरू रेंज में कोयला भट्टियों का लाइसेंस निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर में एन0डी0आर0एफ0 टीम को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री विपुल दुबे की जनपद भदोही की विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री राजमणि की जनपद प्रयागराज की तहसील कोरांव में पट्टा आवंटन की व्यवस्था में कब्जा दखल दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री रवि शर्मा की वर्ष, 2017 में एम0एस0एम0ई0 का लाभ किसी भी लाभार्थी को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना अशोक कुमार की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन में प्रस्तावित राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर में प्रदूषण से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जर्जर बिल्डिंग की

जगह नयी बिल्डिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र गौरा में मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री प्रेम नारायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में बाढ़ प्रभावित ग्रामों को मुख्य मंत्री समग्र योजना में चयनित किये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में दो 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद मथुरा के जयसिंहपुरा में आश्रम पर भू-माफियाओं द्वारा हो रहे कब्जे के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह में ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र बाह में मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार सिंह की जनपद आगरा से खेदौली वाया मई-विसावर के लिए बस सेवा संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं सूचना श्री चन्दन चौहान की जनपद सोनभद्र में फैमली मॉल में लगे जेनरेटर से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ में अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री अजय कुमार की जनपद बागपत एवं पानीपत के मध्य निर्माणाधीन सेतु निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में नियुक्तियों के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्रीमती जय देवी की अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में ओवरहेड टैंकों के निष्प्रयोज्य पड़े होने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री बम्बा लाल की विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र माखी से 11 के0वी0 बिरसिंहपुर, रायपुरगढ़ी, शाहपुर, भदेमू तक लगभग एक किमी0 लाइन बना कर जोड़ने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री मौ0 फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के बिलारी में हथकरघा बुनकरों की सब्सिडी को शीघ्र बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की जनपद बाराबंकी के रामनगर में ग्राम पंचायत सरसण्डा में प्रधान द्वारा फर्जी मुख्य मंत्री आवास आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में है,

सतहत्तरवीं सूचना इं0 सरवन कुमार निषाद की जनपद ई0ओ0यू0डब्लू0 लखनऊ द्वारा अपराध सं0-112/12 की विवेचना में बीज अधिनियम, 1966/1969 को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री विपुल दुबे की जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के ग्राम भैसाड़ में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद बुलन्दशहर में सुशील विहार प्रथम को दबंगों से कब्जामुक्त कराते हुए सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के कतिपय आवासों को तोड़ने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के लाल पुल की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में पौराणिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में कतिपय अधिकारियों के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की कतिपय कम्पनी द्वारा आवास आवंटित किया गया था, उसी के सम्बन्ध में कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री ऋषि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में सड़कों की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में कतिपय सीवर लाइन को एस0टी0पी0 से जोड़कर क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की राजकीय होम्योपैथिक में कतिपय अधिकारी के खिलाफ जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र गुडम्बा में रास्ता पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही धांधली के सम्बन्ध में है, बान्नबेवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के पनवाड़ी कस्बा में रोडों को गड्ढामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ला की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर के राठ में कतिपय मुकदमे में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सदर में पं0 कमला पति त्रिपाठी महाविद्यालय में बी0एच0सी0 का कार्य चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के

मौजा कुन्दनपुर में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रमाण-पत्र दिलवाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद लखनऊ में ध्वस्त हो चुकी जीर्ण-शीर्ण सड़कों, सीवर/ड्रेनेज एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर की मिलों द्वारा केमिकलयुक्त पानी सीधे नदी में बहाने से रोके जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया की ग्राम सभा मकरहा में नहर की पुलिया से पालीटेक्निक तक रोड के किनारे ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अवैध रूप से बने मकानों को हटवाते हुए रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है तथा सौवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की औद्योगिक क्षेत्र गजरौला द्वितीय के भू-खण्ड संख्या-आई-2 के बहाली के सम्बन्ध में है।

[02:46] नियम-51 व नियम-56 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके कार्य क्षेत्र में न हस्तक्षेप करता हूँ न मैं चुनौती देता हूँ, लेकिन मान्यवर, अभी तक यह परम्परा रही है कि नियम-51 की सूचनायें सत्ताधारी दल कभी नहीं देता था। अब कल मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के लोग भी देते हैं। यह परम्परायें नई शुरू हो रही हैं। इसी तरह से अगर नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना के कार्य का काम रोको का भी दें तो इस सरकार का क्या मतलब है। सरकार को सदस्यों को तो अपने मंत्रियों से मिलकर अपनी बात कहने का अधिकार है। यह विपक्ष का अधिकार है। जब माननीय केसरी नाथ त्रिपाठी जी थे तब एक नियम-51 लिया जाता था, बाद में उन्होंने बढ़ा कर 5 कर दिया। जब मैं आया तब नियम-51 की 10 सूचनायें कर दीं, जिससे विपक्ष के लोग जो बड़ी संख्या में अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, नियम-51 के माध्यम से अपनी सूचना का जवाब प्राप्त कर लें। अगर 10 सूचना में 06 सूचना सत्ता पक्ष के लोगों की होंगी तो हम लोगों का क्या होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप जानते हैं कि यह विपक्ष का नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग बड़े पैमाने पर देते हैं। अब मैं चाहता था कि नियम-56 भी दे देते तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं था। इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको इसमें इसकी व्यवस्था देता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जब हमारे उपयुक्त डॉक्टर साहब यहां पर होंगे, तब कहियेगा। मैं फिर अपने उपयुक्त डॉक्टर साहब के सामने निवेदन कर रहा हूँ कि जी0एस0टी0 का जो प्रकरण है उसको आज यह पूरा सदन सुनना चाहता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्या कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी, जिनका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में 10 सूचना ही लेते थे, अगर विपक्ष के मा0 सदस्य यह तय कर लें कि 10 ही ली जायेंगी, तो उसके ऊपर यहां पर पुनर्विचार किया जा सकता है। आप लोगों की डिमाण्ड है कि बढ़ा ली जायें। इससे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। कोई भी सदस्य अगर सरकार से कुछ पूछना चाहता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन का समय इतना कम है। कल सदन का अन्तिम दिन है, तो जिन लोगों की सूचनायें आज आपने स्वीकार की हैं, उनकी कल भी ले लें।

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य के कुछ अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। नियम-300 लेने के बाद हम प्रश्नकाल ले लेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब छोटे पाण्डेय जी वाली बात आ चुकी है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आज नियम-301 और नियम-51 की सारी सूचनाएं स्वीकृत कर दीं। हम लोग अन्तिम दिन का इन्तजार करते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होती है, उसको रोक कर रखते हैं कि वह अन्तिम दिन स्वीकार होगी ही होगी।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपका मन है अन्तिम दिन हो गया, तो अन्तिम दिन के बारे में विचार रखो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम लोग सूचना कल नहीं लगा पायेंगे, तो अन्तिम दिन रुकने का मतलब ही क्या है ? इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि कल जो भी सूचनाएं आयें, वह सब स्वीकृत हो जायें ?

श्री अध्यक्ष-

आज जिनकी नहीं लगी हैं, उनकी कल स्वीकृत हो जायेंगी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

जिनकी सूचना आज लगी है, उनकी भी कल स्वीकृत हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

इसके ऊपर कल निर्णय लेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 को नियम-300 के अर्न्गत निम्नलिखित 08 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी, श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी' जी, श्री लालजी वर्मा जी, श्री पंकज पटेल जी।

श्री लालजी वर्मा जी, आपने दो-दो सूचनायें दी हैं। आपको मालूम है कि केवल एक सूचना स्वीकार होती है। आपने दोनों अग्राह्य करने का मेरे पास कारण दे दिया।

श्री लालजी वर्मा-

महोदय, यह सूचना पंकज पटेल जी की है।

श्री अध्यक्ष-

श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी, श्री जगदीश नारायण जी, डॉ0 मुकेश वर्मा जी एवं श्री रविदास मेहरोत्रा जी।

पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की, विधान सभा में समितियों का गठन करने के सम्बन्ध में। मा0 श्री लालजी वर्मा जी की भी उसी के ऊपर है, वह भी सुनी जायेगी और आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की भी उसी पर है, वह भी सुनी जायेगी। आप में से पहले कौन बोलेगा। श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी।

श्री रामकृष्ण भार्गव-

माननीय अध्यक्ष जी, मिश्रिख नैमिष में जो विकास परिषद् की स्वीकृति दी गयी है, उसके लिए आपको, सदन को, मा0 मुख्य मंत्री जी को, पर्यटन मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अपने तथा अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से देता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, ये कौन से नियम में बोल रहे हैं, इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

किसी भी नियम में नहीं है। आप बैठिये।

विधान सभा में समितियों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जिस नियमावली से हम सब चलते हैं। उसी उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958, जिसमें स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दी गयी है कि जब राज्य की नई विधान सभा, विधान मण्डल, विधान सभा गठित होगी, तो विधान सभा के अन्दर काम करने वाली समितियों का गठन पहले उपवेशन में या उसके ठीक बाद वाले उपवेशन में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

जिसको बाहर जाना है, वह शान्ति से चले जायें। यहां पर बात-चीत नहीं करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 के अन्तर्गत यह पिछली बार भी वरिष्ठ सदस्य मा0 लालजी वर्मा द्वारा उठाया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिए सदन द्वारा निर्वाचित।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बाहर जाकर बात करें। यहां खड़े होकर बात नहीं करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन व्यवस्थित हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बाहर जाकर बात करें। अगर बहुत आवश्यक है तो हां लॉबी या नॉ लॉबी में बैठकर बात-चीत करें। वह इतनी खराब नहीं बनी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं। श्री अजय सिंह, क्या नाम लेना आवश्यक है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 के जिस नोटिस पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। यह प्रकरण पिछली विधान सभा के सत्र में वरिष्ठ सदस्य आदरणीय लालजी वर्मा जी के द्वारा उठाया गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-200 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सदन की समितियों की नियुक्ति प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर प्रत्येक या वित्तीय वर्ष के पूर्व जब भी यह अवसर उत्पन्न हो विभिन्न समितियां विशिष्ट या समान प्रयोजनों के लिए सदन में निर्वाचित की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह सवाल पिछली बार उठा था, इसी सदन में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे सदन को यह आशवासन दिया था कि कल सदन खत्म हो रहा है और कल के बाद हम समितियों का गठन कर देंगे और जब यह प्रकरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में आया था, तब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पूरे सदन को यह आश्वस्त किया था कि सदन के समाप्त होने के तत्काल बाद अगले सदन के पहले समितियों का गठन कर दिया जायेगा। यह मिनिट्स में भी नोट है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है और शायद ही ऐसा कभी विधान सभा में हुआ हो कि इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी समितियों का गठन नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि चूंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में यह वक्तव्य दिया था। समितियों का गठन हो जना चाहिए यह नियमावली भी कहती है और लोकतंत्र को मजबूत करने में, विधायिका को मजबूत करने में, जनहित के मुद्दे रखने में इन समितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए मेरा आग्रह है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वह समितियों का गठन करने में अपनी बात कहें।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे संविधान के अनुसार जो हमारी नियमावली है उसके अनुसार भी, हमारे देश की जितनी भी विधान सभा हैं, सभी में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने भी सदन हैं, लोक सभा में नियमित रूप से सभी समितियों का गठन होता है और मा0 पूरे देश का एक भी ऐसा दृष्टान्त नहीं है कि इतने लम्बे समय के बाद भी समितियों का गठन न हो। हमारी नियमावली तो यह कहती है कि प्रथम सत्र के शुरू में ही उसके अन्दर समितियों का गठन कर दिया जाये, निर्वाचित कर दिया जाये। प्रथम सत्र में यह विषय आया और सदन ने सर्वसम्मति से आपको अधिकृत कर दिया। मा0 9 महीने पूरे बीत गए हैं और हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, सबका सम्मान, सबका विकास को मानते हैं। मा0 इन सभी बातों के रहते हुए भी अगर 9 महीने बीत जाने के बाद जो संसदीय समितियां हैं जिसमें मा0 इसी सदन में लोक लेखा की जो तमाम ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है वह समितियों को संदर्भित की जाती हैं। इसी तरह सार्वजनिक उपक्रम की ऑडिट रिपोर्ट आती है, वह भी समितियों को संदर्भित की जाती है। पंचायत की भी ऑडिट रिपोर्ट आती है, वह पंचायत समिति को संदर्भित करने का काम करती है।

मा0 यह संवैधानिक दायित्व है। उस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन ही नहीं हो पा रहा है। हमारे सदन में जो आश्वासन बनता है, सरकारी आश्वासन समिति है वह देखती है कि वह आश्वासन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यह हमारा कर्तव्य है, अनिवार्यता है, संवैधानिक व्यवस्था है। अगर यह समितियों का गठन टाला जा रहा है तो निश्चित रूप से मा0 यह लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था कि शिथिलता ही निरंकुशता को जन्म देती है। तो मा0 हम क्या लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, हम जो संसदीय परम्पराएं हैं उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, अगर यह ध्वस्त करना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन होना चाहिए और उसमें राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर लें कि जो आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार चलें। मा0 इसीलिए संसदीय समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है यह टालने वाला विषय नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मा0 आप इस पर पूरी तरह से संज्ञान लें और आज ही इसको गठित करने का काम करें, सदन ने आपको पूरा अधिकार दिया है। ऐसा भी नहीं है कि किसी बहुमत से अधिकार मिला है। सर्वसम्मति से अधिकार मिला है, मा0 जो भी कारण हों, उन कारणों को समाप्त करके इन समितियों को आज ही गठित करने की कृपा करें, आप से मेरा सादर आग्रह है।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान ने तीनों संस्थाओं को अलग-अलग दायित्व के साथ निर्मित किया है। विधायिका के बारे में यह कहा जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नजर रखेगी और उसको कहीं भी गलत दिख रहा होगा तो उस पर नियंत्रण करेगी। उस नियंत्रण का कारण क्या होगा ? विधायिका स्वयं नियंत्रण नहीं करती है। अपने समितियों के माध्यम से सरकार के कार्यों की वह छानबीन करती है और उसमें जो त्रुटियां पायी जाती हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करती है। दुर्भाग्यवश उस रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं हो पाती है, समयाभाव के नाते या किसी कारण से। तो जब तक सरकार के कामों का विधायिका स्पष्ट रूप से इस तरह नजर नहीं रखेगी, तो सरकार कहीं भी अनियंत्रित ढंग से काम करेगी। लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति है, अब तो तमाम तरह की समितियां हैं, उन समितियों के माध्यम से ही विधायिका, कार्यपालिका पर एक तरह से प्रभावी नियंत्रण कायम करती है। अब जब ये समितियां रहेंगी ही नहीं, तो कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हो ही जायेगी। लोक लेखा समिति रहेगी नहीं तो अधिकारी जितना चाहे, उतना खर्च करे, एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे, बजट है 05 करोड़ रुपये और खर्च कर देंगे 10 करोड़ रुपये।

सदन में जो आश्वासन दिया गया, उसकी जांच के लिए जब आश्वासन समिति रहेगी ही नहीं तो ये आश्वासन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, कभी पूछेंगे ही नहीं। तो इसमें विधायिका का जहां अधिकार खत्म हो रहा है, वहीं विधायकों के भी अधिकार खत्म हो रहे हैं। आज ही तमाम माननीय सदस्यों ने याचिकायें दी हैं, याचिका दी जाती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ऐसा नहीं है कि याचिका दे दिया और वह हो गया। ये याचिकायें, याचिका समिति में जाती हैं, उसका परीक्षण होता है, अधिकारी बुलाये जाते हैं उसके बाद उस पर विचार होकर उस काम को करने की बात होती है। जब समितियां रहेंगी ही नहीं तो कौन-सा काम होगा ? विकास का आधा काम तो समितियों के कारण रुक जायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपको अधिकार है और जब पूरी विधान सभा ने आपको अधिकृत कर दिया है तो आपको स्वयं नॉमिनेट कर देना चाहिए, इस पर सरकार के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह समितियां सरकार के अधीन नहीं हैं, यह आपके अधीन हैं। आपके नेतृत्व में चलती हैं, (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) यह आपका दायित्व है और पूरी विधान सभा ने आपको अधिकृत कर दिया तो सरकार का मुंह क्या देखते हैं ?

यह तो चाहेंगे कि इनके बारे में कोई सही जानकारी न होने पाये। इसलिए मान्यवर, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिये और आप स्वयं बैठ करके समितियों का गठन करिये, नाम आये या न आये। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके समितियों का गठन करें। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप भी कई समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, अगर समितियां नहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा ? अगर लोक लेखा समिति नहीं रहेगी तो आपके बजट की आपत्तियां कौन देखेगा, वह आपत्तियां कहां जायेंगी ? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी,

आप इनके चक्कर में न पड़िये। आप स्वायत्तशासी संस्था के अध्यक्ष हैं, आप समितियों का गठन करके इनको भेज दीजिए कि ये-ये समितियां हैं, बात खत्म। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि समितियां बना दीजिये, क्यों डर रहे हैं, कोई ज्यादा घपला हो गया है क्या ? मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि समितियों का गठन करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहेंगे या मैं कहूं।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी, मा0 लालजी वर्मा जी तथा मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो कुछ भी कहा है, समितयों की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रश्न-चिन्ह नहीं है, लेकिन जो परम्परा रही है कि पहले मा0 अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है और फिर सभी पार्टी के नेताओं से नाम मांगे जाते हैं कि आप अपने-अपने नाम दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, वह भी अपने आप में नियुक्त व निर्वाचित समझे जायेंगे, यही नियमों में व्यवस्था भी है। कुछ व्यस्तता के कारण नाम नहीं आ पाये हैं। इसी वजह से डिले हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 9 महीने से इतनी व्यस्तता रही कि नाम नहीं आ पाये। कभी-कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि जिस पार्टी से नाम नहीं आये हैं माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी उतनी संख्या रिक्त करते हुए समिति गठित कर दी है, ऐसा कई बार हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि उसकी उपयोगिता और आवश्यकता पर प्रश्न-चिन्ह नहीं है, न उसके बारे में कोई और विचार है। सिर्फ यही बात है कि अगर नाम आ जाते तो समितियों का गठन हो जाता। मैंने अभी भी माननीय नेता सदन को इस बात से अवगत कराया है कि नोटिस आया था। मैं समझता हूँ कि यह बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो संसदीय मर्यादा को धूमिल करने की दिशा में कदम है। पूरे देश में एक भी दृष्टान्त हो तो बता दें। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी बात पर सहमति रखी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही नाम आ जायेंगे, वैसे ही हम कर देंगे। मैं उसकी आवश्यकता को समझता हूँ, मैं स्वयं भी समितियों में रहा हूँ। यह सही है, लेकिन अगर मेरे पास नाम आ जाते तो हम भेज देते। मेरे पास जैसे ही नाम आ जायेंगे, वैसे ही हम भेज देंगे, व्यस्तता की वजह से नाम नहीं आ पाये हैं और कोई वजह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय वर्मा जी, माननीय पाण्डेय जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात को सुना। जो आपने कहा उससे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी वीभत्स नहीं हैं, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, उसकी संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन विगत कुछ महीनों से राजनीतिक व्यस्ततायें रही हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र इसको समय-सीमा के अन्तर्गत बांध देंगे। एक सप्ताह में अगर नाम आ जायेंगे तो समितियों का गठन कर दिया जायेगा।

विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा की नियमावली-1958 के अनुच्छेद-178 में स्पष्ट रूप से उपाध्यक्ष के चुनाव करने की व्यवस्था है। आपको अध्यक्ष बने हुए 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन हम जहां बैठते हैं, मेरे आगे की सीट खाली है, 9 महीने से उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है। मान्यवर, अगर आप सदन में नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष वहां पर वह कार्य संभालता है यह विषय उठा था और आपने कहा था कि इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हो कि मैं सदन में न रहूं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, हम लोग यह चाहते हैं कि आप या तो शीघ्र ही व्यवस्था दें और या तो उपाध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप नाम का प्रस्ताव करवा दीजिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, यहां किसी को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दीजिए। मेरे सामने कुर्सी खाली पड़ी हुई है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस कुर्सी पर किसी को बैठा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसमें मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

पिछले सत्रों में हुई विधान मण्डल की कार्यवाहियों के प्रकाशन में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री जगदीश नारायण की आपकी ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार की गई है। पिछले सत्रों में हुई विधान मण्डल की कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में यह प्रमुख सचिव, विधान सभा इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विधान मण्डल की कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में जो भी आवश्यक है, तत्परता के साथ उसको जल्दी करेंगे और उसकी सूचना मुझे भी देंगे और माननीय राय साहब को भी देंगे। तीन बजे से प्रश्नकाल था, सात मिनट लेट हो गया।

लोक सभा व राज्य सभा की भांति सदन में सदस्यों को वरीयता क्रम में बैठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इस विधान सभा को चलते हुए 09 महीने हो गए और आपने जो यहां पर परिवर्तन किया है वह सराहनीय है। चाहे वह हमारे बैठने की जगह हो या जो लोग सदन के अन्दर बैठे हैं, उन सभी के बैठने की व्यवस्था भी आपने कराई है। उसी पैटर्न पर कराई है जिस तरह से लोक सभा में और राज्य सभा में होती है। लेकिन जो निर्णय आपको लेना था वह निर्णय आपने पार्टी को दे दिया अब उनके पास तो कोई रिकार्ड है नहीं कि कौन सा सदस्य कितना सीनियर है और कहां पर बैठेगा, यह सारा रिकार्ड तो आपके पास रहता है तो इसमें आप ही को इस बात को सोचना है कि बहुत से हमारे जो पुराने सदस्य हैं वह पीछे बैठे हुए हैं। जो नये सदस्य हैं, पहली बार जीते हैं, दूसरी बार जीते हैं वह आगे बैठे हैं या तो यह व्यवस्था पहले जैसी कर दी जाए या तो आपने जो नियम बनाये हैं, उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

उसमें मेरा यह निवेदन है कि जैसे आपने कहा कि विधायक के नाते से सीनियारिटी मैं तय कर सकता हूँ, लेकिन कई ऐसे अवसर आते हैं कि पार्टी के कोई राष्ट्रीय महामंत्री हैं पहली बार चुन करके आये हैं तो यह पार्टी को निर्णय करना है कि उनको पीछे बैठाना है कि आगे बैठाना है। कई ऐसे माननीय सदस्य होते हैं जो पहली बार चुन करके आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं और कई ऐसे सदस्य होते हैं जो कई बार चुने जाते हैं, वह नहीं बन पाते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर को आपको आगे बैठाना है कि पीछे बैठाना है यह पार्टी का निर्णय होता है। विधान मण्डल दल जैसे श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी आगे बैठे हुए हैं उनको बैठना भी चाहिए। पूरे सम्मान के साथ यह मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ।

अब कोई सीनियर है तो वह आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे यह पार्टी के विधान मण्डल को तय करना होता है, इसलिए विधान मण्डल दल के हमारे जो नेता हैं या उनके मुख्य सचेतक हैं वह इस बात को तय करेंगे जैसे मैंने एक उदाहरण उधर का लिया था, एक उदाहरण इधर का लेता हूँ। हमारे माननीय शर्मा जी पिछली बार ऊर्जा मंत्री थे अबकी बार मंत्री नहीं हैं, तो उनको पीछे बैठना है कि आगे बैठना है यह पार्टी तय करेगी कि कौन सीनियर है और लोक सभा में भी यही होता है। उसी हिसाब से जैसे नाम होते हैं यह अच्छा होता कि यदि आप अपनी पार्टी में विधान मण्डल दल के नेता को कह दें तो वह उचित होता।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, इकबाल महमूद जी का यह आशय नहीं है, मान लीजिए कि आपने सीनियारिटी के आधार पर बैठने की बात की थी, लेकिन अगर जब फ्रंट का स्पेस नहीं बढ़ाया जायेगा। सीनियर बैठ ही नहीं सकता है, यह आपकी ही व्यवस्था है और आपके हाथ में ही है, पार्टी के लोगों के हाथ में नहीं हैं। आप अगला स्पेस ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो व्यवस्थित हो जायेगा और सीनियर आगे बैठ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जिस समय 425 सदस्य ही विधान सभा में होते थे अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड के समय 425 सदस्य होते थे, लगभग 15 सदस्य विधान परिषद् से भी होते थे। तो लगभग 440 सदस्य हो जाते थे और विधान सभा में सीटें केवल 379 थीं और 379 में 440 एडजस्ट हो जाया करते थे। अब तो 403 सदस्य हो गये और कुछ मंत्री हो गये तो 379 से 417 सीटें की हैं। यह भी 06 महीने के अन्तर्गत हुई हैं। जो 75 साल

में नहीं हुआ है वह 06 महीने में हुआ है। इस पुरानी बिल्डिंग के नाते से अब इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना पक्का है, कितना मजबूत है, क्योंकि यह 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो आपके द्वारा सुझाव दिया गया है, इसको दिखवा लेंगे और यदि उस इन्फ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकता है तो उसके ऊपर भी विचार कर लेंगे। धन्यवाद।

[03:31] प्रश्नोत्तर

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2025 तक पठन-पाठन की गुणवत्ता सुधारने विषयक

***1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री बृजभूषण राजपूत-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप कुमार सिंह)-

जी हां।

(1)राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय कौशल प्राप्त किये जाने हेतु सुनियोजित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

(2) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'निपुण भारत मिशन' के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन्स के अनुपालन में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

(3) बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत विस्तृत टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण दिवसों एवं घण्टों (अवधि) का निर्धारण किया गया है।

(4) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आकलन एवं वृद्धि के साथ-साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा गुणवत्ता ऐप के माध्यम से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन/स्टेट रिसोर्स

ग्रुप/डायट मेण्टर द्वारा ऑनलाइन चेकलिस्ट के आधार पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

(5) विभाग द्वारा क्लासरूम प्रेक्टिसेज यथा-रिमिडियल टीचिंग, विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों आदि हेतु 'ध्यानाकर्षण', 'आधारशिला' एव ''शिक्षण संग्रह' हस्तपुस्तिकायें समस्त परिषदीय शिक्षकों को उपलब्ध करायी गयी हैं।

(6) कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा एवं गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकायें विकसित की गयी हैं, जिसमें 22 सप्ताह की शिक्षण योजना इस प्रकार डिजाइन की गयी हैं कि कोविड के कारण हुए लर्निंग लॉस एवं 'निपुण भारत मिशन' में वर्णित कक्षा 1 से 3 की दक्षतायें वर्तमान सत्र में प्राप्त करायी जा सकें।

(7) विभाग द्वारा प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों के लिए आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप चार्ट, बिग बुक्स, स्टोरी कार्ड्स, टी0एल0एम0 आदि शैक्षणिक सामग्री, गणितीय कौशल बढ़ाने तथा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सुनिश्चित करने के लिए गणित किट्स एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान किट्स तथा विद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त खेल सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

(8) बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में पुस्तकालय/रीडिंग कॉर्नर की स्थापना करते हुए विद्यालयों में स्तरानुकूल एवं अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकों के विभिन्न सेट उपलब्ध करायी गये हैं। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने एवं पठन अभियान को गति प्रदान करने के लिए रीडिंग कैम्पेन भी संचालित किया जा रहा है।

(9) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में जिज्ञासा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने, प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता एवं एक्सपोजर विजिट तथा जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

(10) कोविड-19 महामारी की अवधि में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों की निरन्तरता को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित 'मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला' के अन्तर्गत विविध माध्यमों यथा-दूरदर्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, मिशन प्रेरणा, यू-ट्यूब चैनल, दीक्षा ऐप, मोहल्ला कक्षाओं आदि के द्वारा अभिभावकों/बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचायी गयी है।

(11) दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों के लिए अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, जिससे कक्षा शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने में मदद मिली है।

इस हेतु शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 6500 से अधिक ऑडियो-वीडियो शैक्षणिक सामग्री दीक्षा ऐप पर उपलब्ध करायी गयी है। विभाग द्वारा शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(12) छात्र-छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आकलन हेतु सुविचारित मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था स्थापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डॉ0 आर0 के0 वर्मा जी, उत्तर आपके पास है, आप अनुपूरक पूछ लीजिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मेरा प्रश्न बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता से सम्बन्धित है। मा0 मंत्री जी का नीति से सम्बन्धित जो जवाब है और जिस नीति का जिक्र किया गया है चाहे वह 'निपुण भारत मिशन' की बात हो या टाईम एण्ड मोशन स्टडी की बात हो या राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की बात हो, इन सभी की व्यवहारिक एवं भौतिक उपलब्धता का अभाव धरातल पर दिखायी पड़ता है। गुणवत्ता तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक छात्र तथा अध्यापकों का अनुपात भारत सरकार के शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा। मान्यवर, अभी भी उत्तर प्रदेश में 42230 ऐसे शिक्षामित्र हैं, जो टी0ई0टी0 क्वालिफाईड हैं। एक लाख से अधिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षामित्र हैं जो लगभग 20 वर्ष से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं बन पाये हैं। मान्यवर, दृष्टान्त है कि कोई अधिवक्ता अगर दस वर्ष कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वह जज भी बन जाता है, लेकिन यह शिक्षामित्र अभी तक शिक्षक नहीं बन पाये हैं। मात्र दस हजार के मानदेय पर अपने परिवार का जीवनयापन करा रहे हैं। इस महंगाई को देखते हुए इनके सामने एक गम्भीर संकट है। अगर यही हालात बने रहे तो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता को सुधारा नहीं जा सकेगा। मान्यवर, एक करोड़ से अधिक छात्र ऐसे हैं जो अभी जमीन पर बैठते हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे विद्यालय हैं जहां पर न तो सुगम रास्ता बन पाया है और न वहां पर विद्युतीकरण हो पाया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो 20 सेकेण्ड का है।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर आप 20 सेकेण्ड में अपना प्रश्न पूछिये। हम आपको 25 सेकेण्ड देते हैं, आप अपना प्रश्न पूछिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, गुणवत्ता के सम्बन्ध में अभी 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक आदेश संख्या-एन0सी0बी0सी0/07/10/2020 आया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती में संविधान के अनुच्छेद-14, 15 व 16 का खुला उल्लंघन हुआ है। उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-1 की उपधारा-3 एवं 6 का उल्लंघन हुआ है जिससे 5844 सीटें जो पिछड़े वर्ग की थीं वह सामान्य वर्ग में डाल दी गयीं। मान्यवर, मेरा आशय केवल छात्र व अध्यापकों का अनुपात ठीक करने से सम्बन्धित है। मैं यह प्रश्न करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं उनमें बड़े पैमाने पर 01 करोड़ से धिक छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठते हैं। क्या उन सभी छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु डेस्क-बेंच की व्यवस्था यह सरकार करेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज के महंगाई के दौर में शिक्षामित्र जो 10000 रुपये में अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं, भारत सरकार के न्यूनतम वेतनमान के बराबर क्या यह सरकार उनका वेतन 24000 करने पर विचार करेगी ? मेरा एक छोटा-सा अनुपूरक और है कि क्या यह सरकार पिछले 5844 ओ0बी0सी0 और अगर एस0सी0/एस0टी0 का भी मिला दे ंतो 11000 से अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन करायेगी ? मान्यवर, चौथा मेरा एक छोटा-सा प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, चार-चार प्रश्न एक साथ।

डॉ0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, सभी का एक साथ जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक साथ जवाब आ आयेगा तो अगला प्रश्न जल्दी ले लेंगे।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मेरा चौथा प्रश्न है कि सभी पाठशालाओं में कायाकल्प की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अभी तक छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिली हैं, अभी तक स्वेटर, जूते-मोजे विद्यालयों में नहीं गये हैं और ठण्ड का वक्त आ गया है तो क्या यह सरकार शीघ्रातिशीघ्र छात्रों को यह सभी सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो जिज्ञासा जताई है वह मूल प्रश्न से हटकर है, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर पूछे हैं। फिर भी मैं उनको आपके माध्यम से जनकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति 2017 से पहले थी और हमारे पांच वर्ष के पिछले कार्यकाल के बाद इस दूसरे कार्यकाल में भी हम इस स्थिति को देखें तो आज परिषदीय विद्यालयों की स्थिति काफी बेहतर है। मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत 19 पैरामीटर्स पर बहुत सारे कार्य किये गये हैं जिससे आज हमारे परिषदीय विद्यालय वाकई में विद्यालय कहलाने योग्य बन सके हैं। जहां तक मा0 सदस्य ने जिज्ञासा जताई कि शिक्षकों का और छात्रों का जो अनुपात है वह प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात है। इस अनुपात से हमारे विभाग में लगभग 6 लाख 28 हजार से भी अधिक शिक्षक हैं और इन शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात है यह हमारे विभाग में बराबर है इसको हम सब लोग बराबर बनाते हुए पठन-पाठन के कार्य को पूरी अच्छी तरह से सुगमता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।

जहां तक मा0 सदस्य ने बात कही कि आपके जो शिक्षामित्र हैं उनको जो अनुदान दिया जाता है उसको बढ़ाने की क्या व्यवस्था है ? तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गयी थी और उस वक्त इनको 1450 रुपये का मानदेय दिया जाता था इस मानदेय को बढ़ाकर 2200 रुपये किया गया, इसके बाद 3500 रुपये किया गया और मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस अनुदान को 3500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये शिक्षामित्रों के हित में किया गया। मुझे लगता है कि हमें पठन-पाठन के कार्य के ऊपर जो कि ये प्रश्न हमारे मा0 सदस्य के द्वारा पूछा गया था आज मैं बताना चाहता हूँ कि पठन-पाठन के कार्य को लेकर आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत पूरी

तरह से उसका पालन नई शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत पूरा पालन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत कक्षा-1 से लेकर कक्षा-3 तक के बच्चों के लिए गणित का और भाषा का ज्ञान इन सारे बच्चों मे ंहो, इस पर एक विशेष अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग अपने पूरे शिक्षकों के साथ जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है इस गति के साथ पिछले किसी भी कार्यकाल में कार्य नहीं हुआ है और आज पठन-पाठन का कार्य बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले 1 करोड़ 91 लाख बच्चों के भविष्य के साथ उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं मा0 मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने शिक्षकों का जो अनुपात बताया है वह पूरा बताया है लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग-अलग शिक्षकों की आवश्यकता होती है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस विषयवार जानकारी देने के लिए उसके अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे ? दूसरा सवाल है जो सबसे अहम है। मैं कई विद्यालयों में गया हूँ और वहां जाने पर पता चलता है कि शिक्षकों की प्रायः मीटिंग हुआ करती है उनको गैर शिक्षण कार्य भी दिये जाते हैं जैसे वोटर लिस्ट बनाने से लेकर तमाम अन्य कार्य दिये जाते हैं जिसके कारण वह उन्हीं कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और उसी का परिणाम है कि जो लोग जेब से सामर्थ्यवान हैं वह अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते हैं। जबकि पुराने समय में जितने भी हमारे देश के चाहे वह वैज्ञानिक हों, आई0ए0एस0 हों जो भी लोग हों वह प्राइमरी विद्यालयों से पढ़कर ही आगे बढ़े हैं। लेकिन आज इन विद्यालयों की स्थिति उस तरह की नहीं रह गयी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षकों से जो गैर शिक्षण का कार्य लिया जाता है उससे उनको मुक्ति देने का कार्य किया जायेगा ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

मानीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि शिक्षकों से नॉन एकेडमिक वर्क कराया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ और यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले समय में जिस तरह की स्थिति थी कि शिक्षकों को अधिकतर नॉन एकेडमिक वर्क से ही जोड़ा जाता था। पठन-पाठन के कार्य के लिए उनको कम समय मिलता था। इस तरह की स्थिति अब प्रदेश में नहीं है। इसको लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब न के बराबर किसी भी

शिक्षक को नॉन एकेडमिक वर्क में इन्वाल्व किया जाता है। शिक्षकों का पूरा समय पठन-पाठन में लगे इसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव कराये जाने विषयक

***2-श्री अतुल प्रधान-**

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1/2016/49/सत्तर-1-2016-15(12)(1)/94, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये ये हैं। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 03 अगस्त, 2016 द्वारा भी उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कुलपति द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। छात्र राजनीति से निकले हुए बहुत सारे लोग इस सदन में हैं। माननीय मंत्री जी का छात्र संघ चुनाव को लेकर जो जवाब आया है मैं उसके विषय में एक-दो सवाल पूछुंगा। छात्र राजनीति देश की आजादी के समय से लेकर चाहे कोई भी आन्दोलन हुआ हो। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, महानायक भगत सिंह, लाला लाजपत राय जी हर कोई कहता था कि युवा शक्ति छात्र शक्ति है। बेहतर बना सकती है, आजादी दिला सकती है। महात्मा गांधी जी ने जो भी आन्दोलन किये। उसमें छात्रों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और देश को आजादी दिलाई। देश की आजादी के बाद चाहे सम्पूर्ण क्रान्ति रही हो और 1974 में गुजरात की सरकार से वहां के इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों ने जो लड़ाई लड़ी। सिर्फ मैथ की फीस बढ़ाने पर जो लड़ाई लड़ी। उसके बाद पूरे प्रदेश की सरकार चुनी गयी। जे0पी0 आन्दोलन सम्पूर्ण क्रान्ति जिससे देश की इमरजेन्सी तो हटी ही थी, बड़ी सरकार भी हट गयी। आज इस समय पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज बतायें कि ऐसी क्या बात हुई है कि किसी कॉलेज में, किसी महाविद्यालय में, प्रदेश के किसी

विश्वविद्यालय में चाहे वह मेरठ का हो, चाहे इलाहाबाद का हो। पिछले कई दिनों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र धरने पर बैठे हैं। आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां नहीं बठे हैं। उप मुख्य मंत्री हैं, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। अभी श्री सोमदत्त जी आये हैं मंत्री हैं, मेरे विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। श्री ओम प्रकाश सिंह जी बी0एच0यू0 के महामंत्री रहे। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर देश के उच्च ओहदों पर, पदों पर कहीं राज्यपाल, कहीं विधायक, कहीं सांसद तमाम लोग हैं।

ऐसी क्या परेशानी है कि जो राजनीति की नर्सरी है, छात्र राजनीति उसको आपने बैन कर दिया। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि छात्र संघ के चुनाव में कोई रोक-टोक नहीं है। पहले भी खड़े होकर माननीय मंत्री जी ने बोला था लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए। आज बाबा साहब का महानिर्वाण दिवस है। मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिये, संगठित होइए और संघर्ष करिये। नौजवानों को अधिकार है। हर तरह के चुनाव होते हैं। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और यह लोकतांत्रिक देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पर छात्र संघ के चुनाव पर बैन है। कोई एक कॉलेज बता दीजिये जिसमें आपने पिछले पांच साल से छात्र संघ के चुनाव कराये। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप छात्र संघ के चुनाव कब करायेंगे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव सरकार कब करायेगी। कहा तो यह गया था कि चिराग हर घर के लिए होगा लेकिन चिराग मयस्सर नहीं है पूरे शहर के लिए। मा0 मंत्री जी बतायें छात्र संघ के चुनाव पर जो तालाबन्दी है उसको कब तक आप बहाल कर देंगे और पिछले पांच साल में आपने क्या व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी उत्तर दीजिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अनुशासित होने के नाते जितना जवाब होना चाहिए उतना ही दूंगा। इन्होंने कहा है कि चुनाव को बैन कर दिया गया है। सरकार ने छात्र संघ के चुनाव पर कोई बैन नहीं लगाया है दूसरा बात यह है कि लिंगदोह रिपोर्ट जो आयी है वह वैसे ही नहीं आयी है वह केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर जब लिंगदोह कमेटी बनी है उसने जो निर्देश दिये हैं उसके आधार पर चुनाव होना है और चुनाव का पूरा विषय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का है और सरकार ने उनको लिख कर दे दिया है कि लिंगदोह कमेटी की परिधि में चुनाव कराये जायें और सत्र शुरुआत के 6-7 सप्ताह नहीं कराने चाहिए। यही नियम है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है।

श्री अतुल प्रधान-

यह चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय में तो होते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं विश्वविद्यालय में गया और वाइस चांसलर से पूछा व महाविद्यालय के प्रिंसिपल से पूछा तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि सरकार से हमारे पास कोई अनुमति नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप सदन को अवगत करा दें और पूरे प्रदेश को अवगत करा दें कि क्या आपकी तरफ से चिट्ठी चली जाएगी प्रत्येक महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बताइये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, कम से कम तीन बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जा चुका है। पिछला पत्र वर्ष 2016 में गया है और एक पत्र अभी कुछ दिनों पहले हमारी सरकार में गया है। जैसा कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया विश्वविद्यालय चुनाव कराता है सरकार को कोई एतराज नहीं है। सरकार ने अपना निर्देश दे दिया है चुनाव करायेंगे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय सरकार निर्देशित कर चुकी है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, एक अनुपूरक हम पूछ लें। मा0 मंत्री जी आपको धन्यवाद आपने बताया कि पत्र सरकार की तरफ से चले गये हैं कि चुनाव कराये जायें। आपने कहा कि हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है लेकिन मैं भी ऐसे विभाग में दो बार रहा हूँ जहां तमाम विश्वविद्यालय रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अपर मुख्य सचिव जो विभाग के हैं वह इस तरह का कोई निर्देश विभाग को जारी कर दें कि अगर चुनाव की मांग हो रही है तो वहां के रजिस्ट्रार को निर्देश दे दिया जाये कि चुनाव करा दिया जाये तो ऐसा नहीं है कि वह आपके निर्देशों से बाहर चला जायेगा। आप बता दीजिये कि क्या ऐसा कोई निर्देश शासन स्तर से जायेगा बस मैं यही जानना चाहता हूँ।

(इस समय 03 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

अधिष्ठाता जी, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्वशासी संस्थाएं हैं। सरकार उनको सलाह दे सकती है व निर्देशित कर सकती है वह हम कर चुके हैं। अब चुनाव कराना उनका काम है जो लिंगदोह ने कहा है कि सत्र के शुरु 6-7 हफ्ते तक चुनाव नहीं कराने चाहिए तो उसी के हिसाब से वह कर रहे होंगे।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 मंत्री जी ने जो बात कही है कि सरकार के अधीन नहीं है कि वह खुद में अपनी बॉडी है लेकिन रजिस्ट्रार की नियुक्ति यहां से होती है और महाविद्यालयों में प्रिंसिपल की नियुक्ति आयोग करता है। पूरे टीचरों की सैलरी ये देते हैं। जब हम लोगों ने उनसे यह बात पूछी तो वाइस चांसलर ने कहा कि जिस दिन सरकार हमसे कह देगी तो हम चुनाव करा देंगे। बस मैं इतना मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ आप सारे महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में अपनी तरफ से एक चिट्ठी भिजवा दें कि तय समय पर चुनाव हो जायें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य अतुल प्रधान ने गम्भीर बात रखी है कि कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने व महाविद्यालय ने कहा है कि सरकार ने हमको निर्देश नहीं दिया है तो मा0 सदस्य उनका नाम दें। मैं उन पर कार्रवाई करूंगा।

प्रदेश में आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर की गई जनहित शिकायतों/समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के निस्तारण/अन्तिम निस्तारण के पूर्व शिकायतकर्ता से सुझाव/आपत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था विषयक

***3-श्री अभय सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर की गई जनहित शिकायतों/समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के निस्तारण/अन्तिम निस्तारण के पूर्व शिकायतकर्ता से सुझाव/आपत्ति प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आई0जी0आर0एस0 के अन्तिम निस्तारण के पूर्व ही शिकायतकर्ता से सुझाव/आपत्ति मांगने की प्रक्रिया उक्त प्रणाली में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर की गई जनहित शिकायतों/समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया के निस्तारण/अन्तिम निस्तारण के पूर्व शिकायतकर्ता से सुझाव/आपत्ति प्राप्त

करने की व्यवस्था लोक शिकायत अनुभाग-5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-540/चौंतीस-लो0शि0-05/2021, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 के बिन्दु सं0-03 में विस्तार से वर्णित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आई0जी0आर0एस0 से सम्बन्धित है। गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, गरीब या सामान्य आदमी जब वह सरकार के किसी भी तंत्र से पीड़ित होता है तो वह इसमें अपनी शिकायत दर्ज कराता है। जब सम्बन्धित व्यक्ति कलेक्टर, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसील और थाने में चक्कर लगाकर थक जाता है तो उसके सामने केवल एक आशा रहती है कि अब माननीय मुख्य मंत्री जी के पोर्टल अर्थात् आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायेंगे तब हमको न्याय मिलेगा। मैंने प्रश्न किया था कि क्या आई0जी0आर0एस0 के अन्तिम निस्तारण से पहले शिकायतकर्ता से सुझाव/आपत्ति लिये जाने की व्यवस्था की जायेगी तो सरकार का जवाब आया है कि प्रश्न नहीं उठता है। उसके पहले के बिन्दु में लिखा हुआ है कि बिन्दु संख्या-3 में इसकी व्यवस्था की गई है। मेरा कहना है कि बिन्दु संख्या-3 की व्यवस्था में शिकायतकर्ता से सिर्फ फीड बैक लिया जाता है कि आप निस्तारण से संतुष्ट हैं अथवा नहीं हैं। इसमें एक और प्राविधान है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को पुनर्जीवित करा सकता है लेकिन इस बात को 100 शिकायतकर्ताओं में से केवल 05 शिकायतकर्ता ही जानते हैं। बाकी लोग परेशान होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को कम्प्यूटर की जानकारी नहीं है।

हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है कि शिकायतकर्ता से आपत्ति या सुझाव प्राप्त किये जायें कि आपकी शिकायत के क्रम में यह रिपोर्ट आई और आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था करने से इंकार कर दिया है, कोई बात नहीं है। हम आपसे यह चाहते हैं कि शिकायतकर्ता ने अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की है जैसे गांव के किसी आदमी ने लेखपाल के खिलाफ शिकायत की है, उसने बीट के सिपाही के खिलाफ शिकायत की है, उसने गांव के सेक्रेट्री की शिकायत की है, उसने बिजली दफ्तर के बाबू या जे0ई0 के खिलाफ शिकायत की है तो कम से कम जिसके खिलाफ शिकायत की है उससे एक रैंक ऊपर के अधिकारी से जांच कराई जाये। इस समय हो यह रहा है कि जैसे किसी ने पोर्टल पर शिकायत की। जैसे कि शासन की अच्छी मंशा है कि जल्दी लम्बित संदर्भों का निस्तारण किया जाये।

लेकिन जब वह पत्र नीचे आता है तो बिल्कुल साइक्लोस्टाइल मैनर में वह पत्र उसी के पास चला जाता है जिसके खिलाफ शिकायत रहती है जिसके बाद सम्बन्धित कर्मचारी गांव में जाकर कहता है कि 'कितनो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास' अर्थात् चाहे तुम मुख्य मंत्री पोर्टल या प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दो लेकिन इसकी जांच हमारे ही पास आयेगी और मैं ही उसका निस्तारण करूंगा। वह फिर उसको धमकी देता है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिलवा देती हूँ।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि यदि शिकायत करने वाला व्यक्ति उत्तर या कार्यवाही से संतुष्ट है तब तो ठीक है लेकिन यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उस पर उसकी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, हमने अपने उत्तर में जिस शासनादेश का हवाला दिया है उसमें पूरी तरह से यह व्यवस्था दी गई है कि उसके ऊपर का व्यक्ति इस बात का परीक्षण करेगा कि जो उसने जवाब दिया है वह सही है या नहीं है। यदि वह यह समझता है कि उत्तर सही नहीं है तो उसके बाद सन्दर्भ को फिर से जांच में भेज देगा। इस प्रकार की स्थिति आई कि जब-जब लोगों ने इसमें लापरवाही की तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मेरे पास 01 जनवरी, 2022 से लेकर 30 नवम्बर, 2022 की सूचना है कि जिन्होंने इसमें लापरवाही की है अथवा सही उत्तर नहीं दिया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। मान्यवर, ऐसे लोगों के खिलाफ शासनादेश के तहत कार्यवाही होती है, बैड इन्ट्री दी जाती है और उनका इन्क्रीमेन्ट भी रोका जाता है। माननीय सदस्य यदि कहें तो हम कार्यवाही का पूरा ब्योरा दे सकते हैं। यह पूरी मुकम्मल व्यवस्था है कि आपत्ति का परीक्षण ऊपर का अधिकारी करेगा और परीक्षण के बाद ही उसका निस्तारण किया जायेगा। मान्यवर, यदि आप कहें तो हम कार्यवाही का विवरण बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से कार्यवाही का विवरण अलग से ले लीजियेगा या फिर माननीय मंत्री जी आपको सूचना भिजवा देंगे।

श्री अभय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारा अनुरोध कि जब किसी लेखपाल के खिलाफ शिकायत की जाती है तो वह शिकायत निस्तारण हेतु उसी लेखपाल को भेज दी जाती है। तो इस प्रकार के संदर्भ आरोपी कर्मचारी को ना भेजे जायें बल्कि वह उससे उच्च स्तर के अधिकारी को भेजे जायें जो उसमें जांच करे।

श्री अधिष्ठाता-

इस प्रश्न पर काफी डिस्कशन हो चुका है। आप माननीय मंत्री जी से लिखित उत्तर ले लीजियेगा।

श्री अभय सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी या अधिकारी शिकायत का गलत निस्तारण कर रहा है तो क्या उसका प्रमोशन रोकने, डिमोशन करने या इन्क्रीमेन्ट रोकने की कोई व्यवस्था की गई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां-जहां पर यह परिलक्षित हुआ है जिसने भी इस शिकायत का निस्तारण किया है और वह सही नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हम आपको कार्रवाई का पूरा विवरण दिये देते हैं। तीन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है, 51 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, 04 लोगों को नोटिस दिया गया है, 03 लोगों की अस्थायी रूप से वेतन-वृद्धि रोकी गयी है और 47 लोगों को चेतावनी दी गयी है। जब-जब यह पाया गया कि इसमें सही तरह से कार्रवाई नहीं हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गयी है। शासनादेश में व्यवस्था है कि जिस लेवल का अपराध है उसके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

प्रदेश में संविदा प्रणाली/आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में

***4-श्री विनोद सरोज (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली/आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश के संविदा कार्मिकों/आउटसोर्सिंग कार्मिकों को स्थायी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 12-09-2016 को 'उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोकसेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग और समूह-घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016' प्रख्यापित की गई है तथा शासनादेश

दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 निर्गत किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2021 को या उससे पूर्व समूह 'ग' और समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के क्षेत्र के प्रदेश के बाहर) पर दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो, वह सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण हेतु पात्र होगा।

सेवाप्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर आबद्ध मानव सम्पदा के विनियमितीकरण की राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-5 परीक्षा/2018 द्वारा आयोजित परीक्षा के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में

***5-श्रीमती सैय्यदा खातून-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-5-परीक्षा/2018 द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम 02-12-2021 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराकर नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त के विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की समय-सीमा निर्धारित कर नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में प्राप्त गोपनीय सूचनाओं/शिकायतों की पुष्टि/जांच आयोग स्तर से गठित जांच समिति द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सैय्यदा खातून-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, क्या मा0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 5-परीक्षा/2018 द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम 02-12-2021 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का डाक्यूमेण्ट वेरीफिकेशन कराकर नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त के विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के डाक्यूमेण्ट वेरीफिकेशन की समय-सीमा निर्धारित कर नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस परीक्षा को वर्ष 2018 में लिया गया था तथा दो साल बाद रिजल्ट निकाला गया था और एक साल बीत जाने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। क्या सरकार बतायेगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा का चयन लम्बित है उनकी समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो हमारी बहन ने पूछा है। इसमें हम केवल यही कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके के चयन होते हैं या कोई परीक्षा होती है तो उसके सम्बन्ध में अगर कोई शिकायत आती है, किसी प्रकार की शिकायत में कोई ऐसा तथ्य मिलता है कि उसमें जांच की आवश्यकता है तो इसमें यह महसूस किया गया कि इसमें जांच की आवश्यकता है। इसका परीक्षण करने के लिए खासतौर से एक कमेटी बनाई गयी है। श्री ओ0एन0 सिंह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं, श्री अवनीश सक्सेना सचिव हैं तथा श्री विद्या जायसवाल परीक्षा नियंत्रक हैं। इन तीनों लोगों की एक कमेटी बनी है जो इसका परीक्षण कर रही है और हमने इस बात के लिए निर्देश दे दिया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका निस्तारण करवा दें। यह बिल्कुल सही है कि इसमें काफी वक्त हो गया है और यह नहीं होना चाहिए था।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई समय-सीमा निर्धारित हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूँ कि एक महीने में हो जाना चाहिए। एक महीने में हो जायेगा।

प्रदेश में अल्पसंख्यक इण्टर कॉलेजों में अध्यापक/लिपिक तथा चपरासी के रिक्त पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में

***6-श्री महबूब अली-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक इण्टर कॉलेजों में अध्यापक/लिपिक तथा चपरासी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं तथा उक्त विद्यालयों में वर्ष 2018 से दिनांक 01-08-2022 तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या सरकार रिक्तियों के कारण सहित समस्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

जी हां।

अल्पसंख्यक विद्यालयों में सृजित/रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पदनाम	सृजित	रिक्त
1	प्रधानाचार्य	222	111
2	प्रधानाध्यापक	119	62
3	प्रवक्ता	1849	443
4	सहायक अध्यापक	5605	1681
5	प्रधान लिपिक	201	42
6	लिपिक	653	221
7	परिचारक	3285	1299

वर्ष 2018 से 01-08-2022 तक अल्पसंख्यक संस्थाओं में की गयी नियुक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	पदनाम	वर्ष 2018 से दिनांक 01-08-2022 तक नियुक्ति
1	प्रधानाचार्य	00
2	प्रधानाध्यापक	00
3	प्रवक्ता	08

क्र0सं0	पदनाम	वर्ष 2018 से दिनांक 01-08-2022 तक नियुक्ति
4	सहायक अध्यापक	59
5	प्रधान लिपिक	00
6	लिपिक	39
7	परिचारक	45
योग		**151**

विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महबूब अली-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा सीधा प्रश्न था कि अल्पसंख्यक स्कूलों में पिछले चार सालों में कितनी नियुक्तियां हुईं हैं और कितने पद रिक्त हैं। पिछले चार सालों में 33 प्रतिशत पद रिक्त हैं और चार सालों में 67 नियुक्तियां हुई हैं। शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार बड़ी लम्बी-लम्बी बातें करती है। यह बात सही है कि जहां शिक्षा दिमाग को विकसित करती है। प्रदेश के विकास में भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। अभी उच्च शिक्षा के बारे में भी बात हो रही थी, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी रही हो, जिसमें विवाद न हुआ हो। चुनाव कराना तो बाद की चीज है। उसी आधार पर 33.5 प्रतिशत रिक्तियां होने के बावजूद, मेरा सीधा सवाल यह था कि उसका कारण बता दें ? आपने पूरी लिस्ट दे दी, पूरे प्रदेश में यहां-यहां रिक्तियां हैं। शायद हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में 3800 पद रिक्त हैं। जिसमें पिछले चार सालों में सिर्फ 67 पदों पर आपने भरे हैं। मेरा सीधा अनुरोध है कि उसका न भरने का कारण बता दें और कब तक भर देंगे, यह मेरा सीधा सवाल है।

श्रीमती गुलाब देवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, सम्मानित सदस्य ने पूछा है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक इण्टर कॉलेजों में अध्यापक/लिपिक तथा चपरासी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि प्रवक्ता के 1849 पद सृजित हैं और 443 पद रिक्त हैं। सहायक अध्यापक के 5605 पद सृजित हैं और 1681 पद रिक्त हैं।

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ-396-399 पर।

श्री महबूब अली-

ये लिस्ट मेरे हाथ में है, आप मेरे अनुपूरक प्रश्न का जवाब दीजिये।

श्रीमती गुलाब देवी-

महबूब अली जी वह समय चला गया जब मनमाने तरीके से नियुक्तियां की जाती थीं तो एक-एक परिवार के 5-5 लोगों को रखा जाता था.....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

आप बैठ जाइये, सुन लीजिये। जो आपने प्रश्न किया है, उसका जवाब सुन लीजिये।

श्री महबूब अली-

मैं बैठूंगा थोड़ी, आप बात बढ़ा रही हैं, लेकिन अब आप मेरी भी सुनिएगा। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, वह बर्दाश्त नहीं।

श्रीमती गुलाब देवी-

महबूब अली आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने ही पूछे प्रश्न का जवाब नहीं सुन पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। उसी क्रम में, प्रधान लिपिक के 201 पद सृजित हैं और 42 पद रिक्त हैं, लिपिक के 653 पद सृजित हैं और 221 पद रिक्त हैं, परिचारक के 3285 पद सृजित हैं और 1299 पद रिक्त हैं। मान्यवर, दूसरा प्रश्न जो इन्होंने पूछा है कि वर्ष 2018 से दिनांक 01-08-2022 तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? वह भी मैं अपने महबूब भाई को बता रही हूँ कि इसमें सहायक प्रवक्ता के 08 नियुक्तियां की गयीं, सहायक अध्यापक के 59 नियुक्तियां की गयी हैं। लिपिक की 39, परिचारक की 45 नियुक्तियां की गयीं, इस प्रकार कुल 151 नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, सबसे पहले तो बात यह हो जाए कि एक ही परिवार के पांच-पांच लोग कौन-कौन हैं, उनके नाम मंत्री जी उजागर करें। पढ़े बेटियां-बढ़े बेटियां, कन्या विद्याधन, जूडो कराटे, सैनिक स्कूल, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है और हिन्दुस्तान के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में माननीय अखिलेश जी ने जो कार्य किया है वह उल्लेखनीय है। हिन्दुस्तान के इतिहास में इतना काम शिक्षा के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी उजागर करें कि एक परिवार के पांच-पांच सदस्य कौन हैं, उनके नाम उजागर करें। मेरा सीधा सवाल है कि कब तक भर्ती कर देंगे और न भरने का कारण बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपके प्रश्न का लगभग जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री महबूब अली-

समाजवादी पार्टी की शिक्षा की योजनाओं को आप लागू नहीं कर पाये, शिक्षा को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया।

श्रीमती गुलाब देवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आप प्रश्न पढ़ लीजिए, ये जो भी पूछेंगे, उसका जवाब मैं दूंगी। इन्होंने मूल प्रश्न में कहीं नहीं कहा है कि कब तक नियुक्तियां की जाएंगी, आप प्रश्न के आधार पर जवाब लीजिए।

श्री महबूब अली-

माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि एक ही परिवार के पांच-पांच लोगों की नियुक्तियां की हैं, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनके नाम सदन के सामने बतायें।

श्री अधिष्ठाता-

मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब लगभग माननीय मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री महबूब अली-

मा0 मंत्री महोदया ने जो कहा है वह सदन के सामने बतायें। अब यह सदन की सम्पत्ति बन गया है, इन्हें सदन में बताना पड़ेगा, उनका सीधा समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय सदस्य, आपने अपने ऊपर उसे क्यों ले लिया ?

श्री महबूब अली-

आप अपने ऊपर की छोड़िए, मेरे जैसे दामन का आदमी बहुत कम मिलेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपके दामन के ऊपर और आपके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया। यह आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ?

श्री महबूब अली-

मंत्री महोदया बतायें, मैंने कौन सी गलत बात कह दिया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पच्चीसों साल से वह भी सदस्य हैं। वह 26 साल से इस सदन की सदस्य हैं।

श्री महबूब अली-

मैंने तो इस पर कमेण्ट ही नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

न तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, न आपका नाम लिया तो आप उस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं ?

श्री महबूब अली-

इसका सीधा अर्थ क्या होता है, मान्यवर ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, आप बता दीजिए कि कब तक नियुक्ति कर देंगे ?

श्री महबूब अली-

मंत्री जी बता दें कि नियुक्ति न करने का कारण क्या है ? 35 प्रतिशत रिक्तियां हैं।

श्रीमती गुलाब देवी-

अधिष्ठाता महोदय, यह नियुक्तियां मानक के आधार पर की जा रही हैं, जैसे कहीं किसी का रिटायरमेन्ट हुआ है, कहीं मृतक आश्रित हैं, तो जैसी परिस्थितियां होंगी, ऐसे जिन-जिन व्यक्तियों का नम्बर आयेगा, मानक के आधार पर उनको नियुक्तियां दे दी जायेंगी।

प्रदेश में जनपदवार विकास खण्डों में भू-गर्भ जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड या दूषित पेयजल की शिकायत तथा पाइप पेयजल सप्लाई योजनाओं से आच्छादन विषयक

***7-श्री मनोज कुमार पाण्डेय**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार विकास खण्डों में भू-गर्भ जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड या दूषित पेयजल की शिकायत है, उनमें से कितने में वर्तमान में टंकी से पाईप लाइन द्वारा पेयजल सप्लाई संचालित है तथा कितनों में तकनीकी

कारणों से सप्लाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार शेष विकास खण्डों में पाइप लाइन से पेयजल दिये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

***जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-**

प्रदेश में 20 जनपदों की 1,444 बस्तियों के भू-गर्भ जल में आर्सेनिक एवं 53 जनपद की 2,386 बस्तियों के भू-गर्भ जल फ्लोराइड से प्रभावित हैं। आर्सेनिक प्रभावित 1,318 बस्तियां पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं एवं शेष आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश के 53 जनपदों की फ्लोराइड प्रभावित 2,386 बस्तियों में से 1,749 बस्तियां पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। 637 बस्तियों में फ्लोराइड रिमूवल यूनिट लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। आंशिक जलापूर्ति वाली बस्तियों में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत यथास्थिति योजनाओं का पुनर्गठन अथवा रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश के समस्त आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं अन्य गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों/बस्तियों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत सतही/भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हमारा जो प्रश्न है, यह एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न है, माननीय मंत्री जी और यह सदन स्वयं अवगत होगा कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किन्हीं कारणों से फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित है। नीचे से ऐसा दूषित पानी आ रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों को बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ रहा है और कई ऐसे जनपद हैं जो सरकारी योजनाओं में भी चिन्हित किये गये हैं, जहां पर दूषित पानी पीने से लोग विकलांग भी हो रहे हैं। उन्हें लीवर सिरोसिस, किडनी में प्रॉब्लम और तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैंने सरकार और आपके माध्यम से जो प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के 20 जनपदों में 1444 बस्तियों के भू-गर्भ जल में आर्सेनिक और 53 जनपदों की 2386 बस्तियों का भू-गर्भ जल फ्लोराइड से प्रभावित है और इसमें सरकार की तरफ से जो जवाब है कि आर्सेनिक प्रभावित 1318 बस्तियां पाइप पेयजल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना से आच्छादित हैं, शेष आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो जिक्र किया है कि शेष आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, वह किन-किन जनपदों में हैं और उनकी संख्या क्या है ? दूसरा हमारा एक मूल प्रश्न ही था और उस मूल प्रश्न में हमने यह पूछा था कि जहां पर पूर्व में भी पेयजल हेतु पानी की टंकियां बनी हुई हैं, उनकी जो पाइपलाइन है, जो एक गांव से दूसरे गांव जाती हैं, वह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, इनकी संख्या पूरे प्रदेश में बहुत है। विभाग यह कहता है कि इसके मेन्टीनेन्स की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है और उसे ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी के पास इसके कुछ आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्थान हैं, जहां ग्राम पंचायतों ने उनका मेन्टीनेन्स नहीं कराया है और कई वर्षों से वह पाईप लाईनें क्षतिग्रस्त हैं। वहां पर पाईप लाईन पड़ी होने के बाद भी और टंकी लगी होने के बाद भी लोगों को पाईप लाईन से पानी नहीं मिल पा रहा है। तीसरा एक उदाहरण यह है जो कि मा0 मंत्री जी के संज्ञान में हम लाएंगे। जिस कांस्टीटुएंसी से हम आते है। ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र से जिसमें हमने जांच कराई और खुद जाकर के देखा कि लगभग 18 ऐसी पानी की टंकियां हैं जो पूर्व में लगी हुई हैं और आपके जल जीवन मिशन में जो लग रही हैं उससे नहीं जो पूर्व में लगी हुई हैं उनकी पाईप लाईनें क्षतिग्रस्त हैं और पिछले पांच सालों से इनमें लोगों को टोटी से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ऊंचाहार, विकास खण्ड रोहनियां जगतपुर और भीमसागौर से यह सम्बन्धित है। उनमें 18 ऐसी पानी की टंकियां हैं जो पांच साल से न ग्राम पंचायत से रिपेयरिंग कराई गई और न विभाग से कराई गई। रोहनियां ब्लाक आपकी लिस्ट में आर्सेनिक और फ्लोराइड से भी प्रभावित है। टाईम्स ऑफ इण्डिया ने एक बड़ी खबर लिखी थी कि वहां पर लगभग 156 लोग लीवर सिरोसिस से प्रभावित हो गए और जो बच्चे वहां पर जन्म ले रहे हैं वह कहीं न कहीं विकलांग हो रहे हैं। मा0 मंत्री जी से प्रश्न भी है और इस पर आग्रह भी है कि इस पर सार्थक निर्णय सरकार की तरफ से हो।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मा0 विधायक जी ने जो प्रश्न उठाया है जैसे आजमगढ़ की कोई बस्ती नहीं है, बहराइच में 17 बस्तियां हैं जो रिओन यूनिट से आच्छादित हैं और बलिया में 102 बस्तियां हैं, बरेली में 3 बस्तियां हैं, गोरखपुर में 2 बस्तियां हैं, कुशीनगर में 2 बस्ती हैं ऐसे कुल 126

बस्तियां हैं। सम्भल, सन्तकबीरनगर, सोनभद्र, महाराजगंज और लखनऊ में। इधर आगरा में एक बस्ती है, प्रयाग में 3 बस्तियां हैं। इस प्रकार चित्रकूट, फर्रुखाबाद, इटावा, एटा, देवरिया यह सभी मिला करके लगभग 636 रामपुर नगर, कौशाम्बी, खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज आदि सभी में शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था हो रही है। यह योजना वर्ष 2019 से चली है और आगे के लिए योजना बनी है जो प्रधानों को सौंप दिया जाता था। आगे इसीलिए जल जीवन मिशन की योजना बनी कि 10 साल तक जो काम करे उसकी देख-रेख उसी कम्पनी को करना है। इसलिए व्यवस्था की गयी है और वास्तव में संकट है। ऐसे सभी बस्तियों का घर-घर पानी और शुद्ध पेयजल जो पुरानी व्यवस्था दी गयी है। आप हमें लिखकर दे दीजियेगा हम आपसे बात कर लेंगे।

***8-श्री पंकज मलिक-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में चौगामा नहर परियोजना के सम्बन्ध में

***9-श्री अजय कुमार-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चौगामा नहर परियोजना को पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस परियोजना के पूर्ण होने से कितने हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन सृजित होगी और प्रदेश के कितने कृषक लाभान्वित होंगे ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

हिण्डन कृष्णी दोआब परियोजना (चौगामा क्षेत्र) में जनपद मुजफ्फरनगर एवं बागपत के 24 ग्रामों में कृषकों को खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978 में स्वीकृत की गयी थी। हिण्डन कृष्णी नहरों का उदगम पूर्वी यमुना नहर के कि0मी0 71.578 से निकलने वाले लोई राजवाहे के टेल से होता है।

परियोजना के अन्तर्गत 342.00 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण एवं 09 अदद नहरों (कुल लम्बाई 102.250 कि0मी0) के सापेक्ष 336.00 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण एवं 09 अदद नहरों (कुल लम्बाई 98.200 कि0मी0) का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 96 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है एवं 11040 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी है। परियोजना पर अब तक कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय

की गयी धनराशि रु0 95.62 करोड़ है। परियोजना के अवशेष कार्यों में 3 नहरों में 4.050 कि0मी0 लम्बाई में गैप्स हैं तथा 6.00 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया जाना शेष है।

परियोजना के अन्तर्गत 11600 हेक्टेयर सिंचन क्षमता प्रस्तावित थी, जिसके सापेक्ष 11040 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी है, जनपद मुजफ्फरनगर एवं बागपत के 24 गांवों के कृषक लाभान्वित होंगे। विवरण निम्नवत् है :-

परियोजना में 102.250 कि0मी0 लम्बाई में नहरों का निर्माण कर 11600 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वर्तमान में 96 प्रतिशत लम्बाई (98.200 कि0मी0) में नहरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे 97 प्रतिशत (11040) हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित कर ली गयी है।

जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील व बागपत की बड़ौत तहसील के निम्नलिखित 24 ग्रामों में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1978 में यह परियोजना प्रारम्भ की गयी थी :-

जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील के ग्राम	**जनपद बागपत की बड़ौत तहसील के ग्राम**
1	2
1-बुढ़ाना	1-टीकरी
2-जौला	2-दोघट
3-परासौली	3-निररपुडा
4-कमरुद्दीन नगर	4-दाहा
5-बिराल	5-आजमपुर-मुलसम
6-कुरालसी	6-बामनौली
7-विज्ञाना	7-सूजती
8-चन्धेड़ी	8-भगवानपुर
9-बडकता	
10-कुरथल	
11-बड़ौदा	
12-सठेडी	

1	2
13-विटावदा	
14-इटावा	
15-जोगियाखेड़ा	
16-अटाली	

क्षेत्र के 02 ग्रामों अटाली एवं बामनौली में चकबन्दी प्रक्रिया जारी रहने से एवं 01 जनवरी, 2014 से प्रभावी (भू-अर्जन अधिनियम-2013) लागू होने से भूमि की दरों में अत्यधिक वृद्धि (चार गुना) के कारण परियोजना के अवशेष कार्य सम्पादित कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक लोक महत्व का बहुत ही जरूरी प्रश्न है जोकि मुजफ्फरनगर और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली हिण्डन कस्मी दोआब परियोजना जो कि प्रॉपरली चौगामा नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह परियोजना कई वर्षों से बन्द पड़ी हुई थी। मैं मा0 मंत्री जी को और विभाग को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि मेरे बार-बार अनुरोध पर कई वर्षों से बन्द पड़ी हुई सिंचाई परियोजना को आपने चालू किया और इसमें सफाई का कार्य आरम्भ हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कार्य अभी अवशेष हैं। कुछ भूमि का क्रय किया जाना शेष है और लगभग चार किलोमीटर लम्बाई में गैप्स हैं और छः हेक्टेयर भूमि मात्र का क्रय किया जाना शेष है। मैंने अपने प्रश्न के मूल के पहले भाग में मा0 मंत्री जी से पूछा था कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चौगामा नहर परियोजना को पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित है। मा0 मंत्री जी ने आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में समय-सीमा का कोई जिक्र नहीं किया। मेरा मा0 मंत्री जी से आग्रह है कि आप किसान परिवार से हैं। किसानों का दर्द समझते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रश्न के साथ मेरा आपसे आग्रह भी है कि इस परियोजना को पूर्ण कराने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जाये। मा0 मंत्री जी, इसी में मेरा एक सवाल और भी है। मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ, शायद आपको मालूम भी न होगा कि पूर्वी यमुना नहर के अन्तर्गत कल्लरपुर में जो कल्लरपुर रजवाहे से पानी आता है, जो लोई रजवाहे

से पानी आता है तो कल्लरपुर और लोई रजवाहे की क्षमता निरन्तर घटती जा रही है। पिछले कई वर्षों से उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इसकी क्षमता की पुनर्स्थापना कराने हेतु बजट एलॉट कर इसकी क्षमता पुनर्स्थापित कराने पर भी विचार कर लें और इस पर कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा क्योंकि विभाग की तरफ से आपको ऐसा पत्र जारी भी हो चुका है।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

अधिष्ठाता जी, इसमें दो ग्राम अटाली और बामनौली में चकबन्दी प्रक्रिया के कारण कठिनाई आ रही है। इसमें छोटा गैप है, मैंने कल अधिकारियों से बात की थी कि हम इस गैप को कैसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि वहां पर किसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए एक बार आपके साथ बैठ लेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा और पानी की जो क्षमता है उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन इसमें किसानों का सहयोग कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं एक बार अधिकारियों के साथ बैठ लूंगा। किसानों के हित में यह निर्णय है। बाकी काम मेरा हो गया है, थोड़ा सा गैप बचा है।

श्री अजय कुमार-

मा0 अधिष्ठाता जी, इसमें 4.5 करोड़ रुपये की बात है। कल्लरपुर और लोई रजवाहे की पुनर्स्थापना के लिए 4.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए आप इस धन को आवंटित कर उसको पूरी क्षमता से चलाने के लिए भी विचार कर लें।

श्री प्रसन्न कुमार-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आगे एक कल्लरपुर रजवाहा निकलता है, वहां पर एक टेक्निकल दिक्कत है। इसमें जब पानी इधर को चलता है तो वहां उसकी हाइट बढ़ा रखी है। इसलिए पानी कम आता है। इसलिए प्लीज मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस टेक्निकल चीज को यदि ठीक कर लिया जाये तो इससे इसमें काफी पानी आएगा तो चौगामा नहर में भी पानी आ जायेगा। यह हमारे शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत तीनों जनपदों की समस्या है।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

ठीक है, आप सब लोग एक बार बैठ लेना, मैं इसे देख लूंगा और किसानों के हित में जो भी निर्णय होगा, कर लिया जायेगा।

***10-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश के ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में

***11-श्री संदीप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों के तत्काल बाद ही चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने तथा नयी पंचायत का गठन हो जाने से प्रदेश में जिन पंचायतों में पूर्व प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान वर्तमान में लम्बित है, के भुगतान पर सरकार ने योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 माह अप्रैल-मई 2021 में सम्पन्न हुआ। उसके पूर्व निर्वाचित प्रधानों द्वारा औपचारिक वित्तीय/तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त जो कार्य कराये गये हैं तथा उक्त ग्राम पंचायत में सम्बन्धित कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध थी, उसका भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संदीप सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैंने मा0 पंचायती राज मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो काम पूर्व में ग्राम प्रधानों द्वारा करा दिया गया था, लेकिन काम होते ही अधिसूचना जारी हो गई और पूर्व ग्राम प्रधानों द्वारा जो काम कराया गया था, उसका भुगतान आज तक नहीं हो सका है। इसमें मा0 मंत्री जी द्वारा जवाब आया है और सामान्य सा जवाब है। मैं मा0 मंत्री जी से उसमें केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आज नई पंचायतों के गठन को लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया है और पूर्व में एक वर्ष पहले जो काम कराया गया था, उसमें आज पूरे प्रदेश में उन ग्राम प्रधानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनका भुगतान पूरी तरह से लम्बित है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, चूंकि प्रदेश के अन्दर ऐसी तमाम ग्राम पंचायतें हैं, जिनको सरकार द्वारा नई-नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, भुगतान से लेकर तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि पुरानी ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में कराये गये काम का भुगतान कराय जा सके। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ

कि आज एक वर्ष बीत गया लेकिन उनका भुगतान आज तक नहीं हो सका है तो क्या जिन ग्राम पंचायतों में पर्याप्त पैसा नहीं है, उन ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धन देने की कोई व्यवस्था की जायेगी ? क्या इसकी कोई समय-सीमा तय की जाएगी कि पुराने ग्राम पंचायतों के कार्यों का भुगतान इतने दिनों में करा दिया जायेगा, क्योंकि लगभग एक साल का समय हो गया है, बहुत सी ग्राम सभायें और लगभग 90 प्रतिशत ग्राम सभायें ऐसी हैं जहां के पुराने प्रधानों का भुगतान लम्बित है और जब वह जाते हैं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। हम मा0 मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहते थे क्योंकि नई ग्राम पंचायतें नये विकास की तरफ बढ़ रही हैं वह पुराने भुगतान की तरफ देखना भी नहीं चाहती हैं तो उस पुराने भुगतान की क्या व्यवस्था है। उसके लिए अलग से धन आवंटित किया जायेगा या नहीं किया जायेगा। अगर नहीं भी किया जायेगा तो उनका पुराना भुगतान कब तक कर दिया जायेगा क्या इसकी कोई समय-सीमा की जाएगी अथवा नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी। केन्द्रीय वित्त आयोग ने और पांचवे राज्य वित्त आयोग ने जो व्यवस्था बनाई थी उसके तहत 15 परसेन्ट जिला पंचायत, 15 परसेन्ट क्षेत्र पंचायत और 70 परसेन्ट ग्राम पंचायतों को पैसा दिया गया था। मान्यवर, जो इनका पुराने भुगतान का प्रकरण है उसके प्रश्न के उत्तर में भी हमने कहा है कि उन लोगों को उसका भुगतान किया जायेगा लेकिन भुगतान उसी सीमा तक किया जायेगा कि जिस दिन उनकी प्रधानी का आखिरी दिन था। मान लिया कि उनकी प्रधानी का आखिरी दिन 25 दिसम्बर था तो 25 दिसम्बर की तिथि को उनके खाते में जितना पैसा था उस सीमा तक यदि उनके द्वारा काम कराया गया है तो उसका भुगतान उनको दिया जायेगा। जितना पैसा उनके खाते में था ही नहीं उसका भी काम यदि उनके द्वारा करा दिया गया है चाहे किन्हीं कारणों से करवा दिया हो, उन कारणों पर हम नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन जिनके द्वारा सीमा के अन्दर खर्च किया गया है उनको पैसा देने का आदेश कर दिया गया है। चूंकि आपने समय-सीमा पूछी है तो मेरा कहना है कि एक महीने के भीतर उन लोगों को उस सीमा तक भुगतान कर दिया जाये, जिन लोगों ने प्रधानी के आखिरी दिन जितना उनकी ग्राम निधि में पैसा था यदि उस सीमा तक काम करवाया है तो उनको भुगतान कर दिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि मा0 सदस्य को इसके लिए सन्तुष्ट होना चाहिए और सरकार का धन्यवाद भी देना चाहिए।

श्री संदीप सिंह-

मैं इसमें केवल इतनी जानकारी और चाहता था कि जिन ग्राम पंचायतों के द्वारा सचिव के साथ मिलकर, क्षेत्रीय अधिकारियों के कहने पर ग्राम पंचायतों के द्वारा काम कराया गया। जिन अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों के साथ बैठकर, उनसे कहकर या उनको पत्र जारी करके उन लोगों ने अतिरिक्त काम करवा लिया गया है तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी अथवा नहीं की जाएगी, इस सम्बन्ध में हम मा0 मंत्री जी से जानकारी चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसके लिए स्टैन्डिंग आर्डर है। अगर कहीं शासनादेशों का उल्लंघन हुआ या कहीं अवैधानिक कार्य हुआ है तो उसके सम्बन्ध में तो एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। जहां कहीं पर भी हो यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तो उसके लिए बाकायदा नियमों में/रूल्स में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब हमें जानकारी नहीं है कि आप किस बात के लिए आप पूछ रहे हैं। मोटे-मोटे तौर पर जहां कहीं शासनादेश का उल्लंघन होगा वहां कार्रवाई होगी।

प्रदेश में बन्द वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों को पुनः संचालित कराये जाने विषयक

***12-डॉ0 संग्राम यादव (अनुपस्थित)-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना काल में वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण विद्यालय बन्द हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे वित्त विहीन विद्यालयों को पुनः संचालित कराने हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने व इस कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा गरीब छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में अधिक से अधिक प्रवेश का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में सुधार विषयक

***13-श्री जियाउर्रहमान तथा श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद शिक्षा सत्र वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रतिवर्ष

कितने-कितने छात्र इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होकर निजी पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पा चुके हैं एवं वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 में निजी पब्लिक स्कूलों में कितने छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया है ? क्या सरकार इस कानून के अन्तर्गत गरीब छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में अधिक से अधिक प्रवेश का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में सुधार पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जी हां।

शैक्षिक सत्र	प्रवेश कराये गये बच्चों की कुल संख्या
2017-18	27662
2018-19	46623
2019-20	59652
2020-21	72250
2021-22	79547
2022-23	82287

अधिसूचना संख्या-2510/79-5-2011-29/09, दिनांक 27 जुलाई, 2011 की नियमावली के अन्तर्गत प्रवेश की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जियाउर्रहमान-

मा0 अधिष्ठाता महोदया जी, मेरा प्रश्न था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षा सत्र वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रतिवर्ष कितने बच्चों को उसका लाभ मिल सका। मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने बताया कि इन 6 वर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में लगभग 27000, उसके बाद वर्षवार 46000, 59000, 72000, 79000 और अन्त में 82000 की संख्या बताई गई है। वर्षवार इतने बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कि इस उत्तर प्रदेश के अन्दर करीब 25 करोड़ लोगों की आबादी है और जिसमें से 29 प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन अर्थात् गरीबी रेखा के अन्दर जी रहे हैं और गरीबी रेखा की जो परिभाषा है वह सुनकर भी हमें आश्चर्य है। हम इससे हटकर कह रहे हैं लेकिन यह ताज्जुब की बात है 816 रुपये जो व्यक्ति गांव के अन्दर खर्च कर रहा है और शहर के अन्दर जो व्यक्ति

1000 रुपये के अन्दर खर्च कर रहा है वह बिलो पावर्टी लाइन के अन्दर नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मकसद इस अधिनियम का था कि कोई भी हमारे प्रदेश का बच्चा, उसकी जो बेसिक शिक्षा है, उससे वह महरूम नहीं रहे। उसको वह शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन हकीकत में, कागजों में और जमीन पर यदि हम देखें तो जमीन-आसमान का फर्क है। इतनी बड़ी जो 29 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसमें लगभग सवा 7 करोड़ लोग बिलो पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यदि हम ग्राफ उठाकर देखें तो उसमें से 1 परसेण्ट भी नहीं प्वाइंट 8 परसेण्ट एक साल के अन्दर आता है, जिन बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। क्या मजाक किया जा रहा है ? आज हम पूरे प्रदेश के अन्दर गांव में और शहर में देख सकते हैं कि गली-गली के अन्दर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और वह पैसों के अभाव में या किसी दूसरी दिक्कतों की वजह से यह हकीकत है कि आज जो अमीर व्यक्ति है, वह तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेता है लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता और जो क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन है, वहां पर अगर हम देखें तो खासतौर से अपने सरकारी स्कूलों के अन्दर वह नहीं मिल पाता।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसको एक्सप्लेन न कीजिए।

श्री जियाउर्रहमान-

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न कर रहा हूँ। जो बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज प्राइवेट स्कूलों के अन्दर मनमानी फीस वसूली जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की ? और उनको यह मालूम होना चाहिए कि आज जो इन्होंने एक कारखानों की तरह स्कूलों को बनाकर पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं, यदि आज आप देखें तो जो बेसिक शिक्षा मंत्रालय के अन्दर जो स्कूल आते हैं, उनकी बिल्डिंग को, सरकार अपनी पीठ तो अपने-आप ही थपथपा रही है और अपने-आप को शाबाशी दे रही है लेकिन उनकी बिल्डिंग्स खस्ताहालत में है। कहीं टीचर्स की कमी है तो कहीं ड्रेस समय पर नहीं मिल पाती, कहीं किताबें वक्त पर नहीं मिल रहीं। जब उनको सिलेबस ही नहीं मिलेगा तो वह कहां से पढ़ाई करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, इससे रिलेटेड आप 1, 2, 3 क्वेश्चन्स पूछ लीजिए।

श्री जियाउर्रहमान-

मान्यवर, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी का एक छोटा-सा वाक्या पेश करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के अन्तर्गत मुण्डापाण्डे ब्लॉक है, उसके अन्दर रामपुर बीला एक गांव है, वहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग थी। जब वह बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गयी तो टेम्परेरी तौर पर उस बिल्डिंग को, उस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया लेकिन उसके बाद आज सरकार वहां पानी की टंकियां बनवा रही है। खैर, टंकियां बनवायें, अच्छी बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल वहां था, उसकी जगह पर किन लोगों ने पानी की टंकी बनवाने का प्रस्ताव पास किया ? आज अगर वहां पानी की टंकी बनेगी, जहां स्कूल था, तो बच्चों को तालीम कहां मिलेगी ? स्कूल कहां बनेंगे, क्या वह उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर तालीम हासिल करेंगे ? मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक शिक्षा है, उसकी बेसिक जो जरूरते हैं, जहां टीचर्स की जरूरत है, जहां स्कूलों की बहुत जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप बहुत एक्सप्लेन मत करिए। आप टू द प्वाइंट पूछ लीजिए।

श्री जियाउर्रहमान-

मान्यवर, मैंने अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। खासतौर से जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी के मुताबिक कारखाने, फैक्ट्रियों की तरह अपने स्कूलों को चला रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, यह आप सदन को बताने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

आपने जो निजी प्रश्न अपने स्थान के पूछे हैं, आई थिंक वह जवाब उनके पास नहीं होंगे। मा0 मंत्री महोदय।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मा0 सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया था, उससे अलग उन्होंने अपने प्रश्न पूछे हैं। उनका जो मूल प्रश्न था वह यह था कि आर0टी0ई0 के अन्तर्गत बच्चों का जो दाखिला किया जाता है, उसमें कितने बच्चों का दाखिला आर0टी0ई0 के अन्तर्गत किया गया ? तो मैंने जो अपना उत्तर दिया है उसमें बताया है कि आर0टी0ई0 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 में 27662, 2018-19 में 46623, 2019-20 में 59652, 2020-21 में 72250, 2021-22 में 79547, 2022-23 में 82287 बच्चों को इसमें दाखिला दिया गया था। जो शिक्षा व्यवस्था आर0टी0ई0 के अन्तर्गत बनायी गयी है, उसके माध्यम से बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो आर0टी0ई0 के मानक हैं, इसके अनुसार उसी ब्लॉक के अन्तर्गत होना चाहिए,

उसी वार्ड में होना चाहिए, उसी नगर पालिका में उस स्कूल को होना चाहिए। नेबरिंग जो भी स्कूल्स होते हैं, उन्हीं स्कूल में जो आस-पास रहने वाले बच्चे हैं, उन्हीं प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को दाखिला दिया जाता है। मुझे लगता है कि यदि पिछले वर्षों को उठा कर देखा जाये तो प्रत्येक वर्ष इसकी संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है और बच्चों के पठन-पाठन के लिए सरकार के द्वारा पूरी तरह से हर एक सुविधा मुहैया करायी जा रही है। हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी मा0 सदस्य ने जो चिन्ता जताई कि परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की जो स्थिति है। मैंने अपने पहले उत्तर में भी इसके बारे में बताया था कि परिषदीय विद्यालयों में आज पठन-पाठन की स्थिति बहुत बेहतर हो गयी है। बच्चों को शिक्षकों के द्वारा आज सभी तरह के पठन-पाठन के कार्य कराये जा रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। टी0एल0एम0 के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जा रहा है। पोस्टर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। आज स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हमारे परिषदीय विद्यालयों में एजुकेशन दी जा रही है। वह सारी सुविधायें जो प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को मुहैया करायी जाती है सरकार के द्वारा हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं हर एक परिषदीय विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य आज उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि शिक्षा की जितनी चिन्ता माननीय सदस्य को है उससे ज्यादा हमारी सरकार को बच्चों के भविष्य की चिन्ता है। हम सब लोग मिल करके एक बेहतर कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चे के भविष्य को हम सब लोग उज्जवल बना रहे हैं।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे बस्ती शहर में और जितने भी शहर हैं, उन शहरों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके यहां एडमिशन के सापेक्ष क्या कोई ऐसा नियम है कि उन्होंने उस वार्ड में रहने वाले कितने बच्चों का एडमिशन लिया है और अपनी क्लास में कितने परसेन्ट तक के बच्चों का वह एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जानकारी बेसिक विभाग के डायट के माध्यम से या बेसिक के माध्यम से या फिर कहां से हो सकती है ? हम लोग कैसे उसकी जानकारी ले पायें कि विद्यालय में कितने बच्चों का एडमिशन लिया गया है ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में जो भी जानकारी मांगी है, उसकी जानकारी करके उसे माननीय सदस्य तक पहुंचा दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मेरे बस्ती जनपद में जितने भी इस तरह के प्राइवेट कालेज हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप मूल प्रश्न से भटक गये हैं। आप अपने स्थान का, अपनी विधान सभा क्षेत्र का विवरण उनको लिखकर दे दीजिएगा क्योंकि इस समय उनके पास उत्तर नहीं है।

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

मैं उन्हें लिखकर भी दे दूंगा लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध और निवेदन करूंगा कि आप अपने जनपद में भी इसकी जांच करा लीजिएगा कि आपके जनपद में इस तरह के जितने भी प्राइवेट कालेज हैं वह जिन बच्चों का एडमिशन लिये है। जितना उनके यहां बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसके सापेक्ष वह कितने बच्चों का एडमिशन लिये हैं, जो उस वार्ड के और शहर के अन्दर रहते हैं। मैं बस्ती जनपद का आपको लिखकर दूंगा आप अवगत करा दीजिएगा।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे हैं, एक विद्यालय में कितनी सीटें ऐसी होती हैं, निजी विद्यालय में जो उसी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बच्चों का दाखिला किया जाता है। एक तो यह पूछना चाहता हूँ और दूसरा आपसे अनुरोध है कि जनपद मुजफ्फरनगर के सभी निजी विद्यालय इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से लिखकर दूंगा। क्या उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का कोई नियम है ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, मुजफ्फरनगर का नहीं दे पायेंगे। सिर्फ जनरल आपको दे पायेंगे।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि हर एक विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्रों को आर0टी0ई0 के अनुसार दाखिला दिया जाता है इसके मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो भी जानकारी मांगी है वह उन्हें दे दी जायेगी। लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से नियमानुसार होती है और लाटरी के माध्यम से ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया की जाती है। सभी बच्चों को उसमें भाग लेने का अवसर मिलता है और जो भी बच्चे ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चिन्हित किये जाते हैं उन सारे बच्चों को आस-पास के जो भी विद्यालय हैं उनमें दाखिला दिया जाता है।

प्रदेश में कुल सिंचित/असिंचित भूमि का ब्यौरा और सरकार की हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना सम्बन्धी

***14-श्री विनोद चतुर्वेदी (अनुपस्थित)-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल भूमि में से कितने हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य एवं उक्त में से कितनी सिंचित है और कितनी असिंचित है ? क्या सरकार की हर खेत में पानी पहुंचाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में कुल भूमि 240.93 लाख हे0 है। उसमें से 188.40 लाख हे0 भूमि कृषि योग्य है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्य क्षेत्र में (खरीफ एवं रबी) फसली वर्ष 1429 (2021-22) में कुल प्रस्तावित 114.83 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.45 लाख हेक्टेयर (खरीफ एवं रबी) सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है तथा 15.38 लाख हे0 भूमि असिंचित रही।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ''हर खेत को पानी'' के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 15 जनपदों के 38 विकास खण्डों में हर खेत में पानी पहुंचाने हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ''हर खेत को पानी'' संचालित है, जिसके अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 46.37 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त रु0 26.51 करोड़ धनराशि में से 22.71 करोड़ धनराशि व्यय करते हुए 13884 उथले नलकूप, 240 मध्यम गहरे नलकूप, 40 गहरे नलकूप एवं 124 ब्लास्ट कूपों का निर्माण करते हुए 27311 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिलाओं को केन्द्रित कर उन पर हो रहे साइबर क्राइम को रोकने पर सरकार की नीति, उसका विवरण तथा अपराधियों को कड़ी सजा देने हेतु कारगर योजना विषयक

***15-डॉ0 रॉगिनी तथा श्री रामखिलाड़ी सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं को केन्द्रित कर उन पर हो रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका

विवरण क्या है ? क्या सरकार इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों को कड़ी सजा देने हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

साइबर अपराधों की रोकथाम व नियन्त्रण हेतु 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर स्थापित साइबर क्राइम थानों पर 'महिला साइबर हेल्प डेस्क' की स्थापना की गयी है। साइबर मुख्यालय व प्रदेश के समस्त थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के किसी भी स्थान से महिलायें/बालिकायें वीमेन पावर लाइन-1090 पर काल कर किसी भी प्रकार के साइबर अपराध/उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री नम्बर-1930 जारी किया गया है। आम जनमानस को साइबर अपराध से जागरूक करने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को 'साइबर जागरूकता अभियान' चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 पुलिस द्वारा 2350 सार्वजनिक स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित सी0सी0पी0डब्लू0सी0 (महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम) योजना के अन्तर्गत भी साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कराकर दोष सिद्धि के विचारण हेतु प्रभावी पैरवी करने के कारण ही वर्ष 2021 में दोष सिद्ध दर 83.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत दोष सिद्ध दर (42.7) के लगभग दोगुना रहा है। परिक्षेत्रीय साइबर थानों पर 'बेसिक फोरेंसिक लैब' एवं साइबर मुख्यालय पर 'एडवांस्ड डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब' की स्थापना की जा रही है। साइबर मुख्यालय लखनऊ पर तकनीकी रूप से जटिल विवेचनाओं में सहयोग हेतु 'साइबर एक्सपर्ट' की नियुक्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विगत वर्ष 2021 में अभ्यर्थियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति अर्हता परीक्षा स्वजनपद में कराने तथा प्रमाण-पत्र की वैधता न्यूनतम पांच वर्ष करने विषयक

***16-श्री अनिल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या-04-परीक्षा/2022 प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2022 (पी0ई0टी0 2022) क्वालीफाइंग एग्जाम का परीक्षा परिणाम मात्र एक वर्ष के लिए वैध है ? क्या सरकार

यह भी बतायेगी कि विगत वर्ष 2021 में कितने अभ्यर्थियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई है ? क्या सरकार उक्त प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा को स्वजनपद में कराने तथा प्रमाण-पत्र की वैधता न्यूनतम पांच वर्ष करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

वर्ष 2021 में कुल 4,264 अभ्यर्थी चयनित किये गये।

जी नहीं।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-15/24/2018-का-4-2018, दिनांक 20-11-2018 में परीक्षा की शुचिता के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को निवास के मण्डल में परीक्षा केन्द्र आवंटित नहीं किये जाने का प्रावधान है।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष किये जाने व उसके स्कोर की वैधता अवधि परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान है।

श्री अनिल प्रधान-

अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न लगाया था कि सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या-04-परीक्षा/2022 प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2022 (पी0ई0टी0 2022) क्वालीफाइंग एग्जाम कराया गया है और 2 वर्षों से लगातार इस एग्जाम को कराया जा रहा है। पूरे सदन के सभी सदस्य इस बात को जनते होंगे। दो सालों में हमारे बहुत सारे भाई-बहनों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है तो मेरा सवाल था कि जो उसकी बाध्यता 01 साल के लिए है, क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? मैं चाहूंगा कि उसको 01 साल से बढ़ाकर 05 साल कर दिया जाये। मेरा दूसरा सवाल था कि जो बच्चे उसमें परीक्षा देने जाते हैं, उनके सेण्टर दूर-दूर पड़ते हैं, जैसे चित्रकूट का बच्चा बनारस परीक्षा देने जाता है, बनारस का बच्चा लखनऊ परीक्षा देने जाता है।

उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश के तहत मण्डल स्तर पर परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी अर्हता 01 साल से 05 साल की जायेगी ? मैं दूसरी बात पूछता चाहता हूँ कि क्या सरकार इस

पर कोई नियम बनायेगी कि यह परीक्षा मण्डल स्तर पर हो। साथ ही मैंने सरकार से यह भी पूछा था कि 2020-2021 में पेट एग्जाम पास किये बच्चों में से कितने बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई है ? उसमें मंत्री जी का जवाब आया है कि 4,264 लोगों का चयन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन बच्चों को नौकरी दी गई है, उसकी जानकारी पटल पर आ जाये। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पेट की परीक्षा के दौरान बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई। चूंकि जिस प्रकार से ट्रेनों और सड़कों के माध्यम से लोग परीक्षा केन्द्रों पर गये, उससे बहुत सारी घटनायें घटीं। एक बांदा का लड़का ओम प्रकाश मिश्रा, उम्र 25 पुत्र अभिलाश मिश्रा निवासी बांदा की मृत्यु हो गई। ऐसे जिन लोगों की उन घटनाओं में मृत्यु हो गई है, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी ? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार जूनियर एडेड भर्ती विज्ञापन संख्या सहित लेखपाल भर्ती, सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती कब तक प्रारम्भ करायेगी ? चूंकि माननीय नेता सदन ने आज इस बात को कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी पड़ी थी, उस समय आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहनें, शिक्षामित्र, पंचायत में अनुदेशकों ने काम किया तो क्या सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी ? मैं आपके माध्यम से इस क्वेश्चन के अलावा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करते हुए चित्रकूट की बात करना चाहता हूँ। चूंकि सरकार ने यह कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे चित्रकूट में खाद की बहुत बड़ी किल्लत है।

श्री अधिष्ठाता-

यह क्वेश्चन से अलग विषय है।

श्री अनिल प्रधान-

अधिष्ठाता महोदया, मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि चित्रकूट में किसानों को खाद की जगह लाठियां मिल रही हैं। कम से कम चित्रकूट के किसानों को खाद मिल जाये। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे चित्रकूट में जिला अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से मिला था कि हमारे जिले में जो अस्पताल हैं, वहां डॉक्टर्स की तैनाती कर दें। इन दोनों विषयों पर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, वह प्रश्न अलग से दीजिएगा।

(इस समय 04 बजकर 21 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठसीन हुए)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछा गया कि अपने मण्डल में ही परीक्षा कराना चाहिए। हमने 01 साल से 05 साल करने वाले प्रश्न का जवाब दे दिया। अपने मण्डल में ही परीक्षा कराने वाली बात पहले महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए की गई थी, लेकिन महिलाओं के मामले में काफी गड़बड़ी सामने आई तब यह तय हुआ कि इसको खत्म कर दिया जाये और केवल दिव्यांग ही अपने जनपद में परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन बाकी लोग अपने मण्डल से बाहर ही प्री एलीजिबिलिटी टेस्ट देंगे। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि 4,264 को कहां-कहां लगाया गया है। मैं इसका जवाब दे दूँ, 115 लोग कनिष्ठ सहायक विशेष चयन परीक्षा, 2017 महानिरीक्षक निबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश में 07-01-2021 को लगाये गये हैं।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, हमने इसकी सूची उपलब्ध कराने की बात की थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्होंने खाद और अस्पताल के बारे में पूछ लिया। इस प्रश्न में खाद और अस्पताल कहां है ?

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब आ जाये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप देख लीजिए कि प्रश्नकाल 12 मिनट बाद शुरू हुआ था, इसलिए 12 मिनट का समय और बढ़ा दीजिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, कार्यवाही देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

12 मिनट नहीं, 5 मिनट बाद शुरू हुआ था। मैं कार्यवाही देख लूंगा। मैंने समय नोट किया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह परम्परा नहीं है, परम्परा यह है कि अगर 11 बजकर 10 मिनट पर शुरू हो तो भी 12.20 तक ही चलेगा।

(सदस्य श्री अनिल प्रधान लगातार अनुपूरक पूछने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

उस अनुपूरक से सब कुछ खत्म तो नहीं हो जायेगा। प्रश्नों का समय समाप्त।†

प्रदेश में कम्पोजिट विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाये जाने व सरकार द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेज से आच्छादित करने विषयक

***17-श्री संग्राम सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कम्पोजिट विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाये जाने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार कम्पोजिट विद्यालयों की ही भांति प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी स्मार्ट क्लासेज से आच्छादित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जी हां।

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार द्वारा 18,381 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, जिसमें कम्पोजिट विद्यालय भी सम्मिलित हैं, में स्मार्ट क्लास हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अवशेष विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से आच्छादित किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था उपलब्ध करने विषयक

***18-श्री प्रसन्न कुमार तथा डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जी नहीं।

नोट :-† नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में कुल 1,32,852 परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 1,21,009 विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध है।

'आपरेशन कायाकल्प' रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर, प्रभावी समय व सरकार द्वारा वर्तमान महंगाई के दृष्टिगत मनरेगा मजदूरी में वृद्धि विचार सम्बन्धी

***19-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में मनरेगा मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है तथा वर्तमान मजदूरी दर कब से प्रभावी है ? क्या सरकार वर्तमान महंगाई के दृष्टिगत मनरेगा मजदूरी में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित मजदूरी की दर रुपये 213/- है।

मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने/दोगुना किये जाने विचार विषयक

***20-श्री राजपाल सिंह बालियान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने/दोगुना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-400-401 पर।

श्री संदीप सिंह-

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2017 जारी किया गया है, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रु0 10,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए समरसेबुल व पानी की टंकी लगाने के कार्य में विलम्ब की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

1-श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा सहित प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए समरसेबुल व पानी की टंकी लगाने का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूरा नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जी हां। प्रदेश के कुल 1,21,280 विद्यालयों में से 18,649 विद्यालयों में पाइप पेयजल की सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध थी। कनवर्जेन्स के माध्यम से विभिन्न शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश के 40,357 विद्यालयों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी गयी। प्रदेश के समस्त जनपदों के विद्यालयों में पाइप पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2021 द्वारा कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कार्य आवंटित किया गया था। सितम्बर, 2022 तक उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद गोण्डा के 1,.329 विद्यालयों में पाइप पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी गयी है। इस प्रकार प्रदेश के कुल 1,21,280 विद्यालयों में से 97,361 विद्यालय पाइप पेयजल से आच्छादित हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं एवं कार्यदायी संस्था के माध्यम से अवशेष 23,919 विद्यालयों को संतृप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कार्य पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को नवम्बर, 2022 तक का समय प्रदान किया गया है।

2-श्रीमती सरोज सोनकर-

[03 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नदियों की सफाई की योजना के अन्तर्गत जनपद शामली से होकर निकलने वाली कृष्णा नदी की सफाई कराने सम्बन्धी

3-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों की सफाई की योजना के अन्तर्गत जनपद शामली से होकर निकलने वाली कृष्णा नदी की सफाई कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

नमामि गें कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में नदियों की सफाई की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम पंचायत बरामई खेड़ा से पिपरामई के रास्ते में नाले पर पुलिया का निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक

4-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम पंचायत बरामई खेड़ा से पिपरामई के रास्ते में नाले पर पुलिया टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत पुलिया जिला पंचायत, हाथरस द्वारा निर्मित सड़क पर पूर्व में ग्रामीणों द्वारा आने-जाने के लिए बनाया गया था। वर्तमान समय में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु0 25.00 लाख है। प्रश्नगत पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड

की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिये गये अनुमोदन/स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक संवर्ग की प्राईवेट परीक्षा व्यवस्था को बन्द किये जाने सम्बन्धी

5-श्री अतुल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों में स्नातक संवर्ग की प्राईवेट परीक्षा व्यवस्था को बन्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 06 राज्य विश्वविद्यालय यथा-महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्नातक संवर्ग की प्राइवेट परीक्षा व्यवस्था प्रचलित है। शेष 14 राज्य विश्वविद्यालयों के सापेक्ष 02 राज्य विश्वविद्यालयों (राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ) में स्नातक संवर्ग की प्राइवेट परीक्षा व्यवस्था प्रचलित नहीं रही एवं 12 राज्य विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दृष्टिगत प्राइवेट परीक्षा व्यवस्था बन्द कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के माली मैनहा में निर्मित बांध को कटान से बचाने हेतु बांध को उच्चीकृत कराये जाने विषयक

6-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के माली मैनहा में निर्मित बांध कटान के कारण वहां निवास कर रहे लोगों के जानमाल की हानि की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की वास्तविक स्थिति का आंकलन कराकर उच्चीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

माली मैनहा गांव राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित बैदौला भड़रिया तटबन्ध के कि0मी0 6.00 से 7.00 के मध्य स्थित है। कटान सुरक्षा हेतु उक्त बांध के कि0मी0 6.600 से 7.150 के मध्य 04 अदद स्टड, 04 अदद डैम्पनर एवं 01 अदद स्पर का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2006-07 में कराया गया था, जो विगत बाढ़ में कटान रोकने का कार्य किया है। बांध के कि0मी0 8.400 से 10.00 के मध्य जहां बांध नीचा है, उच्चीकरण एवं ब्रिक सोलिंग कार्य की परियोजना स्वीकृत है। स्वीकृत परियोजना में प्राविधानित कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता (गण्डक) बाढ़ मण्डल, बस्ती के स्तर से निविदा आमंत्रित की गयी है। अनुबन्ध गठन के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विगत बाढ़ से कटान में माली मैनहा गांव को कोई खतरा नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के कतिपय गांवों में सरकारी ट्यूबवेल (नलकूप) लगाने के सम्बन्धी

7-श्री मोहन वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के गांव रामपुर, सोहरौना, छपिया, रामपुर बुजुर्ग, घोटप विश्वा, भैसही बाजार, देवरार पिपरा में सरकारी ट्यूबवेल (नलकूप) लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 019519, दिनांक 27-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र ख-7 019519 दिनांक 27-05-2022 में नवीन राजकीय नलकूपों के लगाये जाने हेतु विकास खण्ड सुकरौली के अन्तर्गत ग्राम रामपुर सोहरौना एवं छपिया, विकास खण्ड हाटा के अन्तर्गत ग्राम रामपुर बुजुर्ग एवं घोटप विश्वा एवं विकास खण्ड मोतीचक के अन्तर्गत ग्राम भैसही बाजार एवं देवरार पिपरा में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। उक्त सर्वेक्षण में प्रस्तावित ग्रामों में नवीन राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया है।

वर्तमान में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त जनपद में राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों/कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों में से साध्य पाये गये स्थलों का प्रस्ताव जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तदुपरान्त समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों पर राजकीय नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र में पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्रताल को गंगा की अविरल धारा से जोड़े जाने सम्बन्धी

8-श्री चन्दन चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा में पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्रताल को गंगा की अविरल धारा से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र में पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्रताल को गंगा की अविरल धारा से जोड़ने हेतु कोई योजना नहीं है।

यद्यपि शुक्रताल तीर्थ स्थल पर वर्ष में दो बार आयोजित गंगा स्नान मेले के समय श्रद्धालुगण के लिए ऊपरी गंगा नहर के स्केप से रतमऊ नदी के द्वारा सोनाली नदी में तीर्थस्थल पर पानी उपलब्ध कराया जाता है।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र में पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्रताल के समीप गंगा नदी की शाखा सोनाली नदी में गंगाजल का अविरल प्रवाह कराने विषयक

9-श्री चन्दन चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र में पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्रताल के समीप गंगा नदी की शाखा सोनाली नदी में गंगाजल का अविरल प्रवाह करने की कोई ठोस योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र में पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्रताल को गंगा की अविरल धारा से जोड़ने हेतु कोई योजना नहीं है।

यद्यपि शुक्रताल तीर्थ स्थल पर वर्ष में दो बार आयोजित गंगा स्नान मेले के समय श्रद्धालुगण के लिए ऊपरी गंगा नहर के स्केप से रतमऊ नदी के द्वारा सोनाली नदी में तीर्थस्थल पर पानी उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी के रूप में कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्धी

10-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना को विकास खण्डों के माध्यम से संचालित किये जाने के शासनादेश के अनुसार विकास खण्ड के माध्यम से योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो कितने विकास खण्डों में योजना वर्तमान में संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी जिलों के विकास खण्डों में उक्त योजना संचालित किये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायतों द्वारा इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 24-12-2021 एवं शासनादेश दिनांक 07-04-2022 निर्गत किया गया है।

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 494 विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायतों में कार्ययोजना बनायी गयी है तथा 188 विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायतों में योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम बसन्तपुर बाकीपुर में किसानों के कृषि सिंचाई हेतु नहरों का साधन नहीं होने से किसानों की फसल असिंचित होने विषयक

11-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम बसन्तपुर बाकीपुर में किसानों के कृषि सिंचाई

हेतु नहरों का साधन नहीं होने से किसानों की फसल असिंचित रहती है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों के लिए नलकूप स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग के शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009, दिनांक 10-01-2018 के अनुसार जनपद बिजनौर का विकास खण्ड जलीलपुर अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है। शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों में नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रतिबन्धित है।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-824/76-3-2022-13एनजी-2020, दिनांक 14-06-2022 द्वारा निर्गत सूची में जनपद बिजनौर का विकास खण्ड जलीलपुर क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अतः प्रस्तावित ग्राम बसन्तपुर बाकीपुर में नवीन राजकीय नलकूप लगाया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल से ऊपर के फ्लोर पर लगी आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर/हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जाने विषयक

12-श्री अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल से ऊपर के फ्लोर पर लगी आग को बुझाने के लिए ऊंचाई से ऊंचा फायर टेंडर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार नोएडा में उक्त श्रेणी का फायर टेंडर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल से ऊपर के फ्लोर पर लगी आग को बुझाने के लिए फायर टेंडर नहीं बल्कि हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है। जनपद गौतमबुद्धनगर में लगभग 14 मंजिल (42.0 मीटर ऊंचाई) तक अग्निशमन कार्य/रेस्क्यू करने हेतु हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक हल्दौर-जलीलपुर नूरपुर में खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने विषयक

13-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक हल्दौर-जलीलपुर नूरपुर में कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प वर्तमान में खराब हैं और कितने ठीक हैं ? क्या सरकार खराब इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक कराकर पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड जलीलपुर में 34 हैण्डपम्प खराब (सामान्य मरम्मत/रि-बोर) हैं। विकास खण्ड हल्दौर में 04 हैण्डपम्प खराब (सामान्य मरम्मत/रि-बोर) हैं। विकास खण्ड नूरपुर में 11 हैण्डपम्प खराब (सामान्य मरम्मत/रि-बोर) हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत आने वाले उक्त तीनों विकास खण्डों में कुल 49 हैण्डपम्प खराब (सामान्य मरम्मत/रि-बोर) हैं।

अतः समस्त हैण्डपम्प कुछ समय पूर्व ही खराब हुए हैं जिनको घ्ठीक कराने की कार्यवाही ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के लोगों को स्वच्छ 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने विषयक

14-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विकास खण्ड जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगाने की योजना सम्बन्धी

15-श्री स्वामी ओऊमवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विकास खण्ड जलीलपुर हल्दौर नूरपुर के ऐसे गांवों में जहां नहरें व निजी ट्यूबवेलों के अभाव के कारण खेती की सिंचाई नहीं होती है, को चिन्हित कर सरकारी नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

दिनांक 01-04-2022 को बन्दी की सूचना के अनुसार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विकास खण्ड जलीलपुर में 95 राजकीय नलकूप, विकास खण्ड हल्दौर में 77 राजकीय नलकूप एवं विकास खण्ड नूरपुर में 75 राजकीय नलकूप संचालित हैं, जिनके द्वारा कृषकों को उनकी मांग के अनुरूप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-824/76-3-2022-13एनजी-2020, दिनांक 14-06-2022 द्वारा निर्गत सूची में जनपद बिजनौर का विकास खण्ड जलीलपुर क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत है। विकास खण्ड हल्दौर सुरक्षित श्रेणी में एवं नूरपुर सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत है।

लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ विभाग के शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04 आर/2009, दिनांक 10-01-2018 के अनुसार अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों में नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रतिबन्धित है।

वर्तमान समय में प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। परियोजना स्वीकृति के उपरान्त जनप्रतिनिधियों/कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों में से

सुरक्षित श्रेणी के विकास खण्डों में साध्य पाये गये प्रस्तावों को जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति के अनुमोदनोपरान्त चयनित स्थलों पर राजकीय नलकूप के निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर सहित प्रदेश में पेयजल संकट के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का नये हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने विषयक

16-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जनपद बिजनौर सहित प्रदेश में पेयजल संकट के निराकरण हेतु इण्डिया मार्कायुक्त नये हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवारों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से आच्छादित किये जाने की योजना संचालित होने के कारण।

पंचायत चुनाव में निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण-पत्र को अवैध बताकर निरस्त करने विषयक

17-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में किसी निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण-पत्र होते हुए भी किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र जाति प्रमाण-पत्र को अवैध बताकर निरस्त करना अपराण की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई का प्राविधान नियमावली में है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगामी महाकुम्भ 2024-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कैम्प स्थापना, नैनी क्षेत्र की तरफ पक्का घाट एवं गंगा बांध का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

18-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी महाकुम्भ 2024-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कैम्प स्थापना, नैनी क्षेत्र की तरफ लगभग 500 मीटर पक्का घाट एवं गंगा बांध का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना में ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत पानी की टंकी स्वीकृत/निर्माण कराये जाने विषयक

19-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी पानी की टंकी स्वीकृत हुई हैं तथा कितनी पानी टंकी लगायी जा चुकी हैं एवं कितनी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई जनता तक पहुंचाई जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना में ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 पानी की टंकी स्वीकृत की गयी हैं, जो निर्माणाधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

20-श्री हाजी इरफान सोलंकी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में पानी की सप्लाई जनता तक पहुंचाकर हर घर जल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी स्वीकृत/लगाये जाने विषयक

21-श्री संदीप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में हर घर जल योजना के अन्तर्गत कितनी पानी की टंकी स्वीकृत हैं तथा वर्तमान तक कितनी पानी की टंकी लगायी जा चुकी हैं एवं कितनी पानी की टंकी ऐसी हैं जिससे पानी की सप्लाई जनता तक पहुंचाई जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में 18 पानी की टंकियां स्वीकृत हैं। 12 पानी की टंकियों का कार्य पूर्ण है, जिससे आम जनमानस को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री संदीप सिंह-

[01-सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा योजना से बन रहे स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करने विषयक

23-श्री सचिन यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा योजना से बन रहे बाउण्ड्रीवाल विहीन 173 स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सभी निर्माणाधीन विद्यालयों की विकास खण्डवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कुल 264 विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। उक्त सूची का सत्यापन समस्त विकास खण्डों द्वारा कराया गया, जिसमें जनपद फिरोजाबाद में कुल 141 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण/उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उक्त समस्त बाउण्ड्रीवाल के निर्माण/उच्चीकरण का कार्य 31-03-2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

समस्त 141 विद्यालयों की विकास खण्डवार सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के गांवों में सफाई कार्य ठीक से कराये जाने व सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने विषयक

24-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के गांवों में सफाई कर्मियों की संख्या कम होने के कारण सफाई कार्य ठीक से नहीं होने से गांवों की नालियां एवं खड़न्जों पर गन्दगी है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

शासन द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम में 01-01 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति का प्राविधान है। वर्तमान समय में जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक-एक सफाई कर्मचारी नियुक्त है और उनके द्वारा सफाई कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में प्रस्तावित खुखुन्दु ब्लाक का निर्माण समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराये जाने विषयक

25-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में प्रस्तावित खुखुन्दु ब्लाक का निर्माण समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराकर सरकार संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद देवरिया के अन्तर्गत विकास खण्ड खुखुन्दु के सृजन हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल के नाम से दर्ज ग्राम खुखुन्दु, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के गाटा संख्या-589 क्षेत्रफल, 1.137 हेक्टेयर में से 0.907 हेक्टेयर भूमि को निरस्त कर विकास खण्ड कार्यालय खुखुन्दु के पक्ष में पुनर्ग्रहण करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर प्रस्तावित विकास खण्ड खुखुन्दु का सृजन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नेवादा जैतीपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराने सम्बन्धी

26-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-04-2021 जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय नेवादा जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नेवादा मोड़, विकास खण्ड जैतीपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत विकास योजना (क्रिटिकल गैप) के अन्तर्गत कराया जा चुका है।

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत विद्यालय के उच्चीकरण हेतु विद्यालय परिसर से सटी हुई भूमि पर एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावास का भवन निर्माणाधीन है। एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण हेतु विद्यालय परिसर से सटी हुई भूमि के उपयोग हेतु विद्यालय में निर्मित 54 मीटर बाउण्ड्रीवाल को कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0, इकाई बरेली द्वारा तोड़ा गया है। एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावास के भवन निर्माण के साथ ही बाउण्ड्रीवाल के तोड़े गये हिस्से को कार्यदायी संस्था द्वारा ही पुनर्निर्मित किये जाने का उल्लेख प्रोजेक्ट ले-आउट में है।

प्रश्न नहीं उठता।

27-श्री वीर विक्रम सिंह-

[01-सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राष्ट्रीय जल प्रबन्धन योजना/शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने सम्बन्धी

28-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-18150210074239 जो राष्ट्रीय जल प्रबन्धन योजना/शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्रांक 3320 सिं0का0म0 आई0जी0आर0एस0, दिनांक 22-05-22 को जांच कर प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच रिपोर्ट भेज दी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता से बिना साक्ष्य लिये जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर उक्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का राष्ट्रीय जल प्रबन्धन योजना/शारदा नहर खण्ड शाहजहांपुर में हुई सिल्ट सफाई में व्यापक भ्रष्टाचार विषयक पत्र दिनांक 21-10-2021 मुख्य मंत्री सन्दर्भ सं0-18150210074239 के रूप में अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर को प्राप्त हुआ था।

जी हां।

प्रकरण पर अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर के पत्रांक-3320 सिं0का0म0 आई0जी0आर0एस0, दिनांक 25-05-2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बरेली को उपलब्ध करायी गयी, जो मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बरेली द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गयी तथा पत्र दिनांक 28-05-2022 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी।

यह भी अवगतनीय है कि प्रश्नकर्ता का समविषयक एवं अन्य शिकायती पत्र दिनांक 21-10-2021 शासन में प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार मा0 सदस्य के पत्र संख्या-ख-6 नं0-610913, दिनांक 10-06-2022 द्वारा की गयी हस्ताक्षर की पुष्टि के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 22-07-2022 द्वारा प्रकरण की जांच कराये जाने के दिये गये निर्देशों पर प्रमुख

अभियन्ता कार्यालय द्वारा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पंचम मण्डल सिंचाई कार्य, बरेली को जांच अधिकारी नामित किया गया है तथा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता के शासन को सम्बोधित उपर्युक्त समविषयक पत्र दिनांक 21-10-2021 पर प्रकरण में नामित जांच अधिकारी द्वारा नियमानुसार श्किायतकर्ता से साक्ष्य प्राप्त कर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निजामपुर नगरिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का नव निर्माण कराये जाने विषयक

29-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निजामपुर नगरिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय के भवन का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निजामपुर नगरिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय का मूल भवन जर्जर नहीं है, ठीक अवस्था में है एवं इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध मा0 न्यायालय तहसीलदार, पुरवा, उन्नाव में बेदखली का वाद विचाराधीन होते हुए उप जिलाधिकारी, पुरवा, उन्नाव द्वारा लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित करने सम्बन्धी

30-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध मा0 न्यायालय तहसीलदार, पुरवा, उन्नाव में बेदखली का वाद विचाराधीन होते हुए उप जिलाधिकारी, पुरवा, उन्नाव द्वारा उक्त लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि

हां, तो क्या उक्त प्रकरण में शासनादेश संख्या-650/एक-9-15-9, राजस्व अनुभाग-9, दिनांक 16-09-2015 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार श्री अशोक पुत्र श्री मंगल, निवासी मो0 रमना मजरे, कांथा को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवास ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने एवं तत्समय निर्माण कार्य रुकवा कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर शासनादेश सं0-130/एक-2-2020 दिनांक 13-02-2020 के क्रम में उसी भूमि का जिस पर उक्त व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास मिलने के कारण निर्माण किया जा रहा था, पात्र होने के कारण 30 वर्गमीटर आवासीय आवंटन दिनांक 17-02-2020 को किया गया है तथा पट्टा आवंटन हेतु किसी प्रकार का अन्य सामान लाभार्थी प्रकाश में न आने के कारण किसी अन्य को आवासीय आवंटन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत पंचायत कांथा में राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों/विवरणों को सम्बन्धित सचिवों द्वारा गायब कर दिये जाने सम्बन्धी संयुक्त जांच कमेटी द्वारा परीक्षण/सत्यापन कराये जाने विषयक

31-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक, जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत पंचायत कांथा में राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों/विवरणों को सम्बन्धित सचिवों द्वारा गायब कर दिये जाने से संयुक्त जांच कमेटी द्वारा उक्त सम्बन्धित विकास कार्यों/अभिलेखों का स्थलीय सत्यापन नहीं किया जा सका था तथा संयुक्त जांच मेटी द्वारा दिनांक 23-12-2020 को प्रस्तुत जांच आख्या में तत्कालीन ग्राम सचिवों को दोषी पाया गया है ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 16-08-2022 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण में नामित जांच अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अभिलेखों की संयुक्त जांच कमेटी द्वारा स्थलीय परीक्षण/सत्यापन कराकर जांच सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

जी हां। संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम कांथा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु मृतक व्यक्तियों को सरकारी धनराशि आवंटन की जांच किये जाने विषयक

32-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम कांथा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु मृतक व्यक्तियों को सरकारी धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन मृतक व्यक्तियों को सरकारी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विधिक दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

मात्र 01 शौचालय वर्ष 2018 में विकास खण्ड असोहा की ग्राम पंचायत कांथा के मोहल्ला रमना में शासकीय धनराशि से विवादित भूमिधर की निजी भूमि पर लगभग 06 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी श्री छोटेलाल पुत्र जगन्नाथ के नाम पर शौचालय बनवाया गया है।

जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जांच आख्या के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-† देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-402-408 पर।

जिला उन्नाव के विकास खण्ड असोहा की ग्राम पंचायत कांथा के मोहल्ला रमन्ना में स्वर्गवासी श्री छोटेलाल पुत्र जगन्नाथ आदि के नाम पर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु आवंटित सरकारी धनराशि की जांच कराये जाने विषयक

33-श्री राम अचल राजभर-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-101 के उत्तर में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड असोहा, जिला उन्नाव के कार्यालय पत्र संख्या-1525, दिनांक 15-02-2022 के अनुसार वर्ष 2018 में जिला उन्नाव के विकास खण्ड असोहा की ग्राम पंचायत कांथा के मोहल्ला रमना में लगभग 06 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी मृतक श्री छोटेलाल पुत्र जगन्नाथ आदि के नाम पर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु सरकारी धनराशि आवंटित कर शासकीय धनराशि से दूसरे भूमिधर की निजी भूमि पर निर्मित उक्त शौचालय को सरकार हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

निजी भूमि पर शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूमि का न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा में वाद संख्या-239/17 श्रीमती फूलमती बनाम बुद्धीलाल आदि योजित है, जोकि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग सम्बन्धी दोषी सचिव ग्राम पंचायत के वेतन से कटौती/वसूली किये जाने विषयक

34-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग किये जाने में तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत को दोषी पाया गया था तथा प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के आदेश दिनांक 23-03-2021 द्वारा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत से दुरुपयोगित सरकारी धनराशि की वसूली किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों से दुरुपयोगित की गयी सरकारी धनराशि की वसूली

कर ली गई है ? यदि हां, तो कब तथा उक्त प्रकरण में कितनी धनराशि की वसूली की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के स्तर से सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत के वेतन से कटौती/वसूली किया जाना है।

कुल दुरुपयोगित धनराशि मु-204000.00 रुपये की वसूली की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत के 13 सदस्यों के प्रस्तावों को कार्य योजना में शामिल कराये जाने विषयक

35-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6 नं0-656889, दिनांक 05-09-2022 जो जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत के 13 सदस्यों के प्रस्तावों को कार्य योजना में शामिल कराये जाने एवं अन्य सदस्यों की भांति विकास कार्य कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न में सन्दर्भित मा0 13 सदस्यों के क्षेत्रान्तर्गत मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त सभी प्रस्तावों को कार्य योजना में सम्मिलित कर योजनाओं के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं, जिन्हें जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं सदन द्वारा लिये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना रानी लक्ष्मीबाई सागर राजघाट डैम परियोजना का क्रियान्वयन विषयक

36-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना रानी लक्ष्मीबाई

सागर राजघाट डैम परियोजना का क्रियान्वयन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

राजघाट बाँध परियोजना, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1999-2000 में पूर्ण किया जा चुका है, तभी से बांध में निरन्तर जल संचय करने के उपरान्त दोनों प्रदेशों (उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश) को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 1999-2000 से राजघाट डैम परियोजना निरन्तर क्रियान्वित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में पोस्टमार्टम के उपरान्त विसरा जांच के लिए लैब स्थापित विवरण सम्बन्धी जानकारी विषयक

37-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पोस्टमार्टम के उपरान्त विसरा जांच के लिए लैब कहां-कहां स्थापित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम के उपरान्त विसरा जांच हेतु वर्तमान में लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर में लैब स्थापित हैं।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की नगर पंचायत मोंठ के चोपड़ा तालाब के बंध पर अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाकर उक्त भूमि को कब्जामुक्त कराये जाने विषयक

38-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की नगर पंचायत मोंठ के चोपड़ा तालाब के बंध की खसरा सं0-657, रकबा 19 डिस्मिल जमीन पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि की पैमाइश कराते हुए अवैध कब्जा धारकों पर

एफ0आई0आर0 दर्ज करवाकर उक्त भूमि को कब्जामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद झांसी की नगर पंचायत मोंठ में खाता संख्या-657 पर कुछ लोगों द्वारा दुकानें निर्मित करा ली गयी हैं। उक्त आराजी भूमि सरकारी बंध की है, जिस पर अवैध रूप से निर्मित दुकान मालिकों को नगर पंचायत द्वारा कब्जा हटाये जाने हेतु दिनांक 24-05-2022 को नोटिस जारी किये गये थे, जिसके विरुद्ध समस्त दुकानदारों द्वारा मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन झांसी के न्यायालय में विचाराधीन सभी वादों में नगर पंचायत मोंठ द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है। नगर पंचायत मोंठ के नामित अधिवक्ता द्वारा बहस की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में अमृत सरोवर योजना एवं हैण्ड पम्प रि-बोर/ मरम्मत कार्यों में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक

39-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर में अमृत सरोवर योजना एवं हैण्डपम्प रि-बोर/मरम्मत कार्यों में की गयी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-73851, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग/गबन की जांच कराये जाने विषयक

40-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग/गबन की जांच कराये जाने

विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-73889, दिनांक 17-10-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच एक अन्य शिकायती पत्र पर कराई गयी, जिसमें भौतिक सत्यापन में कार्य मौके पर कराया पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में अमोघ पक्की सड़क से रामपुर पक्की सड़क मार्ग हेतु टेण्डर के निरस्तीकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए सड़क निर्माण पूर्ण कराये जाने विषयक

41-श्री पंकज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में अमोघ पक्की सड़क से रामपुर पक्की सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 1700 मीटर है, जिसका धन आवंटन जिला पंचायत निधि द्वारा किया गया था तथा कार्य भी लगभग 15 प्रतिशत पूरा करा लिया गया था, का टेण्डर निरस्त किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टेण्डर के निरस्तीकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए सड़क निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर, विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर में रामपुर भोडी पक्की सड़क से अमोघ ग्राम सभा तक लेपन कार्य 1734 मी0 निर्माण कार्य जिला पंचायत जौनपुर में पंचम राज्य वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफ0डी0आर0 पद्धति से बनाये जाने हेतु स्वीकृत थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति पत्र संख्या-4015/33-सेल/2020, दिनांक 08-03-2021 द्वारा प्रदान की गयी।

एफ0डी0आर0 (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीकी में जो पुरानी बनी हुई पिच सड़क है, उसके अन्दर उपलब्ध गिट्टी को रिक्लेम किया जाता है। अतः एफ0डी0आर0 तकनीकी से सफलतापूर्वक उन्हीं मार्गों का चौड़ीकरण या उच्चीकरण हो सकता है, जिसमें पूर्व में क्रेस्ट या पेवमेन्ट का कार्य किया गया हो। प्रश्नगत मार्ग मिट्टी के स्तर तक ही निर्मित है, इसलिए इसमें एफ0डी0आर0 तकनीकी से कार्य कराना सम्भव नहीं हो सका।

तदोपरान्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर के पत्र दिनांक 29-04-2022 एवं ठेकेदार के पत्र दिनांक 10-05-2022 द्वारा उक्त निर्माण कार्य को तकनीकी समस्या के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त संयुक्त अनुरोध के क्रम में एवं तकनीकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ के पत्र सं0-735/33-सेल/2022, दिनांक 20-05-2022 द्वारा पैकेज-9 की तकनीकी स्वीकृति को निरस्त करते हुए कार्यादेश निरस्त किया गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में एन0एच0-31 से प्रतापगढ़-जौनपुर मार्ग कोड़रिया ताल तक सड़क निर्माण सम्बन्धी टेण्डर के निरस्तीकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जनहित में सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने विषयक

42-श्री पंकज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में एन0एच0-31 से प्रतापगढ़-जौनपुर मार्ग कोड़रिया ताल से सोगरा मार्ग लम्बाई 3 किमी0 है, जिसका धन आवंटन जिला पंचायत निधि द्वारा किया गया था, का कार्य भी लगभग 15 प्रतिशत पूरा कर लिया गया था, का टेण्डर निरस्त किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टेण्डर के निरस्तीकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जनहित में सड़क का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्न में सन्दर्भित कोड़रिया से सोगरा मार्ग के लेपन कार्य 2600 मीटर निर्माण कार्य जिला पंचायत जौनपुर में पंचम राज्य वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफ0डी0आर0 पद्धति से बनाये जाने हेतु स्वीकृत थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति पत्र संख्या-4015/33-सेल/2020, दिनांक 08-03-2021 द्वारा प्रदान की गयी।

एफ0डी0आर0 (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) तकनीकी में जो पुरानी बनी हुई पिच सड़क है, उसके अन्दर उपलब्ध गिट्टी को रिक्लेम किया जाता है। अतः एफ0डी0आर0 तकनीकी से सफलतापूर्वक उन्हीं मार्गों का चौड़ीकरण या उच्चीकरण हो सकता है, जिसमें पूर्व में क्रेस्ट या पेवमेन्ट का कार्य किया गया हो। प्रश्नगत मार्ग मिट्टी के स्तर तक ही निर्मित है, इसलिए इसमें एफ0डी0आर0 तकनीकी से कार्य कराना सम्भव नहीं हो सका।

तदोपरान्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर के पत्र दिनांक 29-04-2022 एवं ठेकेदार के पत्र दिनांक 10-05-2022 द्वारा उक्त निर्माण कार्य को तकनीकी

समस्या के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त संयुक्त अनुरोध के क्रम में एवं तकनीकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ के पत्र सं0-735/33-सेल/2022, दिनांक 20-05-2022 द्वारा पैकेज-10 की तकनीकी स्वीकृति को निरस्त करते हुए कार्यादेश निरस्त किया गया।

जनपद जौनपुर के जलालपुर चौमुहानी से जलालगंज स्टेशन जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जनसामान्य के आवागमन में कठिनाई के दृष्टिगत सड़क निर्माण विषयक

43-श्री तुफानी सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर चौमुहानी से जलालगंज स्टेशन जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जनसामान्य के आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वरुणा नाला की खुदाई कराये जाने विषयक

44-श्रीमती विजमा यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वरुणा नाला ओवरफ्लो के कारण सैंकड़ों गांव व लाखों एकड़ जमीन बरसात के महीने में जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में वरुणा नाला की खुदाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वरुणा नाले के आन्तरिक सेक्शन में आवश्यकतानुसार सुधार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

आगामी मानसून से पूर्व।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड लहरपुर के ग्राम पंचायत टकेली में स्वीकृत 300 शौचालयों में सरकारी धन का दुरुपयोग विषयक

45-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड लहरपुर के ग्राम पंचायत टकेली में वर्ष 2016-21 में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु स्वीकृत 300 शौचालयों का बिना निर्माण कराये ही सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रकरण की जांच जिला स्तर पर नामित जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर से कराई गयी। नामित जांच अधिकारी की प्राप्त जांच आख्या में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेण्डी की ग्राम पंचायत रसूलपुर के शौचालय, स्ट्रीट लाइट व पशुबाड़ा के निर्माण में अनियमितता व सरकारी धन का दुरुपयोग की जांच विषयक

46-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेण्डी की ग्राम पंचायत रसूलपुर के पूर्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-2021 के बीच शौचालय, स्ट्रीट लाइट व पशुबाड़ा के निर्माण में अनियमितता व सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वर्षों में हुए कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत रसूलपुर, विकास खण्ड परसेण्डी, सीतापुर में पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 2016-2021 के मध्य 83 स्ट्रीट लाइट, 36 पशुबाड़ा तथा 670 शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी कार्य मौके पर मौजूद हैं, किसी प्रकार की कोई अनियमितता/दुरुपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर के राजकीय इण्टर कॉलेज में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण विषयक

47-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के राजकीय इण्टर कॉलेज में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम, जिसका कार्य 2017 तक पूर्ण होना था, को सरकार कब तक पूर्ण करायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है एवं अभी कितनी व्यय होना अनुमानित है ?

श्रीमती गुलाब देवी-

कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड को स्वीकृत तृतीय किस्त की धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र तथा जनपदीय टॉस्कफोर्स समिति की आख्या प्राप्त होते ही अवशेष धनराशि स्वीकृत कर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

अद्यतन कार्यदायी संस्था द्वारा रुपये 399.83 लाख की धनराशि व्यय की गयी है तथा 160.49 लाख की व्यय किया जाना अनुमानित है।

फिरोजाबाद में 1947 के पूर्व से श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के नाम पर इस भूमि एवं आसपास की भूमि कर अवैध कब्जे की जांच/जानकारी विषयक

48-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में 1947 के पूर्व से नगर के मध्य उपलब्ध ऊसर, तालाब तथा जमींदारी मुहाल के कुछ गाटा भाग में रामलीला मंचन के कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि श्री सनातन धर्म

रामलीला महोत्सव समिति के नाम पर इस भूमि एवं आस-पास की भूमि पर अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण, स्थाई एवं अस्थाई दुकानें/मार्केट आदि बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सतर्कता विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र संख्या 1467/न्याया0-अनु0/2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में गृह विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्रावली दिनांक 10-05-2022 को वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित की गयी। वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, आगरा के आदेश दिनांक 14-08-2020 द्वारा श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पंजीकरण को सोसा0 रजि0अधि0 की धारा-12डी(ख)(ग) के तहत् निरस्त किया जा चुका है।

उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-17084/2020 योजित की गयी है जिस पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-11-2020 के माध्यम से आदेश दिनांक 14-08-2020 को अस्थगित (Kept in abeyance) कर दिया गया है। उक्त रिट याचिका वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के प्रस्ताव व धनराशि आवंटन विषयक

49-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की कितनी ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के प्रस्ताव लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त लम्बित ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण की चरणबद्ध योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 05 ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल का चयन किया गया है, जिसके सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि के प्राविधानानुसार जनपद फिरोजाबाद के लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष मांग को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में विगत वर्ष 2020-2021 तथा 1 अक्टूबर, 2022 तक चोरी की घटनायें, घटित घटनाओं का खुलासा व चोरी के माल के सापेक्ष बरामद माल के मूल्य की जानकारी विषयक

50-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विगत वर्ष 2020-2021 तथा 1 अक्टूबर, 2022 तक ऐसी कितनी चोरी की घटनायें घटित हुई हैं जिसमें 3 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सामान/नकदी चोरी हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त चोरियों में कितनी घटनाओं का खुलासा हुआ एवं कितने खुलासे के मामलों में चोरी की सामग्री की बरामदी करायी गयी/शिनाख्त करायी गयी तथा चोरी के माल के सापेक्ष कितने मूल्य का माल बरामद हो सका एवं कितने मामलों में इनको सी0डी0 (केस डायरी) में दर्ज कराया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में विगत वर्ष 2020-2021 एवं 01 अक्टूबर, 2022 तक 3 लाख रुपये से अधिक की कुल 06 चोरी की घटनायें हुई हैं।

उपरोक्त अवधि में कुल 06 चोरी की घटनायें पंजीकृत हुईं, सभी 06 घटनाओं का खुलासा हुआ है। खुलासा किये गये 06 अपराधों में चोरी किये गये सामान की बरामदगी/शिनाख्त की गयी है। उपरोक्त चोरी की घटनाओं में 2,92,70,000/- के सापेक्ष 2,59,51,000/- रुपये की बरामदगी की गयी तथा सभी मामलों में विवरण सी0डी0 (केस डायरी) में दर्ज कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पेयजल की टंकियों को वर्तमान में संचालित कराते हुए क्षेत्रीय जनता की पेयजल की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक

51-श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितनी पेयजल की टंकियां हैं जो वर्तमान में संचालित नहीं हो रही हैं ? क्या सरकार इन टंकियों को सुचारु

रूप से संचालित कराते हुए क्षेत्रीय जनता की पेयजल की समस्या का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में 29 पेयजल योजनाएं वर्तमान में संचालित नहीं हो पा रही हैं। जनपद फिरोजाबाद में सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं को संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिनके डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के समस्त राजस्व ग्रामों को वर्ष 2024 तक आच्छादित किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक एवं टूण्डला ब्लाक को डार्क जोन व अतिदोहित श्रेणी में आने से भू-गर्भ जल में अत्यन्त हानिकारक फ्लोराइड की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में

52-श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक एवं टूण्डला ब्लाक डार्क जोन व अतिदोहित श्रेणी में आते हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त ब्लाकों में भू-गर्भ जल में अत्यन्त हानिकारक फ्लोराइड पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारणों से पीने के पानी की परेशानी का सामना करने को मजबूर क्षेत्रीय नागरिकों की उक्त समस्या के समाधान हेतु जल परियोजना बनाकर पेयजल आपूर्ति का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी हां। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी एवं टूण्डला सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0ई0टी0 परीक्षा-2022 के लिए अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में

53-श्री महबूब अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों ने पी0ई0टी0 परीक्षा-2022 के लिए आवेदन किया तथा सरकार को उनसे फीस के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रारम्भिक अर्ह परीक्षा (पी0ई0टी0)-2022 हेतु 37,63,444 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया। आयोग द्वारा इनमें से एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को एक आवेदन मानते हुए कुल 37,58,209 अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र जारी किये गये। उक्त परीक्षा में फीस के रूप में कुल रुपये 60,91,86,170 (साठ करोड़ इक्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ सत्तर रुपये) की धनराशि प्राप्त हुई।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्राम सभाओं में विवाह भवन/सामुदायिक भवन निर्माण की जानकारी विषयक

54-श्री मोहन वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्राम सभा क्रमशः रामपुर सोहरौना, खोट्ठा, पडरी, पिड़रा, छपिया, छोटरप विश्वां, सेमरी, परसौनी में विवाह भवन/सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 संख्या-692451, दिनांक 07-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 संख्या-692451 के स्थान पर क-6 नम्बर-692454, दिनांक 07-05-2022 प्राप्त हुआ है ?

सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत विवाह भवन/सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत जनपद में विकास भवन एवं विकास खण्डों के परिसर में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जाता है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्राम सभा क्रमशः रामपुर सोहरौना, खोट्ठा, पडरी, पिड़रा, छपिया, छोटरप विश्वां, सेमरी, परसौनी में विवाह भवन/सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य ग्राम्य विकास विभाग से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा देहात में संचालित राजकीय इण्टर कॉलेज व राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में अध्यापकों की कमी को दूर करने विषयक

55-श्री विनोद शंकर अवस्थी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा देहात में संचालित राजकीय इण्टर कॉलेज व राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में अध्यापकों की

कमी के कारण विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अधियाचन आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्रामों में बारात घर निर्माण विषयक

56-श्री चन्दन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम सम्भलहेड़ा, सिकन्दरपुर, कांदीपुर, भोकरहेड़ी, कुतुबपुर, रेहकड़ा व शुक्रतारी में बारात घर न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को वैवाहिक कार्यक्रम करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में बारात घर का निर्माण आबादी के अनुपात में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पंचायती राज विभाग में बारात घर निर्माण हेतु वर्तमान मे कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में जिला पंचायत बांदा ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण में बांदा इ0 मेन रोड से मछली पालन के बगल से वीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

57-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला पंचायत बांदा का पत्रांक-708/रा0वि0यो0/जि0पं0 बांदा/2019-20, दिनांक 05-02-2020 द्वारा निकाली गयी निविदा के क्रमांक-57 पर अंकित ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण में बांदा इ0 मेन रोड से मछली

पालन के बगल से वीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर रोड का कार्य न कराये जाने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिला पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण में बांदा इ0 मेन रोड से मछली पालन के बगल से वीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर सोलिंग कार्य लम्बाई 396 मीटर अनुमानित लागत 6.00 लाख के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। उक्त मार्ग पर स्थानीय निवासियों/काश्तकारों द्वारा जमीन विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जिला पंचायत बांदा के पत्र दिनांक 22-10-2021 द्वारा भूमि की पैमाइश कराने के अनुरोध के क्रम में दिनांक 24-10-2021 को पैमाइश करायी गयी। मौजा महोतरा, तहसील अतर्रा, जनपद बांदा के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या-200 रकबा 0.057 हे0 चक मार्ग खाते में अंकित है, जिसकी चौड़ाई भू-चित्र व रकबे के अनुसार 4.00 मीटर है। इसी प्रकार तहसील अतर्रा, जिला बांदा के राजस्व अभिलेखों में गाटा सं0-2690 रकबा 0.328 हे0 में भी 4.00 मीटर चकमार्ग है। प्रश्नगत मार्ग के पूर्व प्रस्तावित आगणन में मार्ग की चौड़ाई (टॉप) 5.50 मीटर तथा (बॉटम) 7.50 मीटर ली गयी है। दिनांक 01-12-2022 को क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो द्वारा राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त मार्ग की चौड़ाई बाटम लेबल पर मात्र 4.00 मीटर चकमार्ग की आख्या दी गई है। ऐसी स्थिति में पूर्व प्रस्तावित निविदा को निरस्त कर 04 मीटर चौड़ाई में पुनः प्राक्कलन गठित कर उक्त कार्य कराये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र तिर्वा में कन्नौज मार्ग स्थित हनुमान मन्दिर के सामने बरसात में गन्दा पानी जमा होने की समस्या विषयक

58-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र तिर्वा में सखौली ग्राम पंचायत, तिर्वा-कन्नौज मार्ग स्थित हनुमान मन्दिर के सामने बरसात में गन्दा पानी जमा हो जाने के कारण आमजन को दर्शन व आवागमन में कठिनाइयां होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर के सामने पक्का नाली का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कन्नौज के विकास खण्ड-उमर्दा में स्थित ग्राम पंचायत सखौली में तिर्वा-कन्नौज मार्ग स्थित हनुमान मन्दिर के सामने बरसात में गन्दा पानी जमा होने के निस्तारण एवं जल निकासी हेतु नाले के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त नाला निर्माण हेतु नियमानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) (ग्रेड-बी) नियमावली-2011 में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर प्रमोशन किये जाने विषयक

59-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) नियमावली-2011 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड (गेड-ए) का प्रमोशन कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-बी) के पद पर 06 वर्ष बाद किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2014 में भर्ती कम्प्यूटर ऑपरेटर के उक्त प्रमोशन न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कारणों का निराकरण कराते हुए प्रमोशन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वर्ष 2014 में नियुक्त समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर माह अगस्त, 2014 अथवा उसके बाद के नियुक्त कर्मी हैं, जिन्होंने 01 जुलाई, 2021 को 06 वर्ष की सेवा पूर्ण की है। इन कर्मियों की पदोन्नति हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-18-अधियाचन (क0आ0 ग्रेड-ए-बी)-2022 दिनांक 17-11-2022 द्वारा उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-54 के उत्तर के क्रम में प्रश्नगत मार्ग को क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराकर कार्य कराये जाने विषयक

60-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-54 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मार्ग को क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराकर कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कार्य की अनुमानित लागत रुपये 14.20 लाख है। उक्त कार्य को कराये जाने हेतु क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के उत्तर के क्रम में प्रश्नगत नाला व मार्ग पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराये जाने विषयक

61-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत नाला व मार्ग पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत कार्य क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र पंचायत से शीघ्र करा लिया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बानागंज अन्तर्गत हीरागंज रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने विषयक

62-श्री विनोद सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बानागंज अन्तर्गत हीरागंज रजबहा में टेल तक समय पर पानी नहीं पहुंचने से जनता/कृषकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ के

विधान सभा क्षेत्र बानागंज अन्तर्गत हीरागंज रजबहा में समय से टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

वर्तमान में सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति में है, सिल्ट सफाई के पश्चात् हीरागंज रजबहा में समय से टेल तक पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

माह-दिसम्बर, 2022 के द्वितीय सप्ताह तक।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ0प्र0 के पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज, सोनौसा, रसूलाबाद, अयोध्या के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

63-श्री अभय सिंह-

द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न-112 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ0प्र0 के किस-किस विनियमों के अनुसार पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज, सोनौसा, रसूलाबाद, अयोध्या के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16(डी) तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-13(क) तथा 13(ख) के अन्तर्गत उक्त विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उक्तानुसार।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक दिनांक 14-09-2022 द्वारा शिक्षकों के विनियमितीकरण की जांच कराये जाने विषयक

64-श्री अभय सिंह-

द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न-113 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक दिनांक 14-09-2022 द्वारा शिक्षकों के विनियमितीकरण की जांच सम्बन्धी प्रकरण में जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/7520/2022-23, दिनांक 14-09-2022 द्वारा अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज को अयोध्या मण्डल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33छ के अन्तर्गत शिक्षकों का किये गये विनियमितीकरण की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

श्री के0के0 गुप्ता, अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-09-2022 द्वारा जांच कार्यवाही सम्पादित किये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। तत्पश्चात् पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/10738/2022-23, दिनांक 29-11-2022 द्वारा श्रीमती मंजु शर्मा, अपर शिक्षा निदेशक (व्या0शि0) शिविर कार्यालय, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

65-श्री राजपाल सिंह बालियान-

[03 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में अक्टूबर, 2022 के प्रारम्भ में कई दिनों तक हुई लगातार बारिश होने के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने विषयक

66-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अक्टूबर, 2022 के प्रारम्भ में कई दिनों तक हुई लगातार बारिश होने के कारण किसानों की फसल का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर नुकसान का मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रदेश में हुई भारी वर्षा/अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित जनपदों में कृषि क्षति का प्लाट-टू-प्लाट सर्वे कराकर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर आंकड़े फीड कराने की व्यवस्था है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एनडीएम0-I(Vol.-II), दिनांक 10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुसार 33 प्रतिशत या उससे अधिक की फसल क्षति होने पर कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान की जाती है।

जनपद फिरोजाबाद में माह सितम्बर, 2022 एवं अक्टूबर, 2022 में हुई अतिवृष्टि से 1748 किसानों की लगभग 487.409 हे0 फसल में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, जिसके क्रम में 1184 कृषकों को रु0 23.40 लाख की फसल क्षति का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष कृषकों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक)[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जर्जर घोषित किये जा चुके 80 सरकारी विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने विषयक

67-श्री सचिन यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जर्जर घोषित किये जा चुके 80 सरकारी विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक उक्त का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद के परिषदीय विद्यालयों के प्रांगण में जर्जर/निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में गठित तकनीकी समिति द्वारा 148 विद्यालयों को जर्जर घोषित किया गया है।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 33 विद्यालयों का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2022-23 में 59 विद्यालय भवनों के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

शेष जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या .... पर।

फिरोजाबाद नगर स्थित कटरा कन्या प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को किराये भवन से स्वयं का भवन निर्माण कर नये भवन में स्थानान्तरित करने विषयक

68-श्री सचिन यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर स्थित कटरा कन्या प्राथमिक विद्यालय को किराये के भवन में संचालित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त भवन जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु स्वयं का भवन निर्माण कर नये भवन में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय कटरा कन्या किराये के भवन में संचालित था।

जी हां।

विद्यालय समीप के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पेमेश्वर गेट, नगर क्षेत्र फिरोजाबाद में स्थानान्तरित कर पठन-पाठन का कार्य कराया जा रहा है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश में सरकारी तथा प्राइवेट विश्वविद्यालयों एवं वाइस चांसलर की नियुक्ति विषयक

69-श्री समरपाल सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सरकारी तथा कितने प्राईवेट विश्वविद्यालय हैं एवं इनमें वाइस चांसलर की नियुक्ति की योग्यता अलग-अलग है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 20 राज्य विश्वविद्यालय में से 18 राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित हैं। 02 राज्य विश्वविद्यालय यथा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1999 तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित हैं।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 30 निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत स्थापित हैं।

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की योग्यता सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित है।

निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की योग्यता उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर का संज्ञान लेते हुए भू-जल रिचार्ज के लिए योजना विषयक

70-श्री उमर अली खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर का संज्ञान लेते हुए भू-जल रिचार्ज के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि बेहट विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद का भू-जल स्तर लगातार कम हो रहा है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार जल स्तर से बढ़ने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु वर्तमान में अटल भू-जल योजना लागू है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेढ़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा जल संचयन हेतु चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, मेढ़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है।

जी हां।

जनपद सहारनपुर की बेहट विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद का भू-जल स्तर लगातार कम हो रहा है। वर्ष 2012 से 2021 तक में सडोली

कदीम में औसतन 0.35 मीटर प्रति वर्ष तथा मुजफ्फराबाद में 0.27 मीटर प्रति वर्ष भू-जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है। विगत वर्षों में मुख्यतः बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के कारण अत्यधिक भू-जल दोहन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, भू-जल स्तर लगातार कम हो रहा है। (संलग्नक)[†]

प्रदेश में भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, संचयन, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट-2019' प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों तथा समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के भवनों को आच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित किया जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद बागपत में डिग्री कालेज स्थापित करने व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में नये डिग्री कालेजों की स्थापना विषयक

71-श्री अजय कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितने नये डिग्री कालेजों की स्थापना प्रस्तावित है ? क्या सरकार जनपद बागपत में डिग्री कालेज स्थापित करने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 01 राजकीय महिला महाविद्यालय प्रस्तावित है।

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद बागपत में 01 राजकीय महाविद्यालय, 05 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 78 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद बागपत के ग्राम पाबला बेगमाबाद में 01 राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें सत्र, 2023-24 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की

[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-409 पर।

आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद बागपत में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जने का सम्प्रति अवसर नहीं है।

जनपद मेरठ में सैनिक स्कूल की स्थापना करवाने विषयक

72-श्री अजय कुमार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में सैनिक स्कूल की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

भारत सरकार द्वारा देश में प्रस्तावित 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के क्रम में मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में संचालित 16 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को सैनिक स्कूल में परिवर्तित किये जाने की योजना है।

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से जनपद मेरठ में राजकीय इण्टर कालेज, हस्तिनापुर, मेरठ को आवासीय सैनिक स्कूल में परिवर्तित किये जने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी का कटान रोकने हेतु तट पर ठोकर/स्टोन पिचिंग बनाये जाने सम्बन्धी

73-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत कुशहरी, बैकुंठपुर, अहिरौली, महुआ खुर्द से होते हुए छोटी गण्डक नदी बहती है, जिससे बरसात के मौसम में कटान रोकने हेतु नदी के तट पर ठोकर/स्टोन पिचिंग बना कर क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित ग्राम कुशहरी के पास कटाव निरोधक कार्य की परियोजना गठित की गयी है, जो उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की संस्तुति की प्रक्रिया के अधीन है। ग्राम बैकुण्ठपुर के पास कटाव निरोधक कार्य की परियोजना के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है जिससे कटान की समस्या का निराकरण हो गया है। ग्राम अहिरौली एवं महुआ खुर्द उक्त स्थल पर स्थित है तथा वर्तमान में कोई कटान की स्थिति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज में ग्राम कनासी से सैंथरा में किसानों की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिलाये जाने विषयक

74-डॉ0 सुरभी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज में ग्राम कनासी से सैंथरा में किसानों की जमीनों पर बिना किसी अधिग्रहण के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आई0ई0एस0) द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम पंचायत कनासी से सैंथरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या-318/2021/2167/35-4-2021, दिनांक 03-12-2021 द्वारा प्राप्त हुई है। मार्ग की कुल लम्बाई 2300 मी0 तथा स्वीकृत धनराशि रु0 164.46 लाख है। यह मार्ग ग्राम सैथरा से कनासी को जोड़ता है। मार्ग पूर्ण रूप से कच्चा है। मार्ग के निर्माण हेतु पूर्व से प्रचलित कच्चे मार्ग को डामरीकरण करवाकर सर्व ऋतु मार्ग के रूप में निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार मिट्टी उठाने की सहमति ग्रामवासियों द्वारा दी गयी है।

जिस चौड़ाई में मार्ग बना हुआ है उसी को पक्का किया जा रहा है, कोई अतिरिक्त चौड़ाई में भूमि नहीं ली जा रही है। अतः मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत कम्पोजिट विद्यालय रामपुर कारखाना व प्राथमिक विद्यालय रामपुर खुरहुरिया का नवनिर्माण कराये जाने विषयक

75-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत कम्पोजिट विद्यालय रामपुर कारखाना व प्राथमिक विद्यालय रामपुर खुरहुरिया जो विभाग द्वारा वर्षों पहले ध्वस्त कराया जा चुका है, जिससे बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पाठशालाओं का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

(1) मूल भवन कम्पोजिट विद्यालय रामपुर कारखाना के ध्वस्तीकरण के उपरान्त इसमें अध्ययनरत् कुल 388 बच्चों का इसी ध्वस्त विद्यालय के निकट स्थापित 08 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों में पठन-पाठन हो रहा है।

(2) मूल भवन प्राथमिक विद्यालय खुरहुरियॉ-भटनी के ध्वस्तीकरण के उपरान्त इसमें अध्ययनरत् कुल 69 बच्चों को नजदीकी बहादुर यादव आई0टी0आई0 कॉलेज, रामपुर खुरहुरियॉ में स्थानान्तरित कर पठन-पाठन हो रहा है।

(1) कम्पोजिट विद्यालय रामपुर कारखाना का संचालन 08 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों में संचालित है।

(2) प्राथमिक विद्यालय खुरहुरियॉ-भटनी के पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में उप जिलाधिकारी पुरवा द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर विनियमितीकरण हेतु दिये गये आदेश का अनुपालन विषयक

76-श्री राम अचल राजभर-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-152 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपजिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर 08 विनियमितीकरण हेतु दिये गये आदेश का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार उप जिलाधिकारी, पुरवा द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-67(क) के अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमि पर कब्जे के आधार पर कुल 08 विनियमितीकरण किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	पट्टेदार का नाम
1	मुबारकपुर	श्री दिनेश पुत्र श्री पूरन
2	बरौली	श्री कल्लन पुत्र श्री इमामबक्श

क्रमांक	ग्राम का नाम	पट्टेदार का नाम
3	निद्धाखेड़ा म0 कसरौर	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री राजनरायन
4	सुरजापुर	श्री अरुण कुंमार पुत्र श्री बुद्धा
5	सुरजापुर	श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री बद्री प्रसाद
6	सुरजापुर	श्री पियारे पुत्र श्री रघुबीर
7	सुरजापुर	श्री रामखेलावन पुत्र श्री नन्हक्का
8	दुर्गापुर	श्री मनीष कुमार पुत्र श्री श्रीनाथ

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में उप जिलाधिकारी पुरवा द्वारा स्वप्रेरण से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करते हुए आवास का निर्माण कराये जाने विषयक

77-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा स्वप्रेरण से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये, जबकि उक्त लाभार्थियों को पूर्व में भी भूमि के पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की भांति जिला जौनपुर की तहसील सदर, परगना सरेमु अन्तर्गत नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर जोकि आबादी की भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी भूमि के पट्टे आवंटित करते हुए उक्त आवास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम काँथा में अन्य व्यक्ति की जमीन पर निर्मित व मृतक के नाम पर आवंटित शौचालय को हटवाए जाने के सम्बन्ध में

78-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम काँथा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु कई वर्ष पूर्व स्वर्गवासी मृतकों के नाम शासकीय धनराशि आवंटित की गयी तथा उक्त शासकीय धनराशि से दूसरे भूमिधर की निजी भूमि पर उक्त मृतक व्यक्तियों के नाम पर उक्त शौचालयों का निर्माण कार्य एवं दूसरे भूमिधरी की निजी भूमि से उक्त शौचालयों को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वित्तीय वर्श 2017-18 में जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा के मोहल्ला रमन्ना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत मात्र 01 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु मृतक छोटेलाल को ग्राम पंचायत द्वारा धनराशि आवंटित की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक श्री छोटेलाल के शौचालय का निर्माण श्रीमती फूलमती की निजी भूमि पर कराया गया है। उक्त भूमि से सम्बन्धित वाद संख्या-239/17 श्रीमती फूलमती बनाम बुद्धीलाल आदि न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थानीय अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करने विषयक

79-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा भूमि के पट्टे आवंटित करने का प्राविधान नहीं है किन्तु जो उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-64 के अन्तर्गत पात्रता में आते हैं, ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की विहित वरीयता क्रम के अनुसार उप जिलाधिकारी

द्वारा स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर स्थलों का आवंटन किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में नमामि गंगे परियोजना के तहत ग्रामीण अंचल में पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सी0सी0 मार्ग एवं पक्की रोड को तोड़े जाने के सम्बन्ध में

80-श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में नमामि गंगे परियोजना के तहत ग्रामीण अंचल में पाइप लाइन बिछाने के लिए सी0सी0 मार्ग एवं पक्की रोड को तोड़ दिये गये हैं जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त रास्तों को ठीक कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली पाइप लाइनों हेतु काटी गयी सी0सी0 सड़कों एवं पक्की सड़कों की कटिंग के पश्चात् स्थाई मरम्मत के कार्य मानक के अनुरूप कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में आपरेटरों की कमी की वजह से बन्द पेयजल योजनाओं को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

81-श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितने स्थानों पर पाइप लाइन पेयजल योजना बन्द एवं आपरेटर की कमी से संचालित नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उक्त स्थानों पर पेयजल योजना संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 69 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव किया जा रहा है, जिससे 121 राजस्व ग्रामों में स्वच्छ पेयजल

आपूर्ति की जा रही है। जनपद गोण्डा में 98 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं का रख-रखाव एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। उक्त में से 67 ग्राम पंचायतों की पाइप पेयजल योजनाएं विभिन्न कारणों से बन्द हैं। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्द पड़ी पाइप पेयजल योजनाओं में रेट्रोफिटिंग एवं पुनर्गठन के कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनीफार्म, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री रवि शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 1452 स्कूलों में अध्ययनरत लगभग 1.68 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से विद्यार्थियों की यूनीफार्म, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर आदि की खरीद के लिए 1200 रुपये भेजे जाने थे, जिसमें से लगभग 60,000 विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का आधार वेरीफिकेशन न हो पाने के कारण वे योजना से वंचित रह गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का आधार वेरीफिकेशन कराकर डी0बी0टी0 के माध्यम से उन्हें 1200 रुपये भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

जनपद में कुल नामांकित 1,59,648 छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 1,46,769 का आधार सत्यापन हो चुका है, जिसमें से 1,18,064 छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में डी0बी0टी0 की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है। अवशेष छात्र-छात्राओं के आधार नामांकन, सत्यापन एवं उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खाते आधार सीडेड कराने का कार्य गतिमान है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगहरा में चकबन्दी की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी

83-श्री संग्राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगहरा में चकबन्दी की प्रक्रिया विगत 20 वर्षों से प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चकबन्दी की प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बलिया द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम में बन्दोबस्त भू-चित्र के अभाव में तथा ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया को लेकर कृषकों के मध्य आपसी गुटबन्दी व घोर विरोध होने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। तद्नुसार उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किये जाने का प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित किया गया है। तत्क्रम में निदेशालय द्वारा ग्राम का वर्तमान भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बलिया से की गयी है। आख्या प्राप्त होने पर ग्राम के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया में बरसात के दिनों में टोन्स गंगा एवं मगई नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ से बचाव के सम्बन्ध में

84-श्री संग्राम सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में बरसात के दिनों में टोन्स गंगा एवं मगई नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को बाढ़ से बचाव हेतु कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत परियोजना द्वारा टोंस, गंगा एवं मगई नदी से बाढ़ बचाव हेतु निम्नलिखित कार्य किये गये हैंः-

1-जनपद बलिया में टोंस नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम इन्दरपुर (कि0मी0 7.400 से कि0मी0 7.800 इन्दरपुर थम्महनपुरा तटबन्ध) के बाढ़ सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 238.30 लाख।

2-जनपद बलिया में टोंस नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह बघड़ा की मठिया एवं गंगहरा के बाढ़ सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 587.19 लाख।

3-जनपद बलिया में टोंस नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम रामपुर चिट के बाढ़ सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 501.12 लाख।

4-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित बलिया-बैरिया तटबन्ध (एन0एच0-31) की सुरक्षा हेतु कि0मी0 27.950 पर एक अदद् स्पर निर्माण के कार्य की परियोजना, लागत रु0 1020.97 लाख।

5-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित बलिया-बैरिया तटबन्ध (एन0एच0-31) की सुरक्षा हेतु कि0मी0 27.540 से कि0मी0 27.910 के मध्य रिवेटमेन्ट निर्माण के कार्य की परियोजना, लागत रु0 886.10 लाख।

6-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित बलिया-बैरिया तटबन्ध (एन0एच0-31) की सुरक्षा हेतु कि0मी0 27.990 से कि0मी0 28.570 के मध्य रिवेटमेन्ट निर्माण के कार्य की परियोजना, लागत रु0 1111.56 लाख।

7-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित दूबे छपरा टैगरही रिंग बांध के कि0मी0 0.450 पर एक अदद फार्क स्पर एवं कट इन्ड-1 कार्य की परियोजना, लागत रु0 988.79 लाख।

8-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम पलिया खास के बाढ़ सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 214.85 लाख।

9-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम समूह हैबतपुर व मालदेपुर के बाढ़ सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 759.73 लाख।

10-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम समूह दूबे छपरा, गोपालपुर एवं उदई छपरा के बाढ़ से सुरक्षार्थ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना, लागत रु0 910.75 लाख।

11-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम भिखारीपुर (कि0मी0 5.000 से कि0मी0 5.900 इन्दरपुर थम्महनपुरा तटबन्ध) इन्दरपुर (कि0मी0 7.000 से कि0मी0 7.900 इन्दरपुर थम्महनपुरा तटबन्ध) के बाढ़ सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 550.55 लाख।

12-जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह जगदीशपुर, नरदरा भुसौला एवं बिन्दटोलिया आदि के सुरक्षार्थ कार्य की परियोजना, लागत रु0 772.01 लाख।

13-जनपद बलिया में मगई नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम समूह मिल्की एवं मझारियां के सुरक्षार्थ बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की परियोजना, लागत रु0 326.67 लाख।

जी हां। उपर्युक्तानुसार विवरण प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में ग्राम सभा मकरहा, नहर की पुलिया से जल निकासी हेतु रोड के किनारे नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी

85-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करें कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में ग्राम सभा मकरहा, नहर की पुलिया से अनुसूचित बस्ती तक जल निकासी न होने के कारण क्षेत्रवासियों द्वारा डामर रोड को काटकर दूसरी तरफ घरों को पानी निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुसूचित बस्ती में जल निकासी के लिए डामर रोड के किनारे नालियों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 2021 तथा वर्ष 2022 में दिनांक 18-10-2022 तक युवतियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या की जानकारी और परिवारजनों को दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में

86-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021 तथा वर्ष 2022 में दिनांक 18-10-2022 तक कितनी युवतियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी

गई है ? क्या सरकार उक्त मृतक युवतियों के परिवारजनों को मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष/अवधि	बलात्कार के बाद महिला हत्या
2021	48
दिनांक 01-01-2022 से 15-10-0222 तक	27

उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के अनुसार निर्गत प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर पीड़ित महिला के बच्चे या माता-पिता को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त 10 प्रस्तावों पर क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से वंचित ग्रामीण परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में सम्मिलित कराये जाने विषयक

87-डॉ0 रागिनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से वंचित ग्रामीण परिवारों का सर्वे कराकर छूटे पात्र परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में सम्मिलित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची संतृप्त हो जाने के पश्चात् आवास प्लस के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास का आवंटन किया जा रहा है। आवास प्लस सूची में विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में 3514 परिवार अवशेष हैं, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के क्रम में सत्यापनोपरान्त पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का सर्वे कराकर नाम जोड़ने के कोई निर्देश नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से पोषक नहर के माध्यम से भरी गयी बड़वार झील/ भस्नेह बांध से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की कार्य योजना बनाये जाने विषयक

88-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से पोषक नहर के माध्यम से भरी गयी बड़वार झील/भस्नेह बांध से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

बड़वार झील से उदगमित बड़वार नहर प्रणाली पूर्व से ही निर्मित एवं क्रियाशील है। बड़वार नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 53.74 कि0मी0 तथा सिंचन क्षमता 7244 कि0मी0 हेक्टेयर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू-सम्पत्ति से वसूली हेतु अनेक स्थानों पर स्थित अचल सम्पत्ति को कुर्क कर नीलाम करने के सम्बन्ध में

89-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी व्यक्ति के विरुद्ध भू-सम्पत्ति से वसूली हेतु जारी आर0सी0 की धनराशि से अधिक अनेक स्थानों पर स्थित अचल सम्पत्ति को कुर्क कर नीलाम करने का अधिकार नियमों में प्राविधानित है ? क्या यह भी सही है कि आर0सी0 में उल्लिखित धनराशि के बराबर की अचल सम्पत्ति को ही कुर्क कर नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो बिना मूल्य निर्धारित किये निलामकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-170 में बकाये की वसूली के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान है। बकायेदार की अन्य अचल सम्पत्ति को कुर्क कर नीलाम किये जाने हेतु संहिता की

धारा-184 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-162 व 163 व आर0सी0 प्रपत्र संख्या-41 एवं 43 में व्यवस्था प्राविधानित है।

निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत कार्यवाही करने पर नीलामकर्ता (सरकारी सेवक) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 में कार्यवाही की व्यवस्था दी गयी है।

जी हां, विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय अभ्यर्थियों को उ0प्र0 की बी0टी0सी0 के ललितपुर में शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया परन्तु प्रार्थी सन्तोष कुमार पचौरी पुत्र श्री प्रेम नारायण पचौसी निवासी सिमरावारी सुभाष नगर, भेल, जनपद झांसी को नियुक्ति न मिलने के जानकारी सम्बन्धी

90-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय अभ्यर्थियों ने उ0प्र0 बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 की राजाज्ञा दिनांक 16-03-1973 के अनुसार म0प्र0 भोपाल बोर्ड की द्विवर्षीय बुनियादी प्रशिक्षण बी0टी0सी0 (प्रमाण-पत्र) सन् 1995 में प्राप्त किया जो उ0प्र0 की बी0टी0सी0 के समकक्ष 11-08-1997 के पूर्व मान्यता प्राप्त थी, में से प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07-09-2010 के आधार पर जनपद झांसी व ललितपुर में शिक्षक पद पर नियुक्त कर दिया गया परन्तु प्रार्थी सन्तोष कुमार पचौरी पुत्र श्री प्रेम नारायण पचौसी निवासी सिमरावारी सुभाष नगर, भेल, जनपद झांसी को नियुक्ति नहीं दी गई है ? क्या सरकार प्रार्थी की उक्त की जांच कर नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या-1157/2004 सन्तोष कुमार पचौरी बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी में पारित आदेश दिनांक

[†] देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-410-420 पर।

26-04-2013 के अनुपालन में शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 17-02-2014 द्वारा श्री सन्तोष कुमार पचौरी का बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (पत्राचार), माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा निर्गत उपाधि उत्तर प्रदेश के बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के समकक्ष न मानते हुए नियुक्ति नहीं की गयी है। जनपद झांसी में किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या-1426/2010 एवं अवमानना याचिका संख्या-2510/2011 भगवत नारायण चतुर्वेदी व अन्य बनाम दिनेश चन्द्र कनौजिया, शिक्षा निदेशक, बेसिक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 द्वारा प्रत्यावेदन के निस्तारण दिनांक 19-12-2011 के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 20-12-2011 द्वारा 05 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के ग्राम मुडेई में राजकीय स्कूल की स्थापना के सम्बन्ध में

91-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम मुड़ेई सहित आस-पास के कई ग्रामों में राजकीय हाईस्कूल नहीं है। हाई स्कूल कई किमी0 दूर स्थित होने के कारण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे 8वीं शिक्षा के बाद हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजने में असमर्थ हैं ? क्या सरकार ग्राम मुड़ेई में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां।

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम मुड़ेई के आस-पास निम्नलिखित विद्यालय संचालित हैं :-

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	ब्लाक चिरगांव के ग्राम मुडेई से दूरी
1	विद्या मन्दिर, चिरगांव	वित्तविहीन	06 कि0मी0
2	राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त इण्टर कालेज, चिरगांव	अशासकीय सहायता प्राप्त	06 कि0मी0
3	इनफेन्ट जी0एस0 हाई स्कूल, चिरगांव	वित्तविहीन	05 कि0मी0
4	जी0डी0 कन्या इण्टर कालेज, चिरगांव	वित्तविहीन	05 कि0मी0

जी नहीं।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 05 से 07 कि0मी0 की परिधि में हाई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर हाई स्कूल की कक्षाओं की संकल्पना है।

जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद झांसी की आख्यानुसार जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव का ग्राम मुडेई समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप सेवित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में 'हर घर जल, हर घर नल' योजना के तहत जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के प्रत्येक ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन डालने के लिये खोदी गई सड़कों को ठीक करने के सम्बन्ध में

92-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 'हर घर जल, हर घर नल' योजना के तहत जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के प्रत्येक ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन डालने का कार्य हेतु खोदी गई सड़कों पर गड्ढों को बन्द करने की महज खानापूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन डालने के उपरान्त सड़क की मरम्मत कराते हुए आवागमन योग्य बना दिया गया है। पाइप लाइन की टेस्टिंग के उपरान्त सड़कों को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के गांवों को फाइबर केबल से जोड़े जाने विषयक

93-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हर गांव को फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के गांवों को फाइबर केबल से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतनेट योजनान्तर्गत अभी केवल ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड कड़ा एवं सिराथू के कुल 137 ग्राम पंचायतों को भारतनेट फेज-1 के तहत आप्टिकल फाइबर केबिल से जोड़ा गया है।

जनपद कौशाम्बी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित घाटों की संख्या एवं व्यय की गई धनराशि की जानकारी सम्बन्धी

94-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कितने घाटों का निर्माण किया गया एवं कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त घाटों के निर्माण में अनियमितता की गई है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद कौशाम्बी में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल तीन घाटों यथा काराधाब घाट, असदपुर घाट एवं बदनपुर घाट का निर्माण कराया गया है। काराधाब घाट के निर्माण पर रु0 5.56 करोड़, असदपुर घाट के निर्माण पर रु0 2.92 करोड़ तथा बदनपुर घाट के निर्माण पर रु0 3.18 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा की ग्राम पंचायत जमखुरी की कुर्मीयान बस्ती में काली सड़क व इण्टरलॉकिंग पर जल निकासी हेतु नाली निर्माण कराये जाने विषयक

95-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा की ग्राम पंचायत जमखुरी की कुर्मीयान बस्ती में काली सड़क व इण्टरलॉकिंग पर जल भराव होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग व इण्टरलॉकिंग के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा की ग्राम पंचायत जमखुरी की कुर्मीयान बस्ती में काली सड़क व इण्टरलॉकिंग पर वर्तमान समय में कोई जल भराव नहीं है, आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

जी हां।

बरसात में जल निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। नाली का निर्माण दो सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा/अध्यक्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए आयोजित साक्षात्कार के आधार पर चयनित अधिकारी का सचिव के पद पर तैनाती के सम्बन्ध में

96-श्री गौरव कुमार-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 2021 में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा/अध्यक्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए आयोजित साक्षात्कार के आधार पर चयनित अधिकारी का सचिव के पद पर तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक धौरहरा की ग्राम सभा मटेहनी में परशुराम के घर से गजोधर के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

97-श्री विनोद शंकर अवस्थी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक धौरहरा की ग्राम सभा मटेहनी में परशुराम के घर से गजोधर के घर तक मार्ग लम्बाई 100 मी0 आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

01 माह में पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

98-श्री अतुल प्रधान-

[बहुत ब्यौरे की जाकारी के आधार पर निरस्त।]

99-श्री राजपाल सिंह बालियान-

[03 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में कोरोना से मृतक अध्यापकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने विषयक

100-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में ग्राम पंचायत के विगत चुनाव के बाद कितने अध्यापकों की कोरोना से मृत्यु हुई है ? तथा उनमें से कितने आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गयी एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष आश्रितों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास क्षेत्र जलीलपुर में 02 अध्यापक एवं 01 अनुदेशक, विकास क्षेत्र हल्दौर में 02 अध्यापक एवं विकास क्षेत्र नूरपुर में 03 अध्यापक की मृत्यु हुई है।

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये गये कर्मियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से हुई मृत्यु की दशा में पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 01 जून, 2021 में निर्धारित मानक के अन्तर्गत 03 अध्यापकों को पात्र पाये जाने पर अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया गया।

जी नहीं।

पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 01 जून, 2021 में निर्धारित मानक के अन्तर्गत 03 अध्यापकों को पात्र पाये जाने के कारण अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया गया तथा शेष 04 अध्यापक एवं 01 अनुदेशक को अपात्र पाये जाने के कारण अनुग्रह धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में खराब नलकूपों को ठीक कराकर संचालित कराये जाने विषयक

101-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में कितने सरकारी नलकूप खराब तथा कितने नलकूप चालू हैं ? क्या सरकार उक्त तीनों ब्लाकों में खराब नलकूपों को ठीक कराकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत ब्लाक जलीलपुर हल्दौर नूरपुर में दिनांक 17-11-2022 की बन्दी की सूचना के अनुसार संचालित, खराब एवं चालू राजकीय नलकूपों का विवरण निम्नलिखित है:-

ब्लाक	संचालित राजकीय नलकूप की संख्या	चालू राजकीय नलकूप की संख्या	अस्थायी रूप से खराब राजकीय नलकूप की संख्या	
			यांत्रिक दोष	विद्युत दोष
जलीलपुर	95	91	02	02
हल्दौर	77	75	01	01
नूरपुर	75	75	00	00

राजकीय नलकूपों का अस्थायी रूप से विद्युत अथवा यांत्रिक दोष से बन्द होना एवं चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानक के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कर सिंचाईरत कर दिया जाता है। विद्युत दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर उन्हें चालू कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस विभाग में खेल कोटे के 534 रिक्त पदों पर भर्ती करने की समय-सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी

102-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस विभाग में खेल कोटे के 534 रिक्त पदों पर भर्ती करने की सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी ना0पु0 के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2022 के अन्तर्गत प्राप्त 534 पदों के प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने

हेतु दिनांक 28-09-2012 को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 01-10-2022 से 05-11-2022 तक अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जा चुका है।

उक्त भर्ती की संगत नियमावली के अनुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण व अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत गांवों में गंगा नदी की बाढ़ से हो रही फसल की हानि को रोकने के लिए तटबन्ध बनाने की योजना सम्बन्धी

103-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत जहानाबाद, ढोलनरपुर, फैजपुर, सलेमपुर, जलालपुर, रायपुर, नाननौर, दतियाना, स्याली, खद्दन, मुजफरा आदि गांवों में गंगा नदी की बाढ़ से उक्त क्षेत्रों में हो रही फसल की हानि को रोकने के लिए गंगा नदी पर तटबन्ध बनाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में लगभग 30 कि0मी0 लम्बाई में जिसके मध्य 10 गांव आते हैं, तटबन्ध बनाये जाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य मुख्य अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन संगठन अलीगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत अनुसन्धान एवं नियोजन खण्ड मुरादाबाद द्वारा कराया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्यों को पूरा करने के उपरान्त तकनीकी साध्यता एवं सम्भाव्यता के दृष्टिगत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव में विगत 7/8 वर्षों से निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज पूर्ण कराये जाने विषयक

104-श्री उमर अली खान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव में विगत 7/8 वर्षों से निर्माणाधीन

राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य अपूर्ण होने से स्थानीय बच्चों को इण्टर की पढ़ाई के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर की आख्यानुसार जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव के 10 किलोमीटर की परिधि में 01 राजकीय इण्टर कालेज, 01 अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 03 वित्तविहीन इण्टर कालेज संचालित हैं तथा 01 राजकीय इण्टर कालेज, भैंसराव निर्माणाधीन है। उक्त विद्यालय संचालित होने के कारण स्थानीय बच्चों को इण्टर की पढ़ाई के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है। जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विद्यालय निर्माण हेतु आगणन तैयार करना, कार्यदायी संस्था के चयन/धनराशि निर्गत, भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा आदि की समस्त कार्यवाही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

105-श्री अमिताभ बाजपेई-

[03 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के कस्बा बेहट में छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए एक और इण्टर कालेज की स्थापना सम्बन्धी

106-श्री उमर अली खान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहटके कस्बा बेहट की 20,000 जनसंख्या में छात्रों की अधिक संख्या के सापेक्ष एक ही इण्टर कालेज होने से अनेक छात्र-छात्राओं को अन्य स्थानों पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक और इण्टर कालेज की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद सहारनपुर की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र बेहट के कस्बा बेहट में 01 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (जनता इण्टर कालेज, बेहट), 02 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (जनहित इण्टर कालेज बेहट एवं शिवपति बालिका इण्टर कालेज, बेहट) तथा 01 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल (भारतीय शिक्षा हाई स्कूल, बेहट) संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 07 से 10 किलोमीटर की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद सहारनपुर की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र बेहट के कस्बा बेहट में 01 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (जनता इण्टर कालेज, बेहट), 02 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (जनहित इण्टर कालेज बेहट एवं शिवपति बालिका इण्टर कालेज, बेहट) तथा 01 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल (भारतीय शिक्षा हाई स्कूल, बेहट) संचालित हैं। तद्नुसार जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट का कस्बा बेहट समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुरूप संतृप्त है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में आवारा गाय व सांड़ों के कारण दुर्घटना में घायल अथवा मृत होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने विषयक

107-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में आवारा गाय व सांड़ों के कारण दुर्घटना में घायल अथवा मृत होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकार मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1/2020/मु0स0-11/एक-9-2020-2एफ/2018, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा जीव-जन्तु/जानवर द्वारा काटने/मारने/आक्रमण से प्रभावित कृषकों को 'मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के अन्तर्गत रु0 5,00,000/- प्रति मृतक सहायता प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 586/एक-11-2022-4(जी)/2015 दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रदेश में सांड़ एवं वनरोज द्वारा जनसामान्य को आघात किये जाने पर मृत्यु की दशा में प्रति मृतक रु0 4,00,000/- सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी

108-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में कांस्टेबल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल स्वीकृत नियतन-544 के सापेक्ष 352 आरक्षी नागरिक पुलिस नियुक्त हैं तथा 192 आरक्षी नागरिक पुलिस की रिक्ति विद्यमान है।

आरक्षी नागरिक पुलिस के 26210 रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु अधियाचन दिनांक 29-09-2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र में 'हर घर नल, हर घर जल' के तहत गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढ़पुरा में पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन डालने हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी

109-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की योजना 'हर घर नल, हर घर जल' के तहत जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढ़पुरा में

ग्राम समूह पेयजल आपूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पाइप लाइन डाली जा रही किन्तु कुछ ग्रामों में पाइप लाइन डालने का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शेष ग्रामों को भी उक्त योजना में सम्मिलित कर पाइप लाइन डालने हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र के अवशेष ग्रामों क्रमशः ग्राम भरौल एवं चिपलोटा को 'तिलैथा ग्राम समूह पेयजल योजना' में सम्मिलित कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम नन्हेडी एवं ग्राम सिकन्दरपुर में प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनवाये जाने विषयक

110-श्री चन्दन चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम नन्हेडी एवं ग्राम सिकन्दरपुर में सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी न होने से छात्र/छात्राओं को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम नन्हेडी एवं ग्राम सिकन्दरपुर के प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण पंचायती राज विभाग के शासनादेश दिनांक 30-10-2019 के प्राविधानानुसार 'आपरेशन कायाकल्प' के अन्तर्गत कराया जाना है।

उक्तवत्।

उक्त प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की बेहट विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद में गिरते भू-जल स्तर को बढ़ाने व भू-जल रिचार्ज के लिए सरकारी योजना की जानकारी सम्बन्धी

111-श्री उमर अली खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु भू-जल रिचार्ज के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद सहारनपुर की बेहट विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद का भू-जल स्तर लगातार कम हो रहा है। यदि हां, तो उक्त का क्या कारण है तथा उक्त क्षेत्र में जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई है ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु वर्तमान में अटल भू-जल योजना लागू है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेढ़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जल संचयन हेतु चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, मेड़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है।

जनपद सहारनपुर की बेहट विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सडोली कदीम में वर्ष 2012 से 2021 तक में औसतन 0.35 मीटर प्रति वर्ष तथा मुजफ्फराबाद में 0.27 मीटर प्रति वर्ष भू-जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है। विगत वर्षों में मुख्यतः बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के कारण अत्यधिक भू-जल दोहन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, भू-जल स्तर लगातार कम हो रहा है। (संलग्नक) †

प्रदेश में भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, संचयन, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट-2019' प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों तथा समस्त

† देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-421 पर।

सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के भवनों को आच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित किया जाने का प्राविधान है।

जनपद अयोध्या/अम्बेडकरनगर के पौसारा राजवाहा हेड पर क्रास रेगुलेटर बनाने सम्बन्धी

112-श्री लाल जी वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौसारा राजवाहा अयोध्या/अम्बेडकरनगर के हेड पर क्रास रेगुलेटर बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम रकबे के स्थान पर उससे बाहर दूसरी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राजस्व ग्राम रकबे में आवास बना कर स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को नया मतदाता बनने अथवा पूर्व से पंजीकृत मतदाता के रूप में बने रहने के सम्बन्ध में जानकारी

113-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम रकबे के स्थान पर उससे बाहर दूसरी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राजस्व ग्राम रकबे में आवास बना कर स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति को नया मतदाता बनने अथवा पूर्व से पंजीकृत मतदाता के रूप में बने रहने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियम या शासनादेश का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जिस ग्राम पंचायत के अन्दर मामूली तौर से निवासी है, उसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का पात्र होगा।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की सुसंगत प्रति संलग्न है।[†]

उपरोक्तानुसार।

[†] देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-422-423 पर।

जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2022 में दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को पेट्रोल डालकर जलाने की घटना के सम्बन्ध में

114-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2022 में दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को पेट्रोल डालकर जलाने की घटना से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो उक्त घटना से जुड़े प्रमुख तथ्यों को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

अभियुक्त अभिषेक द्वारा मुस्कान (उम्र 15 वर्ष) के साथ बलात्कार करने तथा उसे धमकी देने तथा पीड़िता के गर्भवती होने पर अभियुक्त की मां श्रीमती मीरा देवी द्वारा उसकी शादी अपने पुत्र अभियुक्त से कराने की बात कह कर अपने घर ले जाने के उपरान्त उसी रात्रि लगभग 03 बजे सुबह मीरा देवी, नीतू एवं अभिषेक द्वारा पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया गया, जिससे उसका पूरा शरीर जल जाने एवं इलाज सैफई पी0जी0आई0, जनपद इटावा में चलने के सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री मनीराम निवासी ग्राम निजामपुर, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी द्वारा दिनांक 08-10-2022 को थाना कुरावली पर मु0अ0सं0-435/2022 धारा-376(3), 326, 307, 506 भा0दं0वि0 व 3/4-(2) पॉक्सो ऐक्ट बनाम अभियुक्त 1-अभिषेक पुत्र साहब सिंह, 2-मीरा देवी पत्नी साहब सिंह, 3-नीतू पुत्र साहब सिंह, निवासीगण ग्राम निजामपुर, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी पंजीकृत कराया गया।

विवेचना में अभियुक्ता मीरा देवी एवं अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इलाज के दौरान दिनांक 15-10-2022 को पीड़िता की मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एन्टी मार्टम बर्निंग पाये जाने के कारण उक्त मुकदमें में धारा-302 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 18-10-2022 को बाल अपचारी नीतू उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार नीतू उपरोक्त को राजकीय बाल सम्प्रेषण गृह, गाजियाबाद में दाखिल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कार्य कराये जाने सम्बन्धी

115-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 1620.00 मीटर के डामरीकरण का अनुमानित व्ययभार 93.30 लाख रुपये होने के कारण जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के स्थलीय निरीक्षण में मार्ग की कुल लम्बाई 1620.00 मीटर है जिसमें मार्ग में 660 मीटर में सोलिंग एवं 960 मीटर रोड कच्ची है। उक्त मार्ग के डामरीकरण कार्य पर दिनांक 15-07-2020 को रु0 93.30 लाख का व्यय अनुमानित था। मार्ग के निर्माण हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 11-04-2022 में अन्य प्रस्ताव संख्या-01 पर बैठक में चर्चा के उपरान्त सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु इससे पूर्व भी बोर्ड की बैठक दिनांक 10-09-2020 में अन्य प्रस्ताव संख्या-4 को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया था।

वर्तमान में उक्त मार्ग की लागत रु0 108.22 लाख आगणित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचम राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि रु0 1055.11 लाख एवं पन्द्रहवां वित्त आयोग (अनटाइड) की आवंटित धनराशि रु0 497.145 लाख की सम्पूर्ण धनराशि की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। कार्य की महत्ता के दृष्टिगत सुसंगत मद के अन्तर्गत जिला पंचायत बांदा की आगामी बोर्ड की बैठक में पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। बोर्ड के निर्णयानुसार धन की उपलब्धता की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात होने वाले सफाई कर्मियों का अपनी तैनाती स्थल के बजाय अधिकारियों के घर काम करने की शिकायत सम्बन्धी

116-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात होने वाले सफाई कर्मियों का अपनी तैनाती स्थल के बजाय अधिकारियों के घर काम करने की

जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या उक्त सफाई कर्मियों का अपने तैनाती स्थल पर ड्यूटी कराना सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने तैनाती राजस्व ग्राम में सफाई का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0ए0सी0 तथा सशस्त्र पुलिस में आरक्षी पद का वर्ष 1996 से, मुख्य आरक्षी पद का वर्ष 2004 से तथा उप निरीक्षक पद का वर्ष 2012 के बाद से पदोन्नति की जानकारी विषयक

117-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0ए0सी0 तथा सशस्त्र पुलिस में आरक्षी पद का वर्ष 1996 से, मुख्य आरक्षी पद का वर्ष 2004 से तथा उप निरीक्षक पद का वर्ष 2012 के बाद से पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कारणों का निराकरण कराते हुए उक्त पदों पर पदोन्नति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पी0ए0सी0/सशस्त्र पुलिस में आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर वर्ष 2022 तक, मुख्य आरक्षी के पद से उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर वर्ष 2022 तक तथा उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद से निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/दलनायक के पद पर वर्ष 2020 तक पदोन्नति की गयी है।

उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कर्मियों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2021 एवं 2022 में पदोन्नति नहीं की हुई।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत विशुनपुरा बाजार में पुलिस चौकी हेतु सरकारी भवन का निर्माण कराये जाने विषयक

118-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत विशुनपुरा बाजार में पुलिस चौकी किराये के मकान में संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी हेतु भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत विशुनपुरा बाजार में कोई पुलिस चौकी संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस लाइनों में, पुलिस बटालियनों, पुलिस थानों एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों की चहारदीवारी के अन्दर बने मन्दिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे तथा चर्च के सम्बन्ध में जानकारी

119-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितनी पुलिस लाइनों, पुलिस बटालियनों, पुलिस थानों एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों की चहारदीवारी के अन्दर मन्दिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे तथा चर्च बने हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के पुलिस लाइनों में, पुलिस बटालियनों, पुलिस थानों एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों की चहारदीवारी के अन्दर मन्दिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे तथा चर्च बने होने के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

1	पुलिस लाइन	68
2	पुलिस बटालियन	31

3	पुलिस थाना	1231
4	प्रशिक्षण केन्द्र	07

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत 5 वर्षों में एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत वर्षवार दर्ज अपराधिक मामले/मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने एवं एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के दुरुपयोग होने के प्रकरण की जानकारी सम्बन्धी

120-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत वर्षवार कितने अपराधिक मामले दर्ज हुए तथा कितने मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है एवं कितने मामलों में एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के दुरुपयोग होने के प्रकरण सामने आये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्राप्त उत्तरालेख के अनुसार वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	पंजीकृत अभियोग	मामलों की संख्या जिनमें पीड़ितों को मुआवजा दिया गया	मामलों की संख्या जिनमें एस0सी0/ एस0टी0 ऐक्ट के दुरुपयोग होने के प्रकरण सामने आये
2017	11881	10726	65
2018	13191	11852	77
2019	12245	11202	81
2020	13535	12720	99
2021	13582	11909	87

जी हां।

(जनपदवार विवरण संलग्न है)†

प्रश्न नहीं उठता।

† देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-424-434 पर।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित व्यक्ति द्वारा चुनाव के समय नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ-पत्र में अंकित तथ्य असत्य सिद्ध होने पर उसका चुनाव निरस्त करने और प्राथमिकी दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई सम्बन्धी

121-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए चुने गये व्यक्ति द्वारा चुनाव के समय नामांकन-पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ-पत्र में अंकित तथ्य असत्य सिद्ध होने पर उसका चुनाव निरस्त करने और प्राथमिकी दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी नियमों की जानकारी तथा अपने विवेक से निर्वाचन के विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय लेते हैं। उक्त अवधि में निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहते हैं। निर्वाचन अधिकारी के किसी निर्णय के विरुद्ध अथवा निर्वाचन के विषय में परिणाम की घोषणा के बाद सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय के न्यायालय से 8 अगस्त, 2022 को 1 साल की कैद की सजा सुनाए जाने और सजा सुनने वाले मुल्जिम द्वारा अदालती फैसले की कॉपी छीनकर भागने की जानकारी

122-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 अगस्त, 2022 को कानपुर के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय के न्यायालय से 1 साल की कैद की सजा सुनाए जाने और सजा सुनने वाले मुल्जिम द्वारा अदालती फैसले की कॉपी छीनकर भागने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना से जुड़े प्रमुख तथ्यों को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

दिनांक 06-08-2022 को मा0 न्यायालय ए0सी0एम0एम0-3 कानपुर नगर की स्टेनो द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-3 में मु0अ0सं0-729/1991 अन्तर्गत धारा 20/25/30, थाना नौबस्ता, कानपुर आदेश हेतु नियत थी। पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त राकेश सचान को सजा के बिन्दु पर सुना गया और दोष सिद्ध करार दिया गया। पीठासीन अधिकारी आदेश लिखने हेतु चैम्बर में चले गये। दोष सिद्ध करने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निर्णय देखने हेतु पत्रावली ली गयी। इसी बीच अभियुक्त राकेश सचान निर्णय पत्रावली से लेकर फरार हो गया। अतः उचित धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली को दिया गया। जांच के क्रम में आवश्यक सी0सी0टी0वी0 फुटेज प्राप्त नहीं हो सके हैं। घटना के दिन मा0 न्यायालय कक्ष में उपस्थित प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान लिये गये, जिससे किसी संज्ञेय अपराध का होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा नवाबगंज में संचालित सरकार द्वारा अनुदानित जे0पी0 इण्टर कालेज को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

123-डॉ0 एम0 पी0 आर्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा नवाबगंज में संचालित सरकार द्वारा अनुदानित जे0पी0 इण्टर कालेज को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में संचालित कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-106/15-8-2020-3001(3)/2019, दिनांक 27 फरवरी, 2020 द्वारा प्रान्तीयकृत किये जाने हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत जे0पी0एन0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, बरेली आच्छादित नहीं है।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सेंथल में एम0एस0डी0पी0 के तहत निर्मित कराये गये जी0टी0आई0 कालेज का संचालन प्रारम्भ कराये जाने सम्बन्धी

124-डॉ0 एम0 पी0 आर्य-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सेंथल में एम0एस0डी0पी0 के तहत निर्मित कराये गये जी0टी0आई0 कालेज का संचालन सरकार प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सेंथल में जी0टी0आई0 कालेज के नाम से संस्थान का निर्माण नहीं कराया गया है। अतः उक्त कालेज का संचालन प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

वस्तुतः जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सैंथल में प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम (पूर्व नाम एम0एस0डी0पी0) के तहत राजकीय पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण कार्य अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

इलाहाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (वर्तमान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण) के दि डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज ट्रस्ट, इलाहाबाद के पक्ष में हस्तान्तरित भू-खण्ड संख्या-269बी, मोहल्ला दियाबाद के भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने सम्बन्धी

125-श्री प्रवीण पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (वर्तमान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण) द्वारा मोहल्ला दियाबाद की भू-खण्ड संख्या-269बी, क्षेत्रफल 2872 वर्ग गज भूमि को पंजीकृत हस्तान्तरण विलेख दिनांक 21-02-1958 द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज ट्रस्ट, इलाहाबाद के पक्ष में हस्तान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त भू-खण्ड संख्या-269बी जिस आराजी पर स्थित है, उक्त आराजी पर पंजीकृत हस्तान्तरण विलेख के समय (दिनांक 21-02-1958) तहसील के भू-राजस्व अभिलेखों में इलाहाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का नाम दर्ज था ? यदि नहीं, तो उपरोक्त भू-खण्ड संख्या-269बी

की उक्त आराजी पर वर्तमान समय में तहसील के भू-राजस्व अभिलेखों में इलाहाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/प्रयागराज विकास प्राधिकरण में से किसका नाम दर्ज है ? यदि उक्त आराजी पर तहसील के भू-राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत भू-खण्ड संख्या-269बी पर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उप जिलाधिकारी सदर, जनपद प्रयागराज के न्यायालय में भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-33/39 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु वाद सं0-27/2015 योजित किया, जो दिनांक 17-08-2019 को खारिज हो गया है। उद्घोषणात्मक डिक्री प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित कस्बा चरथावल को तहसील बनाने की कार्य योजना सम्बन्धी

126-श्री पंकज मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित कस्बा चरथावल को तहसील बनाने की कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कस्बा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर की तहसील सदर में मुजफ्फरनगर थाना भवन जनपदीय मार्ग पर स्थित है। तहसील सदर मुजफ्फरनगर कस्बा चरथावल से लगभग 12 किमी0 की दूरी पर स्थित है तथा तहसील सदर मुजफ्फरनगर में 273 राजस्व गाम हैं एवं 101 लेखपाल क्षेत्र हैं। कस्बा चरथावल को नवसृजित तहसील बनाने हेतु इसके अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक क्षेत्र चरथावल के 09 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र व 01 आंशिक लेखपाल क्षेत्र व राजस्व निरीक्षक क्षेत्र बिरालसी के 10 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र व राजस्व निरीक्षक क्षेत्र तितावी का 01 पूर्ण व 01 आंशिक तथा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र बघरा का पूर्ण लेखपाल क्षेत्र व राजस्व निरीक्षक क्षेत्र

रोहाना के 09 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र अर्थात् 30 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र व 02 आंशिक लेखपाल क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं।

राजस्व परिषद् के पत्र संख्या-1664/9-115बी/86, दिनांक 06-05-1987 के पैरा-03 में नई तहसील सृजन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि तहसील सृजन हेतु एक मानक विद्यमान है, जिसके अनुसार मैदानी क्षेत्र में एक तहसील में साधारणतया कम से कम 100 और 120 के बीच लेखपाल क्षेत्र होने चाहिए। उक्त के दृष्टिगत मुजफ्फरनगर में स्थित कस्बा चरथावल को तहसील बनाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह अन्तर्गत विकास खण्ड मनियर ब्लाक का स्थान परिवर्तन विषयक

127-श्रीमती केतकी सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह अन्तर्गत विकास खण्ड मनियर ब्लाक का स्थान परिवर्तन और बैठक इत्यादि करने के लिए ड्वाकरा हॉल की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विकास खण्ड मनियर में 35 कुर्सियों की क्षमता का सभागार है, जिसमें साप्ताहिक समीक्षा बैठक एवं अन्य बैठक कार्य संचालित होता है। वर्तमान में ड्वाकरा योजना संचालित नहीं है और न ही ड्वाकरा हॉल बनाने और विकास खण्ड का स्थान परिवर्तन करने की कोई कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के करनई में चकबन्दी प्रक्रिया की समय-सीमा को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी

128-श्री संग्राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के करनई में चकबन्दी की प्रक्रिया प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त में चकबन्दी की प्रक्रिया कितने दिनों से प्रचलित है तथा उक्त को पूर्ण करने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध कराते हुए चकबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम में लगभग 15 वर्ष 05 माह से चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है। किसी भी ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने की समय-सीमा 60 माह निर्धारित है।

प्रश्नगत ग्राम में प्रारम्भ से ही चकबन्दी प्रक्रिया का प्रबल जन विरोध होने के कारण लम्बित है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बलिया की आख्यानुसार दिनांक 31-03-2025 तक प्रश्नगत ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया को निर्धारित कार्य योजना के अनुसार पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज एवं समरेर में प्रस्तावित ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने विषयक

129-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज एवं समरेर में प्रस्तावित ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य सरकार प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

मनरेगा योजनान्तर्गत कुल 264 प्रकार के कार्य अनुमन्यता की श्रेणी में हैं। अनुमन्य कार्यों की सूची में ऑडिटोरियम का निर्माण सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

130-श्री पियूष रंजन निषाद-

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर की ग्राम पंचायत ककरैया, मिर्चापुर के विकास हेतु विशेष बजट देने की मांग

131-श्रीमती सरोज कुरील-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर की ग्राम पंचायत ककरैया, मिर्चापुर के विकास हेतु विशेष बजट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कानपुर नगर स्तर से जनपद की ग्राम पंचायत ककरैया, मिर्चापुर सहित अन्य ग्राम पंचायतों को विकास हेतु विशेष बजट देने का कोई प्राविधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि जनपद की ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि उनकी जनसंख्या के आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से वंचित कतिपय परिवारों का नाम सूची में शामिल करने की मांग

132-श्रीमती सरोज कुरील-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में कतिपय ग्रामीण परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से वंचित हैं ? क्या सरकार सर्वे कराकर छूटे पात्र परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में सम्मिलित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 की सूची के अनुसार विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में 3670 परिवारों का नाम सूची में सम्मिलित था, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक आवास उपलब्ध कराकर सूची संतृप्त कर दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की तैयार 'आवास प्लस एप' सूची के अनुसार 4618 परिवार पात्र पाये गये, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक 1698 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है और 2920 परिवार लाभान्वित होने को शेष हैं, जिन्हें अगला लक्ष्य प्राप्त होने पर लाभान्वित कराया जायेगा।

जिन पात्र परिवारों का नाम 'आवास प्लस एप' की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गया है, उनका सूची में नाम सम्मिलित कराने की कार्यवाही भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तरबगंज, वजीरगंज, बेलसर एवं नवाबगंज में प्रधानमंत्री आवास/मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण

133-श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज, वजीरगंज, बेलसर एवं नवाबगंज में प्रधानमंत्री आवास/मुख्य मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है एवं वर्तमान में कितने लाभार्थियों को आवास प्रदान किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय पात्र लाभार्थियों के नाम आवास की सूची में सम्मिलित नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त लोगों की सूची बनाकर प्रधानमंत्री आवास/मुख्य मंत्री आवास प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-वजीरगंज में 1595, नवाबगंज में 3415, तरबगंज में 3793 व बेलसर में 3930 प्रधानमंत्री आवास/मुख्य मंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लाभार्थी सूची में उपलब्ध है तथा वर्तमान में वजीरगंज में 958, नवाबगंज में 1527, तरबगंज में 1843 व बेलसर में 2258 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास/मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण से लाभान्वित कराया जा चुका है।

जी हां।

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी की प्राथमिकता के क्रम में पात्र लाभार्थियों का नाम प्रत्येक वर्ष जोड़ते हुए सूची तैयार की जाती है तथा प्राप्त बजट के अनुपात में जनपदवार लक्ष्य का आवंटन किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्तमान में आवास प्लस की स्थायी पात्रता सूची से आवास का आवंटन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आवास प्लस की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये पात्र परिवारों को जोड़ने के कोई निर्देश वर्तमान में नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराये जाने विषयक

134-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उच्च शिक्षा विभाग की कार्य योजना में प्रश्नगत राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य को 02 वर्ष (25-03-2024) तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में वर्ष 2017 से सितम्बर, 2022 तक नहरों, माइनरों, राजवाहों एवं ड्रेनों में सिल्ट सफाई/खुदाई का कार्य कराने सम्बन्धी

135-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2017 से सितम्बर, 2022 तक किन-किन नहरों, माइनरों, राजवाहों एवं ड्रेनों में कुल कितने किलोमीटर में सिल्ट सफाई/खुदाई का कार्य कराया गया है तथा उस पर कितना धन व्यय हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त नहरों, माइनरों, राजवाहों का शेष की सफाई/खुदाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद जालौन में वर्ष 2017 से सितम्बर, 2022 तक वर्षवार नहरों, माइनरों एवं ड्रेनों में करायी गयी सिल्ट सफाई/खुदाई की गयी लम्बाई एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	नहरों, ड्रेनों की संख्या	लम्बाई (किमी0) में	व्यय (लाख रु0 में)
2017-18	राजवाहा 21 अदद एवं माइनर 89 अदद	609.573	178.410
	ड्रेन 13 अदद	26.444	50.00
2018-19	राजवाहा 26 अदद एवं माइनर 155 अदद	899.889	308.35
	ड्रेन 07 अदद	8.540	10.00
2019-20	राजवाहा 19 अदद एवं माइनर 181 अदद	955.464	349.21
	ड्रेन 23 अदद	65.097	130.00
2020-21	राजवाहा 12 अदद एवं माइनर 185 अदद	1112.138	274.15
	ड्रेन 29 अदद	128.18	124.00
2021-22	राजवाहा 22 अदद एवं माइनर 261 अदद	1550.015	596.06
	ड्रेन 50 अदद	266.471	263.43
04/2022 से 09/2022 तक	ड्रेन 60 अदद	247.000	280.00

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में शत-प्रतिशत माइनरों एवं राजवाहों पर आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण कराये जाने विषयक

136-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर होने के कारण वर्तमान में निष्प्रयोज्य हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त भवनों का ध्वस्तीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद जालौन के परिषदीय विद्यालयों के प्रांगण में जर्जर/निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में गठित तकनीकी समिति द्वारा 192 विद्यालयों को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है।

जी हां।

तकनीकी समिति द्वारा घोषित 192 निष्प्रयोज्य विद्यालयों में से 133 विद्यालयों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है एवं 59 विद्यालयों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली में भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने विषयक

137-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया, तहसील खैरागढ़ में गाटा संख्या-303 व 306 राजस्व अभिलेखों में चकरोड/रास्ता अंकित है तथा यह चकरोड/रास्ता श्मशान घाट होते हुए ग्राम मंगलनगर को जाता है जिस पर भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने के कारण गांव मंगलनगर के आम जनता को आने-जाने व शव यात्रा ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते पर अनाधिकृत कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी आगरा से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम भिडावली, ब्लाक सैंया, तहसील खैरागढ़, जनपद आगरा के गाटा संख्या-303 रकबा 0.1270 हे0 व गाटा संख्या-306, रकबा 0.0690 हे0 राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अंकित है। यह रास्ता गांव के सहारे से श्मशान घाट के लिए गया है। रास्ते पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई। जांच में रास्ते के गाटा संख्या-303 रकबा 0.1270 हे0 व गाटा संख्या-306, रकबा 0.0690 हे0 के 120 वर्ग मीटर पर रामऔतार पुत्र विद्याराम का अनधिकृत निर्माण पाया गया, जिसके विरुद्ध क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत वाद दायर करने हेतु तहसीलदार, खैरागढ़ के न्यायालय में आख्या प्रस्तुत की गई। वर्तमान में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत वाद संख्या टी-202201010503643 ग्राम सभा भिडावली बनाम रामऔतार विचाराधीन है। रामऔतार द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन, आगरा के न्यायालय में वाद संख्या-770/2022 योजित किया गया है, जोकि विचाराधीन है। उक्त वाद में उ0प्र0 सरकार द्वारा कलेक्टर आगरा, उप जिलाधिकारी, खैरागढ़, तहसीलदार, खैरागढ़ पक्षकार हैं। सिविल न्यायालय में उक्त वाद में पैरवी की जा रही है। वर्तमान में स्थलीय जांच में पाया गया कि उपरोक्त रास्ता जो श्मशान के लिए गया हुआ है, लगभग 3.4 मी0 चौड़ाई में मौके पर चालू है। वर्तमान में उपरोक्त रास्ते पर आवागमन अवरुद्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अयेला में चारागाह के लिए आवंटित हुई जमीन को खाली करवा कर गौशाला का निर्माण कराने सम्बन्धी

138-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अयेला, ब्लाक खैरागढ़ में चकबन्दी के समय चारागाह के लिए जमीन आवंटित हुई, जिसका खतौनी संख्या-879 का गाटा संख्या-167, 291, 298, 339, 385, 397, 1148, 1236, 1238, 1268, 1235, 1619 है, पर दबंग/भू-माफिया लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चारागाह की जमीन को खाली करवा कर गौशाला का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, आगरा की आख्यानुसार मौजा अयेला के राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या-1239 के गाटा संख्या-167/0.8060 हे0, 167मि0/0.6900 हे0, 291मि0/4.5870 हे0, 339/1 रकबा .6450 हे0, 1268/0.9200 हे0, 298मि0/0.2300 हे0, 298मि0/0.2310 हे0, 298मि0/0.2310 हे0, 298मि0/0.2300 हे0, 1236मि0/0.5760 हे0, 1238/0.2300 हे0, 1268मि0/0.2300 हे0, 1268 मि0/0.2300 हे0 पर चारागाह दर्ज है। उक्त गाटों पर दिनांक 23-11-2022 व 24-11-2022 को राजस्व टीम मय पुलिस बल थाना सैंया द्वारा ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय ग्राम विकास अधिकारी व ग्रामवासियों की उपस्थिति में पैमाइश की गयी। पैमाइश के उपरान्त चारागाह की भूमि पर पड़ोसी काश्तकारों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को चिन्हित कर निशानदेही करा दी गयी है तथा चिन्हित भूमि को सुरक्षित करने हेतु खाईं खुदवाने का कार्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही एवं समुचित रख-रखाव हेतु चारागाह की भूमि को सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान अयेला की उपस्थिति में विकास विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगनेर देहात में सिंचाई विभाग की जमीन पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक

139-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जगनेर देहात, तहसील खैरागढ़ के गाटा सं0-724 व 723 (नहर कोठी जगनेर सिंचाई विभाग) राजस्व विभाग में सिंचाई विभाग के नाम अंकित है, पर ग्राम जगनेर के भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत तहसील खैरागढ़ में सिंचाई विभाग की जगनेर कोठी नहर वर्ष 1953 से निर्मित है। ग्राम पंचायत जगनेर देहात, तहसील खैरागढ़ में कोठी नहर के परिक्षेत्र के गाटा सं0-723, कुल रकबा 0.0460 हेक्टेयर राजस्व

अभिलेखों में कोठी नहर (सिंचाई विभाग) के नाम पर दर्ज है तथा आबादी के रूप में अतिक्रमित है। गाटा संया-724 राजस्व अभिलेखों में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं है।

जी हां।

अतिक्रमणकर्ताओं को विभाग द्वारा नोटिस निर्गत किये गये, परन्तु उनके द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाये गये। अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा से मजिस्ट्रेट नामित करने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। मजिस्ट्रेट नामित होने एवं पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होते ही अतिक्रमण हटवाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया के गांव में जलभराव से निजात के लिए तालाब तक नालियां निकलवाये जाने विषयक

140-श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिडावली, ब्लाक सैंया, तहसील खैरागढ़ में गांव से ठाकुर जी शाला को जाने वाला मार्ग पर गांव के ही दबंगों ने नालियां बन्द कर देने के कारण गांव में जलभराव के कारण बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालियों को दबंगों से मुक्त कराकर तालाब तक निकलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

गांव में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैल रही है।

नाली को कब्जामुक्त कराने हेतु राजस्व विभाग के माध्यम से नाली को कब्जामुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा गांव में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अनुमोदन के उपरान्त सोकपिट/रि-चार्ज पिट बनवाकर जलभराव की समस्या का समाधान आलोच्य वित्तीय वर्ष के अन्त तक करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम बरुआ में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने विषयक

141-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम बरुआ में राजकीय इण्टर कालेज न होने से यहां के छात्र-छात्राएं इण्टर स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु काफी दूर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय बरुआ की खाली सरकारी भूमि पर राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 07 से 10 किलोमीटर की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद शाहजहांपुर की आख्यानुसार ग्राम बरुआ में निकटवर्ती इण्टर कालेज निम्नवत् विवरणानुसार संचालित हैं, जहां पर इण्टर तक की शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है:-

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	दूरी
1	शहीदे वतन इण्टर कालेज, बुधवाना, मदनापुर, शाहजहांपुर	वित्त विहीन मान्यता प्राप्त	03 किमी0
2	श्री जादोबहादुर सिंह, मेमो0 इण्टर कालेज, सिकन्दरपुर कलां, शाहजहांपुर	वित्त विहीन मान्यता प्राप्त	07 किमी0

उपरोक्तानुसार जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम बरुआ समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुरूप संतृप्त है।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पाइप लाइन के माध्यम से की जा रही पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित

142-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की विधान सभा क्षेत्र सिराथू के कितने गांवों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइप लाइन/टंकी द्वारा की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने की योजना प्रचलित है। जनपद कौशाम्बी की विधान सभा क्षेत्र सिराथू के 22 राजस्व ग्रामों में 12 पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से पोषक नहर के माध्यम से भरी गयी बड़वार झील/भस्नेह बांध के पानी से डूबी कृषि भूमि को चिन्हित करके खाता धारकों को मुआवजा देने सम्बन्धी

143-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गुरसराय मुख्य नहर से पोषक नहर के माध्यम से भरी गयी बड़वार झील/भस्नेह बांध के पानी से डूबी कृषि भूमि को चिन्हित करके खाता धारकों को मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

बड़वार झील पर निर्मित बड़वार स्केप निर्माण के समय 22 फिट जल स्तर तक जल भण्डारण हेतु निर्मित की गयी थी। झील के कैचमेन्ट में वर्षा कम होने के कारण भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष 2001-2002 में स्केप का क्रेस्ट लेविल 24 फिट कर दिया गया था परन्तु बड़वार पोषक नहर निर्मित हो जाने के कारण बड़वार स्केप को 22 फिट जल स्तर तक भरने

पर सिंचाई एवं पेयजल हेतु पर्याप्त जल भण्डारण हो जायेगा। 22 फिट भण्डारण स्तर पर बड़वार झील का डूब क्षेत्र बड़वार स्केप के निर्माण के समय की स्थिति में हो जाने के कारण कृषकों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

144-श्री अतुल प्रधान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र में चक्रवाती तूफान से पीड़ितों को क्षति राशि देने विषयक

145-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 20-08-2022 को चक्रवाती तूफान आने से मानपुर, विट्ठलपुर, बरहदा, बाबूपट्टी, टोडरपट्टी, सराय, सेतराय, जयरामपुर, कसेरुआ, नरहरपुर, खानपुर, दूबेपट्टी, गुलरा, मेहदौरी आदि ग्राम पंचायतों में जनहानि के साथ घर और दुकानों, वृक्षों के धराशायी होने से भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ितों को क्षति राशि देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1 (Vol.-II) दिनांक 10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुसार राहत सहायता दी जाती है।

उक्त के क्रम में क्षतिग्रस्त 166 मकानों के प्रभावितों को कुल रु0 5,31,200/- की धनराशि गृह अनुदान एवं 01 जनहानि के सापेक्ष रु0 4.00 लाख की धनराशि अनुग्रह सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सिंचाई विभाग द्वारा अवरुद्ध मार्ग को आवागमन के लिए खोले जाने सम्बन्धी

146-श्री मोहन वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सिंचाई विभाग द्वारा अवरुद्ध मार्ग को आवागमन के लिए खोले जाने हेतु प्रश्नकर्ता का

पत्र क-6 सं0-605174, दिनांक 22-04-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड-2, देवरिया के पत्र संख्या-2138/सिं0ख0-2-दे0/मा0मु0मं0जी0/2022-23, दिनांक 25-07-2022 के माध्यम से मा0 विधायक जी को अवगत कराया जा चुका है कि राजकीय परिसर के अन्दर से बाहरी लोगों के लिए रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

गण्डक कालोनी, हाटा में सिंचाई विभाग कार्यालय, निरीक्षण भवन जिलेदारी कार्यालय एवं उपखण्डीय कार्यालय स्थापित है। इसमें कभी भी बाहरी व्यक्तियों के लिए आने-जाने के लिए कोई रास्ता न तो था और न ही वर्तमान में है। यह पूर्ण रूप से राजकीय परिसर है, जो चारों ओर बाउण्ड्रीवाल से आच्छादित है। राजकीय परिसर के अन्दर से बाहरी लोगों के लिए रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सैन्य छावनी से वर्ष 1962-64 में विस्थापित किसानों को पुनर्वास के पट्टे दिये जाने सम्बन्धी

147-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सैन्य छावनी से वर्ष 1962-64 में विस्थापित किसानों को पुनर्वास के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में फरवरी, 2018 में जिलाधिकारी, झांसी को पट्टे निर्गत करने हेतु निर्देश दिये गये थे ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाकर पट्टे देने हेतु कोई आदेश जारी करने के चार वर्ष उपरान्त भी प्रभावितों को पुनर्वास के पट्टे देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के पट्टे जारी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुनर्वास पट्टे हेतु व्यक्तियों को पट्टा आवंटन करने सम्बन्धी कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा दिनांक

17-04-2018 को तहसील स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा काश्तकारों एवं किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें 262 किसान उपस्थित हुए। क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की स्थलीय जांच एवं अभिलेखों के आधार पर 60 व्यक्ति पात्र पाये गये जिन्हें उपजिलाधिकारी, झांसी के आदेश दिनांक 03-12-2019 द्वारा अनुमोदित किया गया।

कोविड-19 की महामारी एवं सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। पात्र 60 व्यक्तियों के जीवित/मृतक होने व कब्जा सम्बन्धी अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच करा ली गयी है, वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के तहसील हंडिया के ग्राम सभा रसार, परगना केवाई में भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

148-श्री राजीव सिंह 'पारीछा'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के तहसील हंडिया के ग्राम सभा रसार, परगना केवाई के गाटा संख्या-718 भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि की पैमाइश के लिए धारा-24 के अन्तर्गत वाद संख्या-03549/2019 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी-201902030403549 उप जिलाधिकारी हंडिया में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि गाटा संख्या-718 को कब्जामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी हां।

उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-24 के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 20-12-2022 की तिथि नियत है। वाद का निस्तारण गुण-दोष पर होने के उपरान्त वादी को नियमानुसार कब्जा दिलाया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित भूमि पर घूर डालना प्रतिबन्धित करने या अपराध बताने सम्बन्धी कानून/शासनादेश की जानकारी सम्बन्धी

149-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित भूमि पर घूर डालना अपराध की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो क्या खाद के गड्ढों हेतु आरक्षित भूमि पर घूर डालना प्रतिबन्धित करने या अपराध बताने सम्बन्धी कानून/शासनादेश की प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के गड्ढों के लिए आरक्षित भूमि पर घूर डालना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से नष्ट फसलों का किसानों को मुआवजा देने की योजना बनाये जाने विषयक

150-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में नष्ट फसलों का किसानों को मुआवजा देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1 (Vol.-II) दिनांक 10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुसार 33 प्रतिशत या उससे अधिक की फसल क्षति होने पर कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु निम्न मानक एवं दर निर्धारित किया गया है :-

8,500/- रुपये प्रति हे0, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में तथा उक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 1,000/- रुपये के अधीन है और बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।

17,000/- रुपये प्रति हे0, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में तथा उक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2,000/- रुपये के अधीन है और बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।

22,500/- रुपये प्रति हे0, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/कृषि वानिकी (स्वयं खेत में वृक्षारोपण) के लिए और यह सहायता प्रति किसान न्यूनतम 2,500/- रुपये की सहायता के अधीन तथा बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।

उक्त सहायता प्रति किसान 2 हेक्टेयर की सीमा के अधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में स्थापित राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत किये जाने की मांग

151-श्री चन्दन चौहान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में स्थापित राजकीय हाई स्कूल में छात्र-छात्राओं के हाई स्कूल की शिक्षा के उपरान्त अध्ययन के दृष्टिगत उक्त विद्यालय में इण्टरमीडिएट तक की कक्षाओं का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों एवं मानक के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 07 से 10 किलोमीटर की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में स्थापित राजकीय हाई स्कूल के 08 किलोमीटर की परिधि में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज चांदपुर अवस्थित होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नहरों की सफाई के सन्दर्भ में जनपद मुजफ्फरनगर के गंग नहर के माईनर जडवड की टेल (600 मी0) तक सफाई न होने के सम्बन्ध में

152-श्री चन्दन चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई एक वर्ष में कितनी बार कराये जाने का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर के गंगा नहर के माइनर जडवड की टेल (600 मी0) तक सफाई न होने से टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, जिससे फसलों/गन्ने की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

नहरों की सिल्ट सफाई शासनादेश सं0-84/2018/706/18-27-सिं0-4-46 (डब्ल्यू)/12, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के अनुक्रम में जो नहरें केवल खरीफ में चलती हैं, उन नहरों की सिल्ट सफाई खरीफ में दिनांक 15 अप्रैल से 15 जून तक करायी जाती है। रबी फसल में चलने वाली नहरों की सिल्ट सफाई दिनांक 15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष करायी जाती है।

अधिशासी अभियन्ता, मुजफ्फरनगर खण्ड गंग नहर, मुजफ्फरनगर के नियंत्रणाधीन माईनर जडवड की कुल लम्बाई 2.011 किमी0 एवं परिकल्पित डिस्चार्ज 6.50 क्यूसेक है। माइनर पर प्रत्येक वर्ष औसतन रबी फसल में 95 हेक्टेयर सींच एवं खरीफ फसल में 150 हेक्टेयर सींच दर्ज होती है। प्रत्येक वर्ष रबी व खरीफ फसल में माइनर की टेल तक पानी पहुंचा कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष 2022-23 में रबी 1430 फसलों में माइनर जडवड की पूर्ण लम्बाई 2.011 किमी0 में सिल्ट सफाई का कार्य हेड से टेल तक कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम भोकरहेड़ी में बाल्मीकि मन्दिर की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी

153-श्री चन्दन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम भोकरहेड़ी में बाल्मीकि मन्दिर की चहारदीवारी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार प्रश्नगत कार्य अनुमन्य श्रेणी के कार्यों में नहीं है।

प्रदेश में विगत 5 वर्षों में तालाबों की नीलामी से प्राप्त धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दिये जाने विषयक

154-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में तालाबों की नीलामी से प्राप्त कितनी धनराशि प्रदेश के तहसील स्थित कोषागारों में जमा हुई है तथा इसमें से कितनी धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दी जा चुकी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में लेखपालों के स्वीकृत पदों पर लेखपालों की शत-प्रतिशत तैनाती कराये जाने विषयक

155-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने लेखपाल क्षेत्र बने हैं ? क्या सरकार तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद सहित प्रदेश में स्वीकृत क्षेत्रों के सापेक्ष शत-प्रतिशत लेखपालों की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में लेखपालों के कुल 30,837 क्षेत्र बने हैं।

जी हां।

प्रदेश में लेखपाल के रिक्त पदों के दृष्टिगत राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 04-01-2022 द्वारा कुल 8085 पदों का अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को

प्रेषित किया गया है। आयोग के स्तर पर रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही गतिमान है तथा मुख्य परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित है। शेष रिक्त पदों का अधियाचन मण्डलों से प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसी भी मामले में नामजद व्यक्ति की सम्पत्ति का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में

156-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी भी मामले में नामजद व्यक्ति की सम्पत्ति का जब्तीकरण या ध्वस्तीकरण किसी न्यायिक प्रक्रिया के बगैर किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या उक्त हेतु निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जब्तीकरण की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के अनुक्रम में की जाती है, इसी प्रकार कुर्की तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुसंगत विधियों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिसनियम, 1986 की धारा-14 में गिरोहबन्द अपराधी की अपराध से अर्जित सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क किये जाने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गयी है।

जहां तक ध्वस्तीकरण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 की धारा-27, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा-5(ख), उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1959 की धारा-296 आदि के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधितः भवन/निर्माण इत्यादि के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के थाना मालीपुर क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के विद्यालय जाते समय कार सवार दो युवकों द्वारा अपहरण कर बलात्कार करने विषयक

157-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के थाना मालीपुर क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के विद्यालय जाते समय कार सवार दो युवकों द्वारा अपहरण कर बलात्कार करने और सुनवाई न होने से आहत होकर 4/5 अक्टूबर, 2022 की रात्रि में

पीड़िता के खुदकुशी करने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना के प्रमुख तथ्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वादी श्री रमेश उपाध्याय पुत्र स्व0 केशरी प्रसाद उपाध्याय, निवासी-कांदीपुर, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर की तहरीरी सूचना पर दिनांक 16-09-2022 को थाना मालीपुर पर मु0अ0सं0-2012/2022 धारा-363 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 18-09-2022 को मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता रजनी को बरामद कर धारा-161 सी0आर0पी0सी0 में बयान दर्ज करते हुए धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। दिनांक 22-09-2022 को धारा-164 सी0आर0पी0सी0 का बयान दर्ज कराने के उपरान्त धारा-376डी भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। बयान गवाहान से धारा-342/506 भा0दं0वि0 व पॉक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुए धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट का विलोपन किया गया। विवेचक प्रभारी निरीक्षक द्वारा पीड़िता की मां का बयान अंकित किया गया। उसने बताया मेरी पुत्री रजनी ने दिनांक 05-10-2022 को आत्महत्या कर लिया है। पी0एम0 रिपोर्ट के अवलोकनोपरान्त धारा-305 भा0दं0वि0 की वृद्धि कर अभियुक्तगण अरशद व मीरा उपाध्याय का नाम प्रकाश में लाते हुए दिनांक 07-10-2022 को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है। सी0डी0आर0 के अवलोकन से अभियुक्तगण अंकेश कुमार व कृष्ण कुमार की घटना में संदिग्धता पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 08-10-2022 को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है। मृतका रजनी का विसरा परीक्षण हेतु दिनांक 14-10-2022 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी में दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्तगण अरशद, अनिकेश कुमार व कृष्ण कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा-363/376डी/342/305 भा0दं0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं अभियुक्ता मीरा उपाध्याय के विरुद्ध जुर्म धारा-363/305/506 भा0दं0वि0 प्रमाणित हो रहा है। विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

158-हाजी इरफान सोलंकी-

[01 शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फतेहपुर के थाना राधा नगर में दिनांक 09 अक्टूबर, 2022 को अनुसूचित जाति के सत्येन्द्र कोरी की पुलिस हिरासत में हुई मौत की घटना के मामले में की गई कार्रवाई का संक्षिप्त ब्यौरा देने विषयक

159-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के थाना राधानगर में दिनांक 09 अक्टूबर, 2022 को अनुसूचित जाति के सत्येन्द्र कोरी की पुलिस हिरासत में हुई मौत की

घटना से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले में की गई कार्रवाई का संक्षिप्त ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण में पंजीकृत मु0अ0सं0-767/2022, धारा-342/384/302 भा0दं0वि0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित मृतक सत्येन्द्र कुमार पुत्र स्व0 भिक्खू उर्फ जगतपाल, निवासी किर्तीखेड़ा मजरे रेंय, थाना ललौली, फतेहपुर की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने के उपरान्त तत्काल प्रभाव से थाना राधानगर पर नियुक्त प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है और मजिस्ट्रीयल जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सकरार बांध में 8 अक्टूबर, 2022 को तीन युवतियों के शव मिलने की घटना से जुड़े प्रमुख तथ्यों को दिये जाने सम्बन्धी

160-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सकरार बांध में 8 अक्टूबर, 2022 को तीन युवतियों के शव मिलने की घटना से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना से जुड़े प्रमुख तथ्यों को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वादी आशीष पुरवार पुत्र स्व0 राम विलास पुरवार, निवासी मु0 कटरा परमट चौराहा, कस्बा व थाना मऊरानीपुर, जनपद झांसी द्वारा दिनांक 08-10-2022 को अपनी बहन रीनू के फोन नं0-8115758113 पर फोन लगाने पर फोन बन्द आने तथा उसी शाम वादी मुकदमा की दोनों बहनों (1-रीनू पुरवार, 2-रीतू पुरवार एवं उसकी सहेली, 3-रिंकू आर्य) का सकरार डैम ग्राम कुरैंचा में शव उतराता हुआ मिलने की तहरीर पर मु0अ0सं0-459/2022, धारा-302/201 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात दिनांक 10-02-2022 को थाना मऊरानीपुर में पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊरानीपुर द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के ग्राम दहेली सुजानपुर में पारिवारिक सम्बन्ध में अभाव में दान विलेख पंजीकरण विषयक

161-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के ग्राम दहेली सुजानपुर के खाता संख्या-3174 में अंकित आराजी सं0-1281 मि0, रकबा 0.4160 हे0 के जुज रकबा 456.41 वर्ग गज अर्थात् 381.60 वर्गमीटर का बिना पारिवारिक सम्बन्ध के दानकर्ता रामचन्द्र पुत्र स्व0 जिलेदार निवासी म0नं0-21ए, टटिया भगवन्त चन्दारी, कानपुर नगर का नाम पृथक करके दान ग्रहीता धर्मेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह यादव, निवासी म0नं0-33, भवानी नगर, सी0ओ0डी0, कानपुर नगर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर गलत दाखिल-खारिज करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अभिलेखीय परीक्षण से संज्ञान में आया कि श्री रामचन्द्र पुत्र स्व0 जिलेदार, निवासी म0नं0-21ए, टटिया भगवन्त चन्दारी, कानपुर नगर द्वारा निष्पादित व पंजीकृत दान विलेख दिनांक 22-02-2021 के आधार पर दान ग्रहीता धर्मेन्द्र सिंह यादव पुत्र महावीर सिंह यादव, निवासी म0नं0-33, भवानी नगर, श्यामनगर, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-34 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 पर दिनांक 04-04-2022 को विधिक रूप से न्यायालय तहसीलदार, सदर, कानपुर नगर द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। दान विलेख की रजिस्ट्री उपनिबन्धक कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा की गयी है। पारिवारिक सम्बन्ध के अभाव में दान विलेख पंजीकृत कराने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, दान विलेख यथा स्टाम्पित है। दान विलेख सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा-22 के अनुरूप है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में अप्रैल, 2018 में 125 रिक्त पदों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त लगभग 85 शिक्षकों को पदोन्नति का वित्तीय लाभ दिलाये जाने विषयक

162-श्री अनिल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में अप्रैल, 2018 में 125 रिक्त पदों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त लगभग 85 शिक्षकों को पदोन्नति का वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों को पदोन्नति मानदेय दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-11287/2018 दीपक शर्मा व 3 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-05-2018 के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17-05-2018 द्वारा पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही अग्रेतर आदेश तक स्थगित की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद आजमगढ़ में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी

163-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ में सामान्यतः गोंड जाति के व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। यदि जनपद के किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र मय साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किया जाता है, तो जांचोपरान्त नियमानुसार अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अन्दर सफाई कार्य करने के उद्देश्य से खाद के गड्ढों हेतु आरक्षित भूमि का स्थानान्तरण दूर की अन्यत्र भूमि पर किये जाने विषयक

164-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अन्दर सफाई कार्य करने के उद्देश्य से खाद के गड्ढों हेतु आरक्षित भूमि का स्थानान्तरण दूर की अन्यत्र भूमि पर किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-77(2) में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है :-

इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्ग्रहीत किये गये भू-खण्ड या भू-खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी, परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जोकि विहित की जाय। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

165-श्री संदीप सिंह-

[01 शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वर्तमान में असामयिक भारी वर्षा के कारण प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में जान-माल की हानि होने से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

166-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में असामयिक भारी वर्षा के कारण प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में भारी वर्षा से जान-माल की हानि होने की जनकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1 (Vol.-II) दिांक 10-10-2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं दरों के अनुसार राहत सहायता दी जाती है।

उक्त के क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में 38 जनहानि के सापेक्ष रुपये 152.00 लाख, 69 पशुहानि के सापेक्ष रुपये 7.83 लाख एवं 6,303 क्षतिग्रस्त मकानों (कच्चा, पक्का एवं झोपड़ी) के सापेक्ष रुपये 216.53 लाख की धनराशि राहत सहायता के रूप में वितरित की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त 4,06,657 प्रभावित कृषकों के सापेक्ष 1,44,724 कृषकों को रुपये 51,89,47,612/- की धनराशि कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत वितरित की जा चुकी है। अवशेष कृषकों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

167-श्री विनोद चतुर्वेदी-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की कार्य योजना का विवरण विषयक

168-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उन्हें भी पेंशन देने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई प्रकरण विचारणीय नहीं है।

प्रदेश में आर0टी0आई0 2009 और एन0ई0पी0 2020 के अनुसार निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

169-श्री पंकज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आर0टी0आई0 2009 और एन0ई0पी0 2020 के अनुसार कुल कितने छात्रों पर कितने शिक्षकों को रखे जाने का अनुपात क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति तथा छात्रों का प्रवेश विद्यालयों में करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के निहित प्राविधानानुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 का निर्धारित है।

(1) दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या 1,28,60,939 एवं कार्यरत अध्यापक 3,32,734 हैं।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

(3) दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या 52,53,772 एवं कार्यरत अध्यापक 1,20,860 हैं। छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 है।

(4) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक की संख्या 27,555 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का मानक के अनुसार पूर्ण है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के अन्तर्गत ग्राम दीघिया में तहसीलदार मेजा द्वारा न्यायालय की अवहेलना/अवमानना के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने विषयक

170-श्री संदीप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के अन्तर्गत ग्राम दीघिया में गाटा संख्या-903 के भू-चित्र संशोधन हेतु अपर आयुक्त, प्रथम मण्डल, प्रयागराज, जनपद प्रयागराज द्वारा वाद सं0-132/2008-2009 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-सी-200902000001829, दिनांक 08-06-2022 को अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 22-12-2008 को निरस्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्थगनादेश एवं भू-चित्र संशोधन आदेश के बावजूद दिनांक 24-06-2022 को तहसीलदार मेजा द्वारा बिना भू-चित्र का संशोधन किये पुनः नाली (901) व चकमार्ग (902) का सीमांकन गाटा संख्या-903 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर भू-चित्र का संशोधन कराते हुए न्यायालय की अवहेलना/अवमानना के दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत वाद में न्यायालय, अपर आयुक्त (प्रथम) प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज द्वारा न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज के आदेश को निरस्त कर पत्रावली पुनः न्यायालय में सुनवाई हेतु वापस की गयी है।

गाटा सं0-903 के भू-चित्र संशोधन के सम्बन्ध में कोई आदेश न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है तथा गाटा सं0-901 व 902 का सीमांकन उ0प्र0रा0सं0 की धारा-67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, मेजा द्वारा करते हए बेदखली की कार्यवाही दिनांक 04-11-2022 को की गयी है। गाटा सं0-903 में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उक्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया काण्ड में मृतक किसानों के परिजनों को एवं घायल किसानों को मुआवजा तथा शहीद किसानों के परिवार में सरकारी नौकरी का विवरण दिये जाने विषयक

171-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया काण्ड में कितने किसानों की मौतें हुईं और कितने किसान घायल हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने मृतक किसानों के परिजनों को एवं घायल किसानों को मुआवजा दिया गया तथा शहीद किसानों के परिवार में सरकारी नौकरी दी गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद खीरी में दिनांक 03-10-2021 को हुई घटना में कुल 04 किसानों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 02 किसान जनपद खीरी एवं 02 किसान जनपद बहराइच के थे। सभी 04 मृतक किसानों के आश्रितों को (प्रत्येक को रु0 45 लाख) आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-2021 के अनुपालन में गठित एस0आई0टी0 द्वारा की गयी विवेचना से 13 व्यक्तियों का घायल होना प्रकाश में आया है। घायलों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मृतक 04 किसानों के आश्रितों में से किसी को नौकरी नहीं दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ-सीतापुर रोड पर अराजक तत्वों द्वारा जुलाई/अगस्त, 2022 में बाजार को बन्द कराने, मदेयगंज थाने का घेराव करने, पुलिस चौकी को जलाने के दाषियों के विरुद्ध कठोर निषेधात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने विषयक

172-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सीतापुर रोड पर अराजक तत्वों द्वारा जुलाई/अगस्त, 2022 में बाजार को बन्द कराने, मदेयगंज थाने का घेराव, धरना का प्रयास किया गया था तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूर्व में भी मदेयगंज पुलिस चौकी को जलाने का प्रयास किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर जिनके ऊपर पूर्व से अपराधिक मुकदमे हैं, के विरुद्ध कठोर निषेधात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

माह जुलाई/अगस्त, 2022 में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर, 2019 में सी0ए0ए0/एन0आर0सी0 के विरोध में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा चौकी मदेयगंज को जलाने का प्रयास किया गया था, उनके विरुद्ध थाना हसनगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है तथा पुलिस चौकी को जलाये जाने के सम्बन्ध में चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0-599/2019, धारा-147/148/149/307/332/333/336/353/341/441/436/504/506/427/188/120बी भा0दं0वि0 एवं 7 सी0एल0ए0 एक्ट तथा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं मु0अ0सं0-600/2019, धारा-147/149/307/332/336/353/379/427/504/188/120बी भा0दं0वि0 एवं 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर की ग्राम पंचायत सलेमपुर पहरा में प्रधान द्वारा बनाया गया ग्राम सचिवालय के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

173-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर की ग्राम पंचायत सलेमपुर पहरा में प्रधान द्वारा बनाया गया ग्राम सचिवालय निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग कर निर्मित कराया गया है तथा उक्त की बाउण्ड्रीवाल भी नहीं बनायी गयी है ? क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

पंचायत भवन का निर्माण मानक के अनुसार पूर्ण कराया गया है तथा बाउण्ड्रीवाल का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आई0जी0 बरेली जोन, बरेली के द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने की शिकायत सम्बन्धित के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक द्वारा बिना जांच किये प्रकरण का निस्तारण के मामले में पुनः कार्रवाई किये जाने विषयक

174-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152220084810, दिनांक 20-06-2022 जो आई0जी0 बरेली जोन, बरेली के द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने की शिकायत सम्बन्धित के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक द्वारा बिना जांच किये प्रकरण का निस्तारण दिखा दिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त आई0जी0आर0एस0 पर पुनः कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत प्रकरण में अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली के माध्यम से श्री रमित शर्मा, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली का स्पष्टीकरण प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त यह स्पष्ट किया गया है कि श्री शर्मा द्वारा मा0 विधायक डॉ0 वीर विक्रम सिंह से वार्ता के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया तथा मर्यादित एवं शालीनतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। श्री रमित शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विचारोपरान्त प्रकरण निक्षेपित कर दिया गया है।

जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी, द्वारा जयपाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी मद्दापुर धरम, तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी को मृत दर्शाये जाने की जांच विषयक

175-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 सं0-14148210010536, दिनांक 21-09-2021 जो श्री अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा 07-08-2022 को जयपाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी मद्दापुर धरम, तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी को मृत दर्शाया है, की जांच विषयक है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आई0जी0आर0एस0 सं0-14148210010536 जो श्री जयपाल सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी मद्दापुर धरम, तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक था, जिसमें शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-एफ-330/मु0मं0का0-5/2022,

दिनांक 11-10-2022 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से लाभार्थी के उपचार हेतु धनराशि रु0 40,000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में इण्डिया मार्का नये हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने विषयक

176-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में पेयजल संकट के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का नये हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवारों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से आच्छादित किये जाने की योजना संचालित होने के कारण।

प्रदेश में वर्ष 2017 से 01-09-2022 तक महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए दुराचार, बलात्कार एवं हत्या की घटनाओं में आरोपियों को दी गयी सजा की जानकारी के सम्बन्ध में

177-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 01-09-2022 तक महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए दुराचार, बलात्कार एवं हत्या की कितनी घटनाएं हुईं तथा कितने आरोपियों को सजा दी गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

संकलित पाक्षिक सूचना शीर्षकवार क्राइम इन इण्डिया एवं एफ0सी0आर0 का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष/अवधि	महिला हत्या	बलात्कार
2017	1149	4246
2018	1101	3946

वर्ष/अवधि	महिला हत्या	बलात्कार
2019	981	2858
2020	881	2317
2021	849	2376
दिनांक 01-01-2022 से 31-08-2022	643	2115

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में पेयजल आपूर्ति के समाधान के लिए योजना बनाये जाने विषयक

178-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में पेयजल आपूर्ति के समाधान के लिए कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चांदपुर सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर में सिंचाई हेतु नहरों में पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में

179-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर में 90 प्रतिशत नहरों में पानी नहीं आने से किसानों की फसल असिंचित रहती है ? क्या सरकार उक्त नहरों में किसानों की फसल सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

खरीफ फसली में सिंचाई की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर में पूर्वी गंग नहर परियोजना की खरीफ फसली नहरें हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः मानसून के समय गंगा में अतिरिक्त जल का सदुपयोग कर खरीफ फसली में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इन नहरों को प्रतिवर्ष रोस्टर के अनुसार 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक संचालित कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। खरीफ फसलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है।

रबी फसली में गंगा नदी में जल की उपलब्धता के आधार पर कृषकों की मांग के दृष्टिगत गत कुछ वर्षों से नहरों को रबी फसली में भी चलाया जा रहा है।

रबी फसली में गंगा नदी में जल की उपलब्धता के आधार पर कृषकों की मांग के दृष्टिगत रबी 1430 फसली में विकास खण्ड जलीलपुर में सभी नहरों में जल उपलब्ध है।

महन्त शिवदास उदासीन इण्टर कालेज, सादात जौनपुर को अनुमन्यता निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा शासन को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी के सम्बन्ध में

180-श्री पंकज मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महन्त शिवदास उदासीन इण्टर कालेज सादात जौनपुर को अनुमन्यता निर्गत करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग प्रयागराज द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग-12 को प्रेषित पत्रांक अर्थ (1)/2992/2015-16, दिनांक 09-10-2015 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-2302/15-05-2022-1600(244)/2015, दिनांक 28-11-2022 के क्रम में निदेशालय के पत्रांक-अर्थ(1)/5293/2022-23, दिनांक 01-12-2022 द्वारा आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राणी विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा के0एन0 राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर में तैनात डॉ0 मो0 सरोज उद्दीन, प्रोफेसर राजकीय सेवा से दिये गये त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने विषयक

181-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 मो0 सरोज उद्दीन, प्रोफेसर प्राणी विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा के0एन0 राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर में तैनाती के दौरान राजकीय सेवा से दिनांक 31-03-2014 को त्याग-पत्र दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनका त्याग-पत्र स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

182-डॉ0 पल्लवी पटेल-

[03 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी में मानिकपुर, गरौठा, बबीना आदि क्षेत्रों में किसानों के पास सिंचाई हेतु उक्त क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराये जाने विषयक

183-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में मानिकपुर, गरौठा, बबीना आदि क्षेत्रों में किसानों के पास सिंचाई हेतु कोई संसाधन नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बबीना ब्लॉक के 15 ग्रामों में सिंचाई परियोजना माह जून, 2022 में पूर्ण कर दिनांक 24-11-2022 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लोकार्पित की जा चुकी है, जिससे 4400 हेक्टेयर सिंचन क्षमता उपलब्ध होगी। इससे 5240 कृषक लाभान्वित हैं। परियोजना से इस वर्ष 2022 में रबी हेतु सींच प्रारम्भ की जा चुकी है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत बछौरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई कराये जाने सम्बन्धी

184-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत बछौरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-2, 3 के अन्तर्गत थाना-पुरवा, उन्नाव में दिनांक 23 जुलाई, 2021 को मुकदमा संख्या-0238 पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या यह सही है कि कतिपय अधिकारी दोषी को बचाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करके जांच प्रभावित कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर प्रकरण में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सम्बन्धित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बछौरा को दोषी मानते हुए उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा-95 (1-छ) के तहत कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी है।

जांच आख्या के आधार पर प्रख्यापित आरोप व निर्गत नोटिस के परीक्षणोपरान्त ग्राम पंचायत बछौरा में कराये गये कार्यों की जांच में पायी गयी दुरुपयोगित धनराशि मु0-137220 रुपये का आधा भाग मु0 68610 की वसूली किया जाना है। उक्तानुसार धनराशि दुरुपयोग/गबन किये जाने एवं ग्राम पंचायत के पेड़ कटवा कर बेंच दिये जाने का आरोप पूर्णतया सिद्ध पाया गया है। प्रकरण में सक्षम स्तर से वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय, आर0सी0सी0, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग, हैण्डपम्प मरम्मत व रि-बोर के प्रयोजन हेतु धनराशि का आहरण अनियमित तरीकों से किये जाने विषयक

185-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के अन्तर्गत जून, 2021 से दिनांक 03-08-2022 तक सामुदायिक शौचालय, आर0सी0सी0, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग, हैण्डपम्प मरम्मत व रि-बोर के प्रयोजन हेतु अलग-अलग कितनी

धनराशि का आहरण किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में अनियमित तरीकों से भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जून, 2021 से दिनांक 03-08-2022 तक सामुदायिक शौचालय, आर0सी0सी0, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग, हैण्डपम्प मरम्मत व रि-बोर के प्रयोजन हेतु कार्यों पर निम्नवत् भुगतान किया गया है :-

क्र0-सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	विवरण
1	सामुदायिक शौचालय	18000	केयर टेकर का मानदेय
2	आर0सी0सी0	शून्य	
3	खड़न्जा	शून्य	
4	इण्टरलॉकिंग	2227652	99 इण्टरलॉकिंग कार्य कराये गये हैं।
5	हैण्डपम्प मरम्मत	143092	38 हैण्डपम्प मरम्मत कराये गये हैं
6	हैण्डपम्प रि-बोर	273890	10 हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं

प्रश्नगत प्रकरण की जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी है।

जी नही।

जी नहीं।

प्रश्नर नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से लिंक कुड़िहर माइनर का पूर्ण निर्माण कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने सम्बन्धी

186-श्री बेचई सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से लिंक कुड़िहर माइनर जो कि ग्राम सभा असवनियां, खरीगीपुर व कुडिहर होते हुए गांगी नदी तक अर्द्धनिर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर का पूर्ण निर्माण कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

नहर निर्माण के लिए 5.775 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष मात्र 3.216 हेक्टेयर भूमि की सहमति प्राप्त हुई है। परियोजना में किसानों की सहमति प्राप्त न होने तथा कुड़िहर माइनर के संरेखण में मकान निर्मित कर लेने के कारण नहर निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम नगला खेड़ा में स्थापित करगिल युद्ध में शहीद हुए लांसनायक श्री हेम सिंह यादव की खण्डित हो चुकी प्रतिमा को बदलवाकर पुनर्स्थापित करने सम्बन्धी

187-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम नगला खेड़ा में स्थापित शहीद पार्क करगिल युद्ध में शहीद हुए लांसनायक श्री हेम सिंह यादव (09 पैरा कमाण्डो) की खण्डित हो चुकी प्रतिमा को बदलवाकर उसी स्थान पर नई प्रतिमा पुनर्स्थापित करने एवं एका-वसुन्धरा मार्ग का नाम बदल कर शहीद हेम सिंह मार्ग करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत गांवों को लाभान्वित किये जाने की योजना की विकास खण्डवार सूची उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी

188-श्री सचिन यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को लाभान्वित किये जाने की

योजना है ? क्या सरकार उक्त सभी गांवों की विकास खण्डवार सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के समस्त ग्रामों को लाभान्वित किये जाने की योजना है। ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के समस्त ग्रामों की विकास खण्ड-वार सूची निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	तहसील जसराना के विकास खण्ड का नाम	अवर जलाशय हेतु चिन्हित ग्राम का नाम
1	विकास खण्ड-एका	गदनपुर
2		गिनौली
3		पतारा
4		गोपालपुर
5		भगनेर
6		नमनदरियाव सिंह
7		उडेसर गजाधर सिंह
8		मुहब्बतपुर
9		फतेहपुरपाट
10		नगला देवा
11		रुद्रपुर
12		कटाना
13		चिडरई पृथ्वीसिंह
14		धर्मपुर
15		अखेतपुर
16		उलायतपुर
17		कैलई

क्र0-सं0	तहसील जसराना के विकास खण्ड का नाम	अवर जलाशय हेतु चिन्हित ग्राम का नाम
18		आपुर
19		देवा
20	विकास खण्ड-एका	एका
21		नगला गवे
22		सौनई
23		मिलावली
24		नगला जगन्नाथ
25		गेहरी
26		मछरिया नगला फतेह
27		यगमुरपुर पवरई
28		खुदादपुर
29		भीकनपुर पाढम
30		नगला मिलिक
31		अलीपुर मोहिनीपुर
32		फतेहपुर नरयानसिंह
33		भादऊ
34		पाढ़म
35	विकास खण्ड-हाथवन्त	फरीहा देहात
36		करैंजुआ
37		दरबारपुर
38		अकबरपुर मस्तपुर
39		कोंडरी
40		कल्हारी

क्र0-सं0	तहसील जसराना के विकास खण्ड का नाम	अवर जलाशय हेतु चिन्हित ग्राम का नाम
41		दिनौली गोरवा
42		नगला हरिहा
43	विकास खण्ड-जसराना	देवरी फरीदपुर
44		नगला काछी
45		खेरिया पटीकरा
46		बहलोलपुर
47		जहांनपुर
48		बड़ा गांव
49		विटवारा
50		बहत
51		बहायपुर
52		घाघऊ नगला पाण्डे
53		दिहुली
54		औरंगाबाद जसराना
55		बिलासपुर
56		जसराना देहात
57		चिनारी
58		फरीदा गोकुल
59		कमालपुर खास
60		सलेमपुर जसराना
61		अतुर्रा
62		चिडरई खास
63		टोडरपुर बोटारी

क्र0-सं0	तहसील जसराना के विकास खण्ड का नाम	अवर जलाशय हेतु चिन्हित ग्राम का नाम
64		कटरई
65		नगला शादी
66		टीकामई
67		बझेरा बुजुर्ग
68		नगला चन्दा
69		बनवारा

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद के मजरों में पीने के पानी की किल्लत को दूर कर स्वच्छ जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने विषयक

189-श्री उमर अली खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद के मजरों में अत्यन्त पिछड़े ग्रामों में पीने के पानी की किल्लत है ? तथा यहां पर उच्च जलाशय की स्थापना भी नहीं हुई है और पूर्व में अधिष्ठापित हैण्डपम्प भी खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में अधिष्ठापित पम्पों को रि-बोर कराने एवं स्वच्छ जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में विकास खण्ड सडोली कदीम व मुजफ्फराबाद में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कुल 105 डी0पी0आर0 का विरचन कर लिया गया है, जिसमें से 31 डी0पी0आर0 का सक्षम स्तर से अनुमोदन हो चुका है। शेष के स्वीकृति/विरचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के रि-बोर एवं अन्य प्रकार की मरम्मत की कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा त्वरित गति से करायी जाती है। विकास खण्ड सडोली कदीम की 84 ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित 2,606 हैण्डपम्पों में से 62 हैण्डपम्पों तथा विकास खण्ड मुजफ्फराबाद

की 98 ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित 4,524 हैण्डपम्पों के सापेक्ष कुल 301 हैण्डपम्पों को चालू वित्तीय वर्ष में रि-बोर कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत गांवों में कराये गये कार्य का विवरण सम्बन्धी

190-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों में वर्तमान तक क्या कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के तहसील सदर के ग्राम सीठापुर में श्री नन्दलाल गुप्ता के घर से श्री रामनरेश गुप्ता के घर से होते हुए श्री अमृत लाल प्रजापति के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

191-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील सदर के ग्राम सीठापुर में श्री नन्दलाल गुप्ता के घर से श्री रामनरेश गुप्ता के घर से होते हुए श्री अमृत लाल प्रजापति के घर तक आवागमन के लिये कोई मार्ग न होने के कारण वहां पर निवास कर रहे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद जौनपुर के तहसील सदर के ग्राम सीठापुर, पोस्ट फतेहगंज में श्री नन्दलाल के घर से श्री रामनरेश गुप्ता के घर से होते हुए श्री अमृत लाल प्रजापति के घर तक आवागमन

के लिये कोई रास्ता नहीं है तथा ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किये गये प्रयास के बावजूद रास्ता विवादित होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका एवं यह रास्ता नक्शे में भी नहीं है।

श्री अमृत लाल प्रजापति व अन्य ग्रामवासी के आवागमन हेतु इलाहाबाद मेन रोड से श्री अमृत लाल प्रजापति के घर तक सम्पर्क मार्ग बनवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी के ग्राम नहरी बुजुर्ग में काली जी के मन्दिर से गांव की तरफ आने वाली पक्की सड़क से स्वर्गीय केशरी प्रसाद दूबे के बाग से होते हुए मुनीश के घर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी

192-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी के ग्राम नहरी बुजुर्ग में काली जी के मन्दिर से गांव की तरफ आने वाली पक्की सड़क से स्वर्गीय केशरी प्रसाद दूबे के बाग से होते हुए मुनीश के घर तक के मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत परियोजना मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्यवाही में सम्मिलित है।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद व सडोली कदीम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में जल हेतु उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक

193-श्री उमर अली खान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में विकास खण्ड मुजफ्फराबाद व सडोली कदीम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ग्रामों में जल हेतु उच्च जलाशय का निर्माण आरम्भ हो गया है तथा कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में विकास खण्ड मुजफ्फराबाद व सडोली कदीम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है। विकास खण्ड मुजफ्फराबाद व सडोली कदीम में 74 योजनाओं से सम्बन्धित आगणनों के विरचन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम हीमपुर बुजुर्ग में मार्ग में जल भराव का निराकरण कराये जाने सम्बन्धी

194-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम हीमपुर बुजुर्ग में मार्ग में जल भराव होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जल भराव की निकासी ग्राम पंचायत द्वारा करा दी गयी है और वर्तमान में हीमपुर बुजुर्ग के किसी भी रास्ते पर जल भराव की कोई समस्या नहीं है और न ही आवागमन बाधित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बिजनौर के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सिल्ट सफाई, नालों की सफाई तथा नई पुलिया निर्माण के लिए प्राप्त धनराशि की जानकारी व कार्यों में हुए घोटाले की जांच की जानकारी सम्बन्धी

195-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या जल शक्ति बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, जिला बिजनौर के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सिल्ट सफाई, नालों की सफाई तथा नई पुलिया निर्माण के लिए कितनी धनराशि कब प्राप्त हुई है ? क्या सरकार को

जानकारी है कि उक्त कार्यों में सिल्ट सफाई और नालों की सफाई व नई पुलिया निर्माण में घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बिजनौर के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना का कोई कार्य नहीं है। अतः उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के विकास खण्ड थानाभवन के कस्बा थानाभवन को तहसील बनाये जाने सम्बन्धी

196-श्री अशरफ अली खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विकास खण्ड थानाभवन की जनता के हितों को देखते हुए कस्बा थानाभवन को तहसील बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

थाना भवन विकास खण्ड, तहसील शामली में आता है। तहसील मुख्यालय से थानाभवन की दूरी 18 किमी0 है एवं तहसील शामली में 127 गांव हैं। तहसील शामली में इतने अधिक ग्राम नहीं हैं जिससे कि एक अलग तहसील की आवश्यकता हो। इसलिए विकास खण्ड थानाभवन को तहसील बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड-19 महामारी में शैक्षणिक कार्य व परीक्षाएं प्रभावित होने व कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सम्पूर्ण व आंशिक रूप से बन्द रहने के ब्यौरे की सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धी

197-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड-19 महामारी में शैक्षणिक कार्य व परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2020 एवं 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय कितनी अवधि तक कोविड-19 लॉकडाउन के

कारण सम्पूर्ण व आंशिक रूप से बन्द रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

वर्ष 2020 व 21 में कोविड-19 महामारी के दौरान शैक्षणिक कार्य व परीक्षाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं।

कोविड-19 महामारी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कर कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन निरन्तर होता रहा।

विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कर कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण कर समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2020 में अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएं सितम्बर-अक्टूबर, 2020 में एम0सी0क्यू0 प्रणाली से आयोजित की गयीं तथा शेष कक्षाओं में छात्रों को उनके पूर्व सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया गया। तद्नुसार सत्र 2020-21 में कोविड-19 के दृष्टिगत उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त-सितम्बर 2021 में आयोजित की गयीं। शेष कक्षाओं में प्रोन्नति प्रदान की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय लिपिक भर्ती-2022 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी, पिछड़ा वर्ग श्रेणी, ई0डब्लू0एस0 तथा सामान्य श्रेणी हेतु नियमानुसार आरक्षण का अनुपालन करने विषयक

198-श्री पंकज मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय लिपिक भर्ती-2022 के अन्तर्गत कुल 1691 पदों के सापेक्ष कुल कितने-कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी, पिछड़ा वर्ग श्रेणी, ई0डब्लू0एस0 तथा सामान्य श्रेणी हेतु नियमानुसार आरक्षित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त में आरक्षण का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक संवर्ग के सृजित पदों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के होते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एक इकाई होती है। इनमें विद्यालयवार सृजित पदों के ही प्रति आरक्षण नियम लागू होता है।

निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार 432 माध्यमिक विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उक्त पदों की पुष्टि, औचित्य, मृतक आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए संस्तुति सहित प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को प्राप्त कराया गया है। निदेशालय स्तर पर प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर 287 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष कुल 289 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जनपदवार/विद्यालयवार अनुमति प्रदान की गयी, जिसमें आरक्षण नियमों के अनुसार 01 पद अनुसूचित जाति, 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 287 पद सामान्य श्रेणी एवं शून्य पद ई0डब्लू0एस0 हेतु अनुमति दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर शासनादेश के विपरीत निर्धारित समय के भीतर आख्या उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में

199-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 सं0-14148210010536 जो कि मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से कतिपय प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, मैनपुरी के स्तर पर तथा शासनादेश सं0-8922/34 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मात्र 3 दिन के अनिवार्य रूप से आख्या उपलब्ध कराने का प्रावधान के विपरीत जिलाधिकारी कार्यालय मैनपुरी में 1 वर्ष से लम्बित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-एफ-330/मु0मं0का0-5/2022, दिनांक 11-10-2022 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से लाभार्थी के उपचार हेतु धनराशि रु0 40,000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

विलम्ब के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध कठोर चेतावनी निर्गत करते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सचेत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर शासनादेश के विपरीत निर्धारित समय के भीतर आख्या उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में

200-डॉ0 वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 सं0-14155220008687 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से कतिपय प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई के स्तर पर तथा शासनादेश सं0-8922/34 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष 4/2019-1एम/2019, दिनांक 27-11-2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मात्र 3 दिन में अनिवार्य रूप से आख्या उपलब्ध कराने का प्रावधान के विपरीत लगभग दो माह से लम्बित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

आई0जी0आर0एस0 सं0-14155220008687 जो श्री परवीन प्रताप सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह, निवासी मो0 सरायथोक पश्चिमी, जनपद-हरदोई के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक था, जिसमें शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-एफ-238/मु0मं0का0-5/2022, दिनांक 10-08-2022 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से लाभार्थी के उपचार हेतु धनराशि रु0 3,20,000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-32 व 33 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-34

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण पूर्वाह्न 11:00 बजे से रख लिया जाय।

2-प्रश्न काल अपराह्न 03:00 बजे से लिया जाय।

शेष कार्यक्रम यथावत रखा जाय।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री जी (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या-36 डिफर कर दिया, इसको बाद में लेंगे। मद संख्या-37 कार्य-स्थगन से पहले हम 37(1) लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मद संख्या-37 लें। 37(1) बाद में लें। हमेशा कार्य-स्थगन के बाद विधेयक आते हैं।

[04:24] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज नियम-56 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी हैं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। क्रम संख्या-1 श्री मनोज कुमार पाण्डेय और श्री लालजी वर्मा की दिनांक 05-12-2022 को रामपुर में उप निर्वाचन में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 है और 324 में यह स्पष्ट रूप से दिया है कि निर्वाचन चुनाव आयोग के आधीन होता है, उसी के नियंत्रण में होता है और यह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और जो विषय स्टेट सब्जेक्ट नहीं है उसके सम्बन्ध में यहां पर कोई चर्चा हो नहीं सकती।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर पुलिस की बहुत ज्यादती की गई है।

श्री अध्यक्ष-

अगर निर्वाचन में आपको लगता है कि पुलिस के द्वारा ज्यादती की गई है तो आप निर्वाचन अधिकारी से इस बात की शिकायत कर सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे हैं सिर्फ पुलिस की ज्यादती पर लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप के अनुसार अगर पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को रोका गया है तो उसको आप निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने के लिए दे दीजिये। निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान ले लेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल पुलिस के बारे में लिखा है। पुलिस ने मार-पीट की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अगर पुलिस ने लोगों को जाने से रोका तो आपका यह अधिकार है निर्वाचन अधिकारी के पस जाने का और उनको कहने का इसको प्रभावित किया गया है।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, इससे तो लोकतंत्र खत्म हो जायेगा। फिर लोकतंत्र रह नहीं जायेगा। मान्यवर, जहां विधान सभा के चुनाव में 60 फीसदी मतदान हुआ था आज मात्र 31 प्रतिशत मतदान हुआ। मान्यवर, अगर इस तरह से पुलिस मतदान से रोकने का काम करेगी, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डलवाना है और पुलिस रोक रही है कि आप वोट डालने मत जाइये। मान्यवर, गली-मुहल्लों में पुलिस घुसकर उत्पीड़न करने का काम कर रही है, पीटने/मारने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा किया गया है और ये पुलिस का जो कृत्य है, इसको हम कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी, जो आपको कहना था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर आप चर्चा कराने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं करायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पिछली विधान सभा में 60 फीसदी मतदान हुआ था, अबकी बार 31 फीसदी मतदान हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक-एक करके बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोक सभा का चुनाव अभी हुआ, जिसमें मतदान प्रतिशत 31.45 हुआ और वर्ष 2019 में 41.50 प्रतिशत मतदान हुआ था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पिछली विधान सभा में 60 फीसदी मतदान हुआ था, अबकी बार 31 फीसदी मतदान हुआ है। जगह-जगह पुलिस द्वारा मारकर लोगों को मतदान करने से रोका गया। पुलिस के द्वारा लोगों को धमकाया गया, उत्पीड़न करने का काम किया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आर्टिकल-324 में चुनाव आयोग के नियंत्रण में चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसकी चर्चा यहां नहीं हो सकती।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ये लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया है। मेरा 42 साल का राजनीतिक जीवन है। इतनी बड़ी धांधली, पुलिस के द्वारा इतना जुर्म मैंने आज तक न कभी सुना, न देखा। मान्यवर, मेरे एक मित्र अम्बरीष पटेल ने सूचना दी कि पुलिस किस तरह से मार-मारकर लोगों को मतदान से वंचित कर रही है। उनके खिलाफ वे धरने पर बैठे। मान्यवर, पुलिस ने उनके आगे महिलाओं को धरने पर बैठा दिया और उनके द्वारा स्वयं फर्जी शिकायत के आधार पर डण्डे से मार-मारकर उनको भगाने का काम किया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जितनी गलत सूचनाएं हैं, सब इनके पास रहती हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकार की कोई शिकायत कभी भी वहां पर किसी के द्वारा की नहीं गयी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विधान सभा इसके लिए सही फोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री लालजी वर्मा को सुना, मा0 पाण्डेय जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोक सभा के चुनाव में 31.5 प्रतिशत वोट पड़ा था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पीटने का चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। हमें पुलिस के द्वारा मारा गया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये लोग हारने का बहाना पहले से ढूंढ़ लेते हैं। उसी ई0वी0एम0 से ये लोग जब जीतते हैं, तो ई0वी0एम0 सही है और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ई0वी0एम0 गलत है।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, मतदाताओं को पुलिस निकलने नहीं दे रही थी। मा0 प्रधानमंत्री जी, जिस आंकड़े की बात कर रहे थे। रामपुर में 11 चुनाव का वहां प्रतिशत रहा है। रामपुर में 60 फीसदी से कम वोट कभी नहीं पड़े हैं, लेकिन लोक सभा में भी यही हुआ और विधान सभा में भी यही हुआ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोक सभा में 32 फीसदी मतदान पड़ा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। रामपुर की घटना पूरे देश में गूंज रही है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह पूरी तरह से गलत है। यह मिथ्या है। मान्यवर, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आपने लोक सभा में भी यही किया था और इसमें भी यही किया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। मैंने आपको पूरा अवसर दिया। आपने अपनी पूरी बात कह ली। मा0 वर्मा जी, आपने भी पूरी बात कह ली।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के कुछ बोलने पर)

आदरणीय पाण्डेय जी, पिछले 10 मिनट से आप सुना रहे हो, हम उसको सुन रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमारी बात कहां सुनी ?

श्री अध्यक्ष-

आप घड़ी देख लीजिये। आपने 04:05 बजे से सुनाना शुरू कर दिया था।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

रामपुर में जो घटना घटी और पुलिस ने जो ज्यादती की, जब वहां पर मतदाता वोट डालने के लिए निकले उनको जाने ही नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अगर किसी को रोका गया था तो किसी ने शिकायत क्यों नहीं की ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 जहां शिकायत करनी थी उन्होंने ही मारा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी को सुना, और मा0 लालजी वर्मा जी को सुना परन्तु यह नियम-56 में नहीं आता है मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। सूचना नम्बर-2 श्री अमिताभ बाजपेई जी व मोहम्मद हसन रूमी। अमिताभ बाजपेई जी आप बोलिये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आ गये और पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे)

अगर आप चाहते हैं कि आपके मा0 सदस्य के द्वारा दी गयी सूचनाएं सुनी जायें तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी स्थान पर चलें। श्री अमिताभ बाजपेई जी व श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' जनपद कानपुर में छात्र रोनिल हत्या कराने के सन्दर्भ में। मा0 नेता समाजवादी पार्टी अगर आप समझते हैं कि आपके मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना को सुनना आवश्यक है तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले जायें। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने सदस्य श्री अमिताभ बाजपेई जी व श्री मोहम्मद हसन रूमी जिन्होंने कानपुर के छात्र रोनिल हत्या काण्ड के सन्दर्भ में सूचना दी है, उसके रखने में उनकी रुचि नहीं है इसलिए मैं दूसरी सूचना ले रहा हूँ। श्री नफीज अहमद, श्री दुर्गा शंकर यादव, श्री संग्राम सिंह, श्री अखिलेश, श्री आलमबदी, श्रीमती कमला जी, श्रीमती पूजा, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, जनपद आजमगढ़ में हवाई पट्टी के अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कराये जाने के सन्दर्भ में। मेरा नेता समाजवादी पार्टी से यह विनम्र अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि जनपद आजमगढ़ में हवाई पट्टी को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कराये जाने के सन्दर्भ में सूचना सुनी जाये तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपनी सीट पर चलें।

(वेल में आये समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने आसन पर चले गये)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैंने कहा था कि 311 सुन लिया जाये तब आपने कहा था कि आप इसे नियम-56 में सुन लेंगे। नियम-56 में हमें बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पाण्डेय जी, आपको 311 में किस समय बोलना था। आपने जो कुछ बोला है वह कार्यवाही का अंग है। देख लीजिये आपको बोलने दिया गया कि नहीं बोलने दिया गया है वह सब कार्यवाही का अंग है। मैंने कुछ भी कार्यवाही से हटवाया तो नहीं है। आपने जो कुछ भी बोला या तो मैं वह मान लूं कि वह सब कार्यवाही का अंग में वह चीज नहीं है तब तो मान लिया जायेगा कि आपकी बात नहीं सुनी गयी। आपके द्वारा जो बात कही गयी वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही वह भी कार्यवाही का अंग है। मलिक साहब ऐसा नहीं होता है अगर वह विधान सभा की कार्यवाही का अंग है इसका मतलब आपकी सुनी गयी है। मैंने सूचना की ग्राह्यता पर सुना है, चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, पूरी बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर पूरी बात आ गयी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ गया, अब हमने उसको अग्राह्य कर दिया है। अगली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई जी की है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन सुन लें। माननीय मनोज कुमार पाण्डेय जी जैसे ही उसकी ग्राह्यता पर बोलने के लिए खड़े हुए, तभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये। उस नोक-झोंक में क्या बात हुई, वह रिकार्ड में आया होगा लेकिन निश्चित रूप से उसमें हम जो ईश्यू उठाना चाह रहे हैं, जो बात हम कहना चाह रहे हैं वह नहीं आ पायी। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप दो मिनट में सूचना की ग्राह्यता पर सुन लीजिये, उसके बाद आप निर्णय दे दीजिये। हम चुनाव आयोग की परिधि की बात नहीं करेंगे। लेकिन मान्यवर, वहां पर येन-केन प्रकारेण वोटरों को रोकने का काम किया गया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, इस सूचना को आप अग्राह्य कर चुके हैं। यह चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जरा नोटिस की भाषा देख ले, टोटल चुनाव के ऊपर है। मैं उसको पढ़े देता हूँ। कल दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश की रामपुर विधान सभा सीट के उप-चुनाव की वोटिंग में जिला प्रशासन द्वारा सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों तथा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है, वह चिन्ताजनक है। पूरी सूचना केवल चुनाव के ऊपर है। चुनाव के समय जिला प्रशासन की पूरी मशीनरी पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है और चुनाव आयोग के किसी भी कृत्य के लिए यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चुनाव आयोग का कहीं नाम नहीं आया है। जिला प्रशासन का नाम आया है। जिला प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न किया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिला प्रशासन ही रिटर्निंग ऑफिसर है।

श्री अध्यक्ष-

चुनाव के समय में जिला प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में हो जाता है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जिला प्रशासन की बात कही गयी है कि जिला प्रशासन के द्वारा रामपुर के वोटरों को उत्पीड़ित किया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

चुनाव के समय जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम करता है, उसके नियंत्रणाधीन रहता है। आप आर्टिकल-324 पढ़ लें। इस विषय को विधान सभा में नहीं उठा सकते। दूसरी बात यह जो गलत बयानी कर रहे हैं कि लोक सभा चुनाव में उसी रामपुर शहर में 32 प्रतिशत वोट पड़ा है। अभी जून, 2022 में चुनाव हुआ है। उप चुनाव में लगभग 34 प्रतिशत वोटिंग हुई है।

श्री अतुल प्रधान-

लोक सभा में भी धांधली करायी गयी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, रामपुर सीट के उप चुनाव में पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों ने वोट डाला और यह क्रिमिनल ऑफेन्स हुआ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह चुनाव में हार का बहाना ढूंढ़ रहे हैं कि 8 तारीख को कैसे फेस करेंगे। ये ई0वी0एम0 से जीते तो हमेशा इन्होंने स्वीकार किया और जब हम जीते तो प्रश्न-चिन्ह खड़ा कर दिया।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, रामपुर जैसी जगह पर 30 प्रतिशत वोटिंग हुई। पुलिस की पहरेदारी घरों में लगा दी गयी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को निकलने नहीं दिया गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि 05 दिसम्बर को जो रामपुर में घटना घटी, उसमें हमने कहीं चुनाव आयोग की बात नहीं की। 80-90 साल के

बुजुर्ग, महिलायें जब कल मतदान डालने के लिए जा रहीं थीं तो उनको लाठियों से मारा गया था, उसकी वीडियो आयी है, उनके घर में घुसकर उनको मारा गया है, उनकी क्राकरी तोड़ दी गयी है और जब वह वोट डालने गये तो उनका वोटर लिस्ट का पर्चा फाड़कर भगा दिया गया। जहां तक मत प्रतिशत की बात की गयी है, सात चुनाव में 60 प्रतिशत वोट और दो चुनाव में 32 प्रतिशत वोट, यह कैसे हुआ ?

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री अतुल प्रधान द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

श्री अमिताभ बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपका शहर कानपुर इस समय भारी मुसीबत से गुजर रहा है। हमारे शहर में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और विधायकों पर अत्याचार हो रहा है। वहीं पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप रोनिल हत्या काण्ड के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं, जिस पर आपने नोटिस दी है, उस पर बताईये ?

***श्री अमिताभ बाजपेई-**

माननीय अध्यक्ष जी, 12वीं कक्षा का छात्र रोनिल घर से स्कूल के लिए निकला और स्कूल की छुट्टी के आधे घण्टे बाद तक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले स्कूल पता करने पहुंचे, वहां से उनको पता चला कि वह घर के लिए निकल चुका है, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचा तो ठीक दो घण्टे बाद उन्होंने लोकल पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज करा दी पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस नहीं जगी और अगले दिन सुबह मालूम पड़ा कि उस छात्र की लाश जंगल में मिली। वह उस परिवार का इकलौता बच्चा था। आज 36 दिन हो गये हैं और पुलिस उस हत्याकाण्ड को खोल नहीं पायी है, उनके पास कोई सुराग तक नहीं है। मैं इसलिए इस बात को और जोर से कह रहा हूँ कि जब उसकी लाश मिली तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं मिली, उसकी सूचना पहले स्कूल को मिली और स्कूल से उसके घरवालों को मिली। जो सूचना स्कूल के पास, घरवालों के पास थी, वह हमारी पुलिस के पास नहीं थी। कानपुर की पुलिस बड़ी हाईटेक पुलिस कही जा रही है। यह वही पुलिस है, जो मौके पर हमारे विधायक के घर में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रात के 12:00 बजे घुसकर दराजें और अलमारियां खंगालने का काम करती है, इसीलिए उसी घटना में सैंकड़ों लोग उठाये गये हैं। रोनिल हत्या काण्ड में 5-5, 6-6 दिन थानों और चौकियों पर रखकर लोग मारे जा रहे हैं, पैसा लेकर छोड़े भी जा रहे हैं, उसी हत्याकाण्ड में पूछताछ के बाद दो लोग चौकी से छोड़े गये। उसके 4 दिन बाद मालूम पड़ता है कि उनका हाफ एनकाउण्टर हो गया। दूसरी घटना बिधनू में एक चौकी में पिस्टल चोरी हुई थी, उसमें उनका हाफ एनकाउण्टर हो गया। मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि जिसकी पूछताछ इस घटना में चल रही थी, उसको दूसरी घटना में खोल दिया। चकेरी की घटना में उससे पूछताछ करके निर्दोष छोड़ दिया और बिधनू में उसी आदमी का हाफ एनकाउण्टर कर दिया गया। जब एनकाउण्टर की फोटो अखबार में आयी है जो परम्परागत फोटो में पिस्टल पड़ी होती है, वह पिस्टल उसके हाथ में है और उसके पैर में पट्टी बंधी हुई है। पता नहीं कि पट्टी पहले बंध गयी या गोली पहले पड़ गयी।

इस तरह की घटना कानपुर पुलिस कर रही है। जहां रोनिल हत्याकाण्ड में आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। आज 36 दिन होने के बाद भी उसके माता-पिता बेसहारा घूम रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं कानपुर की पुलिस उसी हत्याकाण्ड में उठाये गये लोगों को गोली मार रही है और हमारे विधायक इरफान सोलंकी के घर में रात के 12:00 बजे 25 थानों की पुलिस जाकर घुस जाती है, उनकी पत्नी और बच्चों से बदतमीजी करती है। उसकी आलमारियों और दराजों से न जाने क्या खोजने का प्रयास करती है। लगातार पुलिस फर्जी एविडेंस बना रही है, फर्जी मुकदमे लगा रही है। पुलिस ने एनकाउण्टर खोल रखा है।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने सूचना दी है, उस पर बोलिए। आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। कोई भी सूचना सुबह सभी मा0 सदस्यों के द्वारा दी जाती है, यह निवेदन किया गया है और यह नियमावली में भी है कि सुबह 10:00 बजे तक सूचना दे दें। आप जब सूचना देते हैं तो वह हम मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज देते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उस सूचना के आधार पर जिले से सूचना मंगाते हैं। आप एकदम से किसी विषय को लेकर खड़े हो जायें और यह सोचें कि इसकी सूचना यहां पर होनी चाहिए, यह नहीं होता है। आपने रोनिल हत्या काण्ड के ऊपर सूचना दी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवायेंगे।

श्री अमिताभ बाजपेई-

माननीय अध्यक्ष जी, रोनिल हत्या काण्ड और उसमें शेखू का फर्जी हाफ एनकाउण्टर मैंने यह बात इसलिए कही, क्योंकि वही थानेदार जिसको इस हत्याकाण्ड में सजा मिलनी चाहिए

थी। वही इरफान सोलंकी के घर में कूदा है। मान्यवर, उसको बेहतर थाना इनाम में मिला है। इसलिए मैंने उस घटना का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब पता नहीं उसको इनाम मिला है कि नहीं मिला है। इसके अलावा अगर कोई बात बोलनी है तो बोल दीजिये।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि रोनिल हत्या काण्ड को 36 दिन हो चुके हैं हम सी0बी0आई0 की मांग कर रहे हैं और सी0बी0आई0 जांच की मांग उनके परिवार वालों ने भी की है। चूंकि पुलिस वहां पर निष्क्रिय है, विधायक जी ने कहा कि थाना उसको मिल गया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर थाना मिला है तो बताइए हमें भी जानकारी आ जाये।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

मान्यवर, मुझे पूरी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष-

बताइये कि कौन-सा थाना मिला है ताकि उसकी भी जांच करा ली जाये ?

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

मान्यवर, चकेरी थाना का जो इन्सपेक्टर था, मैंने उसकी शिकायत कमिश्नर साहब से की वह अब बाबू पुरवा थाने का इन्सपेक्टर बना दिया गया है। वहीं वह रोनिल हत्या काण्ड को नहीं खोल पाया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायक जी, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि क्योंकि मेरा आपका जो कंसर्न है, स्वाभाविक रूप से मेरा भी एक कंसर्न किसी भी बात को ले करके जो भी माननीय सदस्य उठाते हैं, आपने यह बताया कि उसको वहां से हटाकर अच्छा थाना दे दिया गया, आप थाने का नाम बता दीजिये और हम उसकी जांच करा देते हैं।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

मान्यवर, बाबू पुरवा थाने में दिया गया है पहले चकेरी में था उसने वर्कआउट नहीं किया। अगर उसने वर्कआउट कर दिया होता तब उसको थाना मिलता तो अच्छा भी होता, इसकी जांच करा दीजिये।

[*]श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो घटना माननीय श्री अमिताभ बाजपेई जी ने अभी नियम-56 की सूचना के माध्यम से सदन के समक्ष बताई है, वह अपने आप में दु:खद है, लेकिन मान्यवर जितने प्रयास हो सकते थे हम आपके सामने रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, वह प्रयास तो किये गये हैं लेकिन यह केस ऐसा है कि अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अभी तक वास्तविक अनावरण नहीं हो सका है यह सही है। इसमें लोग लगे हुए हैं मैं एक पैराग्राफ आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूँ। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि रिपोर्ट लिखाने तक तो वह भी सहमत हैं। क्राइम नम्बर 991/22 धारा 302, 201 आई0पी0सी0 के तहत 01-11-2022 को 23:15 बजे मुकदमा पंजीकृत हो गया और उसके बाद जो घटना क्रम है उसके ऊपर मैं खास तौर पढ़ना चाहूंगा जिसकी वजह से मैंने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गवाहों के बयान व विभिन्न स्थानों के सी0सी0टी0वी0 फुटेज के परीक्षण से प्राप्त हुए जानकारी के अनुसार मृतक दिनांक 31-10-2022 को स्कूल की समाप्ति के बाद दोपहर एक बजकर तिरपन मिनट पर स्कूल से निकल कर अपने घर की दिशा श्याम नगर चौकी की तरफ जाने के बजाय विपरीत दिशा में छप्पन भोग चौराहे की तरफ अकेले पैदल निश्चिन्त मुद्रा में चल दिया। यह सी0सी0टी0वी0 फुटेज में कैद है। इसके बाद छप्पन भोग से पवन ज्वैलर्स होते हुए सी-ब्लॉक के विभिन्न मकानों के कैमरों में अकेले जाता हुआ दिखाई दिया तथा आबादी के आखिरी घर बैंक मैनेजर श्री त्रिपाठी जी के यहां स्थित कैमरे में भी 14:8 बजे अकेले ही पीठ पर बैग टांगे जाता हुआ दिखायी दिया। इसके बाद 200 मीटर बाद रेलवे ट्रैक के बाद सुनसान जंगल में मृतक की लाश अगले दिन सबेरे लगभग आठ बजे मिली। 14:30 बजे दिनांक 01-11-2022 को शुरू हुए पी0एम0 की रिपोर्ट के अवलोकन से भी मृत्यु का समय एक दिन पूर्व का अंकित है। विभिन्न स्थानों पर स्थित सी0सी0टी0वी0 कैमरा का सूक्ष्मता से अवलोकन करने से भी कोई व्यक्ति संदिग्ध आता-जाता नहीं दिखा। परिवार से काफी पूछा गया कि कोई मोबाइल ले गया हो लेकिन स्कूल में मोबाइल नहीं ले गया। किसी से कोई रंजिश की बात सामने नहीं आयी। ऐसे केसेस में वास्तव में इनवेस्टीगेशन कठिन हो जाता है। सी0सी0टी0वी0 फुटेज की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि वह स्कूल से सीधे घर की तरफ नहीं गया वह किस परिस्थिति में उल्टी तरफ गया यह कई सी0सी0टी0वी0 कैमरे में कैद है। यह खुलना तो चाहिए और पूरी कोशिश इस बात की होगी कि हर तरह से इस केस का अनावरण हो और दोषी लोगों को सजा भी मिले। हम टेलीफोनिकली फिर से उनको इस बात के लिये इन्स्ट्रक्ट भी कर देंगे कि हर तरह से यह प्रयास किया जाये कि केस का अनावरण हो और निश्चित रूप से उन

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को सजा मिले। आपने जो पिस्टल वाली दूसरी बात कही है, उसके बारे में भी जानकारी कर लेंगे और हर हालत में ऐसा कोई भी काम नहीं होने दिया जायेगा जिससे किसी निर्दोष आदमी को कोई सजा मिले।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, चूंकि यह कानपुर का ही केस है तो यह पूरी बात मेरे भी संज्ञान में है इसलिये मेरा आपसे एक निवेदन है कि यहां से दो-तीन सक्षम अधिकारियों की कोई एक स्पेशल फोर्स गठित करके निर्देशित कर दिया जाये कि वह सात दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

(इस मध्य सदस्य श्री अमिताभ बाजपेई के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब हो गया। इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है। इसके बाद भी अगर आपकी बात बचती है तो फिर वहीं से शुरू कर दें।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, मैं एक लाईन में अपनी बात कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपकी बात सुननी आवश्यक है ? अब हम एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी से इन्वेस्टिगेट करा लेंगे और जो भी है वह सामने आ जायेगा।

***श्री अमिताभ बाजपेई-**

मान्यवर, हम कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं। प्वाइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो आ जाये। शाम 4 बजे तक गुमशुदगी दर्ज हुई, तब से लेकर सुबह 8 बजे लाश मिलने तक पुलिस ने क्या एक्टिविटी की और यदि कोई एक्टिविटी नहीं की तो उन दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, इसको सुनिश्चित करा दीजिये। जो लापरवाह पुलिस अफसर थे, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मेरा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह किसी सक्षम इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी से पूरी इन्वेस्टिगेशन करा लें। अब मेरे द्वारा इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं दी जा सकती थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम-56 के अन्तर्गत तीसरी सूचना श्री नफीस अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डॉ0 संग्राम यादव, श्री अखिलेश, श्री आलमबदी, श्री कमलाकान्त राजभर, श्रीमती पूजा, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल की जनपद आजमगढ़ में हवाई पट्टी को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(इस मध्य सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री नफीस अहमद के एक साथ अपने-अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप दोनों में से कोई एक पहले बोल लें।

***श्री नफीस अहमद-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे यहां एक हवाई पट्टी मन्दुरी है। अखबारों में आया है और सर्वे भी हो रहा है कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद चल रही है और इसके लिये वहां पर जमीन का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, पिछले दो महीने से वहां पर औरतें, बच्चे, किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम सभी विधायकगण द्वारा वहां के लोगों का प्रार्थना-पत्र पिछले 09-09-2022 एवं 02-11-2022 को जिलाधिकारी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री को भेजा गया था। हम लोग लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि मन्दुरी स्थित हवाई पट्टी का जो विस्तार है, वहां पर तकरीबन 40000 की आबादी उससे इफेक्टेड हो रही है, 06 प्राथमिक विद्यालय, 01 जच्चा-बच्चा केन्द्र और लगभग 670 एकड़ जमीन तथा ग्राम पंचायत जमुआ, हरीरामपुर, गद्दनपुर, हिच्छनपट्टी, बल्देव मन्दुरी, जिगना करमपुर, हसनपुर, कादीपुर, हरिकेष, जोलहा, जमुआ, जैरी, पिपरा आदि गांव इफेक्टेड हो रहे हैं। वहां पर ऐसे-ऐसे किसान हैं कि अगर उनकी जमीन ले ली जायेगी तो उनके पास खेती और रोजगार के लिये उनकी कोई भी जमीन नहीं बचेगी और सबसे बड़ी चीज यह है कि इन तमाम गांवों के जो आबादी मकानात हैं वह पूरी तरह से वहां से खत्म हो जायेंगे, लोग बेघर हो जायेंगे। कहा जाता है कि उनको बसा दिया जायेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है और वहां के लोगों की भी यह मांग है कि सरकार ऐसी जगह को चिन्हित करे जहां पर कृषि योग्य भूमि न हो, सरकारी जमीन हो, आबादी का क्षेत्र कम हो, जिससे लोग अपने घरों से बेघर न हों, जो पुश्तों से वहां रहते हुए आये हैं, उनको बेघर न किया जाये। मान्यवर, लगातार अवगत कराने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मण्डल वहां पर उन किसानों से, औरतों से तथा बच्चों से बात करने के लिए नहीं गया और तो और, वहां पर नपइया रात के अन्धेरे में की जा रही है और जब उसका आन्दोलन हुआ तो फिर उन्होंने उसको रोकने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिये मेरा

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पर विचार करके उन किसानों को, गरीबों को सहूलियत दी जाये और ऐसी जगह चिन्हित की जाये जिससे कृषि योग्य भूमि न जाने पाये और लोगों की आबादी इफेक्टेड न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 दुर्गा प्रसाद यादव जी, अब आप बोल लें।

***श्री दुर्गा प्रसाद यादव-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री नफीस अहमद जी ने जो बातें सामने रखी हैं, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि वहां पर 40,000 आबादी है एवं 2000 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। वहां के लोगों के पास एक बीघा या दो बीघा खेत है। ये सभी पुराने लोग हैं और बहुत दिनों से आवास बना कर रह रहे हैं। दुःख की बात है कि वह लोग धरना दे रहे हैं और आज तक शासन-प्रशासन का कोई भी आदमी उनकी बात सुनने नहीं गया है। हम लोगों ने डी0एम0 साहब को आवेदन किया था कि इसे शासन तक पहुंचा दिया जाय, क्योंकि यदि उन्हें वहां से हटा दिया जायेगा तो वह भूखे मर जायेंगे। मेरी आपसे विनती है कि वहां पर जो गांव एवं मकान हैं जहां पर लगभग 670 एकड़ उपजाऊ जमीन है एवं जमुआ, रामपुर, गदनपुर, हीसनपट्टी, बल्देव मन्दुरी, जिगना, करमपुर, हसनपुर, कांजीपुर, जोलहापुर एवं पिपरी आदि ग्राम पंचायते हैं वह सब उजड़ जायेंगी। हम आपके द्वारा यह मांग करते हैं कि उनकी उचित व्यवस्था करायी जाय एवं जो हवाई पट्टी है, जिसे समाजवादी पार्टी के समय में मा0 नेता जी ने बनवाने का काम किया था वह काफी थी, लेकिन अब वह पट्टी बड़ी की जा रही है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी जांच करायी जाये और इसमें जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके मकान को न गिराया जाय। मैं इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे दोनों वक्ताओं के द्वारा यह तो स्पष्ट हो गया कि नेता जी ने वह पट्टी बनवायी थी और उस पट्टी का अगर एक्सपेंशन हो तो हम समझते हैं कि नेता जी की यही इच्छा रही होगी कि एक बड़ा एयरपोर्ट बन जाय। दूसरी बात यह है कि सरकार जब कोई जमीन लेती है तो उसका मुआवजा भी देती है और मुआवजा सर्किल रेट से चार गुना मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र का आप बता रहे हैं 670 एकड़ है तो लार्जर इन्ट्रेस्ट में यह काम हो सकता है कि हो रहा हो। मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, लेकिन नेता जी के द्वारा जो चीज शुरू

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गयी हो उसमें तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा सपना देख कर ही उसे बनाया होगा, उसकी शुरुआत की होगी। अगर हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को सहयोग करना चाहिए।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, जिस हवाई पट्टी के बारे में मा0 मंत्री जी बता रहे हैं जब वह हवाई पट्टी बनायी गयी थी एवं उसकी जमीन एक्वायर की गयी थी तब वह जमीन पूरी ऊसर थी वहां पर उस समय कोई आबादी नहीं थी, उस एरिए को लिया गया था। लेकिन अब जो सर्वे हुआ और सर्वे में जो जमीन ली जा रही है उसमें पूरी की पूरी 40 हजार की आबादी इफेक्टेड हो रही है और उसमें स्कूल एवं तमाम ऐसे लोग हैं, गरीब किसान हैं जिनकी पूरी जमीन चली जायेगी और जो बात आप कर रहे हैं मान्यवर आप बतायें कि जो पुराने लोग 100 साल से वहां पर बसे हुए हैं, जिनके बाप-दादाओं की वहां पर अस्थियां हैं, उनके जजबात जुड़े हुए हैं, उनको आप कहां ले जाकर बसायेंगे ? आजमगढ़ के अन्दर तमाम ऐसी जगह हैं जो कृषि योग्य नहीं हैं, सरकारी जमीनों का क्षेत्रफल ज्यादा है उस जगह को चिन्हित किया जाय। हम विकास विरोधी नहीं हैं हम चाहते हैं कि आजमगढ़ में विकास हो, लेकिन विकास किसी के आशियाने को उजाड़ कर किसी को बर्बाद करके हो ये चीज हमें मंजूर नहीं है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 40 हजार मकान खत्म हो जायेंगे। 100-200 साल से उनकी पुश्तें चली आ रही हैं, अगर उनको हटा दिया जायेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी ? उनके पास खेत भी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर बनवाना ही है तो आजमगढ़ में कहीं भी चिन्हित कर लें जहां काफी जमीन हो, वहां बनवा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी नहीं आई है। मैंने कई बार सोचा कि डी0एम0 से फोन पर बात कर लूं, लेकिन सुबह से यहां से उठने का मौका नहीं मिला। हमने आपकी भावनाओं को सुन लिया। पूरी रिपोर्ट लेकर ही हम अवगत करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप जिलाधिकारी से बात करके अवगत करा दीजियेगा। आप मुझे बता दीजियेगा हम उस पर बात-चीत कर लेंगे। श्रीमती आराधना मिश्रा जी की एक सूचना ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार की जाती है। प्रदेश में डेंगू का भयंकर प्रकोप है। इस पर सरकार चिन्तित है। सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार है।

रामपुर की घटना पर चर्चा हेतु समय के निर्धारण की मांग (क्रमागत)

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

जब रामपुर का मामला चल रहा था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे संवैधानिक अनुच्छेदों पर ले जाकर इसको समाप्त करने का प्रयास किया। मेरा यह कहना है कि जो लोग मारे-पीटे गये, जो लोग जेलों में डाले गये, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है ? आपने तो खत्म कर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई बात नहीं आई कि जो लोग मारे-पीटे गये हैं उनके लिए क्या करेंगे ? इसके बारे में तो कुछ बताना चाहिए। क्या चुनाव आयोग ही सब करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

कोई पर्टिकुलर विषय हो तो बतायें। ऐसे जनरली कैसे बता पायेंगे ?

***श्री लालजी वर्मा-**

अगर किसी ने पीटा है तो उसका तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। एफ0आई0आर0 होगा और जो लोग मारे गये, सताये गये, जिनकी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। मान्यवर, वह विषय तो यहां का है। उस पर आप सुन लें। उसका उत्तर आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपको कोई जानकारी है कि किस पर्टिकुलर की एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी ? जिसको इस बारे में पूर्ण जानकारी हो वही बताये, तभी उत्तर दे पायेंगे कि किसकी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। श्री अतुल प्रधान जी आप खतौली की बात कर रहे हैं और रामपुर की बात हो रही है। आप खुद कन्फ्यूज्ड हैं। आप लिखकर दीजिये, उसकी जानकारी करते हैं।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, इरशाद अली उम्र 62 साल मतदान करने जा रहे थे। दरोगा ने रास्ते में उनको रोका। उन्होंने कहा कि क्यों रोक रहे हैं हम मतदान करने जा रहे हैं। वहीं पर उनको लाठियों से मारा गया। उनका हाथ फट गया, फ्रैक्चर हो गया, इसकी वीडियो भी सारे चैनल पर चले। इसी तरीके से एक लड़का बन्टी वोट डालने जा रहा था। रास्ते में रोककर घेर कर उसको मारा गया। पुलिस ने इस तरह मारा कि उसका सिर फट गया। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल होने के बाद उसकी एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज की गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का यह कहना था कि जो ज्यादती पुलिस ने की और वह घटनायें हम आपको नाम के द्वारा भी बता रहे हैं। ऐसे करीब 300 लोगों को मारा गया। क्या जिन पुलिस वालों ने मत डालने से रोका, अनाधिकृत ढंग से मारा-पीटा, क्या उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, आपकी पूरी बात आ गयी है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इस सरकार ने जिस तरह से रामपुर में लोकतंत्र की हत्या की है और वोट नहीं डालने दिया है, भारत में प्रदत्त संविधान के अधिकारों का उल्लंघन किया है और चुनाव को प्रभावित किया है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार का बाईकॉट करती है।

(समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक श्री मनोज कुमार पाण्डेय अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

[05:17] इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अननुमोदन का संकल्प

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करती हूँ कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है।

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें एक संशोधन और एक सुझाव हम लोगों की तरफ से जो किया गया है वह रखना चाहते हैं। इसमें लगभग 28 हजार से अधिक यू0पी0 बोर्ड सम्बद्ध विद्यालय हैं। जिसमें से लगभग बीस हजार वित्त विहीन विद्यालय हैं। इसमें जो मान्यता की बात की गयी है, तो इसमें वित्त विहीन विद्यालय को छोड़ दिया गया है और इन वित्त विहीन विद्यालयों में लगभग 3.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 4528 सहायता प्राप्त विद्यालय व 2332 राजकीय विद्यालय भी शामिल हैं। हमारा सिर्फ अनुरोध यह है कि अगर हम मान्यता की प्रक्रिया को अपना रहे, तो केवल हम मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इसमें क्यों रख रहे हैं। अगर हम इनमें से वित्त विहीन विद्यालयों को हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। वित्त पोषित को तो हम रख रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि यह गम्भीर विषय है, क्योंकि वित्त विहीन विद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर जिले में खासकर ग्रामीण इलाके में यह शिक्षा में एक मजबूत स्तम्भ की तरह काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को शिक्षा इन वित्त विहीन विद्यालयों से मिल रही है। अगर हम उनको इस प्रक्रिया में नहीं जोड़ेंगे या अलग कर देंगे तो उनमें सभी बच्चों का नुकसान है और जो शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं, उनका नुकसान है। मेरा अनुरोध यह है कि

इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये और इस पर पुनर्विचार कर लिया जाये और इनको भी उसमें जोड़ लिया जाये। आप इसमें जो संशोधन लाये है उसको आप कीजिये पर इसमें वित्त विहीन विद्यालयों को भी जोड़ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 16-क का संशोधन

2-इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 16 क की उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक संस्था के लिये" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था के लिये" रख दिए जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3-(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उ0प्र0 नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022

***पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, नैमिषारण्य की धरती बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र है। यहीं से वेदों की रचना हुई, ऋचायें यहीं से बनीं, ऋषियों-मुनियों ने यहां पर तप किया और यह स्थान आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर दक्षिण भारत से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं और पूजा-अर्चना करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चौरासी कोसी, अट्ठारह कोसी और पंचकोसीय परिक्रमा करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। सरकार ने यहां के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् के गठन का निर्णय लिया है। हम लोगों ने पूर्व में मथुरा-वृन्दावन धाम तीर्थ विकास परिषद् का गठन किया, चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन किया और विन्ध्याचल धाम विकास परिषद् का गठन किया, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। इससे सकारात्मक एकरूपता के साथ समग्र रूप से क्षेत्र का विकास और उन्नयन हो सकेगा। इससे यहां के गौरवशाली इतिहास को पुनरोद्धारित करने का काम हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, विकास परिषद् में तमाम विभागों को जोड़कर संरचना करने की व्यवस्था की गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें अध्यक्ष होंगे और प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि इससे उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास क्षेत्र का समुचित और बढ़िया तरीके से समयबद्धता के साथ विकास हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि श्री उमाशंकर जी को इस विधेयक को पारित करने में हमारा सहयोग करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

श्री उमाशंकर सिंह जी।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसमें संशोधन लाने का कोई इरादा नहीं था। माननीय मंत्री जी को भी पता है कि सदन कब आहूत होगा। माननीय मंत्री जी अगर नैमिषारण्य को लेकर वास्तव में इतना गम्भीर थे तो आज के एजेण्डा में यह बिल नहीं छपा है, जिसके बाद इसको सप्लीमेण्ट्री एजेण्डा में लिया गया है। हम लोग कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में थे, तो उस समय भी कहा गया कि अगर बिल नहीं आया, तो हम क्या करें और जब बिल आयेगा तो फिर देखेंगे। यह स्पष्ट है कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया है और माननीय मंत्री जी भी इसको जान रहे हैं। यह पहले से तय था कि यह परिषद् बननी है और आप इसके गठन के लिए बिल लाने वाले हैं। इसमें कहीं-न-कहीं विभाग ने लापरवाही की है, जिसने सभी विभागों से एन0ओ0सी0 लेने में विलम्ब किया होगा या फिर कहीं कोई और चूक हुई होगी। जल्दबाजी में बिल लाने का परिणाम यह होगा कि आपको फिर इसमें संशोधन लाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपने इसको सही से बनाया है, तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें और बेहतर करने की जरूरत है, तो फिर आप समय लेकर इसे और बेहतर कर लीजिये, जिसमें मैं आपका साथ दूंगा। मेरा संशोधन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य केवल इतना है कि यह बिल बेहतर तरीके से बने।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसमें आपको कुछ कहना है।

श्री जयवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग इससे पहले मथुरा-वृन्दावन, चित्रकूट धाम और विन्ध्याचल धाम के लिए विकास परिषद् ला चुके हैं और उसमें बिना कोई परिवर्तन किये ठीक उसी प्रकार से नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् का गठन प्रस्तावित किया गया है। उसी प्रकार की परिस्थितियां, उसी प्रकार की कमेटियां, वही प्रारूप, सब कुछ वही है। हम लोग सम्यक् विचार करने के उपरान्त तीनों विधेयक लाये थे और तीनों के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में अब किसी संशोधन की सम्भावना नहीं है। यह बहुत अच्छा बिल है और मेरा अनुरोध है कि इस पर सबका समर्थन होना चाहिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि हम मथुरा धाम, विश्वनाथ धाम या चित्रकूट धाम से सन्तुष्ट हैं और आपको लगता है कि आप उन सभी चीजों का फॉलो किये हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने इस संशोधन को वापस लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर सिंह जी ने संशोधन को वापस ले लिया है, इसलिए उसके ऊपर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2022

नैमिषारण्य की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने, ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत–संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने, जिला सीतापुर/हरदोई के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को नैमिषारण्य क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला सीतापुर/हरदोई के भीतर स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र में होगा। नैमिषारण्य के अधीन क्षेत्र में सीतापुर के छत्तीस ग्राम सम्मिलित हैं, जिसका क्षेत्रफल 8511.284 हेक्टेयर है और जिसमें ग्यारह गंतव्य स्थान सम्मिलित हैं, जिसमें से सात गंतव्य स्थान जिला सीतापुर के अधीन आते हैं, ये कोरोना, जरीगवां, नैमिषारण्य, देवगंवा, मदरूवा, कोलूहता बरेठी और मिश्रीट हैं और चार अवस्थान जिला हरदोई के अधीन आते हैं, जो हरैया, नगवा कोठावां, गीरधरपुर उमरारी और साक्षी गोपालपुर हैं। सम्पूर्ण परिपथ 209 मील अथवा 84 कोस का है। छत्तीस ग्राम–अर्वापुर, सहसामऊ, ठाकुरनगर, लकैरामऊ बीठौली, नरसीधौली, मधवापुर, नरायनपुर, परसौली, सनजराबाद, घरवांसपारा कलां, घरवांसपारा खुर्द, मिश्रीख, सरैयबीबी, जसरायपुर, करमैसपुर, लक्षरपुर, रूपपुर, ऊतरघौना, खरगपुर, कल्ली, लोकनापुर, करखीला, मरैली, तरसवां, लोहगांपुर, बीजगरांट, बीनौरा, भानपुर, अटवा, मनिकापुर, लेखनपुर, लक्ष्मणनगर, नैमिषारण्य, भैरमपुर और अजीजपुर हैं।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

(2) जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ख) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(ग) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(घ) "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(ङ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू–बद्ध चीजें या भू–बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(च) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या नैमिषारण्य क्षेत्र के भीतर नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या तद्धीन किसी ग्राम पंचायत से है;

(छ) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(ज) "नैमिषारण्य क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला सीतापुर/हरदोई के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है, जिसमें 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र सम्मिलित है;

(झ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् से है;

(ञ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या सीतापुर/हरदोई जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके क्रियाकलाप, परिषद के कृत्यों से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हों;

(ट) "योजना" का तात्पर्य श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना से है;

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ड) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ढ) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(ण) "श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिये और पर्यटन तथा संस्कृति विशेष रूप से धार्मिक क्रियाकलापों तथा अध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए तैयार की गयी योजना से है। न्यास के कृत्य नैमिषारण्य क्षेत्र की दोनों मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये होंगे।

अध्याय–दो

श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद

श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन और निगमन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद का गठन करेगी जिसे "श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद" के रूप में जाना जायेगा।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ख) उपाध्यक्ष– मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;

(ग) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त होंगे;

(घ) सदस्य सह–संयोजक–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;

(च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग,पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग,पदेन;

(ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग,पदेन;

(झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग,पदेन;

(ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग,पदेन;

(ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,पदेन;

(ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग,पदेन;

(ड) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, पदेन;

(ढ) जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर, पदेन;

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(त) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा;

(थ) कार्यपालक अधिकारी, नैमिषारण्य नगर पालिका परिषद, पदेन;

(द) नैमिषारण्य क्षेत्र के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पांच प्रख्यात व्यक्ति, जो राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ध) एक करोड़ रूपये या उससे अधिक का दान करने वाले दानकर्तागण, परिषद के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिये नाम–निर्दिष्ट सदस्य के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे;

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ध) और (न) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन और शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

कार्यपालक उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(2) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद का अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये गये या संविदा पर रखे गये समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे;

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय;

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे;

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता, सहायक मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी का होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता एक नगर योजनाकार, दो कार्यपालक अभियन्ता, चार सहायक अभियन्ता, छः अवर अभियन्ता और चार प्रशासनिक कर्मचारिवर्ग करेंगे, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर होंगे। कर्मचारिवर्ग के वेतन तथा भत्ते वहीं होंगे जो इनके पैतृक विभाग में होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संविदा के आधार पर नियोजित किये जायेंगे और उनकी परिलब्धियों तथा वेतन संरचना का विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनकी भर्ती तथा वेतन संरचना, न्यासी मण्डल के अनुमोदन के आधार पर होगी;

(7) न्यासी मण्डल के पास अपेक्षानुसार अधिकारियों या कर्मचारिवर्ग की संख्या को घटाने या उसमें कमी करने का अधिकार होगा।

कार्यपालक समिति

5–(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे;

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा विकास समिति की संरचना

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद, यथाशक्य शीघ्र, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, पदेन;

(घ) मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई, पदेन;

(ङ) अपर पुलिस अधीक्षक, हरदोई, पदेन;

(च) कार्यपालक अधिकारी, नैमिषारण्य नगर पालिका परिषद, पदेन;

(छ) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(ज) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर, पदेन;

(झ) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सीतापुर, पदेन;

(ञ) अधीक्षण अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (नगरीय एवं ग्रामीण), सीतापुर, पदेन;

(ट) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम सीतापुर, पदेन;

(ठ) प्रभागीय वन अधिकारी, सीतापुर, पदेन;

(ड) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीतापुर, पदेन;

(ढ) अधीक्षक पुरातत्वविद, लखनऊ, पदेन;

(ण) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ, पदेन;

(त) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(थ) एक पर्यावरण विद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(द) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ध) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(न) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(प) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (त), (थ), (द), (ध), (न) और (प) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निर्बंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

सहयोजित करने की शक्ति

7–(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है;

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति परिषद के, या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

परिषद का मुख्यालय

(8) परिषद का मुख्यालय सीतापुर में होगा।

परिषद की बैठकें

(9) परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय;

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

(10) नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

(11) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक की गणपूर्ति

(12) परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्याय– तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

परिषद की शक्ति

13–परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगी:–

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथास्थिति, योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, नैमिषारण्य की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण नैमिषारण्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्वर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) राज्य सरकार के नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14–परिषद् के कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी सहभागी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभाग/विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण/ अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) नैमिषारण्य क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने, प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा नैमिषारण्य की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) नैमिषारण्य क्षेत्र में नदियों तथा जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) नैमिषारण्य क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पदधारकों–सरकारी विभागों स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) नैमिषारण्य क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया–कलापों में समन्वय करना;

नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य

15 (1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:–

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) नैमिषारण्य क्षेत्र योजना के अनुरूप जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौपें जायं।

2–जिला में विभागीय आय–व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/ परियोजनों की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय–चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

योजना की विषयवस्तु

16(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे;

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें नैमिषारण्य क्षेत्र में विकास सम्बन्धी क्रिया-कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा नैमिषारण्य की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे, अर्थात्-

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू-उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेयजल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवयकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) नैमिषारण्य क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

सर्वेक्षण और अध्ययन

17-उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसाकि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18-(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपतियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी;

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी;

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी;

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19-उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20-(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू-उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो;

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी;

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा;

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21–(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय;

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा–स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22–(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है;

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय–व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित करना होगा।

अध्याय– पांच
वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

23–राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

निधि का गठन

24–(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री नैमिषारण्य धाम विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी–

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) अन्य स्रोतों यथा–मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान; और

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा–

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तद्निमित्त योजनाएं/ परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) योजना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहभागी विभागों और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्ही अन्य व्ययों की पूर्ति करना;

आय-व्ययक

25—परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय-व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी;

वार्षिक रिपोर्ट

26—परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया-कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व,जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी;

लेखा और लेखा-परीक्षा

27—(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्ररूप में जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी;

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा-परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को या किसी अन्य लेखा-परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौंप सकती है जैसाकि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो;

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार :-

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसाकि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय;

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी;

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का विकास हेतु अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है;

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो;

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने के लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात नही है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथाउपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय—सात
प्रकीर्ण

विद्यमान विधियों के अतिरिक्त किये जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार समय—समय पर परिषद को ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निर्देश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद, उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

35—(1)राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय;

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसाकि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो;

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी;

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे;

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि और अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद की निधियों से वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होंगे;

प्रत्यायोजन

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना, और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, किसी भवन या किसी परिवेष्ठित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना, नहीं करेगा।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहित, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 31 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियमावली बनाने की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है;

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं; अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो;

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात्:—

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42—(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, और परिषद तदनुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से—

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

43–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि यह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यधीन प्रभावी होंगे;

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-43 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अननुमोदन का संकल्प

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आराधना मिश्रा जी अननुमोदन के लिये बोलिये।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन बिल आया है, इस पर और अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं तीन बार ब्लॉक प्रमुख रही हूँ और लम्बे समय से यह देखा है कि किस तरह से यह जो अविश्वास प्रस्ताव का जो नया प्रारूप आ गया है। क्या यह किसी भी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुनकर आया है। उसके लिए सम्भव है कि उसकी परफार्मेन्स एक या दो साल में आंकी जा सके। तो उसको आपने बढ़ाकर दो साल कर दिया है। मैं सुझाव दूंगी कि उसको अपने कार्यकाल का 50 प्रतिशत समय मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी परफार्मेन्स दे सके।

श्री अध्यक्ष-

आप वही कह रही हैं जो मा0 मंत्री जी ने कहा है। आपने तारीफ की है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने दो साल किया है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसकी परफार्मेन्स और आंकलन को देखने के लिए उसको बढ़ाकर ढाई साल कर दिया जाय। आपने इसमें बहुमत 2/3 दिया है इसको बढ़ाकर 3/4 कर दीजिये। यह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यह आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है कि अगर कुछ लोग असन्तुष्ट हैं आप सभी को सन्तुष्ट भी नहीं कर सकते हैं अगर वह असन्तुष्ट हैं और कुछ संख्या इकट्ठा हो गयी और जिस तरह से धन का व्यय होने लगा है। उसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है वह पारित हो या न पारित हो, वह अलग बात है। पर एक धन अर्जित करने का साधन भी बन चुका है। मेरा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से सुझाव है कि इस पर पुनः विचार कर लें। इसको प्रवर समिति को भेजिए। इसमें हमारे सबके विचार लीजिए और इसको आप और बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

80 Sa vidhaika (Panchayat)-2022 data4c

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15 में,–

(क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "अन्यून दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 28 में,–

(क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "अन्यून दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 के अननुमोदन का संकल्प (प्रस्ताव वापस)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 के अननुमोदन से सम्बन्धित है, इस पर श्री उमाशंकर सिंह और श्री लालजी वर्मा को बोलना है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, हम अननुमोदन प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी अननुमोदन प्रस्ताव वापस लेते हैं। इसलिए प्रश्न बनता ही नहीं है।

उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-70 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा अनुरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होगा।

(3) यह किसी भी क्षेत्र में ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) **'अधीन प्राधिकारी'** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे किसी अधिकारी से है, जो इस अधिनियम की धारा 45 में यथा परिभाषित अग्निशमन अधिकारी से कम से कम 02 रैंक उच्चतर हो;

(ख) **'भवन'** का तात्पर्य वही होगा जो उसके लिए सुसंगत नगरपालिका विधि अथवा उस क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में समनुदेशित हो, और इसमें भूमि या भवन या किसी प्राधिकृत या अन्यथा रुप में भूमि या भवन के आंशिक भाग से समाविष्ट स्थान या परिसर, ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग से सम्बन्धित बाह्य गृह, यदि कोई हो, और पेट्रोल, डीजल वा गैस लाइनें, प्रतिष्ठान या पम्प सम्मिलित हैं ;

(ग) **' भवन उपविधियों'** का तात्पर्य किसी सुसंगत नगर पालिका विधि के अधीन बनायी गयी भवन उपविधियों, नियमों तथा विनियमों से है और इनमें विकास नियंत्रण नियम या विनियम, उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाये, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाये गये कोई अन्य भवन नियम या विनियम सम्मिलित हैं और वे ऐसे क्षेत्र में हों, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो;

(घ) **'भारतीय मानक ब्यूरो'** का तात्पर्य भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 सन् 2016) के अधीन स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय से है ;

(ङ) **' उपविधि'** का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अधीन बनाए गये अग्निशमन सुरक्षा विनियमों या प्रतिमानों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों, वास्तविक प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित भवन उपविधियों, तेल-उद्योग सुरक्षा निदेशालय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, पेट्रोलियम अधिनियम तथा नियमों, अग्निशमन से सम्बन्धित भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियमों अथवा समय-समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित किन्ही सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धान्तों से है ;

(च) **'निदेशक'** का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(छ) **'महानिदेशक'** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(ज) **'आपदा'** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में यथा परिभाषित आपदा से है ;

(झ) **'आपात'** का तात्पर्य आपदा सहित किसी ऐसी गम्भीर स्थिति या घटना से है, जो अप्रत्याशित रुप में घटित होती है, जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अग्निशमन तथा आपात सेवा की तत्काल कार्यवाही की मांग होती है;

(ञ) **'कर्मचारी'** का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ट) **'वास्तविक प्राधिकरण'** में स्थानीय प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर निगम, आवास विकास परिषद या भवन योजना अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण सम्मिलित हैं ;

(ठ) **'परिनिर्माणकर्ता'** का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से है, जो नियमित हो, या अन्यथा रुप में हो, जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के व्यवसाय हेतु कोई पण्डाल या कोई संरचना परिनिर्मित करता है, या बनाता है;

(ड) **'अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों'** का तात्पर्य इस निमित्त बनायी गयी नियमावली में विहित अग्नि सुरक्षा तंत्र सहित ऐसे उपायों से है, जो अग्नि की परिरुद्धता, नियन्त्रण तथा शमन के लिए और अग्नि की स्थिति में जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार आवश्यक हों ;

(ड) 'अग्नि सुरक्षा अधिकारी' का तात्पर्य कतिपय परिसरों और भवनों में प्रतिष्ठापित अग्नि रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसे परिसरों और भवनों के स्वामी या अध्यासी द्वारा इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ण) 'अग्निशमन अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय रोपण स्थलों हेतु राज्य द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

(त) 'अग्निशमन केन्द्र' का तात्पर्य अग्निशमन सम्बन्धी उपस्करों, उपकरणों और कर्मचारिवृंद को आवासित करने हेतु परिनिर्मित ऐसे किसी भवन से है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अग्निशमन केन्द्र या अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों के रुप में सामान्यतः या विशिष्टतः घोषित हो ;

(थ) 'निधि' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन गठित निधि से है ;

(द) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य किसी नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर महापालिका, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, छावनी परिषद, क्षेत्र समिति, ग्राम सभा या स्थानीय स्वशासन के प्रयोजनार्थ गठित किसी अन्य प्राधिकरण या नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन सहित राज्य सरकार के प्रति विधिक रूप से हकदार या उसके द्वारा न्यास कृत ग्राम प्रशासन से है ;

(ध) 'स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(न) 'राष्ट्रीय भवन संहिता ' का तात्पर्य भवनों, स्थानों, परिसरों, कार्यशालाओं, भण्डारगारों तथा उद्योगों में क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से युक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पुस्तक या पुस्तकों से है ;

(प) 'अध्यासन' का तात्पर्य ऐसे प्रमुख अध्यासन से है, जिसके लिए कोई भवन या भवन का कोई आंशिक भाग प्रयुक्त किया जाता है या उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है जिसमें ऐसे सहायक अध्यासन सम्मिलित हैं, जो उस पर समाश्रित हैं;

(फ) 'अध्यासी' का तात्पर्यः—

(एक) ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो तत्समय ऐसी भूमि या भवन, जिसके सम्बन्ध में किराये का संदाय किया जाता हो/ या संदेय हो, के किराये या उसके आंशिक भाग का संदाय भवन स्वामी को कर रहा हो या संदाय करने का दायी हो ;

(दो) अपनी भूमि या भवन में अध्यासित या उसका अन्य रूप में उपयोग करने वाले किसी स्वामी से है ;

(तीन) किसी भूमि या भवन के निःशुल्क किरायेदार से है ;

(चार) किसी भूमि या भवन के अध्यासित लाइसेंसधारी से है ; और

(पांच) ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन हेतु भवन स्वामी को क्षतियों का संदाय करने के लिए दायी हो।

(ब) 'स्वामी' में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो तत्समय किसी अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया अपने खाता में या अपने तथा अन्य के खाता में प्राप्त करने का हकदार हो अथवा जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए यदि भूमि या भवन या उसका आंशिक भाग, किरायेदार को किराया पर दिया गया हो ;

(भ) 'पण्डाल' का तात्पर्य ऐसे छत या दीवारों वाले अस्थायी संरचना से है, जो पुआल, फूस, उलू, तृण, गोलपट्टा, होगला, डर्मा, मैट, वैलवास, वस्त्र या ऐसी अन्य समान प्रकार की सामग्री से निर्मित हो, जो स्थायी या निरन्तर अध्यासन के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है ;

(म) 'द्वितीय अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है, जो इस अधिनियम की धारा 45 में यथा परिभाषित अपील प्राधिकारी से कम से कम एक रैंक उच्चतर हो ;

(य) 'स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद्' का तात्पर्य अग्निशमन सेवा से सम्बन्धित प्राविधिक समस्याओं का परीक्षण करने और भारतीय मानक संस्थाओं के माध्यम से अग्निशमन उपकरणों का मानकीकरण सहित मामलों में भारत सरकार को संस्तुति करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित सलाहकार निकाय से है ;

(र) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ल) 'अर्ह अभिकर्ता' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन के क्षेत्र में प्राविधिक विशेषज्ञता हो और जिसके पास अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त विषयगत ज्ञान और उपलब्धियां हों।

अध्याय–दो

अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा की स्थापना

3-(1) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा होगी और अग्निशमन तथा आपात सेवा के समस्त अधिकारी और अधीनस्थ रैंक के कार्मिक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की किसी शाखा में तैनात किये जाने योग्य होंगे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अग्निशमन दल या किसी अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को यह घोषित कर सकती है कि उक्त दल या सेवा किसी भी समय राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग होगा अथवा नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यह उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग के , स्वामी या अध्यासी द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग हेतु अग्नि सुरक्षा आच्छादन का उपबंध करने के लिए अनुरक्षित निजी अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के निमित्त लागू नहीं होगा ।

(2) इस अधिनियम अथवा स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी अग्निशमन दल या अग्नि रोकथाम से सम्बन्धित सेवा को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांकों से राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग घोषित कर सकती है।

(3) अग्नि के फलस्वरूप हुई आपदा से भिन्न किसी आपदा में सहायता करने के उद्देश्य से समस्त अग्नि शमन सेवाएं आपात सेवाएं मानी जायेंगी :

परन्तु यह कि यदि जहाँ आपात सेवा केवल अग्निशमन से संबंधित न हो वहाँ आपात सेवा के प्रभारी प्राधिकारी के विनिश्चय और निदेश अभिभावी होंगे ।

अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होना

4-सम्पूर्ण राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण और उस पर नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा, ऐसे अग्निशमन अधिकारियों जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर नियुक्त करे, के माध्यम से इस अधिनियम और/या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जायेगी।

अग्निशमन तथा आपात सेवा का गठन और वर्गीकरण

5-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभिन्न रैंकों के उतनी संख्या में कर्मचारिवृंद होंगे और उसमें ऐसे संगठन होंगे तथा उसकी ऐसी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगे, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार नियमावली में निम्नलिखित को विहित कर सकती है:–

(एक) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के भिन्न-भिन्न पद ;

(दो) कर्मचारिवृंद की भर्ती की रीति, पद का ग्रेड, अर्हता, वेतन, भत्ते और उक्त सेवा में विनियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की अन्य सेवा शर्तें।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य में विद्यमान अग्निशमन तथा आपात सेवा की पद्धति की समीक्षा कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो उसे उपान्तरित कर सकती है।

परन्तु यह कि स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु इस उपधारा के अधीन निर्मित नियमावली में कर्मचारिवृंद की भर्ती की रीति, वेतन, भत्ते तथा तत्सम्बन्धी मामले सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व के दिनांक को किसी प्राधिकरण के विद्यमान अग्निशमन दल या अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के अग्निशमन अधिकारी या कर्मचारिवृंद या कर्मचारी (जिस भी पदनाम से पुकारा जाय) के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा जैसा कि उसके लिए ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व प्रवोज्य थे और वह पूर्व की भांति तथा इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा ।

महानिदेशक और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की नियुक्ति

6-(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/ अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी को महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के रुप में नियुक्त करेगी, जिसे आगे महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा जायेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हैं और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगी ।

(2) राज्य सरकार अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में वास्तविक अर्हता ज्ञान, अनुभव तथा विश्वसनीय उपलब्धियों से युक्त अग्निशमन अधिकारी को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विनिर्दिष्ट हों ।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की सहायता हेतु ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति करेगी, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो ।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण, निदेशों तथा अधीक्षण के अध्यधीन महानिदेशक तथा निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय तथा उस पर अधिरोपित किया जाय ।

महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्ति, कर्तव्य तथा कृत्य

7-(1) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन अग्निसुरक्षा तथा उसकी रोकथाम, अग्निशमन उपस्करों, मशीनरी तथा उपकरणों, प्रशिक्षण, व्यक्ति पर्यवेक्षण, पारस्परिक सम्बन्धों की घटनाओं, कर्तव्य आवंटन, विधि अध्ययन, आदेशों तथा कार्यवाहियों की रीतियों से संबंधित समस्त मामलों और सुसंगत राज्य नियमावली के अनुसार अपने अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा किये जाने तथा उनके मध्य अनुशासन बनाये रखने के कार्यकारी विवरण के समस्त मामलों के लिये निदेश देगा और उनका विनियमन करेगा ।

(2) धारा 6 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा,–

(एक) कार्यालय महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभागाध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा ;

(दो) अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास हेतु राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करेगा;

(तीन) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास के सम्बन्ध में नीतियां निर्मित करेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने हेतु कदम उठायेगा ;

(चार) प्राधिकारियों द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपस्कर, अग्निशमन सम्पत्ति और अग्निशमन मानव शक्ति की समय-समय पर समीक्षा के सम्बन्ध में योजनाएं और प्रस्ताव तैयार करेगा और उन्हे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(पाँच) प्रचण्ड अग्निकाण्ड, गृह ध्वंस और अन्य आपात सेवाओं के मामलों में प्रभावी कदम उठायेगा या उठवाएगा और उपाय करेगा तथा करवायेगा ;

(छः) अग्नि के कारण का अन्वेषण करेगा या अन्वेषण करायेगा और अग्निशमन सम्बन्धी सावधानी के उपायों को क्रियान्वित करने हेतु प्राधिकारियों को परामर्श देगा ;

(सात) अग्निशमन सेवा कर्मी के प्रत्येक स्तर पर विहित कार्यों के अनुसार प्रभावी मानव संसाधन विकास नीतियों को क्रियान्वित करेगा और उक्त प्रयोजनार्थ वह उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकता है ;

(आठ) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के मानक का अद्यतनकरण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा;

(नौ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या तद्धीन प्रदत्त, अधिरोपित या आवंटित किया जाय ।

अग्निशमन सेवाओं की स्थापना

8-(1) कतिपय उद्योगों और वृहद वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक अधिष्ठानों एवं भवनों में जनसंख्या तथा संभाव्य अग्नि सम्बन्धी खतरों और उपबंधित एवं अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित अग्निशमन केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद का उपबंध करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार राज्य के भीतर अग्निसुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उतने अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों का सृजन कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना में अग्निशमन केन्द्रों और उनसे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाएं परिभाषित होंगी और प्रशासनिक तथा संचालनात्मक दक्षता हेतु आवश्यक अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाओं तथा विस्तार को परिनिश्चित किया जायेगा ।

अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य

9-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार,—

(क) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा प्राधिकृत अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के एक अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी होगा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अग्निशमन सेवा के आकार के अनुसार अग्निशमन केन्द्र का प्रभार धारण करेगा ;

(ख) उसके पास अग्निशमन केन्द्र से उसके अधीन सम्बद्ध ऐसे कर्मचारिवृंद होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ;

(ग) वह अपने अग्निशमन केन्द्र के क्षेत्रों के भीतर संचार प्रणाली हाईड्रैन्ट्स सहित जल संसाधनों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा संचालन का प्रभारी होगा ;

(घ) अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों, यदि कोई हों, हेतु समान व्यवस्थाओं का उपबन्ध किया जा सकता है।

अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य—

(2) अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे:—

(क) महानिदेशक के निर्वंत्रण, निदेश तथा अधीक्षण के अध्यधीन अधिनियम की इस धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसाकि उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली द्वारा प्रदत्त तथा अधिरोपित किये जायं ;

(ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अग्निशमन रोकथाम तथा आपदा के मामले में इस धारा की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी या अधिकारीगण अपनी अधिकारिता के निमित्त किसी अग्नि या आपात स्थिति में उस घटना हेतु अन्य अग्निशमन कार्य तथा आपात सेवा में विनियोजित व्यक्ति उसके अधीन कार्य करेंगे।

अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य

10-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार प्रशासनिक प्रयोजनों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थल हेतु समय-समय पर यथा-आवश्यक अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, अर्हताएं और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि नियमावली में विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अबाध रूप से शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान अग्निशमन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने हेतु ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

11-(1) अग्निशमन तथा आपात सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और तदोपरान्त ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार होंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा का कर्मचारी होने से किसी कारणवश प्रविरत हो जायेगा, और ऐसा कर्मचारी होने से उसके प्रविरत होने पर उसे तत्काल उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी को उक्त प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करना होगा।

(3) कोई नियुक्ति प्रमाण-पत्र अकृत हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से प्रविरत हो जायेगा और उक्त अवधि के दौरान वह अक्रियाशील रहेगा और ऐसा व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से निलम्बित कर दिया जावेगा।

(4) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी अपनी सेवा की निबन्धन एवं शर्तों और अन्य समस्त सम्बन्धित मामलों में ऐसी नियमावली से शासित होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू हो।

सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा

12- जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्निशमन तथा आपात सेवा में वृद्धि किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्र हेतु तथा ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह नियमावली के अनुसार उचित समझे, स्वयं सेवकों का नामांकन करके सहायक सेवा में वृद्धि कर सकती है।

अग्निशमन अधिकारी के निलम्बन का प्रभाव

13- किसी अग्निशमन अधिकारी में निहित शक्तियां, कृत्य तथा विशेषाधिकार तब तक निलम्बित रहेंगे जब तक ऐसा अग्निशमन अधिकारी निलम्बनाधीन रहेगा :

परन्तु यह कि ऐसे निलम्बन के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति उन्ही प्राधिकारियों के नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा, जिसके अधीन वह रहता, यदि वह निलम्बनाधीन न होता।

अध्याय–तीन

अग्निशमन तथा आपातकालीन सहयोग

पुकारे जाने पर सहयोग

14-राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, नियमावली में विहित मानक संचालनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार समस्त अग्निशमन तथा आपात से सम्बंधित पुकारों के लिए सहयोग करेगा। किन्हीं अन्य आपातों से सम्बंधित पुकारों को भी आदेश द्वारा तथा नियमावली के अनुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

कार्मिक और उपस्करों का पैमाना

15-निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट किसी अग्नि दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान तात्कालिक कर्तव्यों के निमित्त अग्निशमन तथा आपात सेवा संसाधनों, उपस्करों तथा अग्निशमन कर्मियों को अभिनियोजित करना होगा।

संचालनात्मक प्रबंधन

16-निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को कर्मचारिवृंद के नियोजन, आयोजन तथा अभियोजन का विवरण उपलब्ध कराना होगा और नियमावली के अनुसार नियमित स्थलीय अनुश्रवण सुनिश्चित करना होगा।

अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शक्तियाँ

17-किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई भी सदस्य, जो मौके पर अग्निशमन प्रचालनों का प्रभारी हो,–

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को हटा सकता है, या उसे हटाने के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अन्य सदस्य को आदेश दे सकता है जो अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति को बचाने हेतु कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता हो या उसमें व्यवधान डालता हो;

(ख) ऐसे किसी सड़क या मार्ग को बंद कर सकता है जिस पर या जिसके निकट अग्नि बुझाई जा रही हो और/या बचाव कार्य प्रगति पर हो;

(ग) अग्नि बुझाने और बचाव कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ तथा अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ यथा सम्भव कम से कम क्षति पहुँचाते हुए हौज या उपकरण मार्ग बनाने हेतु किसी परिसर या उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है या उन्हे गिरवा सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे/किसी परिसर के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को हुई क्षति की सीमा तक युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान नियमावली में यथा विहित रीति से किया जायेगा;

(घ) क्षेत्र के जलापूर्ति प्रभारी प्राधिकारी से मुख्य जल स्रोतों को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि अग्नि लगने वाले स्थान पर विनिर्दिष्ट दबाव के साथ जलापूर्ति की जा सके और ऐसी अग्नि को बुझाने या फैलने से रोकने तथा बचाव कार्य संचालनों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ किसी झरना, सिस्टर्न, कुआँ या तालाब अथवा सार्वजनिक या निजी उपलब्ध किसी जल स्रोत से जल का उपयोग कर सकता है;

(ङ) अग्नि कार्य संचालनों में संभाव्य रूप में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति-समूह को तितर-बितर करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानों वह किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी हो और मानो ऐसी भीड़ अविधिमान्य भीड़ हो और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के संदर्भ में ऐसे अधिकारी के रूप में उसी प्रतिरक्षा तथा संरक्षण हेतु हकदार होगा;

(च) अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में लगे अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मियों के लिए जानबूझ कर व्यवधान डालने तथा बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और समय, दिनांक तथा गिरफ्तारी का कारण उल्लिखित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी सहित अविलम्ब उसे किसी पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाना पर सौंप सकता है;

(छ) किसी क्षेत्र में लगने वाली आग से निपटने के प्रयोजनार्थ यथाविहित निबंधनों पर सुनिश्चित करने हेतु अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ दोनों कर्मियों या उपकरणों को नियोजित तथा अनुरक्षित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकता है;

(ज) अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का संरक्षण या दोनों करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

अध्याय–चार

जल आपूर्ति

आपात के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति

18- अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों के दौरान और अपेक्षित अवसरों पर ऐसे क्षेत्र में किसी जल स्रोत, जिसे वह आवश्यक समझे, से जल निकालना निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन कार्य संचालनों के अग्निशमन अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा और प्राधिकारी या स्वामी या ऐसे जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले अध्यासी को उस प्रयोजनार्थ यथा विहित दरों पर जल आपूर्ति करनी होगी।

जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का कर्तव्य

19- निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा याअग्निशमन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नि की समस्त युक्तियुक्त स्थिति में नियमावली के अनुसार उपयोग हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध होगी, समस्त युक्तियुक्त उपाय करने होंगे।

जल आपूर्ति के लिए करार करने की शक्ति

20-निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी नियमावली में विहित तृतीय पक्षकार को संदाय करने हेतु प्रक्रियाओं तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जलापूर्ति की मांग और जल की आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिये किसी अभिकरण के साथ करार कर सकता है।

जल आपूर्ति बाधित होने पर किसी प्रतिकार का न होना

21-किसी क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रभारी प्राधिकारी धारा 17 के खण्ड (घ) के अनुपालन में हुए किसी प्रकार की जल आपूर्ति व्यवधान के कारण क्षति हेतु प्रतिकर के लिए कोई दावा करने का दायी नहीं होगा।

जल का प्रतिकर

22-अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों में उपभोग किये गये जल हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रभार ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अध्याय–पाँच

अग्नि तथा आपात रोकथाम हेतु सामान्य उपाय और जीवन सुरक्षा के उपाय

रोकथाम संबंधी उपाय

23-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के प्रयुक्त परिसरों या किसी श्रेणी के परिसरों, जिनसे उसकी राय में अग्नि का खतरा होना सम्भाव्य हो, के स्वामी या अध्यासी से ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) जहां ऐसी अधिसूचना जारी की गयी हो वहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अग्नि लगने की सम्भावित खतरों वाली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और ऐसा करने के लिए स्वामी या अध्यासी के विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अध्यासी को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकता है, निरूद्ध कर सकता है या हटा सकता है।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की अग्निशमन तथा आपात प्रबंधन योजनायें, संबन्धित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

पंडालों में अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का स्व विनियामक होना

24- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 23 के अधीन विहित अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपाय करने हेतु पण्डाल परिनिर्मित किया जाना स्व विनियमक समझा जायेगा ।

(2) पंडाल परिनिर्माणकर्ता को पंडाल के प्रमुख स्थान पर विहित प्रपत्र में और अपने हस्ताक्षर से इस आशय की घोषणा प्रदर्शित करनी होगी कि उसने उसमें राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समस्त विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को ग्रहण किया है।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपधारा (2) के अधीन परिनिर्माणकर्ता द्वारा कृत घोषणा की सत्यता को सत्यापित करने और विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के निदेश के साथ त्रुटियाँ, यदि कोई हों, इंगित करने की दृष्टि से पण्डाल में प्रवेश करे और निरीक्षण करे। यदि इस प्रकार दिये गये समय के भीतर निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निदेशों का अनुपालन नही किया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी उक्त पण्डाल को सीलबंद कर देगा।

(4) किसी पण्डाल परिनिर्माणकर्ता, जो यह मिथ्या घोषणा करता है कि उसने पण्डाल में विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है, को इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

अग्नि लगने के सम्भावित खतरा वाले या अग्नि बुझाने में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों का हटाया जाना

25-(1) जहाँ धारा 23 तथा धारा 24 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो वहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिये यह विधिमान्य होगा कि वह अतिक्रमणों या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या अग्नि बुझाने में किसी प्रकार के व्यवधान को किसी सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिये निदेश दे और यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को ऐसा करने में विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी ,यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त मामले का न्याय निर्णयन करने का अनुरोध करते हुए उक्त मामले की रिपोर्ट उस उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में परिसर या भवन या पंडाल स्थित हो:

परन्तु यह कि जहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को अग्नि लगने का आसन्न खतरा या अग्नि बुझाने हेतु व्यवधान मानता हो वहाँ वह ऐसे परिसर या भवन के स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को अतिक्रमण या वस्तुओं या सामानों को तत्काल हटाने के लिये निदेश दे सकता है और तदनुसार उक्त मामले की रिपार्ट उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट ऐसी रीति, जैसा कि वह उचित समझे, से तामील की गयी नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या सामानों या अग्नि बुझाने में व्यवधान को हटाये जाने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उप जिला मजिस्ट्रेट विहित नियमावली के अनुसार ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने का आदेश दे सकता है।

(4) उपधारा (3) में कृत आदेश के निष्पादन हेतु प्रभारित व्यक्ति तत्काल उन वस्तुओं तथा सामानों की सूची उसी समय तैयार करेगा जिन्हें वह ऐसे आदेश से जब्त करेगा और जब्ती के समय उक्त वस्तुओं के कब्जाधीन व्यक्ति को इस निमित्त विहित रीति से एक लिखित नोटिस देगा कि उसमें उल्लिखित उक्त वस्तुओं या सामानों का विक्रय कर दिया जायेगा, यदि उन वस्तुओं का दावा उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गयी नोटिस के अनुसरण में जब्त की गयी वस्तुओं का दावा करने में ऐसे व्यक्ति, जिसके कब्जाधीन उक्त वस्तुएं व सामान कब्जा के समय थे, के विफल होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार सार्वजनिक निलामी द्वारा उन वस्तुओं को विक्रीत कर देगा।

अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का स्वामी या अध्यासियों का उत्तरदायित्व

26-(1) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता पृथक-पृथक वास्तविक प्राधिकरणों की उपविधियों, किसी अन्य विधि या उपविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमावली द्वारा वर्गीकृत भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी या अध्यासी,जो वैयक्तिक या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हों, को उसमें अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपायों का उपबंध करना होगा :

परन्तु यह कि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को,—

(एक) उपविधियों में यथा उपबंधित न्यूनतम अग्नि बुझाने और जीवन सुरक्षा प्रतिष्ठापनों का उपबंध करना होगा;

(दो) अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट रीति और विशिष्टताओं के अनुसार सदैव सक्रिय स्थिति में अनुरक्षित रखना होगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यासन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सशक्त कोई प्राधिकारी उक्त प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्वामी या अध्यासी ने वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से इस धारा की उपधारा(1) में दिये गए उपबंध का अनुपालन कर लिया है।

(3) सानू विद्यमान भवन उप विधियों और राज्य द्वारा उपविधियों के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित भवनों को अग्निशमन तथा आपात सेवा से "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना होगा,—

(एक) 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले भवन;

(दो) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 में यथा परिभाषित विशेष भवन यथा शैक्षिक, संस्थागत सभागत, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण संबंधी तथा खतरनाक भवन,—

(तीन) 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले पूर्वोक्त किसी अध्यासन के साथ मिश्रित अध्यासन।

(4) उपधारा (3) के अधीन भवन स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बहुमंजिले या विशिष्ट भवनों में विहित नियमावली के अनुसार अग्नि रोकथाम या उसे बुझाने हेतु अग्नि रोकथाम, अग्निशमन तथा जीवन सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा तंत्र लगाया जाय ;

(5) यथास्थित स्वामी या अध्यासी को अग्निशमन अधिकारी का इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा तद्धीन यथा अपेक्षित अपने भवन या उसके आंशिक भाग में अग्निरोकथाम, अग्निशमन तथा जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के संबंध में किसी अर्ह अभिकरण द्वारा जारी विहित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस धारा की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अच्छे मरम्मत युक्त तथा पर्याप्त स्थिति में अग्निरोकथाम तंत्र के अनुरक्षण के सम्बन्ध में वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई माह में विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी को भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(6) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट अर्ह अभिकर्ताओं से भिन्न व्यक्ति, अग्निरोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का कार्य नहीं करेगा अथवा किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में करने हेतु अपेक्षित ऐसे अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों का निष्पादन नहीं करेगा।

अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

27-(1) अग्निशमन अधिकारी को यथास्थिति स्वामियों या अध्यासियों या आवेदकों द्वारा स्वतन्त्र रुप से या संयुक्त रुप से कृत धारा 26 की अपेक्षाओं के संबंध में अनुपालनों की समीक्षा करनी होगी और आवश्यक जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन आवेदन करने के एक माह के भीतर अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना होगा कि समस्त आवश्यक दस्तावेज, अभिकल्प, मानचित्र तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि स्वामी, अध्यासी या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) यदि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी, अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन जारी अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र, स्वामी या अध्यासी को कारण बताओ की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा।

(3) भवन या परिसर का स्वामी या अध्यासी, जिसका अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र उसकी ओर से कृत त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया हो, इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किये जाने के आधार पर भवन या परिसर में अध्यासित होने का हकदार नही होगा।

(4) कोई व्यक्ति ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग में स्थापित किसी अग्नि रोकथाम तथा सुरक्षा उपकरण से छेड़ छाड़ नही करेगा, उसमें परिवर्तन नही करेगा, उसे नही हटाएगा या उसे क्षतिग्रस्त नही करेगा या उसका नुकसान नही करेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने हेतु दुष्प्रेरित नही करेगा।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति तथा कृत्य

28-(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कारखाना या भवन या परिसर के प्रभावी अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्वामी और अध्यासी या अध्यासीगण को यथास्थिति वैयक्तिक या संयुक्त रुप में,–

(एक) यथा विहित अर्हताओं वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ;

(दो) अग्निशमन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी ।

(2) उपधारा(1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी को विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहरबंद नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी पद की, त्याग-पत्र के आधार पर या अन्यथा रुप में, रिक्ति होने की स्थिति में स्वामी या अध्यासी या अध्यासीगण से यथास्थिति वैयक्तिक रुप से या संयुक्त रुप से तत्काल अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) उपधारा(1) में यथा उल्लिखित अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में अग्निशमन अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे जिसके अन्तर्गत कारखाना बंद करने हेतु क्षमायुक्त को और अन्य मामले में सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु सुसंगत प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाना सम्मिलित है।

(5) अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसाकि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय :

परन्तु यह कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्ति से अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

निरीक्षण की शक्ति

29-(1) अग्निशमन अधिकारी, अध्यासी को या यदि कोई अध्यासी न हो तो किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी को तीन घण्टे की नोटिस देने के पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय ऐसे स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में प्रवेश अथवा निरीक्षण कर सकता है, जहाँ अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उल्लंघन को अभिनिश्चित करने हेतु ऐसा निरीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु यह कि अग्निशमन अधिकारी ऐसे किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है, यदि ऐसे स्थान, भवन या उसके आंशिक भाग पर कोई क्रियाशील हो या कोई मनोरंजन चल रहा हो अथवा यदि उसे जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो।

(2) अग्निशमन अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने हेतु उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वामी या अध्यासी या कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सशक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश के लिए व्यवधान नहीं डालेगा या व्यवधान नहीं डालने देगा अथवा निरीक्षणार्थ इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा।

(4) जब मानव निवास हेतु प्रयुक्त उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में उपधारा (3) के अधीन प्रवेश किया जाय तब अध्यासियों के सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं के लिए सम्यक सम्मान प्रदान किया जायेगा और उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसी महिला, जो सार्वजनिक रुप से प्रकट न होती हो, के किसी फ्लैट, अपार्टमेंट या ऐसे भवन के आंशिक भाग में प्रवेश करने से पूर्व उसे नोटिस प्रदान की जायेगी कि वह वहां से निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे निकलने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा प्रदान की जायेगी।

(5) जहाँ इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन निरीक्षण, अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जाये, वहां उसे सम्बन्धित वास्तविक प्राधिकारी को ऐसे किसी निरीक्षण की रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।

(6) अग्निशमन अधिकारी को इस धारा के अधीन उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् उक्त भवन की ऊंचाई या उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में की जाने वाली क्रिया-कलापों की प्रकृति के सन्दर्भ में उनमें उपबन्धित की जाने वाली अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों अथवा ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या उनका अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित अपेक्षाओं से विचलन या उनका उल्लंघन किये जाने पर अपना दृष्टिकोण अभिलिखित करना होगा और ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग को स्वामी या अध्यासी को एक नोटिस, उसमें यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत उपायों को ग्रहण करने हेतु उसे निर्देशित करते हुए, जारी करना होगा।

अग्नि लगने की सूचना

30-अग्नि लगने से सम्बन्धित कोई सूचना धारण करने वाले किसी व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम अग्निशमन केन्द्र पर तत्सम्बन्ध में सूचना देनी होगी।

अध्याय-छः
अपराध और शास्तियाँ

अध्याय-चार(अग्नि सावधियों) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ

31- जो कोई अध्याय-चार के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की गयी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास, जो छः माह तक हो सकता है, से या ऐसा जुर्माना, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनो से दण्डनीय होगा और जहाँ अपराध जारी रहेगा वहां एक अग्रतर जुर्माना, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम अपराध के पश्चात् प्रतिदिन तीन हजार रुपये तक हो सकता है , के साथ दण्डनीय होगा।

कर्तव्य उल्लंघन के लिए शास्ति

32- ऐसी किसी कार्यवाही, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकती है, के होते हुए भी, अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई सदस्य, जो,--

(एक) कर्तव्य के किसी उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का जानबूझ कर उल्लंघन करने का दोषी पाया जावेगा; या

(दो) कायरता का दोषी पाया जावेगा; या

(तीन) पन्द्रह दिनों या उससे अधिक के लिए अनुज्ञा या पूर्व सूचना दिए बिना अपने कार्यालय के कर्तव्यों से प्रत्याहृत रहेगा या प्रविरत रहेगा; या

(चार) अवकाश पर अनुपस्थित होने के कारण युक्तियुक्त कारण के बिना उक्त अवकाश की समाप्ति पर स्वयं ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने में विफल रहेगा; या

(पाँच) कोई अन्य नियोजन या पद ग्रहण करेगा या उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन कर कारोबार में स्वयं को अभिनियोजित करेगा;

ऐसे कारावास, जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना, जो तीन माह के वेतन से अनधिक धनराशि तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में शास्ति

33-(1) यदि किसी भवन या परिसर का कोई स्वामी या अध्यासी या ऐसे स्वामियों और अध्यासियों का संघ, धारा 28 के अधीन अग्निसुरक्षा अधिकारियों की इस निमित्त यथास्थिति निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त रुप से और पृथक-पृथक दोषी माना जायेगा।

(2) जब ऐसे अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषी माना जाए तब निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा अवधारित परिसर स्थित सामान्य क्षेत्रों सहित उसके द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अध्यासन प्राप्त कुल निर्मित क्षेत्र के अन्यून दस रुपये प्रति वर्ग मीटर और अनधिक पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर की धनराशि, उसमें प्रत्येक माह की त्रुटि या उसके आंशिक भाग के लिए शास्ति के माध्यम से वसूल की जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जुर्माना स्वरुप धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रुप में की जाएगी।

प्रतिकर का संदाय करने के लिए संपत्ति स्वामी का दायित्व

34-(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति में, उसकी स्वयं की या उसके अभिकर्ता की जानबूझकर या लापरवाही पूर्ण कृत कार्यवाही के कारण अग्नि लग जाती है, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन उसमें उल्लिखित किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण अपनी सम्पत्ति की क्षति के भुक्तभोगी किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन समस्त दावे, क्षति होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करेगा और ऐसी धनराशि तथा तद् निमित्त उत्तरदायी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा, और इस प्रकार पारित आदेश में धारा 45 में यथा उल्लिखित तीस दिनों के भीतर किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रवर्तन निहित होगा।

सूचना देने में विफलता

35-ऐसे किसी व्यक्ति, जो पर्याप्त औचित्य के बिना, अग्नि लगने के संबंध में अपने पास स्थित सूचना संसूचित करने में विफल रहता है, को भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ माना जाएगा।

सावधानी बरतने में विफलता

36-जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा या उक्त धारा के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है, वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, प्रतिदिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में जानबूझकर व्यवधान डालने के लिए शास्ति

37-ऐसा कोई व्यक्ति, जो अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य, जो अग्नि बुझाने संबंधी कार्य संचालनों में अभी नियोजित हो, के लिए जानबूझकर व्यवधान डालता हो या बाधा उत्पन्न करता हो, ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय होगा।

मिथ्या रिपोर्ट

38-ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर किसी कथन, संदेश या अन्यथा के माध्यम से अग्नि लगने की मिथ्या रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान करता है या प्रदान करवाता है, ऐसे कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है से या, दोनों से दंडनीय होगा।

अपराध हेतु शेष के सामान्य उपबंध

39-जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपने विरुद्ध कृत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसे अग्रसर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

40-(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी रहा हो या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, साथ ही साथ कंपनी भी, अपराध के दोषी माने जाएंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने तथा तदनुसार दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दंड के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किए जाने से रोकने के लिए समस्त सम्यक परिश्रम किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि उक्त अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या यह उसकी ओर से कृत किसी उपेक्षा के फलस्वरुप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने का दायी होगा ;

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) 'कंपनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम सम्मिलित है; और

(दो) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है।

अपराधों का प्रशमन किया जाना

41- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् कृत किसी अपराध, जो इस अधिनियम की धारा 36, 37, 38, 39, या तद्धीन बनायी गई किसी नियमावली के अधीन दंडनीय हो, का प्रशमन, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारियों द्वारा ऐसी धनराशि के स्थान पर जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकता है :

परंतु यह कि ऐसा कोई अपराध प्रशमनीय नहीं होगा, जो राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से जारी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण किया गया हो और जब तक उसका अनुपालन न किया गया हो, जहां तक अनुपालन संभव हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहां यदि अपराधी अभिरक्षा में हो तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अग्रतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

सद्भावपूर्वक कृत कार्रवाई का संरक्षण

42-इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गई किसी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अभियोजन का संस्थान

43- कोई न्यायालय, निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत या उससे प्राप्त सूचना के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

अधिकारिता

44-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करेगा।

अध्याय-सात

अपीलें

अपीलें

45-(1) इस अधिनियम के अधीन जारी या कृत उप जिला मजिस्ट्रेट या अग्निशमन अधिकारी या निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी नोटिस या आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपीलीय अधिकारी को नोटिस या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :

परंतु यह कि अपीलीय अधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) अपीलीय प्राधिकारी को अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ विरोध में की गयी अपील की नोटिस या आदेश की प्रति और इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होंगे।

(3) किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा।

अध्याय–आठ

प्रशिक्षण

अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

46- (1) राज्य सरकार राज्य में अग्नि रोकथाम तथा शमन संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रमों का उपबंध करने के लिए एक या उससे अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है और ऐसे किसी केंद्र को बंद या पुनः स्थापित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन स्थापित की जाने वाली अकादमी में स्थानीय निकायों और औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रणाधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए और साथ ही साथ यथाविहित प्रभारों का संदाय किए जाने पर अन्य राज्यों के राजकीय अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार कर सकती है।

(3) राज्य सरकार अग्नि रोकथाम और उसे बुझाने संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रम का उपबंध करने के लिए ऐसी फीस और ऐसी प्रक्रिया विहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

(4) शिक्षण के संबंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू सामान्य नियमों के अनुपालन के अध्यधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के निमित्त राज्य सरकार के लागत और व्यय पर भारत के भीतर और बाहर किसी संस्थान में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की वैज्ञानिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में और अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

सामुदायिक तैयारी

47-(1) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन तथा अन्य आपात स्थितियों में रोकथाम संबंधी उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा ।

(2) अग्निशमन तथा आपात सेवा के नियमों के अनुसार अग्नि रोकथाम से संबंधित मामलों में समुदायों को सहायता और परामर्श प्रदान करेगी।

अध्याय–नौ

अग्निशमन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण

48-(1) ऐसी किन्हीं भूमियों तथा भवनों पर अग्निशमन कर उद्गृहीत किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त वाले क्षेत्रों में स्थित हो, जिन पर संपत्ति कर जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए उस क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत किया जाता है।

(2) अग्निशमन कर, संपत्ति-कर पर अधिकार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में ऐसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अवधारित करे।

(3) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन लोक प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रणाधीन या कब्जाधीन किसी भवन पर कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

अग्निशमन कर के निर्धारण, संग्रहण आदि की रीति

49-(1) संपत्तिकर संदाय का निर्धारण करने, संग्रहण करने और प्रवर्तन करने के लिए सशक्त प्राधिकारी राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम के अध्यधीन बनाई गयी, किसी नियमावली के अधीन ऐसा कर उद्गृहीत करने हेतु क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को प्राधिकृत करने वाले विधि के अधीन कर संदाय का निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन उसी रीति से करेंगे, जैसा कि संपत्ति कर का निर्धारण, संदाय और संग्रहण किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ वह पूर्वोक्त विधि के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और विवरणी, अपील, समीक्षा, संदर्भ और शास्तिओं से संबंधित उपबन्धों सहित ऐसी विधि के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

(2) अग्निशमन कर के कुल आगमों के ऐसे भाग, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, की कटौती अग्निशमन कर संग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत अग्निशमन कर के आगमो का संदाय, उनमें संग्रहण लागत से कटौती करके राज्य सरकार को ऐसी रीति से और ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा को अभिनियोजित किए जाने पर फीस

50-(1) जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर ऐसी सीमाओं के निकट अग्नि बुझाने के उद्देश्य से भेजे जाएं, वहां राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विहित किया जाए ;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा मांग की नोटिस तामील किए जाने के एक माह के भीतर संदेय होगी और यदि उक्त अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

देयों की वसूली

51- इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि की वसूली, भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

अध्याय–दस

अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि

निधि का गठन

52-(1) "अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि " के रूप में ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीस, कर और शास्तियों (जुर्माने से भिन्न) के आगमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक रूप से कृत विनियोजन से तथा तद्धीन संग्रहण और वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन गठित निधि में प्रविष्ट कर अन्तरित कर दिया जाएगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निधि में अन्तरित कोई धनराशि राज्य की संचित निधि से वसूल की जाएगी।

(4) निधि की धनराशि का व्यय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित हो।

(5) निधि को संबंधित प्राधिकरण के आय-व्यय के प्राक्कलन में दर्शाया जाएगा और तत्सम्बंधी खातों का अनुरक्षण तथा लेखा-परीक्षण सुसंगत विधि या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और आदेशों, जो संबंधित प्राधिकरण के लिए लागू हों, पर खातों को अनुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त निधि का उपयोग नियमावली में यथाविहित सामुदायिक तैयारी, अवसंरचना प्रशिक्षण और अग्निशमन उपकरणों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा।

अध्याय–ग्यारह

प्रकीर्ण

अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्था

53-महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोक हित में पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या तद्धीन उपबंधित निबंधनों पर अग्निशमन के प्रयोजनार्थ कार्मिकों या उपस्करों या दोनो का उपबंध करने के लिए ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा या प्राधिकरण, जो उक्त अग्निशमन तथा आपात सेवा को अनुरक्षित करता हो, के साथ करार कर सकता है।

अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा के रूप में घोषणा

54-किसी विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा घोषित कर सकती है।

अन्य क्षेत्र में अधिनियोजन

55-महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, किसी निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त न हो, में अग्नि या अन्य आपात अवसर पर ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र में अग्निशमन सम्बंधी कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों सहित अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को भेजने का आदेश दे सकता है और तदोपरान्त इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंध, समय-समय पर यथाविहित प्रभारों के आधार पर अग्नि सम्बंधी आपात के दौरान या ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि निदेशक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

अन्य कर्तव्यों पर नियोजन

56-राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी बचाव, उद्धारण या अन्य कार्यों, जिस निमित्त वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करों के कारण उपयुक्त हो, में अग्निशमन तथा आपात सेवा को नियोजित करे।

सूचना प्राप्त करने की शक्ति

57-महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों से इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति की प्रकृति, उपलब्ध जलापूर्तियों, उनके प्रति पहुँच के साधनों और किन्ही अन्य सारभूत विवरणों के सम्बंध में सूचना प्रदान करने हेतु भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकते हैं और ऐसे स्वामी या अध्यासी को सम्पूर्ण सूचना अपने पास रखनी होगी।

भवनों या परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति

58-(1) जहाँ धारा 29 के अधीन अग्निशमन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या स्व-प्रेरणा से महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह प्रतीत होता हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है वहाँ वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अध्यासन में ऐसा भवन या परिसर हो, ऐसे भवन या परिसर से तत्काल हट जाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता वाले किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को भवन या परिसर से हटाने के लिये निदेश दे सकता है और ऐसे अधिकारी को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(3) यथास्थिति उपधारा(1) या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात् महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, भवन या परिसर को सील बंद कर देगा।

(4) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश के सिवाय कोई व्यक्ति उक्त सील को नहीं हटाएगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाओं द्वारा कृत आदेश के अधीन के सिवाय ऐसी मुहर को हटाता है, ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डनीय होगा।

सहायता हेतु पुलिस अधिकारी और अन्य कार्मिक

59-आग बुझाने सम्बंधी कार्य संचालनों या अग्नि के जोखिम से अर्न्तग्रस्त किसी सामान को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने से संबंधित किन्हीं अन्य कर्तव्यों में पुलिस अधिकारी या पुलिसबल एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करने में निदेशक या ऐसे अग्निशमन अधिकारी की सहायता करें।

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन तथा आपात सेवा को इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन एवं आपात सेवा माना जाना

60-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,--

(एक) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन एवं आपात सेवा (जिसे इस धारा में आगे विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा गया है) इस प्रकार प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन तथा आपात सेवा समझी जाएगी और पद धारण करने वाले विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रत्येक सदस्य को पद धारण करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया तथा पद धारण करने वाला समझा जाएगा।

(दो) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियाँ, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त माने गये पद धारक की हैसियत से उसके समक्ष लम्बित कार्यवाहियाँ मानी जायेंगी और उन कार्यवाहियों को तद्नुसार व्यवहृत किया जायेगा।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य की मृत्यु

61-अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य (राजपत्रित अधिकारी से भिन्न) की कर्तव्यरत रहने के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, राज्य सरकार दाह संस्कार के व्यय स्वरूप सगे नातेदार को समुचित धनराशि या ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे, का भुगतान करेगी।

अधिकारियों का लोक सेवक होना

62-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत अग्निशमन तथा आपात सेवा का प्रत्येक कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

विवरणी, रिपोर्ट, कथन आदि की मांग

63-राज्य सरकार महानिदेशक, निदेशक, अग्निशमन अधिकारियों एवं कार्य संचालनात्मक कर्मचारियों और अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारिवृंद से अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनुरक्षण तथा कर्तव्य निष्पादन से सम्बंधित किसी विषय पर विवरणी, रिपोर्ट तथा कथनों की मांग कर सकता है और उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

64-(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकते हैं:—

(क) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन व भत्ते और सेवा की अन्य समस्त शर्तें ;

(ख) अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं का गठन ;

(ग) नियुक्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र और अग्निशमन अधिकारी जिसकी मुहर के अधीन ऐसा नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ;

(घ) अग्निशमन कर के संदाय के निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन की रीति ;

(ङ) ऐसी रीति, जिसमें संगृहीत अग्निशमन कर का संदाय राज्य सरकार को किया जाएगा ;

(च) अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिए राज्य निबंधनों की सीमाओं के बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा के अभिनियोजन पर फीस ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय, घोषणापत्र, अपील, नोटिस और फीस के न्यूनतम मानक ;

(ज) अग्निशमन तथा आपात सेवा अकादमी पर अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुल्क ;

(झ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारी और अपराधों के प्रशमन के लिए धनराशि ;

(ञ) अग्निशमन तथा आपात सेवा को ऐसें उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना जैसा कि वह उचित समझे ;

(ट) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति कि यह उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा;

(ठ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों और उनके अग्निशमन उपकरणों को समायोजित करने के लिए अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण करना या उनका उपबंध करना या स्थानों को किराये पर लेना ;

(ड) आग लगने की सूचना दे चुके और आग लगने के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु प्रभावी सेवा प्रदान कर चुके व्यक्तियों को पुरस्कार देना;

(ढ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सदाचरण ;

(ण) आग लगने की किसी चेतावनी के अवसर पर आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों के साथ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शीघ्र उपस्थिति सुनिश्चित कराना ;

(त) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को विनियमित और नियंत्रित करना ;

(थ) सामान्यतः अग्नि तथा आपात सेवा के अनुरक्षण के लिए यथोचित दक्षता की स्थिति बनाये रखना;

(द) पंडालों और अस्थाई संरचना की स्थापना को विनियमित करना ;

(ध) अग्निशमन अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखना ;

(न) अग्निशमन का विवरण और उसकी गुणवत्ता एवं अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों सहित बचाव उपस्कर, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अवधारित करना ;

(प) नीतिवत प्रशासन से सम्बंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा निधि का संस्थापन, प्रबंधन और विनियमन ;

(फ) समस्त रैंक और ग्रेड के अग्निशमन अधिकारियों के लिये कर्तव्य समनुदेशित करना और ऐसी रीति विहित करना जिसमें और ऐसी शर्तें विहित करना जिसके अध्यधीन वे अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे;

(ब) सामान्यतः अग्निशमन तथा आपात सेवा दक्षता पूर्वक करने और उनके कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा को रोकने के प्रयोजन के लिए;

(भ) न्यूनतम अर्हता, वास्तविक ज्ञान और अर्ह अभिकरण का अनुभव ; तथा

(म) कोई अन्य मामला जो नियमावली द्वारा अपेक्षित हो या उपबंधित किया जा सकता है।

शक्तियों का प्रतिनिधायन

65-(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, के अध्यधीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

(2) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन आदेश में यथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन उसे प्रदत किसी शक्ति का प्रयोग और उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का निष्पादन भी आदेश में विनिर्दिष्ट अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति

66-(1) यू0पी0 अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 2016, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु यह कि ऐसे निरसन को किसी स्थानीय प्राधिकरण के सामान्य उत्तरदायित्व को निम्नलिखित के लिए सीमित करना, उपांतरित करना या अल्प करना नहीं समझा जायेगा-

(एक) अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ ऐसी जलापूर्ति तथा अग्नि हाइड्रेंट्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाए, का उपबंध करना और उन्हें अनुरक्षित रखना ;

(दो) खतरनाक व्यापारों का विनियमन करने हेतु उपविधियां बनाना ;

(तीन) अपने किसी कर्मचारी को अग्नि बुझाने में सहायता करने हेतु आदेश देना, जब अग्निशमन सेवा के किसी सदस्य से ऐसा करने के लिए युक्ति युक्त पूर्वक अपेक्षा की जाए; और

(चार) सामान्यतः ऐसे उपाय करना ,जिनसे अग्नि लगने की संभावना कम हो या अग्नि के फैलाव को रोका जा सके।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों, अध्यादेश एवं नियमावली के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

कठिनाइयों दूर करने की शक्ति

67-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने हेतु उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना

68-(1) जहाँ तक अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा से संबंधित उपबंधों का संबंध है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित कोई बात की जानी या अनुमोदित की जानी अपेक्षित हो तब ऐसी कोई बात, केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य रूप से कृत या अनुमोदित की गयी नहीं समझी जाएगी कि तदनिमित्त ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा, स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी तथ्य से असंबद्ध किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंध प्रभावी होंगे।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रवर्तन वाले किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में ऊपर यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित बात के अतिरिक्त और उसके सिवाय नहीं होंगे।

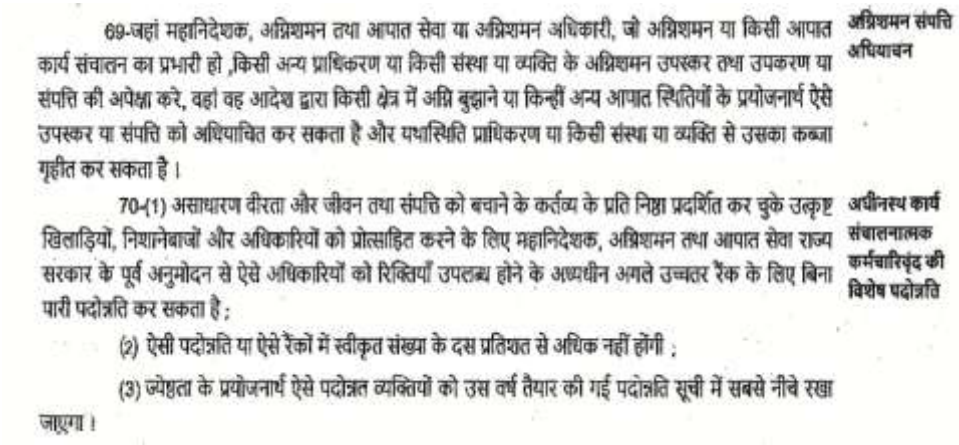

अग्निशमन संपत्ति अधियाचन

69-जहां महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी, जो अग्निशमन या किसी आपात कार्य संचालन का प्रभारी हो ,किसी अन्य प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन उपस्कर तथा उपकरण या संपत्ति की अपेक्षा करे, वहां वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में अग्नि बुझाने या किन्हीं अन्य आपात स्थितियों के प्रयोजनार्थ ऐसे उपस्कर या संपत्ति को अधियाचित कर सकता है और यथास्थिति प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति से उसका कब्जा गृहीत कर सकता है।

अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारिवृंद की विशेष पदोन्नति

70-(1) असाधारण वीरता और जीवन तथा संपत्ति को बचाने के कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित कर चुके उत्कृष्ट खिलाड़ियों, निशानेबाजों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों को रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अध्यधीन अगले उच्चतर रैंक के लिए बिना पारी पदोन्नति कर सकता है;

(2) ऐसी पदोन्नति या ऐसे रैंकों में स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी ;

(3) ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों को उस वर्ष तैयार की गई पदोन्नति सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-70 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय। इसमें जो 36 विधेयक आज के समय पर अनुपयोगी हो गये हैं, उनका निरसन कर रहे हैं, कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं। आपसे ले कुछ नहीं रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

आपने यह कैसे तय कर लिया कि ये अनुपयोगी हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

लॉ कमीशन की रिपोर्ट कब आई है ? लॉ कमीशन के चेयरमैन का चुनाव तो अभी ही हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उसकी रिपोर्ट काफी दिन पहले ही आ गयी थी। मान्यवर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही यह विधेयक लाया गया है और मैं समझता हूँ कि इन्हें उपयुक्त समझा गया, इसलिये ये विधेयक लाया गया है। मान्यवर, राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं उद्योगों के लिए कारोबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा वैधीकरण करने के उद्देश्य से वर्तमान में अनावश्यक एवं अप्रचलित हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2022 के राज्य विधान मण्डल के तृतीय सत्र में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है। मन्यवर, इसमें 36 विधेयक ऐसे हैं, कहिए पढ़ कर हम सुना दें।

श्री अध्यक्ष-

आप उसकी कापी इनको दे दीजियेगा। आपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताया है, उसका इसमें पार्ट नहीं था, लेकिन माननीय मंत्री जी आपको दे देंगे।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मैं पढ़ देता हूँ।

'इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे,

लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जांच या सत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जांच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियां इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।'

मान्यवर, जो निरसित किये जा रहे अधिनियम हैं, उसमें-

1-संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 1947)

2-उत्तर प्रदेशीय अपराध रोकने का (विशेषाधिकार) (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-31 सन् 1950)

3-उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27 सन् 1953)

4-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 1960)

5-उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन् 1961)

6-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4 सन् 1964)

मान्यवर, इस प्रकार के ये 36 विधेयक हैं जिन्हें आज-कल के हालात में अनुपयोगी और अनावश्यक समझा गया और इन्हें निरसित किये जाने का विधेयक लाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप संतुष्ट हो गये हों तो आगे बढ़ें।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी लॉ के भी काफी जानकार हैं और मुझे लगता है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट और जो यह अध्यादेश बना है, उसमें भी माननीय मंत्री जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि हम इसमें क्या-क्या लेकर आ रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें और थोड़ा-सा समय देना चाहिए। चूंकि संख्या-बल भी प्रवर समिति में आप डिसाइड करेंगे, उसमें संख्या-बल सत्ता पक्ष का ही रहेगा। मुझे लगता है और मेरा इसमें सुझाव है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको एक बार प्रवर समिति को दिया जाये और देख लिया जाये कि कहीं हम कोई ऐसे अधिनियम का निरसन तो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हो। कोई डिपार्टमेन्ट अगर उसको नहीं चाहता है कि हमारे लिये यह उपयोगी नहीं है, उसके प्रस्ताव पर अगर हमने उसकी बात स्वीकार कर ली, तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। चूंकि जो पहले से कानून बने हुए हैं, इतनी जल्दी यदि हम उनको अनुपयोगी साबित करके समाप्त कर देंगे, तो मेरी समझ से यह उचित नहीं होगा, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, लॉ कमीशन अपने आप में एक अधिकृत संस्था है और उस कमीशन में पूरी तरीके से सब चीजों को थ्रेसआउट किया जाता है। यह एक दिन की कार्यवाही नहीं है, इस पर तो महीनों विचार-विमर्श होता है, तब कहीं जा करके लॉ कमीशन किसी चीज को रिकमेण्डेशन करता है। वह जल्दी करता भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा परीक्षण करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया या तो इसका कोई सब्सीट्यूट आया कि जो वर्तमान में हमारे यहां इससे बेहतर प्रचलित है या इसको अनुपयोगी समझा गया, तभी लॉ कमीशन इस प्रकार की रिपोर्ट देता है कि वर्तमान समय में यह अनुपयोगी है, इसीलिए यह रिपोर्ट आयी और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार के ऊपर ही यह कैबिनेट से पास हुआ, इसीलिए मान्यवर, हम विधेयक के रूप में इसको लाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022

कतिपय अधिनियमितियों, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति

2--नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

3--इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,--

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा--परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा--परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	संयुक्त प्रान्त चिकित्सालय प्रान्तीयकरण अधिनियम,1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1947)
2	उत्तर प्रदेशीय अपराध रोकने का (विशेषाधिकार) (संशोधन) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1950)
3	उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1953)
4	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1960)
5	उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम,1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1961)
6	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1963 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1964)
7	उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966)

8	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1971)
9	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय–कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1972)
10	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय–कर की वसूली) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम,1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1974)
11	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय–कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1974)
12	उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 1975)
13	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1976)
14	उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1976)
15	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1976)
16	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1979)
17	उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1982)
18	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1985)
19	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1989)
20	उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003)
21	उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2003)
22	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2004)
23	उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2005)
24	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2006)
25	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2006)
26	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2006)
27	उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2007)
28	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2007)
29	छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2007)

30	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 2007)
31	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2008)
32	उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2008)
33	उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2009)
34	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010)
35	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2013)
36	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2020)।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-38 से लेकर 54 तक नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराया जाय।'

बिना कीटनाशक रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज आदि का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि बिना कीटनाशक रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज आदि का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाय।'

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाये।'

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सरायमोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सरायमोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का पुनर्निर्माण कराया जाय।'

जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री महेन्द्रनाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराया जाय।'

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट को यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने विषयक डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट को यथाशीघ्र पुनः चालू कराया जाय।'

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजूकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय।'

जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने विषयक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराया जाय।'

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेरा मन्दिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने विषयक श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेरा मन्दिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाय।'

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराये जाने विषयक श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराया जाय।'

जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाय।'

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं प्रदान कराये जाने विषयक डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदा कर्मी के रूप में विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं प्रदान की जायें।'

रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराया जाय।'

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत भंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराई जाय।'

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल किये जाने विषयक श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाई कर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल किया जाय।'

जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने विषयक श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।'

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

'यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराया जाय।'

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-55 से 86 तक जितनी भी मा0 सदस्यों के द्वारा आज याचिकाएं उपस्थित की गई हैं, वह सभी याचिकाएं उपस्थित हुई मानी जाएंगी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम शास्त्रीनगर में विस्तारित क्षेत्र माता मन्दिर के पास तक लगभग 70 मी0 रास्ते का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम मालागढ़ में महीपाल सैनी के घर से मास्टर हरगुलाल के घर तक लम्बाई लगभग 300 मी0 रास्ते का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन कुमार लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम मालागढ़ में नवीन शिव मन्दिर के पीछे से लक्षमण सैनी के घर तक लगभग 200 मी0 रास्ते का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम रमपुरा में जगपाल के घर से देवती के घर तक लगभग 130 मी0 रास्ते का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छत्तरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम रिझौड़ा में लाला ज्ञानचन्द के घर तक लगभग 370 मी0 रास्ते का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निबाड़ी खादर में ग्राम डेढ़मील से श्मशान घाट तक सड़क नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत तलवार-मौहम्मदपुर कलां-डिबाई लिंक मार्ग से ग्राम खैरपुर में पथवारी देवालय तक सड़क नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निबाड़ी खादर में जूनियर स्कूल निबाड़ी खादर से डेढ़मील-श्मशान घाट लिंक मार्ग तक सड़क नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कान्ती प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत डिबाई नगर में मोहल्ला महादेव बल्देव कालोनी में हनुमान से रंजना टॉकीज तक सड़क नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत तलवार-मौहम्मदपुर कलां-डिबाई लिंक मार्ग से ग्राम मौहम्मदपुर कलां में निहाल सिंह के मकान तक सड़क नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर के ग्राम इंदल का पुरवा मजरे रहवां में भानू सिंह के घर से पुलिया तक दूरी लगभग 600 मीटर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सतांव के ग्राम दुनियापत के पुरुवा में रमेश के घर से ग्राम महेशी के पुरवा तक दूरी लगभग 1.5 किमी0 तक इण्टरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-खीरों के सातनपुर से खानपुरा खपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज कुमार त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

4-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-हरचन्दपुर के ग्राम मुबारकपुर गांव से स्मृति पटेल कन्या महाविद्यालय मुबारकपुर तक दूरी लगभग 01.0 किमी0 तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-सतांव के ग्राम हुल्लापुर मजहरे लोहडा में बारात घर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार लोधी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका †

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की विधान सभा मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत क्रिश्चियन कॉलेज चौराहा से बलरामपुर अस्पताल होते हुए सी0एम0ओ0 आफिस होते हुए जिला कचहरी चौराहे से नारी निकेतन कालेज होते हुए बारादरी तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जुहैब व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती के ब्लाक साऊघाट के अन्तर्गत ग्राम कड़र खास में राम सुभाव के घर, दुकान से जमातुल्लाह के खेत के बगल तक की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अबादुल हक व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के पोस्ट वाल्टरंज के ग्राम पल्टनपुर में सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन विद्यालय के बीच से 11000 वोल्टेज की विद्युत सप्लाई की नंगे तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक राम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के पोस्ट गांधी नगर के ग्राम-भुअर निरंजनपुर में स्थित खराब विद्युत ट्रासंसफार्मर नं0-1 को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत ग्राम गौरा में मनोज तिवारी के घर से चैनपुर काली माता के स्थान तक सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद बस्ती के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र बस्ती के अन्तर्गत वार्ड नं0-9 विशुनपुरवा में आदर्श श्रीवास्तव के मकान से अहमद के खलिहान तक सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-मियांगंज के ग्राम पंचायत चकबरेसर के मजरा डालखेड़ा में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा राम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-सफीपुर के ग्राम बीजीमऊ के मजरा मिट्टूखेड़ा में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-सफीपुर के ग्राम बीजीमऊ के मजरा चम्पाखेड़ा में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-सफीपुर के ग्राम दौतियालपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-सफीपुर के ग्राम बीजीमऊ में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेचेलाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम तितला में चन्द्रभान गुप्ता के मकान से व्यापारी गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम पैकौली लाला में त्रिभुवन मिश्रा के घर से वंचरा जाने वाली पिच तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम कोटवा खागी टोला में महेन्द्र प्रजापति के घर से गंगा सिंह के घर तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम रामपुर बुजुर्ग में पेट्रोल टंकी से पूरब मिश्रौली तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम रामपुर सोहरौना में मनोहर की दुकान से बेलवा प्राथमिक विद्यालय तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं

श्री आशुतोष शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के तहसील सदर के विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के ग्राम सिकन्दरपुर में 5 एम0वी0ए0 एक्स-2 का पावर हाउस व विद्युत खण्डीय कार्यालय के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम शुक्ला, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2-जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के तहसील सदर, ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम-दूबेपुर में प्रा0पा0-दुबेपुर कम्पोजिट विद्यालय में बाउण्ड्री तथा कक्ष के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजित तिवारी, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम सरथल मार्ग, मढैया से ग्राम बेहटा सरथल मुरादीघर तक लगभग 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यूनुस निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम सरथल-बिलारी मार्ग से ग्राम मनकपुर तक लगभग 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमीम अहमद निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम नमैनी गद्दी मार्ग से ग्राम डोहरी-सैफपुर होते हुए पालनपुर तक लगभग 4 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलमान खान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मौ0 सादिकपुर मार्ग से ग्राम जरगांव तक लगभग 4 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के चन्दौसी-सम्भल मार्ग से ग्राम बेहटा सरथल तक लगभग 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हसनैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम एवं फैजुल्लागंज क्षेत्र में घरेलू सीवर कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम में अभिषेकपुरम पेयजल योजना को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर में एकेडमी हाई स्कूल मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित कपूरथला बाजार में पार्किंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के डालीगंज, सीतापुर रोड से पतौरागंज सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से तथा जनपद ललितपुर से सम्बन्धित एक-एक याचिका †

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के मोहल्ला सूर्य नगर, राजाजीपुरम् की जर्जर पड़ी सड़क एवं नाली की ढलान बराबर कराते हुए पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद ललितपुर के वार्ड नं0-14, मोहल्ला-गोविन्द नगर, रावतयाना की जर्जर पड़ी सड़क एवं नाली का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के मुडिया नदी बक्श रोड से ग्राम-सिमरा होते हुए ग्राम-ऐठपुरा तक मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम गुनाह जवाहर से ग्राम दईयाबोझ तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रियाज अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम खिरना-खिरनी की नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लीलाधर सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम-भैरपुरा व ग्राम मिन्तरपुर तक के मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शरीफ अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम-सितगरा से ग्राम गोटिया तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सफी अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद के ग्राम शेरनगर मजरा जिन्दौर के पश्चिम में हरदोई रोड से रामनगर गांव तक लम्बाई लगभग 300 मीटर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर लाल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम बुकलाना में लखपत के घर से बांके के घर के पास तिराहे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम सुलैला में तालाब की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयानन्द चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम कमालपुर में बम्बे के पुल गंगासरन के मकान से बनी सिंह की बैठक तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत सियानागढ़ रोड लखावटी से वाया खानपुर से बसी घाट तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूल सिंह सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम थोना में फकीरा प्रधान जी की बैठक से ऋषिराज व धर्मवीर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर मास्टर जी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से दो, जनपद इटावा से एक तथा जनपद कानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद झांसी की तहसील मोठ के चोपड़ा तालाब के बांध आराजी संख्या-658 के 19 डिस्मिल पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल मुदगल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी में ककरवई से गढवई तक जर्जर सड़क की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद इटावा की ब्लाक जसवन्तनगर की भोगनी नहर पर पाताझारी से हजरतपुर के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजत राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

4-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र-205 रसूलाबाद के अन्तर्गत यज्ञपार्द्मिनी आश्रम में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रनिया विकास खण्ड-मैथा के अन्तर्गत भेवान से किसान नगर नहर पटरी पर स्थित सड़क मार्ग लगभग 20 किमी0 का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं[†]

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद हमीरपुर के कस्बा कुरारा की गौचर भूमि को कूड़ा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष पालीवाल व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

2-जनपद हमीरपुर के कस्बा कुरारा स्थित कांशीराम कालोनी में स्थापित ट्यूबवेल संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विराट सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

3-जनपद हमीरपुर के कस्बा सुमेरपुर में स्थित साहू नाला को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

4-जनपद हमीरपुर के कस्बा मौदाहा में एन0एच0-34 को जोड़ने वाला मौदहा मण्डी समिति से फत्तेपुर नई बस्ती मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल्मीकि गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

5-जनपद हमीरपुर की नगर पंचायत कुरारा के वार्ड नम्बर-01 में केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये गरीब कल्याण आवास को नगर पंचायत को हैण्डओवर कराने के सम्बन्ध में श्री रंजीत प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका।

[†] छापी नहीं गईं।

श्री वीर विक्रम, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे 24 पर कटरा से सिउरा होते हुए जैतीपुर-तिलहर रोड तक चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत तहसील तिलहर में मदनापुर से बुधवाना होते हुए खमरिया गढ़िया रंगीन रामपुर होते हुए नगरिया खनू रामगंगा पुल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रतपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत जैतीपुर में बझेड़ा भगवानपुर से डभौरा होते हुए गढ़िया रंगीन तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से मेडिकल स्टोरों व अवैध दवाखानों के दुकानदारों से अवैध रूप से वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा पात्र कृषकों को पूर्ण योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप वास्ते दी जा रही नलकूप उपकरण को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आधे-अधूरे नलकूप उपकरण दिये जाने के फलस्वरूप कृषकों को हो रही परेशानी के कारण पूर्ण नलकूप उपकरण दिलाये जाने व आधे-अधूरे उपकरण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित याचिका †

श्री योगेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी के ग्राम खानपुर और कुसेपा का सीमा विवाद सुलझा कर खानपुर के समस्त दस्तावेज लखीमपुर भिजवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पनकी क्षेत्र में 'नमामि गंगे योजना' के अन्तर्गत डाली गयी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त गहरी सीवर लाइन की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रविदासपुरम मलिन बस्ती एवं गुजैनी गांव, बर्रा-3, बर्रा-4, बर्रा-5 व अन्य बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई वाटर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रविदासपुरम मलिन बस्ती एवं गुजैनी गांव, समस्त रावतपुर के अन्तर्गत व अन्य बस्तियों में सीवर की गम्भीर समस्या के निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशालकाय खुले रफाका नामक नाला को ढके जाने के सम्बन्ध में श्री रवि गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रतनलाल नगर को दबौली बेस्ट से जोड़ने हेतु उपरिगामी रेलवे सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी की ग्रातम पंचायत कौहारी के बुद्धू पुरवा में हीरा सिंह के घर से अनु0 जाति बस्ती तक इण्टरलॉकिंग खड़न्जा का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविकरन व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम अमिलिहा में अरुण के घर से काजीपुर मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगमोहन व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम पचोखर के मजरा गौतम पुरवा में सेमराड़ी नाले में पुलिया निर्माण एवं सड़क नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम पंचायत सगवारा के मजरा पाण्डेय पुरवा सम्पर्क मार्ग में पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्हानन्द पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम जमौली, मजरा भदेंदू में प्राथमिक विद्यालय जमौली से ग्राम भदेंदू तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर चन्दौली में पं0 कमलापति त्रिपाठी हास्पिटल में बी0एससी0 व बी0 कॉम का नया सत्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम मोदी व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली के पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर में जी0टी0 रोड राम जानकी मन्दिर से काली महाल तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विभूति जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में सुभाष पार्क से चकिया तिराहे तक उपरिगामी पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड-सदर के ग्राम सभा बबुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड-सदर के ग्राम सभा बबुरी में विकास खण्ड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम सुनाव से श्री पवनसुत जनता इण्टर कालेज सुनाव तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम नगला नथुआ के मजरा नं0 अमर सिंह में जसराना-घिरोर मुख्य मार्ग से श्री हेमराज सिंह के घर से श्री इन्द्रपाल सिंह व राधेश्याम सविता के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम उडेसर रुद्र सिंह में एका बसून्धरा मुख्य मार्ग से श्री शिवराज सिंह डीलर के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयसिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम मछरियाई में समस्त ग्राम में जल निकासी हेतु पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर खुटियाना में मुख्य मार्ग पर श्री भरतपाल जी के घर से श्री ब्रम्हानन्द जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के नगर पंचायत हथगांव में फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के ग्राम सुल्तानपुर घोष में स्टेडियम/खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

3-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के ग्राम सिहार, चितीसापुर एवं नरौली बुजुर्ग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक-पडरौना में सरैया से लेकर सिधुआ मिश्रौली तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के ब्लाक पडरौना में पडरौना खड्डा मार्ग से शुक्ल चौराहे तक कुकरहा चौराहे तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक विशुनपुरा सुघौली नाहर की पट्टी से घूर छपरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के ब्लाक विशुनपुरा में सुरवरिया दन्तोपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर के ब्लाक पडरौना के नगर क्षेत्र में पडरौना मेन बाजार शुगर फैक्ट्री सायरी माई मन्दिर से बकुल्हा चौराहे तक लगभग 500 मीटर पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्टू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत गुरगवां से पराझरसा से नबियापुर से रामपुर के बेरहना से हथगांव बरैचा तक लिंक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के अन्तर्गत नगर पालिका तिलहर में स्थापित चीनी मिल में नवीन एथेनॉल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दोदराम कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम ढाकिया तिवारी में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के नगर पंचायत निगोही से हाई वोल्टेज विद्युत तार को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निगोही में एक्स-रे मशीन लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित चार याचिकाएं

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के सहारनपुर नगर में जर्जर विद्युत तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 जमीर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम उमरा बुजुर्ग से ग्राम रतनगढ़ के मध्य पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री शकुन्तला व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम राहूनंगली से ग्राम छजुपुरा तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाकिर हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं †

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत अग्नि शमन केन्द्र की बाउण्ड्रीवाल व आरक्षियों के रहने हेतु बैरक इत्यादि का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महेश भारी भैसहावां मार्ग (ओ0डी0आर0) निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत कतिपय मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल गौरव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के एन0एच0-31 के बेलहरी ग्रामीण मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा बैरिया में डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी की पूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के नगर पंचायत बैरिया में जल-भराव को रोकने के लिए नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के भीषण कटान को रोकने के लिए कटान रोधी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के पचरुखिया दिघार रवती मार्ग के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छट्टू पाण्डेय, निवासी जनपद बलिया की याचिका।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बेलवनिया चौराहे से मेहरौना, सोहनीपार होते हुए आमघाट (नहर के किनारे) तक पिच सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील मदेशिया व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत निर्मित विशनपुर कला, कुशहरी महुवापाटन मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष साहनी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गौरकोठी भगड़ा टोला से बाबूटोला जाने वाले मार्ग पर स्थित नहर पर जर्जर पुलिया के स्थान पर नया पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमन्त गिरी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत सभी ग्राम सभा में जर्जर बिजली के तार एवं पोल बदले जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर चन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

5-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गुद्वी जोर में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोलेलाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा सरंगापुर में प्राचीन मन्दिर के सामने पक्की नाली एवं इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशि दुबे व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा सेमरहा उपरहार में विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता 16 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमता किये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा अरई बड़का का पुरवा से बाबा चौराहे तक चकमार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा सीताराम के घर तक परमानन्द पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रेखा कुमारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा सीताराम के घर तक परमानन्द पटेल के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रेखा कुमारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा में घाघरा नदी पर बनी एल्गिन ब्रिज चरसडी तटबन्ध का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण लाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा के करनैलगंज में अधूरे पड़े राजकीय पालीटेक्निक मत्स्य शोध संस्थान को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड परसपुर के ग्राम राजापुर में स्थित तुलसीदास जन्म स्थली का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमा शंकर मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के पसका में 33/11 के0वी0 पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जंग बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका †

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम सभा बीबीगंज में बुड़वा बाबा के स्थान पिच रोड से प्राथमिक जूनियर विद्यालय होते हुए देवतादीन के घर से होकर ओमप्रकाश गुप्ता एवं डॉ0 कन्हैया लाल के घर तक डामर रोड व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत आज जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुईं वह सारी की सारी स्वीकार कर ली गई हैं।

जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में 12 साल की बालिका की गुमशुदगी के प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्षवर्धन बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

इसमें केवल वक्तव्य है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको पढ़ दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

थाना दारागंज, प्रयागराज में मु0अ0सं0-201/2022 धारा-363, 366 भा0दं0सं0 पंजीकृत है...

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

[उक्त मुकदमे से सम्बन्धित पीड़िता/गुमशुदा/अपहृता कु0 सृष्टि निषाद पुत्री पप्पू निषाद निवासिनी डीहा, थाना करछना, प्रयागराज (नाबालिग) तथा बाल अपचारी आशीष मौर्या पुत्र रमेश मौर्या, निवासी 70सी/7ए, छोटा बघाड़ा, थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज की सकुशल बरामदगी व गिरफ्तारी दिनांक 24-09-2022 को की गयी है। तदोपरान्त पीड़िता कु0 सृष्टि निषाद उपरोक्त का नियमानुसार बयान अन्तर्गत धारा-161 सी0आर0पी0सी0 महिला आरक्षी सौम्या यादव के द्वारा पीड़िता की मां श्रीमती राधा निषाद की उपस्थित में अंकित किया गया। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण पीड़िता को अग्रिम आदेश हेतु माननीय बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा माननीय बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़िता को उसकी मां श्रीमती राधा निषाद के सुपुर्द किया गया एवं उन्हें निर्देशित किया गया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण व धारा-164 सी0आर0पी0सी0 बयान के समय माननीय न्यायालय/पुलिस के समक्ष उपस्थित करेंगी। बाल अपचारी आशीष मौर्या उपरोक्त को माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड प्राप्त कर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, प्रयागराज में निरुद्ध किया गया। पीड़िता सृष्टि निषाद उपरोक्त का सम्पूर्ण मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात् अन्तर्गत धारा-164 सी0आर0पी0सी0 का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष कराकर माननीय न्यायालय के आदेश से उक्त बयान का अवलोकन किया गया। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व

नोट :-[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

पीड़िता के धारा-164 सी0आर0पी0सी0 के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-376 भा0दं0सं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। विवेचनोपरान्त गुण-दोष के आधार पर बाल अपचारी आशीष मौर्या पुत्र रमेश मौर्या उपरोक्त के विरुद्ध धारा-363, 366, 376एबी भा0दं0सं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट का अपराध पाये जाने पर उ0नि0 श्री दिवाकर सिंह, थाना दारागंज, प्रयागराज द्वारा आरोप-पत्र संख्या-139/2022, दिनांक 21-10-2022 माननीय न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित किया जा चुका है।]

सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब आज के एजेण्डे में कोई कार्यवाही नहीं बची है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी कार्यवाही सब पूरी हो गई है और मैं समझता हूँ कि हमारे सामने वाले सदस्यों को भी इसमें ज्यादा रुचि नहीं है कि सदन चले, इसलिए मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 33 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक, 06 दिसम्बर, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-157 पर)

अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में सृजित/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	मण्डल का नाम	संवर्ग	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	प्रधानाचार्य	12	7	5
		प्रधानाध्यापक	4	1	3
		प्रवक्ता	114	100	14
		सहायक अध्यापक	254	208	46
		प्रधान लिपिक	12	12	0
		सहायक लिपिक	31	23	8
		परिचारक	166	137	29
2	झाँसी	प्रधानाचार्य	1	1	0
		प्रधानाध्यापक	3	3	0
		प्रवक्ता	5	3	2
		सहायक अध्यापक	84	51	33
		प्रधान लिपिक	1	1	0
		सहायक लिपिक	5	4	1
		परिचारक	41	24	17
3	चित्रकूट	प्रधानाचार्य	2	0	2
		प्रधानाध्यापक	1	1	0
		प्रवक्ता	12	7	5
		सहायक अध्यापक	65	33	32
		प्रधान लिपिक	2	1	1
		सहायक लिपिक	6	3	3
		परिचारक	28	18	10
4	मेरठ	प्रधानाचार्य	37	13	24
		प्रधानाध्यापक	9	1	8
		प्रवक्ता	238	200	38
		सहायक अध्यापक	668	495	173
		प्रधान लिपिक	28	21	7
		सहायक लिपिक	80	46	34
		परिचारक	411	216	195
5	सहारनपुर	प्रधानाचार्य	15	9	6

		प्रधानाध्यापक	10	2	8
		प्रवक्ता	140	91	49
		सहायक अध्यापक	407	250	157
		प्रधान लिपिक	15	9	6
		सहायक लिपिक	49	23	26
		परिचारक	241	103	138
6	बस्ती	प्रधानाचार्य	5	2	3
		प्रधानाध्यापक	8	4	4
		प्रवक्ता	31	22	9
		सहायक अध्यापक	220	126	94
		प्रधान लिपिक	13	6	7
		सहायक लिपिक	24	21	3
		परिचारक	106	69	37
7	आजमगढ़	प्रधानाचार्य	16	5	11
		प्रधानाध्यापक	5	1	4
		प्रवक्ता	92	68	24
		सहायक अध्यापक	310	214	96
		प्रधान लिपिक	12	9	3
		सहायक लिपिक	38	23	15
		परिचारक	192	136	56
8	मीरजापुर	प्रधानाचार्य	1	1	0
		प्रधानाध्यापक	2	0	2
		प्रवक्ता	3	3	0
		सहायक अध्यापक	33	26	7
		प्रधान लिपिक	1	1	0
		सहायक लिपिक	4	3	1
		परिचारक	18	10	8
9	देवीपाटन	प्रधानाचार्य	6	3	3
		प्रधानाध्यापक	4	3	1
		प्रवक्ता	41	29	12
		सहायक अध्यापक	197	132	65
		प्रधान लिपिक	6	2	4
		सहायक लिपिक	20	12	8
		परिचारक	100	66	34
10	बरेली	प्रधानाचार्य	11	4	7

		प्रधानाध्यापक	10	5	5
		प्रवक्ता	111	85	26
		सहायक अध्यापक	350	244	106
		प्रधान लिपिक	11	9	2
		सहायक लिपिक	41	23	18
		परिचारक	192	102	90
11	अयोध्या	प्रधानाचार्य	5	4	1
		प्रधानाध्यापक	10	8	2
		प्रवक्ता	45	39	6
		सहायक अध्यापक	200	159	41
		प्रधान लिपिक	4	3	1
		सहायक लिपिक	23	21	2
		परिचारक	130	98	32
12	मुरादाबाद	प्रधानाचार्य	18	7	11
		प्रधानाध्यापक	15	8	7
		प्रवक्ता	157	131	26
		सहायक अध्यापक	527	372	145
		प्रधान लिपिक	17	16	1
		सहायक लिपिक	54	37	17
		परिचारक	302	182	120
13	प्रयागराज	प्रधानाचार्य	18	8	10
		प्रधानाध्यापक	4	2	2
		प्रवक्ता	176	140	36
		सहायक अध्यापक	384	304	80
		प्रधान लिपिक	17	15	2
		सहायक लिपिक	50	42	8
		परिचारक	244	140	104
14	अलीगढ	प्रधानाचार्य	11	5	6
		प्रधानाध्यापक	1	0	1
		प्रवक्ता	99	72	27
		सहायक अध्यापक	225	139	86
		प्रधान लिपिक	11	8	3
		सहायक लिपिक	34	22	12
		परिचारक	145	80	65
15	गोखरपुर	प्रधानाचार्य	8	6	2

		प्रधानाध्यापक	3	2	1
		प्रवक्ता	76	52	24
		सहायक अध्यापक	240	160	80
		प्रधान लिपिक	7	5	2
		सहायक लिपिक	25	18	7
		परिचारक	137	97	40
16	आगरा	प्रधानाचार्य	20	13	6
		प्रधानाध्यापक	15	7	8
		प्रवक्ता	212	146	66
		सहायक अध्यापक	598	412	182
		प्रधान लिपिक	20	18	2
		सहायक लिपिक	71	52	19
		परिचारक	329	199	130
17	लखनऊ	प्रधानाचार्य	24	17	7
		प्रधानाध्यापक	0	0	0
		प्रवक्ता	166	125	41
		सहायक अध्यापक	340	257	83
		प्रधान लिपिक	13	13	0
		सहायक लिपिक	43	26	17
		परिचारक	232	156	76
18	कानपुर	प्रधानाचार्य	12	5	7
		प्रधानाध्यापक	15	9	6
		प्रवक्ता	131	93	38
		सहायक अध्यापक	503	328	175
		प्रधान लिपिक	11	10	1
		सहायक लिपिक	55	33	22
		परिचारक	271	153	118
	महायोग	प्रधानाचार्य	222	110	111
		प्रधानाध्यापक	119	57	62
		प्रवक्ता	1849	1406	443
		सहायक अध्यापक	5605	3910	1681
		प्रधान लिपिक	201	159	42
		सहायक लिपिक	653	432	221
		परिचारक	3285	1986	1299

नत्थी (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-181 पर)

परिषदीय विद्यालयों में कराये गये विद्युत संयोजन का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ विद्युत संयोजन है
1	आगरा	2495	2037
2	अलीगढ़	2115	1930
3	प्रयागराज	2854	2404
4	अम्बेडकरनगर	1582	1476
5	अमेठी	1574	1445
6	औरैया	1266	1219
7	आजमगढ़	2703	2471
8	बागपत	530	526
9	बहराइच	2803	2553
10	बलिया	2248	2094
11	बलरामपुर	1815	1626
12	बांदा	1728	1603
13	बाराबंकी	2636	2541
14	बरेली	2483	2425
15	बस्ती	2076	1770
16	भदोही	891	875
17	बिजनौर	2119	2060
18	बदायूँ	2155	2131
19	बुलन्दशहर	1861	1797
20	चन्दौली	1185	1085
21	चित्रकूट	1256	1130
22	देवरिया	2121	1990
23	एटा	1691	1553
24	इटावा	1486	1325
25	अयोध्या	1790	1606
26	फर्रूखाबाद	1577	1543
27	फतेहपुर	2129	1853
28	फिरोजाबाद	1850	1758
29	गौतमबुद्ध नगर	512	504
30	गाजियाबाद	445	442
31	गाजीपुर	2268	1872
32	गोण्डा	2612	1898
33	गोरखपुर	2503	2273
34	हमीरपुर	968	930
35	हापुड़	500	498
36	हरदोई	3446	3163
37	हाथरस	1240	1212
38	जालौन	1510	1319

क्र0सं0	जनपद	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ विद्युत संयोजन है
39	जौनपुर	2801	2506
40	झाँसी	1452	1362
41	अमरोहा	1264	1225
42	कन्नौज	1459	1360
43	कानपुर देहात	1925	1594
44	कानपुर नगर	1787	1472
45	कासगंज	1263	1246
46	कौशाम्बी	1089	1041
47	लखीमपुर खीरी	3106	2936
48	कुशीनगर	2464	2329
49	ललितपुर	1354	1205
50	लखनऊ	1618	1529
51	महराजगंज	1696	1483
52	महोबा	849	842
53	मैनपुरी	1909	1759
54	मथुरा	1539	1408
55	मऊ	1209	1068
56	मेरठ	1072	1048
57	मीरजापुर	1806	1757
58	मुरादाबाद	1408	1292
59	मुजफ्फरनगर	951	940
60	पीलीभीत	1499	1465
61	प्रतापगढ़	2378	2130
62	रायबरेली	2304	1914
63	रामपुर	1600	1519
64	सहारनपुर	1438	1205
65	संभल	1290	1209
66	सन्तकबीर नगर	1247	1134
67	शाहजहाँपुर	2718	2543
68	शामली	596	568
69	श्रावस्ती	984	804
70	सिद्धार्थनगर	2262	2157
71	सीतापुर	3511	3078
72	सोनभद्र	2061	1757
73	सुल्तानपुर	2068	1771
74	उन्नाव	2709	2289
75	वाराणसी	1143	1127
	योग	132852	121009

नत्थी (ग)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-31 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-199 पर)

प्रेषक

उपायुक्त(श्रम रोजगार)
उन्नाव।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
उन्नाव।

पत्रांक 2638 /शि0सहा0/मनरेगा/2020-21 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 2737/पंचायत/सा0सहा0-1/2020-: दिनांक 11.11.2020 व पत्रांक 2804/पंचा0/सा0सहा0-1/2020-21 दिनांक 19.11.20: का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो जिला मजिस्ट्रेट महोदय उन्नाव के आदेश र 2177/पंचायत/सा0स0-II/2020-21 दिनांक 08.10.2020 जो श्री ओम प्रका सिंह(जनसेवक),निवासी ग्राम0पंचायत काथा वि0ख0 असोहा द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र शपथ पत्र दिनांक 18.03.2020 प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा ग्राम पंचायत काथा मनमाने ढंग से कार्य कराने व उपलब्ध करायी गयी धनराशि का बंदरबाट/गबन किये ज सम्बन्धित जॉच के संबध में है जिसमें अधोहस्ताक्षरी ,जिला कृषि अधिकारी व अवर अभियन्ता (आर0ई0डी0) वि0ख0असोहा को नामित किया गया है। जिसमें उक्त प्रकरण स्थलीय/अभिलेखीय जॉच कर आंख्या उपलब्ध उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है सन्दर्भित शिकायती प्रकरण से सम्बन्धित श्री रमेश चन्द बिन्द,मा0संसद सदस्य लोक स भदोही उ0प्र0 के लेटर पैड पत्र दिनांक 13.10.2020 जो कि मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधि है तथा जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 02.11.2020 के माध्यम शिकायतकर्ता श्री आर0के0सिंह एडवोकेट,मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के शिकायती पत्र मा0 सदस्य ,श्री धर्मवीर सिंह अशोक, के पत्र दिनांक 28.02.2020 द्वारा जिसमें वर्ष 2016- से वर्ष 2019-20 तक प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास,शौचालय, वित्त आयोग एवं 14 वे वि की धनराशि सड़क निर्माण कार्यो आदि के संबध में है।

उपरोक्त के संबध में अवगत कराना है कि उपरोक्त कार्यो अभिलेखों का परीक्षण कर स्थलीय जॉच की गई है। जो निम्नवत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- उपरोक्त के संबध में अवगत कराना है कि विगत 04 वर्षो 98 आवास प्राप्त हुए जिनकी जॉच खण्ड विकास अधिकारी असोहा के साथ की गई। जिस सभी आवास निर्मित पाये गये ।

संलग्न- सत्यापन रिपोर्ट।

मनरेगा- इस संबध में अवगत कराना है कि विगत वर्षो में ग्राम पंचायत द्वारा कराए ग 49 कार्यो का स्थलीय सत्यापन विकास खण्ड असोहा के श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व महेन्द्र कुमार प्रजापति, तकनीकी सहायक द्वारा किया गया। इन का में अनियमितता नही पाई गई। इनमें से अधिकॉश कार्य सन्तोषजनक पाए गये एवं कु कार्यो में आंशिक रूप से कमियां परिलक्षित हुई। जिनका उल्लेख वित्तीय वर्षवार कार्यो सूची में कार्यो के सम्मुख किया गया है।

संलग्न- सत्यापन रिपोर्ट।

राज्य वित्त आयोग एवं 14वे वित्त आयोग– इस योजना से सम्बन्धित कार्यो का भौतिक सत्यापन/तकनीकी जॉच श्री प्रभाकान्त तिवारी,अवर अभियन्ता (आर0ई0डी0) से कराया गया। उनके द्वारा इस संबध में दी गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जैसे कार्य योजना,कार्य का प्राक्कलन मॉप पुस्तिका,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यो से सम्बन्धित व्यय बाऊचर आदि नही प्राप्त हुए। जिसकी मॉग उनके द्वारा विकास खण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर से कई बार की गई। जिसके कम में बताया गया कि ग्राम पंचायत में तैनात श्री पवन कुमार मौर्य का स्थानान्तरण हो गया है तथा मौर्य द्वारा अभी तक चार्ज वर्तमान सचिव को उपलब्ध नही कराया गया है।

ग्राम पंचायत में राज्य वित्त /चौदहवॉ वित्त से आहरित धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यो के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी उन्नाव को लिखित पत्र सं0 2420 दिनांक 26 नवम्बर 2020 व मौखिक रूप से अपेक्षा भी की गई।

अवर अभियन्ता(ग्राअ0वि0) द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया कि दिनांक 09.12.2020 को ग्राम पंचायत कांथा के अभिलेख के संबध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा बैक स्टेटमेंट के आधार पर प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विवरण एवं उक्त योजना से सम्बन्धित वर्ष 2018–19 में 16 एवं वर्ष 2019–20 में 17 कार्यो की सूची, प्राक्कलन, माप पुस्तिका सहित उपलब्ध करायी गई। साथ ही वर्ष 2016–17 में ग्राम कांथा नाला निर्माण कार्य की माप पुस्तिका एवं प्राक्कलन पूर्व में शिकायती प्रकरण के कारण उपलब्ध करायी गयी थी। इस प्रकार कुल लॉगत रू0 51.28 लाख व्यय के अभिलेख प्राप्त हुए। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विवरण सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराया गया जो इस प्रकार है।

वर्ष 2016–17 प्राप्त धनराशि मु0 63.01 लाख	व व्यय धनराशि	मु0 47.01 लाख।
वर्ष 2017–18 प्राप्त धनराशि मु0 65.04 लाख	व व्यय धनराशि	मु0 57.50 लाख।
वर्ष 2018–19 प्राप्त धनराशि मु0 83.60 लाख	व व्यय धनराशि	मु0 82.70 लाख।
वर्ष 2019–20 प्राप्त धनराशि मु0 76.50 लाख	व व्यय धनराशि	मु0 62.25 लाख।

साथ ही उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया गया कि जो धनराशि का विवरण दिया गया है उसमें ग्राम कांथा में निर्माण कार्य,हैण्डपम्प रियोर अथवा मरम्मत ,स्ट्रीट लाईट, प्रशासनिक व्यय आदि मदो पर धनराशि व्यय की गई है किन्तु विवरण उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन नही किया जा सका।

कुल 33 कार्यो का (प्राप्त सूची के आधार पर) भौतिक सत्यापन/तकनीकी जॉच श्री प्रभाकान्त तिवारी,अवर अभियन्ता (आर0ई0डी0) द्वारा विकास खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता(ल0सि0), श्री डी0एन0अवस्थी के साथ संयुक्त रूप से कर दी गई आंख्या के अनुसार मौके पर की गई माप, कार्य माप पुस्तिका के अनुसार ही पाया। जिसमें वित्तीय अनियमितता परिलक्षित नही हुई। सूची के अनुसार मापे गये 33 कार्यो की कुल व्यय लागत 44.56 पायी गयी।

शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह(जनसेवक) द्वारा पूर्व में दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र जो ग्राम कांथा में नाला निर्माण से सम्बन्धित है, शिकायत की स्थलीय जॉच कर दी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कांथा चौराहे से औतार वाटिका तक कराये गये 150 मी0 पक्का नाला निर्माण वर्ष 2016–17 के अभिलेख [illegible]

हुई। मौके पर नाले का कार्य सन्तोषजनक पाया गया। इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रु0 249.46 लाख के सापेक्ष कुल 51.28 लाख के व्यय धनराशि की तकनीकी जॉच की गई। संलग्न–सत्यापन रिपोर्ट।

उपरोक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कराए गये कार्यो के अभिलेख प्राप्त न होने के कारण सत्यापन नही किया जा सका। सहायक विकास अधिकारी (प0) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्यकाल में निम्न ग्राम पंचायत सचिव तैनात रहे है।

1.श्री सर्वेश दीक्षित, ग्राम विकास अधिकारी।
2.श्री श्रीकान्त, ग्राम विकास अधिकारी।
3.श्री सुरेश कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी
4.श्री पवन कुमार मौर्या, ग्राम विकास अधिकारी।

शौचालय– ग्राम पंचायत कांथा में निर्मित शौचालय के संबध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के सत्यापन/जॉच हेतु आप द्वारा आदेश सं0 4458/वै0सहायक/2020–21 दिनांक 19 दिसम्बर 2020 द्वारा कमेटी गठित की गई है जिसकी जॉच/सत्यापन उनके द्वारा किया जायेगा।

अतः उक्त भौतिक सत्यापन/तकनीकी जॉच रिपोर्ट संलग्न कर उपरोक्त आंख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

23/12/20
(राजेश कुमार जा)
उपायुक्त (श्रम रोजगार)
उन्नाव।

वसूली आदेश

शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश सिंह (जन सेवक) निवासी ग्राम पंचायत कांथा, वि0ख0 असोहा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 18.03.2020 तथा मा0 सदस्य धर्मवीर सिंह अशोक, के पत्र दि0 28.02.202 श्री रोशनलाल वर्मा मा0 विधायक 163 तिलहर, शाहजहाँपुर द्वारा पुनः जनसुनवाई सन्दर्भ 18152200049560 दिनांक 23.09.2020 के माध्यम से ग्राम पंचायत कांथा में अनियमितता से सम्बं शिकायती पत्रो की जाँच हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय, उन्नाव के कार्यालय आदेश सं0 2177/पंचा सा0सहा0–11/ दिनांक 08.10.2020 द्वारा उपायुक्त, श्रम रोजगार, उन्नाव, जिला कृषि अधिकारी, एवं ३ अभियन्ता, आर0ई0डी0 वि0ख0 असोहा को संयुक्त रूप से जाँच अधिकारी नामित किया गया है।

साथ ही अवगत कराना है कि शिकायती प्रकरण से सम्बन्धित श्री रमेश चन्द्र बिन्द, संसद सद (लोक सभा), भदोही (उ0प्र0), के लेटर पैड पत्र दिनांक 13.10.2020 जो कि मा0मुख्यमंत्री जी महोदय सम्बोधित है तथा जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 02.11.2020 के माध्यम शिकायतकर्ता श्री आर0के0सिंह, एडवोकेट, मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ के शिकायती पत्र व श्री आर0 सिंह द्वारा जनसुनवाई सन्दर्भ सं0 19157200056133 दिनांक 13.10.2020 के माध्यम से ग्राम पंचायत का वि0ख0 असोहा से सम्बन्धित शिकायती पत्रो की जाँच हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव कार्यालय पत्र सं0 2804/पंचा0/ सा0सहा0/2020 दिनांक 19.11.2020 द्वारा उपरोक्त नामित जं अधिकारी को पूर्व पत्रो के साथ साथ जाँच हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

तद्क्रम में उपायुक्त (श्रम रोजगार), उन्नाव के कार्यालय पत्र सं0 2638/ शि0सहा0 मनरेगा/2020–21 दिनांक 23.12.2020 द्वारा ग्राम पंचायत कांथा से सम्बन्धित शिकायती पत्रों की विस्त जाँच करते हुए स्पष्ट आख्या निम्नवत् प्रस्तुत की गयी है:–

1– प्रधानमंत्री आवास योजना– आख्यानुसार ग्राम पंचायत कांथा में विगत 04 वर्षो में 98 आवास प्राप्त हुये जिनव जाँच खण्ड विकास अधिकारी, असोहा के साथ की गयी। स्थलीय जाँच में सभी आवास निर्मित पाये गये।

2– मनरेगा– ग्राम पंचायत कांथा में विगत वर्षो में कराये गये कार्यो में 49 कार्यो का स्थलीय/तकनीकी जाँच ह आशीष कुमार अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व महेन्द्र कुमार प्रजापति तकनीकी सहायक द्वारा किया गया जाँच में कराये गये कार्यो, अनियमितता नहीं पायी गयी है। अधिकांश कार्य संतोषजनक पाये गये है जिन कार में आंशिक कमियों पायी गयी है का तकनीकी जाँच के अनुसार निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	आक्कलन की धनराशि	व्यय की धनराशि	जाचोपरान्त दुरूस्तयोग्य धनरा
1	2020–21	महपतिखेड़ा माइनर से गुरूप्रसाद गुरूप्रसाद के खेत तक सिंचाई नाली	99054.00	94547.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टू है
2.	2020–21	महिपतखेड़ा माइनर के बसहा तक नाली खुदाई कार्य	152102.00	146606.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टू पटा है, कही –कही जगल खडे गये है।
3.	2020–21	इमलिहा नाली से उमाशंकर के खेत तक सिंचाई नाली	77923.00	73241.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टू है
4.	2020–21	बड़ी नहर से सूर्यबली के खेत तक सिंचाई नाली	132537.00	108530.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टूट है
5.	2020–21	पंजाबी बाबा मन्दिर के पास से संतोष के खेत तक सिंचाई नाली	69777.00	64347.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टू है, कुछ जगहो मे सिल्ट भरी है।
6	2020–21	बड़ी नहर से राजकुमारी के खेत तक सिंचाई नाली निर्माण कार्य	146225.00	135350.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टूट है
7.	2019–20	जगदीश के खेत से गंगा प्रसाद के खेत तक सिंचाई नाली	88958.00	84234.00	कार्य किया गया, कुछ जगहो मे सिल्ट भरी है।
8	2019–20	धनीराम पुत्र गुरूदयाल के खेत से नहर तक कृषि निवेश पहुँच मार्ग	98026.00	93094.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टूट है, कुछ जगहो बरसात की कारण दोनो तरफ गड्ढे हो गये है।
9.	2019–20	जवाही पाइरा से नहर पुल तक कृषि	[illegible]	[illegible]	

		निवेश पहुँच मार्ग			पड़ा है कुछ जगहों में रोड कट गयी है।
10.	2018–19	मेन रोड से जियालाल के घर तक खड़ंजा निर्माण	119000.00	117272.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है,
11.	2018–19	जियालाल के घर से बारात घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य	119100.00	117707.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टूटा है,
12.	2018–19	बारात घर से केशव के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य	119200.00	117975.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है
13.	2018–19	केशव के घर से मुनेश्वर के घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य	119100.00	117075.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है, खड़ंजे के कुछ भाग खड़ंजा टूट
14	2018–19	सुन्दर चौरसिया के खेत से सिद्ध कुमार के खेत तक कृषि निवेश पहुँच मार्ग	112889.00	110050.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है कई कई बारिश की वजह से किनारे कट गये है।
15.	2018–19	गड़िया तालाब से झकना बाबा मन्दिर तक कृषि निवेश पहुँच मार्ग	69000.00	55475.00	कार्य किया गया, किन्तु CIB टूटा है, कई कई रोड किनारे कट गयी है
16.	2018–19	झकना बाबा से सुन्दर चौरसिया के खेत कृषि निवेश पहुँच मार्ग	71150.00	69150.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है एक दो जगह रोड कट गयी।
17.	2017–18	बड़ी नहर से तालाब तक नाली खुदाई	39744.00	33488.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है कई कई जगह सिल्ट आ गयी है।
18	2017–18	विन्दापाल के घर से मंगतपाल के घर तक खड़ंजा निर्माण	272100.00	263736.00	कार्य किया गया किन्तु CIB टूटा है खड़ंजे के किनारे बरसात की वजह से खड़ंजे के कुछ भाग धंस गये है।

उपरोक्तानुसार निरीक्षित 49 कार्यों में से 18 कार्यों पर आंशिक अनियमितायें पायी गयी है जिसके लिए प्रधान (श्रीमती गीता त्रिपाठी) व तत्कालीन कार्यरत सचिव (श्री सर्वेश दीक्षित, श्रीकान्त, श्री सुरेश कुमार व श्री पवन मौर्या समस्त ग्राम विकास अधिकारी)ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से दोषी सिद्ध पाये गये है।

3– आख्यानुसार ग्राम पंचायत कांथा में राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन/तकनीकी जाँच श्री प्रभाकान्त तिवारी, अवर अभियन्ता(आर0ई0ई0) द्वारा की गयी । रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जैसे कार्य कार्ययोजना, कार्य का प्राक्कलन मॉप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यों से सम्बन्धित बाउचर आदि नहीं प्राप्त हुये है। जबकि कार्यरत श्री पवन मौर्य से कई बार ग्राम पंचायत समस्त उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था वर्तमान में श्री पवन मौर्या का स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी वर्तमान कार्यरत सचिव को चार्ज हस्तगत नहीं कराया गया है। के कारण दिनांक 09.12.2020 को सहा0विकास अधिकारी(पंचा0) द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाते के बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किये गये । के आधार पर प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विवरण वर्ष 2018–19 में 16 एवं वर्ष 2019–20 में 17 कार्यों की सूची प्राक्कलन मॉप पुस्तिका सहित उपलब्ध करायी गयी। साथ ही वर्ष 2016–17 में ग्राम कांथा नाला निर्माण कार्य की माप पुस्तिका एवं प्राक्कलन पूर्व मे शिकायती प्रकारण के कारण उपलब्ध करायी गयी थी। इस प्रकार कुल लागत रू0 51.28 लाख व्यय के अभिलेख प्राप्त हुए। वर्ष 2016–17 से वर्ष2019–20 तक प्राप्त एवं व्यय धनराशि का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है:–

वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
2016–17	63.01 लाख	47.01 लाख
2017–18	65.00 लाख	57.50 लाख
2018–19	83.00 लाख	62.70 लाख
2019–20	76.00 लाख	62.25 लाख

साथ ही उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कांथा में निर्माण कार्य, हैण्डपम्प रिपोर, अथवा मरम्मत, स्ट्रीट लाईट, प्रशासनिक व्यय आदि मदोपर धनराशि व्यय की गयी है किन्तु विवरण/अभिलेख प्राप्त न होने के कारण कार्यों का सत्यापन नहीं किया जा सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत द्वारा पदीय दायित्वो के निर्वहन एवं उच्चाधिकारियों के आदेशो की अवहेलना किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी सिद्ध पाये गये है।

4– राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त 33 कार्यों की सूची के अनुसार भौतिक सत्यापन/तकनीकी जाँच अवर अभियन्ता आरई0ई0 व अवर अभियन्ता (तकनीकी) के रिपोर्ट से [illegible]

परिलक्षित नहीं हुई। मापे गये 33 कार्यों में रू0 44.56 लाख रूपये व्यय किया जाना पाया गया। तथा ग्र कांथा मे चौराहे से औसार पाटिका तक कराये गये 150 मी0 पक्का नाला निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में कर गया जिसका प्राक्कलन रू0 666000.00 तथा व्यय धनराशि रू0 642000.00 रू0 की गयी है। कार्य संतोषजनक स्थिति में पाया गया ।

आख्यानुसार निरीक्षित कार्यों के अभिलेख प्राप्त न होने के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका। सहा0विकास अधिकारी(पंचा0) के अनुसार उक्त अवधि में श्री सर्वेश दीक्षित, श्री श्रीकान्त, श्री सुरेश कुमार सिंह तथा श्री पवन कुमार मौर्या सचिव ग्राम पचायत में कार्यरत रहें। इस प्रकार स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख सम्बन्धित द्वारा न उपलब्ध कराये जाने व उच्चाधिकारियों के आदेशो की अवहेलना किये जाने के दोषी पाये गये है।

5- शौचालय निर्माण- आख्यानुसार ग्राम पंचायत कांथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की जॉच/सत्यापन हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव के कार्यालय पत्र 4458/ दिनांक 19.12.2020 द्वारा कमेटी गठित की गयी है। गठित कमेटी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र सं0 3310/पंचा0/ दिनांक 26.12.2020 द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण/सत्यापन आख्या के आधार पर ग्राम पंचायत कांथा में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजनान्तर्गत 1441 (अक्टूबर 2014 से वर्ष 2019 तक) एल0ओ0वी0 के अन्तर्गत 155(वर्ष 2019-20) तथा एन0ओ0एल0वी0 के अन्तर्गत 83(सितम्बर 2019 से 2020 तक) शौचालय की धनराशि निर्गत की है। वर्तमान में एस0वी0एम0 के अन्तर्गत 1441 के सापेक्ष 1426, एलओ0वी0 के अन्तर्गत 155 के सापेक्ष 155 तथा एन0ओ0एल0वी0 के अन्तर्गत 83 शौचालय के सापेक्ष 83 शौचालय की फोटो भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है। भौतिक सत्यापन में देखे गये 881 के सापेक्ष 16 अपूर्ण एवं राजबहादुर पुत्र चन्द्रिका सिंह का शौचालय ध्वस्त स्थिति पाया गया । साथ ही उपनिदेशक(पंचा0), लखनऊ मण्डल, लखनऊ महोदय के कार्यालय पत्र सं0 5244/ 2020/ 86/ मलनि/2020 दिनांक 05.12.2020 द्वारा जॉचोपरान्त प्रस्तुत आख्या में लगभग 293 शौचालयो की जॉच की गयी जिसमें से 15 शौचालय अपूर्ण स्थिति में पाये गये । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्तानुसार निरीक्षित व्यक्तिगत शौचालयों में अपूर्ण, मानक के विपरीत निर्माण कराये जाने के लिए प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से दोषी सिद्ध पाये गये है।

तद्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय, उन्नाव के कार्यालय पत्र सं0 3387/पंचा0/सा0सहा-11/ दिनांक 31.12.2020 द्वारा शिकायती पत्रो में उल्लिखित विन्दुओं की जॉचोपरान्त जॉच अधिकारी/उपायुक्त श्रमरोजगार, उन्नाव द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार श्रीमती गीता त्रिपाठी, तत्कालीन प्रधान, ग्राम पंचायत कांथा में कराये गये कार्यो में पायी गयी दुरूपयोगित धनराशि के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण मय साक्ष्यो सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। समयान्तर्गत तत्कालीन प्रधान, ग्राम पंचायत कांथा द्वारा प्रत्युत्तर/साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र संख्या 3907/पंचा0/सा0सहा0-11 /2020-21 दिनांक 23.01.2021 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है। किन्तु तत्कालीन प्रधान, ग्राम पचायत कांथा द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

साथ ही ग्राम पंचायत कांथा से सम्बन्धित प्राप्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित कार्यो का स्थलीय/ अभिलेखीय जॉच हेतु नामित जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जॉच आख्या के आधार पर मनरेगा, राज्यवित्त आयोग/14वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो में तकनीकी सत्यापन में पायी गयी कमियों, व शौचालय निर्माण में चैम्बर, दरवाजे, मानक के अनुरूप न कराने, शौचालय अपूर्ण व निष्प्रयोज्य पाये जाने के सम्बन्ध मे तत्कालीन कार्यरत सचिव श्री सर्वेश दीक्षित, श्री श्रीकान्त, श्री सुरेश कुमार सिंह तथा श्री पवन कुमार मौर्या सचिव ग्राम विकास अधिकारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र संख्या 3329 /पंचा0/स्था0 दिनांक 28.12.2020 द्वारा उपरोक्तानुसार आरोप प्राख्यापित करते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत की जा चुकी है। समयान्तर्गत प्रत्युत्तर/साक्ष्य न उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र संख्या 4355/पंचा0/सा0सहा0/2021-21 दिनांक 18.02.2021 द्वारा वर्तमान व तत्कालीन कार्यरत समस्त सचिव, ग्राम पंचायत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु जिला विकास अधिकारी

अस्तु शिकायती प्रकरण में उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम की धारा 27(1) के तहत जॉ अधिकारी/ उपायुक्त, श्रमरोजगार, उन्नाव द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार गठित समिति द्वारा स्वच्छ भार मिशन-ग्रामीण योजनान्तर्गत निरीक्षित 16 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण न कराये जाने व एक शौचाल ध्वस्त पाये जाने (कुल 17 व्यक्तिगत शौचालय) के सम्बन्ध में दुरूपयोग धनराशि रु0 204000.00 रूपये लिए प्रधान व सचिव दोषी सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप दुरूपयोगित धनराशि अर्थात 1/2 रु0 1,02,00 00 रूपये दुरूपयोगित धनराशि को श्रीमती गीता त्रिपाठी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कांथा वि0ख0 असोहा वसूली भू-राजस्व की भांति किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं। शेष धनराशि रु 1,02,000:00 रूपये की वसूली सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत से जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के स्तर सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही अब तक प्रदर्श अभिलेखों के आधार पर की जा रही है।

जिला मजिस्ट्रेट
उन्नाव

4855 **कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव**

पत्रांक /पंचा/जा0सहा0-1/वसूली आदेश/2020-21 दिनांक 23/03/

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पूर्व प्रधान (श्रीमती गीता त्रिपाठी) ग्राम पंचायत कांथा द्वारा खण्ड विकास अधिकारी असोहा, उन्नाव को आ पालनार्थ।
2. खण्ड विकास अधिकारी, वि0ख0 असोहा को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश सम्बन्धित प्रधान व सचिव ग्रा0पचा0 को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उपायुक्त (श्रमरोजगार), उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी संग्रह उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित धनराशि की वसूली पूर्व प्रधान (श्री गीता त्रिपाठी) ग्राम पंचायत कांथा से करते हुए ग्राम पंचायत कांथा के ग्राम पंचायत के सम्बन्धित खाते मे करना सुनिश्चत करें।
7. उपजिलाधिकारी, पुरवा, उन्नाव।
8. मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव।

जिला मजिस्ट्रेट
उन्नाव

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-222 पर)

अनुपूरक सामग्री (संलग्नक)

भू-जल स्तर (मी0 में)	मुजफ्फराबाद	सडोली कदीम
प्री मानसून-2012	7.80	5.00
पोस्ट मानसून-2012	10.15	7.38
प्री मानसून-2013	8.86	6.71
पोस्ट मानसून-2013	9.83	8.56
प्री मानसून-2014	7.34	3.88
पोस्ट मानसून-2014	9.59	6.32
प्री मानसून-2015	10.16	7.33
पोस्ट मानसून-2015	10.06	7.26
प्री मानसून-2016	10.50	7.80
पोस्ट मानसून-2016	9.81	6.20
प्री मानसून-2017	10.98	6.80
पोस्ट मानसून-2017	10.30	5.83
प्री मानसून-2018	11.33	7.03
पोस्ट मानसून-2018	9.02	4.88
प्री मानसून-2019	9.22	6.77
पोस्ट मानसून-2019	8.22	6.32
प्री मानसून-2020	10.19	7.36
पोस्ट मानसून-2020	10.20	6.71
प्री मानसून-2021	10.52	8.59
पोस्ट मानसून-2021	10.36	9.02
अन्तर (मीटर में)	-0.27	-0.35
वृद्धि/गिरावट	गिरावट	गिरावट

नत्थी (ङ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-89 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-235 पर)

अध्याय-बारह

भू-राजस्व का संग्रह

163. भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा—(1) किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी, प्रथम प्रभार होगा।

(2) भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जायेगी।

164. भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे—किसी जोत के समस्त सह-भूमिधर उस पर तत्समय निर्धारित भू-राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और ऐसे भूमिधरों के हित के चाहे न्यागमन द्वारा या अन्य प्रकार से, उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व के समस्त बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे।

165. भू-राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना—किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय भू-राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और उसका [1][ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में,] ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, भुगतान किया जायेगा।

166. भू-राजस्व के संग्रह के लिए प्रबन्ध—राज्य सरकार भू-राजस्व के संग्रह के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसा अधिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

167. *[व्यतिक्रमी]—कोई भू-राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो, उसी दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति *[व्यतिक्रमी] हो जायेंगे।

168. प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होगा—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, भू-राजस्व के बकाया होने, उसकी धनराशि और ऐसे व्यक्ति का जो [2][व्यतिक्रमी हो, का निश्चायक प्रमाण होगा।]

169. मांग-पत्र—जैसे ही भू-राजस्व की बकाया देय हो जाय, वैसे ही तहसीलदार *[व्यतिक्रमी] के विरुद्ध मांग-पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

170. बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया—(1) [3][मांग-पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भुगतान न किये गये भू-राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात्—]

(क) *[व्यतिक्रमी] की [4][गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध] करके;

---

1. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 123 द्वारा प्रतिस्थापित
*. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित
2. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित
4. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित

(ख) उसकी जंगम सम्पत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और [1][विक्रय करके];

(ग) *[व्यतिक्रमी] कि किसी बैंक खाते या [2][लॉकर] की कुर्की करके;

(घ) ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, कुर्की करके;

(ङ) ऐसी भूमि को जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, पट्टे पर देकर [3][या उसकी बिक्री करके];

(च) *[व्यतिक्रमी] की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके;

(छ) [4][व्यतिक्रमी की किसी] स्थावर या जंगम सम्पत्ति का [4][रिसीवर की नियुक्ति करके]।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतद्पूर्व उल्लिखित दो या अधिक आदेशिका साथ-साथ या एक के बाद एक प्रयुक्त और प्रवर्तित किए जा सकते हैं।

(2) भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किन्तु जो किसी विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन *[व्यतिक्रमी] की किसी स्थावर सम्पत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है जिसका वह [5][भूमिधर] है, से आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है।

171. गिरफ्तारी और निरोध—(1) कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाय, [6][* * *] पंद्रह दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाय :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भू-राजस्व के बकाये के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिए कि ऐसा व्यक्ति :

[7][(क) स्त्री या अवयस्क हो, या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95 (1) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;]

(ख) संघ के सशस्त्र बल का हो;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133, 135 या 135-क के अधीन छूट प्राप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा [8][में निरुद्ध] नहीं किया जायेगा जब तक कि गिरफ्तारी वारण्ट जारीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि निरूद्धि की प्रक्रिया बकाये की पूर्ण या सारभूत अंश के भुगतान के लिए [8][बाध्य करेगा]।

(4) गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारण्ट का सम्पहरण कर सकता है (वापस ले सकता है) यदि *[व्यतिक्रमी] व्यक्ति सम्पूर्ण बकाये या उसके उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है।

---

1. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(क) (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित
*. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित
2. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(क) (चार) द्वारा प्रतिस्थापित
3. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(क) (पांच) द्वारा प्रतिस्थापित
4. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(क) (छः) द्वारा प्रतिस्थापित
5. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 125(ख) द्वारा प्रतिस्थापित
6. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 126(क) द्वारा शब्द "एक बार में" निकाल दिया गया
7. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 126(ख) द्वारा खण्ड (क) प्रतिस्थापित
8. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 126(ग) द्वारा प्रतिस्थापित

द्वारा, किया गया है तो कलेक्टर जांच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा—

(क) जहां दावा किये जाने के पूर्व ही कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय किया जा चुका हो; या

(ख) जहां कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच-समझकर या अनावश्यक रूप से विलम्बित किया गया है; या

(ग) [1][जहां कुर्की] के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया गया है।

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से [2][साठ दिनों] के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति में दावा करता है, को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अध्यधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।

184. विक्रय की उद्घोषणा—(1) जहां इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहां [3][कलेक्टर] या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषाण जारी करेगा :

(क) विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण;

(ख) [4][ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट];

(ग) तद्निमित्त संदेय भू-राजस्व, यदि कोई हो;

(घ) विल्लंगम, यदि कोई हो;

(ङ) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो;

(च) आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान, और

(छ) ऐसे अन्य विवरण [5][जिन्हें कि कलेक्टर] आवश्यक समझे।

(2) [6][जहां विक्रय किए जाने हेतु] ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल [7][5.0586 हेक्टेयर] हो वहां उपधारा (1) के अधीन एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।

(4) उद्घोषणा की एक प्रति *[व्यतिक्रमी] को तामील कराई जायेगी।

---

1. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 138(क) द्वारा प्रतिस्थापित
2. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 138(ख) द्वारा प्रतिस्थापित
3. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 139(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित
4. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 139(क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित.
5. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 139(क) (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित
6. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 139(ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित
7. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 139(ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित

*. उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) यदि व्यतिक्रमी बकाया की धनराशि कुर्की की प्रक्रियात्मक लागत सहित अदा कर देता है, सम्पत्ति कुर्की से अवमुक्त हो जायेगी।

159. आपत्तियों का निस्तारण ***(धारा 174 और 183)***—यदि नियम 158 के अन्तर्गत की गई कुर्की के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल की जाती है, तो उसका निस्तारण तत्काल कुर्की अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

भूमि का पट्टा अथवा विक्रय जिसके लिये बकाया देय है

160. भूमि का पट्टा ***(धारा 178 और 179)***—(1) धारा 174 (1) के अन्तर्गत भूमि की कुर्की के पश्चात् कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर भूमि को यथाशीघ्र ऐसे किसी उपयुक्त व्यक्ति को जो व्यतिक्रमी से भिन्न हो, पट्टे पर उठा देगा, जो पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व कुर्की की कार्यवाही की प्रक्रियात्मक लागत एवं सम्पूर्ण बकाया चुकता कर सके।

(2) पट्टे की अवधि (जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी) कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा बकाए की धनराशि एवं भूमि के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जायेगी।

(3) ऐसा प्रत्येक पट्टा आर० सी० प्रपत्र-42 में धारा 175 में विहित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जायेगा और पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा धारक उस भूमि पर देय भू-राजस्व को देने हेतु बाध्य होगा।

(4) यदि पट्टेदार भू-राजस्व की अदायगी में चूक करता है अथवा किसी अन्य प्रकार से पट्टे की शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तब कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर पट्टेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पट्टा निरस्त कर सकेगा।

(5) पट्टे की अवधि पूर्ण होने अथवा पट्टा निरस्त होने, जैसी भी स्थिति हो, भूमि व्यतिक्रमी अथवा धारा 175 (4) के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में पुनःस्थापित हो जायेगी।

161. जोत का विक्रय ***(धारा 176 और 179)***—(1) यदि धारा 175 के अनुसार कोई उपयुक्त व्यक्ति भूमि को पट्टे पर लेने के लिए इच्छुक न हो और भूमि पर बकाये की धनराशि अवशेष हो, तब कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके किसी भाग की, जिसके सम्बन्ध में बकाया शेष है, लोक नीलाम द्वारा विक्रय की कार्यवाही कर सकेगा और इस सम्बन्ध में धारा 184 से 205 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय की कार्यवाही करते समय विक्रय अधिकारी यह घोषणा करेगा कि नीलामी की कार्यवाही में भूमि के अर्जन के समय केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिनसे धारा 89 के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो।

(3) इस नियम के अन्तर्गत विक्रय की प्रत्येक उद्घोषणा आर० सी० प्रपत्र-43 में जारी की जायेगी और इसमें धारा 184 में विनिर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे।

व्यतिक्रमी की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्रय

162. अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की ***(धारा 177 एवं 179)***—(1) धारा 177 के अन्तर्गत व्यतिक्रमी की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही आर० सी० प्रपत्र-41 में निर्गत की जायेगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21, नियम 54 के अनुसार प्रभावी होगी।

(2) व्यतिक्रमी को भी आर० सी० प्रपत्र-41 की एक प्रति तामील करायी जायेगी।

(3) यदि व्यतिक्रमी बकाया की धनराशि कुर्की की प्रक्रियात्मक लागत सहित अदा कर देता है तो सम्पत्ति कुर्की से अवमुक्त हो जायेगी।

163. विक्रय की उद्घोषणा ***(धारा 184)***—नियम 161 के अन्तर्गत विहित प्रत्येक सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा आर० सी० प्रपत्र-43 में निर्गत की जायेगी और इसकी एक प्रति धारा 184 (4) के अनुसार व्यतिक्रमी को भी तामील की जायेगी।

164. विक्रय अधिकारी ***(धारा 186)***—प्रत्येक अचल सम्पत्ति का विक्रय कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जायेगा, जो समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकता है। यदि विक्रय 21 दिन से अधिक के लिये स्थगित की जाती है तो नये विक्रय के नये उद्घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी।

165. नियंत्रक अधिकारी को सूचना ***(धारा 186)***—जहां कोई अचल सम्पत्ति धारा 186 के अनुक्रम में विक्रीत होती है और उसकी अवस्थिति छावनी क्षेत्र के मध्य है तो जैसा ही विक्रय की पुष्टि होगी, कलेक्टर छावनी के नियंत्रक अधिकारी को उस विक्रय के सन्दर्भ में तथा क्रेता का नाम व पता की सूचना देगा।

166. कलेक्टर द्वारा बोली ***(धारा 186)***—जहां नीलामी के विक्रय में आरक्षित कीमत की धनराशि तक बोली नहीं आती है, वहां कलेक्टर ऐसी बकाया की धनराशि तक बोली लगा सकेगा।

167. कमी की वसूली ***(धारा 189)***—जहां नीलामी विक्रय में, जिस व्यक्ति को विक्रेता घोषित किया गया है, यदि धारा 189 (1) के अन्तर्गत बोली का 25 प्रतिशत का भुगतान करने में विफल रहता है, और पुन: विक्रय में मूल्य में कमी आ जाती है, तो पुन: विक्रय में आयी कमी (साथ में प्रथम विक्रय पर आये खर्च को जोड़ते हुये) को उस व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूला जायेगा।

168. क्रय राशि का जमा किया जाना ***(धारा 189 और 190)***—जहां कोई सम्पत्ति (चल अथवा अचल) लोक नीलामी के माध्यम से संहिता के अध्याय-बारह के अन्तर्गत भू-राजस्व के वसूली के लिए विक्रय की जाती है, वहां धारा 189 या धारा 190 के अन्तर्गत प्रत्येक क्रय राशि को नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा भागत: नगद और भागत: ड्राफ्ट के द्वारा किया जायेगा।

169. प्राथमिकता हेतु आवेदन ***(धारा 191)***—(1) यदि संहिता के अध्याय-बारह के अन्तर्गत भू-राजस्व के वसूली हेतु किसी अनुसूचित जाति की अचल सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो कोई व्यक्ति जो उस जाति से सम्बन्धित है, धारा 191 के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष (आवश्यक जमा राशि के साथ) प्राथमिकता हेतु आवेदन नीलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है।

(2) अनुसूचित जनजाति के अचल सम्पत्ति के विक्रय के सन्दर्भ में भी उपनियम (1) के समान ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) यदि एक या एक से अधिक व्यक्तियों ने (आवश्यक जमा राशि के साथ) प्राथमिकता का आवेदन-पत्र विहित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया है तो कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर उन आवेदनकर्ताओं के मध्य निविदा आमंत्रित करेगा अथवा उनके मध्य खुली नीलामी करायेगा और तय करेगा कि उनमें से कौन उच्च बोली दाता है।

(4) धारा 192, धारा 193 अथवा धारा 195 के अन्तर्गत यदि नीलामी विक्रय विखण्डित की जाती है, तो प्राथमिकता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

आर० सी० प्रपत्र 40

(देखें नियम 153)

उप-जिलाधिकारी : .....

वाद सं० : .....

दिनांक : .....

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

.....

..... शाखा

.....

जैसा कि श्री ....., निवासी ....., जो कि एक व्यतिक्रमी है, से राशि रु० ..... (शब्द.....) भू-राजस्व के मद में बकाया है और जैसा कि उक्त व्यतिक्रमी ने आपकी शाखा में एक खाता सं०.....खोल रखा है और एक लॉकर सं०..... किराये पर ले रखा है।

इसलिए, अब आप और उक्त व्यतिक्रमी को उक्त खाता या लॉकर को संचालित करने से तथा अगले आदेशों तक उक्त खाता और लॉकर से कोई राशि या वस्तु के निष्कासन या निष्कासन को स्वीकृत करने से निषिद्ध या अवरुद्ध किया जाता है।

स्वनिर्देश—

(उप-जिलाधिकारी)

प्रतिलिपि - श्री....., निवासी .....(व्यतिक्रमी) को प्रेषित।

स्वनिर्देश—

(उप-जिलाधिकारी)

———

आर० सी० प्रपत्र 41

(देखें नियम 158 और 162)

भूमि और अन्य अचल सम्पत्तियों की कुर्की (जब्ती)

सेवा में,

श्री.....

(व्यतिक्रमी का नाम और पता)

जैसा कि आप अधोलिखित भू-राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू-राजस्व को जमा करने में असफल हुये हैं;

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सम्पत्ति जब्त कर ली गयी है और आपको आगे से उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण या बिक्री, दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन से निषिद्ध और अवरुद्ध किया

जाता है और अन्य व्यक्तियों को भी उक्त सम्पत्ति की बिक्री, दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से निषिद्ध और अवरुद्ध किया जाता है।

जब्त सम्पत्ति का विवरण	*बकाया का विवरण*
.....	.....
.....	.....
जारी तिथि	*हस्ताक्षर*
मुहर	जिलाधिकारी / उप-जिलाधिकारी

नोट—इस आदेश की एक प्रति उक्त जब्त सम्पत्ति पर या उसके नजदीक चस्पा की जानी चाहिए और जब्ती की कार्यवाही उस स्थान पर ही ढोल पीटकर उद्घोषणा की जानी चाहिये।

———

आर० सी० प्रपत्र 42

(देखें नियम 160 और 163)

संहिता की धारा 175 के अन्तर्गत पट्टे का प्रपत्र

यह अनुबन्ध दिनांक..... उप-जिलाधिकारी.....तहसील..... जिला.....(जिसे एतद्पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) प्रथम पक्ष व श्री..... ....., पुत्र श्री....., निवासी ..... (जिसे एतद्पश्चात् पट्टाधारक कहा गया है) के मध्य किया गया है।

यत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 175 के अधीन नीचे वर्णित भूमि का पट्टा भू-राजस्व की बकाया या वसूली योग्य धनराशि के बाबत किया जाना है।

जहां तक कि पट्टाधारक द्वारा नीचे वर्णित भूमि पर खेती करने के लिये आवेदन किया गया है तथा पट्टाधारक निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों का परिपालन करने के लिये सहमत है।

अत: यह अनुबन्ध साक्षी है, नीचे वर्णित भूमि पट्टाकर्ता द्वारा पट्टाधारक के प्रतिफल की धनराशि रु०.....पट्टाधारक द्वारा पट्टाकर्ता को अदा करने के फलस्वरूप (रसीद जिसके द्वारा पट्टाधारक स्वीकार करता है) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 175 के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टा की गयी है।

(1) पट्टाधारक प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा.....वर्षों तक (.....से .....तक) बनाये रखेगा।

(2) ऊपर वर्णित अवधि के पट्टाधारक लगातार भू-राजस्व रु०.....इस संहिता व इसके अधीन वर्णित नियमावली के अनुसार अदा करता रहेगा।

(3) पट्टाकर्ता की लिखित अनुमति के बिना पट्टेदार प्रश्नगत पट्टे में वर्णित सम्पत्ति की उप-किरायेदारी या अंतरित नहीं करेगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्त होने अथवा पट्टा निरस्त होने की दशा में नीचे वर्णित प्रस्तर-5 के अधीन पट्टाधारक पट्टाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को कब्जा सौंप देगा, असफल रहने की दशा में पट्टाकर्ता का अधिकार होगा कि वह आवश्यक बल प्रयोग कर कब्जा प्राप्त कर ले।

(5) इस पट्टे की किसी शर्त या प्रतिबन्ध का उल्लंघन पट्टाधारक द्वारा किये जाने की दशा में पट्टाकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह पट्टे को निरस्त कर दे।

(6) यदि पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारक कोई उत्तराधिकारी छोड़कर मर जाता है उस दशा में पट्टाकर्ता की लिखित अनुमति (अन्यथा नहीं) पर शेष अवधि के लिये पट्टा दिया जायेगा।

(7) यदि भू-राजस्व की धनराशि अथवा उसका कोई भाग अदा करने से शेष रह जाता है तो उसे पट्टाधारक या उसके उत्तराधिकारी से वसूल किया जा सकेगा।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में पक्षों द्वारा दिनांक.....वर्ष..... को हस्ताक्षरित किया गया।

पट्टा की गयी भूमि का विवरण

पट्टाधारक के हस्ताक्षर *पट्टाकर्ता के हस्ताक्षर*

साक्षी

1. .....

2. .....

———

आर० सी० प्रपत्र 43

(*देखें* नियम 161 और 163)

भूमि व अन्य अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु उद्घोषणा

वाद संख्या : ..... वर्ष : .....

(पक्षकारों के नाम)

जहां तक कि भूमि / अन्य अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे अभिलिखित है : ..... और व्यतिक्रमी श्री....., पुत्र श्री....., निवासी ....बकाया भुगतान करने में असफल हो गया है और जहां तक कि इस न्यायालय द्वारा व्यतिक्रमी की इस भूमि / अन्य अचल सम्पत्तियों की नीलामी हेतु निर्देशित किया गया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित प्रश्नगत भूमि / अन्य अचल सम्पत्तियों की नीलामी सार्वजनिक बोली के माध्यम से दिनांक.....समय.....बजे से (नीलामी स्थान)..... पर निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी—

(1) नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता को विधिक रूप से सक्षम होने की दशा में प्रश्नगत भूमि / अन्य अचल सम्पत्तियों का क्रेता घोषित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत क्रेता को तत्काल बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। असफल रहने की दशा में भूमि / अन्य अचल सम्पत्ति की तत्काल पुन: बिक्री की जायेगी।

(3) शेष धनराशि की अदायगी क्रेता द्वारा नीलामी की तिथि से पन्द्रहवें दिन या उससे पूर्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 190 में यथा वर्णित विधि के अनुसार की जायेगी।

(4) यदि अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती है, तब ऊपर वर्णित प्रस्तर-2 के अनुसार जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(5) नीचे वर्णित अवशेष धनराशि का भुगतान नीलामी द्वारा विक्रय के पूर्व कर दिये जाने की दशा में विक्रय की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(6) विक्रय की पुष्टि प्रश्नगत संहिता की धारा 194 से शासित होगा।

भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्तियों की विशिष्टताएँ	***बकाया का विवरण***
(सम्पत्ति की अनुमानित कीमत, आरक्षित कीमत और सर्किल रेट व भू-राजस्व तथा भार यदि कोई हो)	(क) भू-राजस्व की बकाया या बकाया के रूप में वसूली योग्य धनराशि.....
	(ख) कुर्की निष्पादन व्यय.....
	(ग) विक्रय निष्पादन व्यय.....
.....	योग रुपया .....
जारी करने की तिथि	कलेक्टर / सहायक कलेक्टर के हस्ताक्षर जिला.....

मुहर

नोट—

1. विक्रय की उद्घोषणा विक्रय के लिये प्रस्तावित तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व होगी।
2. विक्रय की उद्घोषणा की प्रति विक्रय के लिये प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 दिन पूर्व व्यतिक्रमी को तामील की जायेगी।
3. यदि विक्रय कलेक्टर या सहायक कलेक्टर से भिन्न अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उस दशा में उस अधिकारी का नाम व पद नाम उद्घोषणा में उल्लिखित किया जायेगा।

———

आर० सी० प्रपत्र 44

(देखें नियम 176)

जिलाधिकारी कार्यालय

जिला —.....

(वाद सं०.....का.....)

(.....बनाम.....)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री....., पुत्र / पुत्री....., निवासी.....को उ० प्र० राजस्व संहिता, 2006 के अध्याय-बारह के अन्तर्गत हुई नीलामी में अधोलिखित सम्पत्ति का खरीददार घोषित किया जाता है—

नीलामी की तिथि : .....

बिक्री के पुष्टिकरण की तिथि : .....

बिक्री प्रतिफल : .....

उल्लंघन करके निर्णीत-ऋणी [1][उसकी जानकारी रखते हुए या] ऐसे आदेश की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् या तो न्यायालय की मार्फत या अन्यथा करता है, किसी भी न्यायालय द्वारा उस समय तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कुर्की प्रवृत्त रहती है।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद

उपनियम (1) के उपबन्ध (व) एवं उपनियम (4) में

"ऐसे अन्य न्यायालय" के बाद अन्तःस्थापित करे ;

"या ऐसे अन्य न्यायालय को जिसे निष्पादन हेतु डिक्री स्थानान्तरित की गयी हो" शब्दों को अन्तः स्थापित करें

मध्य प्रदेश

उपनियम (1) के उपबन्ध (व) एवं उपनियम (4) में *"ऐसे अन्य न्यायालय"* के बाद

"या ऐसे अन्य न्यायालय जिसे निष्पादन हेतु डिक्री स्थानान्तरित की गयी हो" शब्दों को अन्तः स्थापित करें।[2]

पटना

उपनियम (1) (व) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित :

"(व) यदि वह डिक्री जिसकी कुर्की चाही गयी है; किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गयी थी तो उस डिक्री को जिसका निष्पादन घाटा गया है पारित करने वाले अन्य न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायालय (या उस न्यायालय से जिसे निष्पादन हेतु डिक्री स्थानान्तरित हो सकती थी) को यह अनुरोध करने वाली सूचना देकर की जायेगी कि वह अपनी डिक्री का निष्पादन तब तक के लिए रोक दे जब तक कि—

(i) जिस डिक्री का निष्पादन चाहा गया है उस डिक्री को पारित करने वाला न्यायालय सूचना को रद्द न कर दे अथवा

(ii) जिस डिक्री का निष्पादन चाहा गया है या उस डिक्री का धारक या ऐसे डिक्रीदार की लिखित पूर्व सहमति से हुई या कुर्क करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से उसका निर्णीत ऋणी ऐसी सूचना प्राप्त करने वाले न्यायालय से (या उस न्यायालय से जिसे निष्पादन हेतु डिक्री स्थानान्तरित हो सकती थी) यह आवेदन न करे कि वह कुर्क की गयी डिक्री निष्पादन करे।"

54. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की—(1) जहां सम्पत्ति स्थावर है, वहां कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी जो सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित या भारित करने से निर्णीत-ऋणी को और ऐसे अन्तरण या भार से कोई भी फायदा उठाने से सभी व्यक्तियों को प्रतिषिद्ध करता है।

---

1. 1976 के अधिनियम सं० 104 की धारा 72 द्वारा (1-2-1977 से) अन्तःस्थापित.

2. 29.6.1943

[1][(1क) आदेश में निर्णीत-ऋणी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विक्रय की उद्घोषणा के निबन्धनों को तय करने के लिए नियत की जाने वाली तारीख की सूचना प्राप्त करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट तारीख को न्यायालय में हाजिर हो।]

(2) वह आदेश ऐसी सम्पत्ति में के या उसके पार्श्वस्थ किसी स्थान पर डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढ़िक ढंग से उद्घोषित किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और तब न्यायासदन के किसी सहजदृश्य भाग पर और जहां सम्पत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है वहां उस जिले के जिसमें वह भूमि स्थित है, कलक्टर के कार्यालय में भी लगाई जाएगी [1][और जहां सम्पत्ति किसी गांव में स्थित भूमि है वहां उस गांव पर अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत के, यदि कोई हो, कार्यालय में भी लगाई जाएगी]।

उच्च न्यायालय संशोधन

इलाहाबाद

आदेश 21 के नियम 54 के उपनियम (3) के स्थान पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जोड़ी गयी थी, के स्थान पर निम्न उपनयिम (3) प्रतिस्थापित करें;

"(3) निर्णीत ऋणी से बिना प्रतिफल कुर्की के दिनांक से हस्तान्तरिती के विरुद्ध की गयी मानी जायेगी और अन्य व्यक्तियो के विरुद्ध क्रमशः जिस दिन से कुर्की के आदेश का सज्ञान होता है या उस दिवस को जो पूर्व हो उपनियम (2) के अन्तर्गत विधिवत ऐसी घोषणा की गयी हो।"[1]

मध्य प्रदेश

(क) उपनियम (2) के अन्त में पूर्णविराम को खत्म करके निम्न की अभिवृद्धि करें—

"और भी जहाँ सम्पत्ति छावनी सीमा से स्थित सम्बन्धित स्थानीय छावनी परिषद एवं [illegible] सम्पत्ति कार्यालय में हो।"[2]

(ख) नये निम्न उपनियम (3) को अन्तःस्थापित।

"यह आदेश कीमत पर क्रेता के विरुद्ध उस दिन से जिस दिनांक को आदेश सम्पत्ति पर चस्पा किया जायेगा तथा निर्णीत ऋणी के अन्य सभी हस्तान्तरिती पर उस दिन से जिस दिन से ऐसा आदेश पारित किया गया प्रभावित माना जायेगा।"[3]

पटना

उपनियम (2) के लिए निम्न नये को प्रतिस्थापित करें

---

1. इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासकीय (सामान्य) (अनुभाग) अधिसूचना संख्या 447/VII -24, दिनांक 31-8-1982 उ०प्र० राजपत्र में भाग दो प्रकाशित दिनांक 5-2-1983 पृष्ठ 14-15 पर.
2. 26-9-1949
3. 16-9-1960

नत्थी (च)

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-111 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-248 पर)

अनुपूरक सामग्री

भू–जल स्तर (मी0 में)	मुजफ्फराबाद	सडोली कदीम
प्री मानसून–2012	7.80	5.00
पोस्ट मानसून–2012	10.15	7.38
प्री मानसून–2013	8.86	6.71
पोस्ट मानसून–2013	9.83	8.56
प्री मानसून–2014	7.34	3.88
पोस्ट मानसून–2014	9.59	6.32
प्री मानसून–2015	10.16	7.33
पोस्ट मानसून–2015	10.06	7.26
प्री मानसून–2016	10.50	7.80
पोस्ट मानसून–2016	9.81	6.20
प्री मानसून–2017	10.98	6.80
पोस्ट मानसून–2017	10.30	5.83
प्री मानसून–2018	11.33	7.03
पोस्ट मानसून–2018	9.02	4.88
प्री मानसून–2019	9.22	6.77
पोस्ट मानसून–2019	8.22	6.32
प्री मानसून–2020	10.19	7.36
पोस्ट मानसून–2020	10.20	6.71
प्री मानसून–2021	10.52	8.59
पोस्ट मानसून–2021	10.36	9.02
अन्तर (मीटर में)	-0.27	-0.35
वृद्धि / गिरावट	गिरावट	गिरावट

नत्थी (छ)

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-113 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-249 पर)

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाये, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण – (एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व व कब्जा है, यह न समझ लिया जायेगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिये कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।

(पॉच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह –

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो ; या

(ग) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाये, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है :

8. **जनसंख्या में परिवर्तन अथवा [ग्राम पंचायत][1] के क्षेत्र को नगरपालिका आदि में सम्मिलित करने का प्रभाव** – यदि किसी [ग्राम पंचायत] का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी [नगर म्यूनिसिपैलिटी][2], कैन्टुन्मेंट, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया सम्मिलित कर दिया जाये तो [ग्राम पंचायत][3] का अस्तित्व (Existance) समाप्त हो जायेगा और उसकी आस्तियॉं (Assests) तथा उसकी जिम्मेदारियॉं विहित रीति से निर्धारित कर दी जायेगी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर दिया गया तो ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र उतने भाग से हट जायेगा।

[4][9. **प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली** – (1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली, [इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार][5], राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।

[6][(1–क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण, और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(1–ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसी नियत की जाये।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और प्रकाशित किये जाने पर वह [7][इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार] किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली होगी।

---

[1] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा रखे गये (22–4–1994 से प्रभावी)।

[6] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा रखे गये (22–4–1994 से प्रभावी)।

[7] उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1995 की धारा 4 द्वारा रखे गये (22–4–1994 से प्रभावी)।

नत्थी (ज)

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-120 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-254 पर)

विधान सभा द्वितीय सत्र-2022 के 3-मंगलवार के लिये निर्धारित श्री हाजी इरफान सोलंकी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-13 प्रश्न पंजीकरण संख्या-2100 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विवरण

क्र0 सं0	कमिश्नरेट/परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	वर्ष	विगत 5 वर्षों में एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत वर्षवार पंजीकृत अपराधों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें पीड़ितों को मुआवजा दिया गया	मामलों की संख्या जिनमें एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के दुरूपयोग होने के प्रकरण सामने आए
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	सहारनपुर	2017	82	82	5
			2018	86	74	15
			2019	115	99	10
			2020	118	102	19
			2021	143	140	7
		मुजफ्फरनगर	2017	42	27	4
			2018	70	56	2
			2019	49	38	2
			2020	58	50	3
			2021	76	72	3
		शामली	2017	19	14	6
			2018	29	22	10
			2019	26	18	5
			2020	19	17	2
			2021	30	26	2
	योग परिक्षेत्र		2017	**143**	**123**	**15**
			2018	**185**	**152**	**27**
			2019	**190**	**155**	**17**
			2020	**195**	**169**	**24**
			2021	**249**	**238**	**12**
2	मेरठ	मेरठ	2017	138	127	0
			2018	175	171	0
			2019	136	127	0
			2020	135	130	0
			2021	180	174	0
		गाजियाबाद	2017	103	82	3
			2018	105	92	3
			2019	127	115	9
			2020	121	107	6
			2021	140	119	9
		बुलन्दशहर	2017	147	113	3
			2018	158	115	2
			2019	174	125	5
			2020	167	139	6
			2021	194	136	9
		बागपत	2017	41	29	3
			2018	55	47	5
			2019	60	56	4
			2020	47	41	5
			2021	64	63	3

		हापुड	2017	71	64	7
			2018	43	40	3
			2019	48	44	4
			2020	51	49	2
			2021	81	76	5
	योग परिक्षेत्र		2017	**500**	**415**	**16**
			2018	**536**	**465**	**13**
			2019	**545**	**467**	**22**
			2020	**521**	**466**	**19**
			2021	**659**	**568**	**26**
	योग जोन		2017	**643**	**538**	**31**
			2018	**721**	**617**	**40**
			2019	**735**	**622**	**39**
			2020	**716**	**635**	**43**
			2021	**908**	**806**	**38**
3	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर	2017	38	32	0
			2018	42	30	0
			2019	48	42	0
			2020	59	53	0
			2021	52	45	0
4	कमिश्नरेट लखनऊ	लखनऊ नगर	2017	347	347	0
			2018	407	407	0
			2019	450	450	0
			2020	373	373	0
			2021	352	352	0
5	कमिश्नरेट कानपुर	कानपुर नगर	2017	137	112	0
			2018	171	149	0
			2019	169	151	0
			2020	163	141	0
			2021	165	129	0
6	कमिश्नरेट वाराणसी	वाराणसी नगर	2017	105	105	0
			2018	150	142	0
			2019	178	162	0
			2020	137	114	0
			2021	114	103	0
7	लखनऊ	हरदोई	2017	167	167	0
			2018	289	289	0
			2019	312	312	0
			2020	346	346	0
			2021	412	411	0
		खीरी	2017	405	293	0
			2018	417	203	0
			2019	410	324	0
			2020	379	306	0
			2021	446	419	0
		लखनऊ देहात	2017	139	139	0
			2018	140	140	0
			2019	117	117	0
			2020	150	149	0
			2021	110	108	0

		रायबरेली	2017	172	172	0
			2018	258	258	0
			2019	316	316	0
			2020	360	360	0
			2021	278	278	0
		सीतापुर	2017	430	428	0
			2018	519	481	0
			2019	539	463	0
			2020	465	445	0
			2021	393	35	0
		उन्नाव	2017	349	332	0
			2018	326	316	0
			2019	311	302	0
			2020	375	360	0
			2021	360	317	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**1662**	**1531**	**0**
			2018	**1949**	**1687**	**0**
			2019	**2005**	**1831**	**0**
			2020	**2075**	**1966**	**0**
			2021	**1999**	**1568**	**0**
8	आयोध्या	अयोध्या	2017	271	271	0
			2018	367	367	0
			2019	219	219	0
			2020	269	269	0
			2021	189	160	0
		सुल्तानपुर	2017	185	185	0
			2018	292	247	0
			2019	317	181	0
			2020	391	328	0
			2021	333	236	0
		बाराबंकी	2017	308	308	0
			2018	238	238	0
			2019	274	274	0
			2020	300	300	0
			2021	350	350	0
		अम्बेडकरनगर	2017	144	142	0
			2018	193	170	0
			2019	192	142	0
			2020	184	120	0
			2021	177	164	0
		अमेठी	2017	235	235	0
			2018	297	297	0
			2019	272	272	0
			2020	299	299	0
			2021	349	344	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**1143**	**1141**	**0**
			2018	**1387**	**1319**	**0**
			2019	**1274**	**1088**	**0**
			2020	**1443**	**1316**	**0**
			2021	**1398**	**1254**	**0**

	योग जोन		2017	**2805**	**2672**	**0**
			2018	**3336**	**3006**	**0**
			2019	**3279**	**2919**	**0**
			2020	**3518**	**3282**	**0**
			2021	**3397**	**2822**	**0**
9	बरेली	बरेली	2017	202	129	0
			2018	305	180	0
			2019	208	129	2
			2020	158	108	0
			2021	170	111	1
		बदायूँ	2017	121	92	0
			2018	142	112	0
			2019	80	53	0
			2020	84	69	0
			2021	100	76	0
		पीलीभीत	2017	152	131	0
			2018	176	156	0
			2019	130	112	0
			2020	136	120	0
			2021	136	125	0
		शाहजहांपुर	2017	233	145	10
			2018	223	160	14
			2019	212	190	7
			2020	235	212	9
			2021	257	216	5
	योग परिक्षेत्र		2017	**708**	**497**	**10**
			2018	**846**	**608**	**14**
			2019	**630**	**484**	**9**
			2020	**613**	**509**	**9**
			2021	**663**	**528**	**6**
10	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2017	83	83	0
			2018	77	77	0
			2019	77	77	0
			2020	90	90	0
			2021	118	118	0
		बिजनौर	2017	61	61	0
			2018	73	73	0
			2019	55	55	0
			2020	82	82	0
			2021	97	91	0
		रामपुर	2017	64	64	0
			2018	77	77	0
			2019	50	50	0
			2020	64	64	0
			2021	74	74	0
		अमरोहा	2017	55	55	0
			2018	70	70	0
			2019	77	77	0
			2020	81	81	0
			2021	90	90	0

		सम्भल	2017	84	84	0
			2018	93	93	0
			2019	72	72	0
			2020	57	57	0
			2021	67	66	0
	योग परिक्षेत्र		2017	347	347	0
			2018	390	390	0
			2019	331	331	0
			2020	374	374	0
			2021	446	439	0
	योग जोन		2017	1055	844	10
			2018	1236	998	14
			2019	961	815	9
			2020	987	883	9
			2021	1109	967	6
11	वाराणसी	वाराणसी देहात	2017	134	130	0
			2018	146	140	0
			2019	115	108	0
			2020	116	113	0
			2021	90	86	0
		चन्दौली	2017	106	106	0
			2018	124	124	0
			2019	107	107	0
			2020	73	73	0
			2021	81	81	0
		गाजीपुर	2017	179	156	0
			2018	227	206	0
			2019	197	181	0
			2020	259	256	0
			2021	205	179	0
		जौनपुर	2017	284	265	0
			2018	297	263	0
			2019	386	362	0
			2020	289	269	0
			2021	333	310	0
	योग परिक्षेत्र		2017	703	657	0
			2018	794	733	0
			2019	805	758	0
			2020	737	711	0
			2021	709	656	0
12	आजमगढ़	आजमगढ़	2017	240	201	0
			2018	272	245	0
			2019	210	175	0
			2020	272	240	0
			2021	202	170	0
		मऊ	2017	135	124	0
			2018	95	85	0
			2019	94	75	0
			2020	136	117	0
			2021	116	80	0

		बलिया	2017	181	169	0
			2018	120	117	0
			2019	115	108	0
			2020	96	96	0
			2021	122	118	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**556**	**494**	**0**
			2018	**487**	**447**	**0**
			2019	**419**	**358**	**0**
			2020	**504**	**453**	**0**
			2021	**440**	**368**	**0**
13	मिर्जापुर	मिर्जापुर	2017	172	137	0
			2018	148	119	0
			2019	137	114	0
			2020	130	114	0
			2021	113	94	0
		सोनभद्र	2017	102	79	0
			2018	126	86	0
			2019	115	99	0
			2020	152	126	0
			2021	171	137	0
		संतरविदासनगर	2017	63	65	0
			2018	90	87	0
			2019	75	70	0
			2020	138	142	0
			2021	74	76	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**337**	**281**	**0**
			2018	**364**	**292**	**0**
			2019	**327**	**283**	**0**
			2020	**420**	**382**	**0**
			2021	**358**	**307**	**0**
	योग जोन		2017	**1596**	**1432**	**0**
			2018	**1645**	**1472**	**0**
			2019	**1551**	**1399**	**0**
			2020	**1661**	**1546**	**0**
			2021	**1507**	**1331**	**0**
14	प्रयागराज	प्रयागराज	2017	413	271	0
			2018	547	441	0
			2019	490	364	0
			2020	562	474	0
			2021	394	361	0
		कौशाम्बी	2017	153	128	0
			2018	106	84	0
			2019	128	89	0
			2020	140	117	0
			2021	129	106	0
		फतेहपुर	2017	182	182	0
			2018	131	131	0
			2019	152	152	0
			2020	157	157	0
			2021	188	188	0

		प्रतापगढ़	2017	258	258	0
			2018	453	453	0
			2019	295	295	0
			2020	542	533	0
			2021	409	391	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**593**	**568**	**0**
			2018	**690**	**668**	**0**
			2019	**575**	**536**	**0**
			2020	**839**	**807**	**0**
			2021	**726**	**685**	**0**
15	चित्रकूट	बांदा	2017	143	122	0
			2018	120	98	0
			2019	165	143	3
			2020	202	188	2
			2021	182	168	0
		हमीरपुर	2017	127	111	0
			2018	151	130	0
			2019	130	114	0
			2020	142	132	0
			2021	139	125	0
		महोबा	2017	112	103	0
			2018	106	95	0
			2019	96	90	0
			2020	102	93	0
			2021	140	118	0
		चित्रकूट	2017	120	104	0
			2018	137	107	0
			2019	90	80	0
			2020	102	102	0
			2021	92	91	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**502**	**440**	**0**
			2018	**514**	**430**	**0**
			2019	**481**	**427**	**3**
			2020	**548**	**515**	**2**
			2021	**553**	**502**	**0**
	योग जोन		2017	**1095**	**1008**	**0**
			2018	**1204**	**1098**	**0**
			2019	**1056**	**963**	**3**
			2020	**1387**	**1322**	**2**
			2021	**1279**	**1187**	**0**
16	कानपुर	कानपुर आउटर	2017	145	143	2
			2018	123	121	2
			2019	122	118	4
			2020	136	127	9
			2021	167	164	3
		कानपुर देहात	2017	160	126	0
			2018	147	99	4
			2019	182	134	6
			2020	213	187	8
			2021	234	192	10

		इटावा	2017	121	105	0
			2018	102	85	0
			2019	54	41	0
			2020	93	78	0
			2021	78	62	0
		औरैया	2017	190	189	1
			2018	193	193	0
			2019	150	150	0
			2020	168	167	1
			2021	209	206	3
		फतेहगढ़	2017	115	109	6
			2018	80	74	6
			2019	79	75	4
			2020	83	76	7
			2021	100	96	4
		कन्नौज	2017	110	106	4
			2018	119	115	4
			2019	95	88	7
			2020	95	94	1
			2021	151	140	11
	योग परिक्षेत्र		2017	**841**	**778**	**13**
			2018	**764**	**687**	**16**
			2019	**682**	**606**	**21**
			2020	**788**	**729**	**26**
			2021	**939**	**860**	**31**
17	झांसी	झांसी	2017	170	130	0
			2018	200	157	0
			2019	195	153	0
			2020	195	168	0
			2021	225	162	0
		जालौन	2017	118	81	0
			2018	96	64	0
			2019	123	77	0
			2020	140	112	0
			2021	105	79	0
		ललितपुर	2017	115	92	0
			2018	158	118	0
			2019	89	52	0
			2020	107	80	0
			2021	147	102	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**403**	**303**	**0**
			2018	**454**	**339**	**0**
			2019	**407**	**282**	**0**
			2020	**442**	**360**	**0**
			2021	**477**	**343**	**0**
	योग जोन		2017	**1244**	**1081**	**13**
			2018	**1218**	**1026**	**16**
			2019	**1089**	**888**	**21**
			2020	**1230**	**1089**	**26**
			2021	**1416**	**1203**	**31**

18	गोरखपुर	गोरखपुर	2017	349	384	0
			2018	364	546	0
			2019	303	709	0
			2020	362	747	0
			2021	345	556	0
		देवरिया	2017	116	116	0
			2018	142	142	0
			2019	116	101	0
			2020	125	122	0
			2021	102	99	0
		महराजगंज	2017	84	74	0
			2018	89	84	0
			2019	91	83	0
			2020	127	114	0
			2021	106	96	0
		कुशीनगर	2017	219	219	0
			2018	181	181	0
			2019	165	165	0
			2020	222	222	0
			2021	199	199	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**768**	**793**	**0**
			2018	**776**	**953**	**0**
			2019	**675**	**1058**	**0**
			2020	**836**	**1205**	**0**
			2021	**752**	**950**	**0**
19	बस्ती	बस्ती	2017	144	144	0
			2018	145	145	0
			2019	131	131	0
			2020	170	170	0
			2021	195	193	0
		संतकबीनगर	2017	162	141	0
			2018	130	117	0
			2019	86	80	0
			2020	150	141	0
			2021	164	155	0
		सिद्धार्थनगर	2017	91	65	0
			2018	124	103	0
			2019	120	119	0
			2020	130	129	0
			2021	129	129	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**397**	**350**	**0**
			2018	**399**	**365**	**0**
			2019	**337**	**330**	**0**
			2020	**450**	**440**	**0**
			2021	**488**	**477**	**0**
20	देवीपाटन	गोण्डा	2017	232	232	0
			2018	349	349	0
			2019	245	245	0
			2020	290	290	0
			2021	210	145	0

		बलरामपुर	2017	75	58	0
			2018	99	80	0
			2019	125	107	0
			2020	163	149	0
			2021	102	92	0
		बहराइच	2017	246	197	0
			2018	273	132	0
			2019	229	112	0
			2020	336	136	0
			2021	349	177	0
		श्रावस्ती	2017	82	64	0
			2018	105	102	0
			2019	124	114	0
			2020	95	86	0
			2021	112	78	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**635**	**551**	**0**
			2018	**826**	**663**	**0**
			2019	**723**	**578**	**0**
			2020	**884**	**661**	**0**
			2021	**773**	**492**	**0**
	योग जोन		2017	**1800**	**1694**	**0**
			2018	**2001**	**1981**	**0**
			2019	**1735**	**1966**	**0**
			2020	**2170**	**2306**	**0**
			2021	**2013**	**1919**	**0**
21	आगरा	आगरा	2017	192	162	2
			2018	189	178	1
			2019	178	153	0
			2020	140	133	0
			2021	214	214	2
		मथुरा	2017	136	136	0
			2018	137	137	0
			2019	117	117	0
			2020	187	187	0
			2021	193	193	0
		मैनपुरी	2017	143	114	0
			2018	149	124	0
			2019	125	96	0
			2020	154	140	0
			2021	154	129	0
		फिरोजाबाद	2017	168	151	0
			2018	158	140	0
			2019	164	147	0
			2020	144	135	0
			2021	178	177	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**639**	**563**	**2**
			2018	**633**	**579**	**1**
			2019	**584**	**513**	**0**
			2020	**625**	**595**	**0**
			2021	**739**	**713**	**2**

22	अलीगढ़	अलीगढ़	2017	134	100	0
			2018	175	122	0
			2019	169	125	0
			2020	186	152	0
			2021	216	121	0
		एटा	2017	132	116	9
			2018	120	119	6
			2019	115	93	9
			2020	168	113	19
			2021	146	104	10
		हाथरस	2017	61	43	0
			2018	71	53	0
			2019	67	46	0
			2020	65	44	0
			2021	86	52	0
		काशगंज	2017	50	39	0
			2018	61	53	0
			2019	59	48	0
			2020	90	72	0
			2021	83	55	0
	योग परिक्षेत्र		2017	**377**	**298**	**9**
			2018	**427**	**347**	**6**
			2019	**410**	**312**	**9**
			2020	**509**	**381**	**19**
			2021	**531**	**332**	**10**
	योग जोन		2017	**1016**	**861**	**11**
			2018	**1060**	**926**	**7**
			2019	**994**	**825**	**9**
			2020	**1134**	**976**	**19**
			2021	**1270**	**1045**	**12**
	सम्पूर्ण योग उ0प्र0		2017	**11881**	**10726**	**65**
			2018	**13191**	**11852**	**77**
			2019	**12245**	**11202**	**81**
			2020	**13535**	**12720**	**99**
			2021	**13582**	**11909**	**87**